
वार्षिक रिपोर्ट **Annual Report**



੧ਓ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)



Punjab & Sind Bank

(A Govt. of India Undertaking)

निदेशक मंडल / Board of Directors



डॉ. चरन सिंह / Dr. Charan Singh अध्यक्ष / Chairman



श्री स्वरूप कुमार साहा / Sh. Swarup Kumar Saha एमडी एवं सीईओ / MD & CEO



श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र Sh. Kollegal V Raghavendra कार्यकारी निदेशक **Executive Director**



डॉ. रामजस यादव Dr. Ram Jass Yadav कार्यकारी निदेशक **Executive Director**



सुश्री एम जी जयश्री Ms M G Jayasree भारत सरकार नामित निदेशक **GOI** Nominee Director



श्री के पी पटनायक Sh. K P Patnaik आरबीआई नामित निदेशक **RBI** Nominee Director



श्री टी आर मेंदीरत्ता Sh. T R Mendiratta शेयरधारक निदेशक Shareholder Director



श्री शंकर लाल अग्रवाल Sh. Shankar Lal Agarwal अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक



सुश्री रश्मि खेलपाल Ms. Rshmi Khetrapal अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक Part-Time Non-Official Director Part-Time Non-Official Director

Basel III disclosures and Business Responsibility and Sustainability Report can be viewed on the Bank's Website https://punjabandsindbank.co.in/. Shareholders(s) interested in obtaining a physical copy of the Business Responsibility and Sustainability Report may write to the Company Secretary of the Bank.

In this Annual Report, in case of any discrepancy found in the Hindi version, the English version will prevail.



उल्लेखनीय तथ्य / Highlights

राशि लाख में / Rupees in Lakh

		31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023
1	शाखाओं की संख्या / Number of Branches	1531	1530	1537
2	एटीएम की संख्या / Number of ATMs	1097	676	835
3	चुकता पूंजी / Paid-up Capital	405267	677779	677779
4	आरक्षित निधियां / Reserves	431035	723280	833072
5	जमाएं / Deposits	9610818	10213701	10966549
6	सकल अग्रिम / Gross Advances	6781117	7038709	8098173
7	सकल निवेश / Gross Investments	3251841	4276625	4546833
8	कुल आय / Total Income	787752	805519	893269
9	कुल व्यय / Total Expenditure	710549	672510	748275
10	परिचालन लाभ / Operating Profit	77203	133009	144994
11	निवल लाभ / (निवल हानि) / Net Profit / (Net Loss)	(273290)	103905	131303
12	प्रति इक्विटी शेयर लाभांश / Dividend per Equity Share	-	0.31	0.48
13	आस्तियों पर प्रतिफल (%) / Return on Assets (%)	(2.55)%	0.85%	0.98%
14	सकल एनपीए अनुपात (%) / Gross NPA Ratio (%)	13.76%	12.17%	6.97%
15	निवल एनपीए अनुपात (%) / Net NPA Ratio (%)	4.04%	2.74%	1.84%
16	पूंजी पर्याप्तता अनुपात / Capital Adequacy Ratio	17.06%	18.54%	17.10%
17	सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी / CET 1 Capital	12.05%	12.77%	14.32%
18	प्रावधान कवरेज अनुपात / PCR	82.89%	87.89%	89.06%
19	निवल ब्याज मार्जिन (निम) / Net Interest Margin	2.62%	2.80%	2.91%
20	ऋण जमा अनुपात / Credit Deposit Ratio	70.56%	68.91%	73.84%
21	निवल मालियत / Net Worth	512625	505190	678594

निदेशक मंडल / Board of Directors

डॉ. चरन सिंह / Dr. Charan Singh अध्यक्ष / Chairman

श्री स्वरूप कुमार साहा / Sh. Swarup Kumar Saha एमडी एवं सीईओ / MD & CEO

श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र / Sh. Kollegal V Raghavendra कार्यकारी निदेशक / Executive Director

डॉ. रामजस यादव / Dr. Ram Jass Yadav कार्यकारी निदेशक / Executive Director

निदेशक / Directors

सुश्री एम जी जयश्री / Ms M G Jayasree भारत सरकार नामित निदेशक / GOI Nominee Director

श्री के पी पटनायक / Sh. K P Patnaik आरबीआई नामित निदेशक / RBI Nominee Director

श्री टी आर मेंदीरत्ता / Sh. T R Mendiratta शेयरधारक निदेशक / Shareholder Director

श्री शंकर लाल अग्रवाल / Sh. Shankar Lal Agarwal अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक / Part-Time Non-Official Director

सुश्री रश्मि खेलपाल / Ms. Rshmi Khetrapal अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक / Part-Time Non-Official Director

मुख्य सतर्कता अधिकारी / Chief Vigilance Officer

श्री अरुण कुमार अग्रवाल Sh. Arun Kumar Agarwal

महाप्रबंधक / General Managers

श्री एस वी एम कृष्णा राव Sh. S V M Krishna Rao श्री रवि मेहरा

> Sh. Ravi Mehra श्री दिनेश कुमार गोयल

Sh. Dinesh Kumar Goyal श्री चमन लाल शींहमार

Sh. Chaman Lal Shienhmar

श्री पंकज द्विवेदी

Sh. Pankaj Dwivedi श्री प्रवीण कुमार

Sh. Praveen Kumar श्री राजेश सी पाण्डेय

Sh. Rajesh C Pandey श्रीमती रश्मिता क्वाला

Smt. Rashmita Kwatra

श्री गोपाल कृष्ण

Sh. Gopal Krishan श्री राजेंद्र कुमार रैगर

Sh. Rajendra Kumar Raigar श्री गजराज देवी सिंह ठाकुर

Sh. Gajraj Devi Singh Thakur श्री मनोज कुमार

Sh. Manoj Kumar

लेखापरीक्षक / Auditors

मेसर्स घिया एण्ड कंपनी/ M/s Ghiya & Co

मेसर्स चतुर्वेदी एण्ड कंपनी/ M/s Chaturvedi & Co

मेसर्स शिव एण्ड एसोसिएट्स/ M/s Shiv & Associates Þसर्स मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स / M/s Manohar Chowdhry & Associates



श्री स्वरूप कुमार साहा एमडी एवं सीईओ

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का वक्तव्य

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक के कार्य-निष्पादन के उल्लेखनीय तथ्यों जिनका विवरण वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है, को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पंजाब एण्ड सिंध बैंक, खुदरा व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने और गुणात्मक व्यवसाय को लिक्षित करने की अपनी स्पष्ट रणनीति के प्रति प्रतिबद्ध रहा। लगभग प्रत्येक क्षेत्र यथा व्यवसाय संवृद्धि, लाभप्रदता के साथ-साथ आस्ति गुणवत्ता में कार्य-निष्पादन के मामले में वृहत परिवर्तन सिहत बैंक का कुल कारोबार ₹1.90 लाख करोड़ को पार कर गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में, आपके बैंक ने अब तक सर्वाधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। इसके अलावा, भू-राजनीतिक और आंतरिक स्थितियों पर चुनौतियों के उपरांत भी समस्त प्रमुख मापदंडों पर निरंतर कार्य-निष्पादन का यह क्रमिक द्वितीय वर्ष है। कोर परिचालन लाभ और कर पश्चात लाभ में यथेष्ट लाभ, व्यवसाय के सहढ अंतर्निहित प्रदर्शन को परिलक्षित करता है।

दीर्घ अंतराल तक रूस-यूक्रेन युद्ध, उच्च स्तर पर मुद्रास्फीति की निरंतरता, कितपय उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बैंकों की असफलता, किठन वित्तीय स्थितियों के मध्य वैश्विक आर्थिक गतिविधि लोचदार बनी हुई है और अर्थव्यवस्था संवृद्धि में कमी आई है। अधिकांश केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति के तुल्यकालिक कठोरता ने सकारात्मक प्रतिफल देना आरंभ कर दिया है, साथ ही मुद्रास्फीति अपने लक्षित स्तरों की ओर वापस आ रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, वर्ष 2024 में 3.0% की आंशिक सुधार से पूर्व, 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था संवृद्धि की दर 2.8% से कम हो जाएगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसने वैश्विक चुनौतियों का सामना किया है और यह विश्व की सर्वाधिक विकासशील अर्थव्यवस्था बनी हुई है। इसके अतिरिक्त भारतीय वित्तीय क्षेत्र, भारतीय सेवाओं की मजबूत मांग के कारण तुलन-पत्न में सुधार के साथ लोचदार बना हुआ है। वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की जीडीपी संवृद्धि 7.2% दर्ज की गई है, जिसे विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं की संवृद्धि की तुलना में एक अच्छी स्थिति मानी जा सकती है।

बैंक का उल्लेखनीय कार्य-निष्पादन

बिजनेस मिक्स:

जमाराशि और अग्रिम में क्रमश: 7.37% व 15.05 % की संवृद्धि के साथ बैंक के बिजनेस मिक्स ने 10.50 % की द्विअंकी वृद्धि दर्शाई है। ऋण बही में, आपके बैंक ने विविधीकरण जारी रखा है और रैम (खुदरा, कृषि और एमएसएमई) अग्रिमों का प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 50.71% से बढ़कर 53.20% हो गया है जो मुख्यत: 20.70% की रैम संवृद्धि से प्रणोदित है। कॉरपोरेट ऋण संवितरण ने भी गति पकड़ ली है और कॉरपोरेट ऋण बही में 9.24% की वृद्धि दर्ज की गई है। देयता पक्ष में, कासा जमाराशि में 6.68% की वृद्धि हुई है।

आस्ति गुणवत्ता :

वर्ष 2023 में बैंक की आस्ति गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार हुए हैं जो उच्चतर वसूली और उन्नयन से प्रणोदित है। सकल एनपीए अनुपात 520 बीपीएस घटकर 6.97% हो गया और शुद्ध एनपीए अनुपात मार्च 2022 के 2.74% से 90 बीपीएस सुधरकर मार्च 2023 में 1.84% हो गया है। वित्त वर्ष के लिए कुल गिरावट में भी पूर्णरूपेण कमी आई है, जिससे क्रेडिट लागत में सुधार के साथ गिरावट अनुपात में भी अपचयन हुआ है। प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 87.89% से बढ़कर 89.06% हो गया। बट्टे में डाले गए (टीडब्ल्यूओ) खातों में वसूली भी सकारात्मक रूप से बढ़कर ₹ 338 करोड़ से ₹ 536 करोड़ हो गई है।

लाभप्रदता:

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 की समग्र लाभप्रदता को बनाए रखा है और ₹1039 करोड़ के शुद्ध लाभ के मुकाबले, 26.37% की वृद्धि के साथ अब तक का सर्वाधिक शुद्ध लाभ ₹ 1313 करोड़ (वित्तीय वर्ष) दुर्ज किया है। बैंक की निवल ब्याज आय, विगत वर्ष की तुलना में 12.10% की यथेष्ट वृद्धि दुर्ज करते हुए ₹2973 करोड़ रही। यह वृद्धि, ख़ुदुरा ऋण और गुणवत्तापूर्ण कॉरपोरेट ऋण के साथ-साथ गिरावट में नियंत्रण के प्रयासों के फलस्वरूप हुई है। विगत वर्ष ₹1330 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में बैंक का परिचालन लाभ ₹1450 करोड़ रहा। कोर शुल्क आय में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 8.89% की वृद्धि हुई है।

वित्त वर्ष 2022-23 की चतुर्थ तिमाही के लिए आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) 1.33% रहना (वित्त वर्ष 2022 के लिए 0.85% के मुकाबले पूरे वित्त वर्ष 2023 के लिए 0.98%) यह दर्शाता है कि आपके बैंक ने संरचनात्मक समस्याओं को निरंतर संबोधित किया है और यह गुणात्मकतापूर्वक समानांतर रूप से अग्रसर है। इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) में 176 आधार अंकों का उल्लेखनीय सुधार हुआ है, यह वित्त वर्ष 2022 के दौरान 20.42% के मुकाबले बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 22.18% हो गया।

पूंजी पर्याप्तता:

मार्च 2023 के अंत में पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 17.10% रहा, अतैव आपका बैंक अच्छी तरह से पूंजीकृत है। बेहतर पूंजी नियोजन, आंतरिक संसाधन सृजन और बैंकिंग बही के दक्ष जोखिम प्रबंधन के आधार पर वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक के सीईटी-1 अनुपात में 155 बीपीएस का सुधार हुआ जो मार्च 2022 के 12.77% से मार्च 2023 को 14.32% हो गया।

लाभांश:

मुझे यह सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आपके बैंक के बोर्ड ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रति इक्विटी शेयर ₹ 0.48/- के लाभांश की घोषणा की है जो 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 0.31/- था।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र और वित्तीय समावेशन:

31 मार्च 2023 तक, आपके बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के विभिन्न खंडों के अंतर्गत समस्त नियामक मानदंडों को प्राप्त कर लिया है।

- बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम और कृषि अग्रिम के 40% और 18% के विनियामक लक्ष्य को पार कर लिया है जो मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एएनबीसी का क्रमश: 54.99% और 20.67% रहा।
- छोटे और सीमांत किसानों को ऋण, एएनबीसी का 11.06% रहा, जबकि नियामक लक्ष्य 9.50% था। \triangleright
- कमजोर वर्गों को ऋण, एएनबीसी का 12.68% रहा, जबकि नियामक लक्ष्य 11.50% था।
- लघु उद्यमों को ऋण, एएनबीसी का 14.31% रहा जबिक नियामक लक्ष्य 7.50% था।

उचित लागत पर समस्त परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए आपका बैंक यथासंभव प्रयत्न कर रहा है और मार्च 2023 की समाप्ति तक भारत सरकार के वित्तीय समावेशन मिशन के अंतर्गत 19.30 लाख पीएमजेडीवाई खाते खोले गए हैं।



कार्यनीतिक पहल:

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, आपके बैंक ने निर्धारित दीर्घकालिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए रणनीतिक पहल की है। कतिपय महत्वपूर्ण पहल इस प्रकार हैं:

- 🕨 शाखा नेटवर्क का विस्तार 01 अप्रैल, 2022 से अब तक 28 शाखाएं खोली गई हैं।
- 🗲 🛮 डिजिटल पूर्व-अनुमोदित व्यैक्तिक ऋण उत्पाद की शुरुआत।
- 🕨 खुदरा और एमएसएमई व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए एनबीएफसी के साथ सह-ऋण समझौता।
- 🕨 बैंक-बीमा व्यवसाय में संवृद्धि और बैंक की शुल्क आय में तेजी लाने के लिए चैनल भागीदारों को बढ़ाया गया।
- 🕨 बैंक के मोबाइल एप पीएसबी युनिक में मुल्य वर्धित सेवाओं को जोड़ा गया।
- 🕨 बैंक उत्पादों की श्रृंखला विस्तारित करने के लिए सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की शुरुआत।
- बैंक की पुनर्गठित संगठनात्मक संरचना आस्ति गुणवत्ता में सुधार के लिए समस्त आंचलिक कार्यालय स्तर पर सन्मार्ग (रैम अग्रिमों के लिए केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र) की संरचना का विस्तार किया गया।

पुरस्कार एवं उपलब्धियाँ :

बैंक को निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं :

- 🗲 🛮 ईज़ रिफॉर्म इंडेक्स 4.0 में शीर्ष सुधारक बैंक में प्रथम उप-विजेता।
- уमएसएमई बैंकिंग एक्सीलेंस अवार्ड 2022- चेंबर ऑफ़ इंडियन माइक्रो, स्मॉल एण्ड मीडियम इंटरप्राइजेस (सीआईएमएसएमई) द्वारा "बेस्ट इमर्जिन बैंक"।
- 🔪 पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा लीडरशिप कैपिटल 4.0 में "एग्जेम्पलरी गोल्ड अवार्ड" के अंतर्गत शीर्ष स्थान।
- भारतीय बैंक संघ द्वारा आयोजित छोटे बैंकों के मध्य सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय समावेशन पहल "बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021" की श्रेणी में उप-विजेता।
- 🕨 पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा "डोर-स्टेप बैंकिंग उड़ान अभियान" में प्रथम स्थान।
- 🗲 राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए दिल्ली बैंक नराकास से राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता में पुरस्कार।
- 🕨 प्रधान कार्यालय की ई-पत्निका 'राजदीप' को दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति से हिंदी ई-पत्निका श्रेणी में तृतीय पुरस्कार।
- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा आयोजित "एपीवाई वार्षिक पुरस्कार वित्त वर्ष 2022-23" के अंतर्गत उत्कृष्टता पुरस्कार।

आगामी लक्ष्य:

वित्तीय वर्ष 2023, बैंक के अभिलिखित इतिहास में विशेष वर्ष रहा। विषम ग्राहक आधार और सीमित भौगोलिक संचालन के बावजूद, एप्पल प्ले स्टोर और गूगल प्ले स्टोर दोनों में आपके बैंक का मूल्यांकन सुधरकर 4.2 हो गया है। डिजिटल लेनदेन में 78%, यूपीआई में 124% तथा पीएसबी यूनिक उपयोगकर्ताओं में 182.51% की वृद्धि हुई है।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

आगे बढ़ते हुए आपका बैंक, व्हाट्सएप बैंकिंग, धारणीय बैंकिंग, टैब बैंकिंग, ऑनलाइन चालू खाता खोलने जैसे डिजिटल फ्रंट तथा शाखा विस्तार, कॉरपोरेट बीसी मॉडल का कार्यान्वयन, फिन-टेक और एनबीएफसी के साथ पारस्परिक लाभप्रद भागीदारी, ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए क्षमता निर्माण इत्यादि पर कार्य कर रहा है। व्यवसाय में धारणीय, जोखिम-नियंत्रित और लाभदायक संवृद्धि के अनुरक्षण की मांग करते हुए बैंक, सुदृढ़ और लोचदार बने रहने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

आपका बैंक, हमारे प्रस्तावों में नवाचार और प्रौद्योगिकी के समावेश द्वारा वित्तीय सेवाओं में उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और अपने ग्राहकों की पसंद के चैनल के माध्यम से उनकी आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी बना रहेगा।

कुल मिलाकर मेरा दृढ़ विश्वास है कि बैंक, अधिक समृद्ध, समावेशी, लोचदार और स्थाई भविष्य के लिए अपने व्यावसायिक लक्ष्यों और सामाजिक प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने के लिए अच्छा कार्य-निष्पादन जारी रखेगा और वित्त वर्ष 2024 में अपने हितधारकों के लिए और अधिक समृद्धि लाएगा।

Punjab & Sind Bank

MD & CEO's Statement



Sh. Swarup Kumar Saha MD & CEO

Dear Stakeholders,

It is my privilege to share with you the highlights of the Bank's performance during the Financial Year 2022-23, details of which have been given in the Annual report.

During Financial Year 2023, Punjab & Sind Bank stayed committed to its articulated strategy of focusing on retail business and targeting qualitative business. The Bank's total business crossed the Rs.1.90 lakh crore with a quantum shift in terms of performance in almost every area – Business Growth, Profitability as well as Asset Quality. In FY 2022-23, your bank has registered highest ever Net Profit. Moreover, this is the second consecutive year of consistent performance across all major parameters notwithstanding

the challenges on the geo-political and domestic fronts. The healthy growth in core operating profit and profit after tax reflect the strong underlying performance of the business.

The Global economic activity remains resilient and economy growth has moderated amidst the prolonged Russia-Ukraine war, persistence of inflation at elevated levels, debacle of banks in some advanced economies, tight financial conditions. The synchronous tightening of monetary policy by most central banks have started bearing fruits, with inflation moving back toward its targeted levels. According to IMF, the global economy growth will bottom out at 2.8% in 2023 before rising modestly to 3.0% in 2024.

Coming to the Indian economy, it has weathered global challenges and continues to be the fastest growing economy in the world. Also, the Indian financial sector has remained resilient with the improving balance sheets, by strong demand of Indian services. India's GDP growth for the FY 2023 has been registered at 7.2%, which can be considered as a good number as compared with the growth of the other economies in the world.

Key Performance of the Bank

Business Mix:

Business Mix of the Bank has shown a double digit growth of 10.50% with Deposit and Advances growth of 7.37% and 15.05% respectively. In loan book, your bank has continued diversification and percentage of RAM (Retail, Agriculture and MSME) advances increased from 50.71% to 53.20% on YoY basis, primarily driven by a RAM growth of 20.70%. The corporate lending has also started and corporate loan book has shown a growth of 9.24%. In liability side, CASA deposit has increased by 6.68%.

Asset Quality:

The year 2023 also saw a significant improvement in the Bank's asset quality, driven by higher recoveries and upgradations. The Gross NPA ratio declined by 520 bps to 6.97% and Net NPA ratio improved by 90 bps from 2.74% as on March 2022 to 1.84% as on March 2023. The overall slippages for the FY were also grossly reduced leading to a reduction in the slippage ratio with improved credit cost. The provision coverage ratio (PCR) improved to 89.06% from 87.89%. Recovery in Technical Written-Off (TWO) accounts has moved also positively from Rs.338 Cr to Rs.536 Cr.

Profitability:

During FY 2022-23, your bank has maintained the overall profitability of FY 2021-22 and recorded highest ever Net Profit of Rs.1313 Cr (FY) against a Net Profit of Rs.1039 Cr, growth of 26.37%. The Net Interest Income of the Bank stood at Rs.2973 Cr registering a healthy growth of 12.10% over previous year. The growth is owing to focussed efforts in retail credit and quality corporate credit as well as control in slippages. The operating profit of the Bank stood at Rs.1450 Cr in FY 2023 as compared to Rs.1330 Cr in previous year. The core fee income has increased by 8.89% on YoY basis.

Return on Assets (RoA) for Q4 FY 2022-23 stood at 1.33% (0.98% for full FY 2023 against 0.85% for FY 2022), signalling that your bank has steadily addressed structural issue and also parallelly growing qualitatively. Return on Equity (RoE) showed marked improvement of 176 basis points, rising to 22.18% for the FY 2023 against 20.42% during FY 2022.

Capital Adequacy:

Capital Adequacy ratio (CRAR) as at the end of March 2023 stood at 17.10% so your bank is well capitalized. During FY 2022-23, CET-1 ratio of the bank has improved by 155 bps, from 12.77% as on March 2022 to 14.32% as on March 2023, on the back of better capital planning, internal resource generation and efficient risk management of the banking book.

Dividend:

I am happy to announce that the Board of your bank has declared a dividend of Rs.0.48/- per equity share for the financial year ended March 31, 2023 against Rs.0.31/- for the financial year ended March 31, 2022.

Priority Sector and Financial Inclusion:

As on 31st March 2023, your bank has achieved all the regulatory norms under various segments of Priority Sector Advances.

- Bank surpassed the targets in Priority Sector Advance which stands at 54.99% and Agriculture Advance at 20.67% of ANBC, as on March 2023, against the regulatory target of 40% and 18% respectively.
- Credit to Small and Marginal farmers stands at 11.06% of ANBC, against the regulatory target of 9.50%.
- > Credit to Weaker Sections stands at 12.68% of ANBC, against the regulatory target of 11.50%.
- Credit to Micro Enterprises stands at 14.31% of ANBC, against the regulatory target of 7.50%.

Your Bank is taking every step to provide the banking facilities to all households at a reasonable cost and opened 19.30 lakh PMJDY accounts under Financial Inclusion Mission of GoI as at the end of March 2023.

Strategic Initiatives:

During FY 2022-23, your bank undertook strategic initiatives to achieve the long term objectives set by your bank. Some of the important initiatives are as under:

- Expansion of Branch Network so far added 28 branches since 01st April, 2022.
- > Introduction of Digital pre-approved personal Loan product.
- Co-lending tie-up with NBFCs for promoting Retail and MSME business.

Punjab & Sind Bank

- Increased channel partners for augmenting Bancasurance Business and accelerate fee income of the Bank.
- Addition of value added services in the Bank's mobile app PSB UnIC.
- Introduced Co-branded Credit Card for expanding Bank's bouquet of products.
- Revamped Organization Structure of the Bank Expanded the structure of CenMARG (Centralized Processing Centres for RAM Advances) at all zonal levels to improve Asset Quality.

Awards & Achievements:

Bank has been awarded with:

- 1st Runner-up in Top Improver Bank in EASE Reforms Index 4.0.
- MSME Banking Excellence Awards 2022 – "Best Emerging Bank" by Chamber of Indian Micro, Small and Medium Enterprises (CIMSME).
- 1st Position under "Exemplary Gold Award" in Leadership Capital 4.0 by PFRDA.
- Runner-up in the category of Best Digital Financial Inclusion Initiatives amongst small Banks "Banking Technology Award 2021" presented by IBA.
- 1st Position in "Door-step Banking Udaan Campaign" by PSB Alliance Private Limited.
- Rajbhasha Shield competition from Delhi Bank TOLIC for best implementation of Official Language Policy.
- Third prize in the category of Hindi e-magazine by Delhi Bank Town Official Language Implementation Committee for quarterly e-magazine 'Rajdeep'.
- Award of Excellence under "APY Annual Awards FY 2022-23" presented by PFRDA.

Way Forward:

FY 2023 was an exceptional year in the Bank's recorded history. Despite skewed customer base and limited geographical operation, your bank's rating has improved to 4.2 in both Apple play store and the Google play store. Digital transactions have grown by 78%, UPI has grown by 124%, PSB UnIC users have increased by 182.51%.

Looking ahead, your bank is working on the digital front like Whatsapp Banking, Wearable Banking, Tab Banking, online current account opening, Branch Expansion, implementing the corporate BC model, mutually beneficial partnerships with fin-techs and NBFCs, capacity building to address evolving customer expectations. Bank will focus on remaining strong and resilient while seeking to maintain sustainable, risk-calibrated and profitable growth in business.

Your Bank is committed to deliver excellence in financial services by bringing innovation & technology in our offerings and will continue to be responsive to the needs of our customers through the channel of their choices.

Overall, I firmly believe that the Bank will continue to perform well to achieve its business goals and social commitments for a more prosperous, inclusive, resilient and sustainable future and will add more happiness to its stakeholders in FY 2024.

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय: 21-राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110 008 https://punjabandsindbank.co.in/

सुचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित व्यावसायिक कार्यकलाप (यों) को परिचालित करने के लिए वीडियों कॉन्फ्रेसिंग (वीसी)/अन्य श्रव्य- दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की 13वीं वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन मंगलवार, 11 जुलाई, 2023 को प्रातः 11:00 बजे किया जाएगा (बैठक का मानित स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय होगा) :

सामान्य व्यावसायिक कार्यकलाप:

मद संख्या 1: यथा 31 मार्च 2023 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन-पत्न, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ- हानि खाते, लेखांकन द्वारा रक्षित अवधि के लिए बैंक के कार्यचालन और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन-पत्न और लेखांकन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करना, अनुमोदन प्रदान करना और उसे अंगीकृत करना।

मद संख्या 2: वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लाभांश की घोषणा करना।

विशेष व्यावसायिक कार्यकलाप:

मद संख्या 3: अर्हता प्राप्त संस्थागत नियोजन/स्थानन के माध्यम से इक्विटी शेयरों का निर्गम।

अर्हता प्राप्त संस्थागत नियोजन/स्थानन के माध्यम से ₹ 250 करोड़ (प्रीमियम सहित) राशि की प्रत्येक ₹ 10/- (माल दस रुपये) अंकित मृल्य के नए इक्विटी शेयरों जो लाभांश भुगतान सहित एक या एकाधिक श्रृंखलाओं में, इस प्रकार के मूल्य या मूल्यों पर और बोर्ड/ समिति द्वारा अपने पूर्ण विवेकाधिकार में निर्धारित और विचार किए जाने अनुसार निबंधन और शर्तों पर बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयरों के साथ समस्त उद्देश्यों के लिए और समस्त प्रकार से समान श्रेणी के होंगे, के सुजन, प्रस्ताव, निर्गम तथा आबंटन हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना तथा उपयुक्त पाए जाने पर संशोधन सहित या बिना संशोधन (नों) के निम्नलिखित को विशेष संकल्प (ओं) के रूप में पारित करना:

"**यह संकल्प किया जाता है कि** बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (यहाँ "**अधिनियम**" के रूप में संदर्भित), बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (यहाँ "**बैंककारी अधिनियम**" के रूप में संदर्भित), पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2008 (यहाँ "विनियमन" के रूप में संदर्भित), यथा संशोधित भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (पुंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2018 [यहाँ "**सेबी** (आईसीडीआर) विनियम" के रूप में संदर्भित] के अनुसरण में तथा भारत सरकार (जीओआई), भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (**सेबी**) और/अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी प्रयोज्य नियम, विनियम, दिशानिर्देश, परिपत्न और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा किसी अन्य प्रयोज्य विधि, नियम या विनियमन (तत्समय प्रवृत्त किसी भी संशोधन या उसके पुन: अधिनियमन सहित), शेयर बाज़ारों जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ बैंक द्वारा किए गए सूचीयन करार, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 [यहाँ "**सेबी (एलओडीआर)**" के रूप में संदर्भित], किसी अन्य संबंधित प्राधिकरणों के किसी अनुमोदन, सम्मति, अनुमति या स्वीकृति और इस प्रकार के अनुमोदन, सम्मति, अनुमति या स्वीकृति प्रदान

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

करते समय उनमें से किसी के द्वारा निर्धारित किए जा सकने वाले इस प्रकार के निबंधन, शर्तें और संशोधन तथा जिनके लिए बैंक के निदेशक मंडल (यहाँ 'बोर्ड' के रूप में संदर्भित है जिसमें बोर्ड द्वारा गठित कोई भी समिति सम्मिलित होगी) द्वारा सहमित दी जा सकती है, के अधीन ऐसे समय या समय पर, इस प्रकार की शिष्टता में प्रीमियम सिहत ऐसे मूल्य पर और विद्यमान बाज़ार स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए निवेशकों जिन्हें प्रस्ताव, निर्गम व आंबटन किया जाता है, की श्रेणियों को निर्धारित करने के विवेकाधिकार सिहत और यथावश्यक अग्रणी प्रबंधक (ओं) और/ या हामीदार (ओं) और/ या अन्य परामर्शदाता (ओं) जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार में उचित व उपयुक्त समझे, के परामर्श से ऐसे निबंधन व शर्तों पर जो बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेक के अनुसार उचित व उपयुक्त समझा जा सकता है, एतदद्वारा बोर्ड को आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के अंतर्गत योग्य संस्थागत नियोजन चाहे वे बैंक के शेयरधारक हों अथवा नहीं, जैसा भारत सरकार/ आरबीआई द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है और जैसा बोर्ड द्वारा अपने विवेक से तय किया जा सकता है और प्रयोज्य विधि एवं विनियमों के अंतर्गत अनुमत है, के माध्यम से ₹ 250 करोड़ (दो सौ पचास करोड़) की कुल राशि के सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आंबटन करने की सहमति प्रदान की जाती है।

"आगे संकल्प किया जाता है कि जारी किए गए इक्विटी शेयर, लाभांश सहित बैंक के विद्यमान शेयरों के साथ समान श्रेणी के होंगे।"

"**आगे यह संकल्प किया जाता है कि** पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आईसीडीआर) विनियम के अध्याय VI के अनुसरण में अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन के प्रकरण में:

- (a) प्रतिभूतियों का आबंटन, आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के तात्पर्य अनुसार केवल अर्हता प्राप्त संस्थागत खरीददारों को ही किया जाएगा, इस प्रकार की प्रतिभूतियों का पूर्ण भुगतान किया जाएगा और ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प की तिथि से 12 माह के भीतर पूरा किया जाएगा।
- (b) आईसीडीआर विनियम 176 (1) के अनुसरण में बैंक को विनियम के अनुसार निर्धारत आधार मूल्य पर अधिकतम पाँच प्रतिशत तक के बट्टे पर शेयर देने का प्राधिकार दिया गया है।
- (c) प्रतिभूतियों के आधार मूल्य के निर्धारण की प्रासंगिक तिथि, आईसीडीआर विनियमन के अनुसार होगी।"

"आगे संकल्प किया जाता है कि उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एतदद्वारा बोर्ड को प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों, मामलें और विषय को संपादित करे जिसमें इसके पूर्ण विवेकाधिकार अनुसार मसौदे को अंतिम रूप देने एवं अनुमोदन के साथ-साथ इक्विटी शेयर जारी व आबंटित किए जाने वाले निवेशकों के वर्ग, आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि सहित निर्गम के प्रपत्न व शिष्टता को निर्धारित करने वाले अंतिम प्रस्ताव दस्तावेज़ सम्मिलित हैं लेकिन केवल इन तक सीमित नहीं है तथा शेयरों के निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन और निर्गम आगम की उपयोगिता से अविर्भूत हो सकने वाले समस्त प्रश्नों, समस्याओं या संदेह का निपटान करे जैसा वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार में उचित समझे और ऐसा करने के लिए उन्हें सदस्यों की किसी और सहमित या अनुमोदन या अन्यथा की आवश्यकता नहीं होगी तथा यह समझा जाएगा कि अंतिम रूप देने के प्रयोजन व आशय से सदस्यों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी सहमित दी है।"

"**आगे संकल्प किया जाता है कि** एतदद्वारा बोर्ड को यथाआवश्यक अग्रणी प्रबंधक, विधि सलाहकार, हामीदार, बैंकर्स, परामर्शदाता और ऐसी समस्त एजेंसियां जो इक्विटी शेयरों के इस प्रकार के प्रस्ताव में अंतर्निहित या संबद्ध हो सकते हैं, को संलग्न/नियुक्त करने तथा आढ़त, दलाली, शुल्क या इसी प्रकार के माध्यम से उन्हें पारिश्रमिक देने तथा ऐसी एजेंसियों के साथ इस प्रकार की समस्त व्यवस्थाओं, करारों, ज्ञापन, दस्तावेजों इत्यादि में सम्मिलित होने और उन्हें निष्पादित करने तथा शेयर बाज़ारों जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध है, पर निर्गमित इक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

"**आगे संकल्प किया जाता है कि** उपरोक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड को एतदद्वारा निदेशकों/ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ कार्यकारी अधिकारियों/कंपनी सचिव/बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्ति को अपने समस्त या किसी भी अधिकार के प्रत्यायोजन के लिए निदेशकों की समिति बनाने के लिए अधिकृत किया जाता है तथा बोर्ड, अपने द्वारा उपयुक्त व उचित माने जाने पर इस प्रकार की कार्रवाई करने और इस प्रकार के समस्त कृत्यों, कार्यों, मामलों, विषय को संपादित करने एवं किसी परिवर्तन (ओं) या संशोधन (ओं) के स्वीकार करने और इक्विटी शेयरों के निर्गमन व आबंटन के संबंध में अविर्भृत हो सकने वाले प्रश्न या समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक निर्देश देने के लिए अधिकृत हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं लेकिन केवल इन्हीं तक सीमित नही हैं :

- मसौदे /अंतिम प्रस्ताव दुस्तावेजों का अनुमोदन करना और उन्हें यथा आवश्यक हो सकने वाले किसी अन्य प्राधिकरण या व्यक्तियों के पास संचिकायन i) करना।
- निर्गम मूल्य, आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की संख्या, आबंटन का आधार और इक्विटी शेयरों के आबंटन का अनुमोदन करना। ii)
- इक्विटी शेयरों के निर्गमन के संबंध में आवश्यक या वांछनीय समस्त अनुबंधों, करारों और अन्य दस्तावेजों, विलेखों एवं लिखतों की व्यवस्था, प्रतिपादन iii) व निष्पादन करना।
- प्रस्ताव के लिए आवश्यक इस प्रकार के बैंक खाते खोलना। iv)
- इस प्रकार के समस्त कृत्यों, कार्यों, मामलों और विषय को संपादित करना तथा इस प्रकार के समस्त अन्य दुस्तावेज़ों का निष्पादन और इस प्रकार के v) समस्त शुल्क का भुगतान करना जैसा कि यह अपने पूर्ण विवेक से, संव्यवहार के उद्देश्य हेतु आवश्यक या वांछनीय हो।
- उपयुक्त प्राधिकारियों के पास इस प्रकार के समस्त आवश्यक आवेदन करना और इस संबंध में आवश्यक नियामक संचिकायन करना। vi)
- शेयर बाज़ार (ओं) जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, पर बैंक के इक्विटी शेयर की सूचीबद्धता के लिए आवेदन करना।" vii)

मद संख्या 4 : विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित पर विचार-विमर्श करना तथा पारित करना।

यह संकल्प किया जाता है कि समय-समय पर यथा संशोधित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 के विनियम 25 (2A) के साथ पठित समय-समय पर यथा संशोधित सेबी (सचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 के विनियम 17 (1C) के अनुसरण में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी अधिसूचना फा.सं. 6/9/2022-बीओ-I दिनांकित 07.11.2022 के माध्यम से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) तथा उपधारा (3A) के खंड (h) के अंतर्गत नियुक्ति की अधिसूचना तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए या आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के साथ-साथ ग़ैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में डॉ. चरन सिंह की नियक्ति को एतदद्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है।



मद संख्या 5 : सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित पर विचार-विमर्श करना तथा पारित करना।

यह संकल्प किया जाता है कि समय-समय पर यथा संशोधित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 के विनियम 17 (1C) के अनुसरण में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी अधिसूचना ईफा.सं. 6/2/2022-बीओ-I दिनांकित 11.04.2022 के माध्यम से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (b) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से और आगामी आदेश तक, बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में सुश्री एम. जी. जयश्री की नियुक्ति को एतदद्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

मद संख्या 6 : विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित पर विचार-विमर्श करना तथा पारित करना।

यह संकल्प किया जाता है कि समय-समय पर यथा संशोधित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 के विनियम 25 (2A) के साथ पठित समय-समय पर यथा संशोधित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 के विनियम 17 (1C) के अनुसरण में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी अधिसूचना फा.सं. 6/6/2021-बीओ-I दिनांकित 21.03.2022 के माध्यम से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) तथा उपधारा (3A) के खंड (h) के अंतर्गत नियुक्ति की अधिसूचना तिथि से तीन वर्ष की अविध के लिए या आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में सुश्री रिश्म खेलपाल की नियुक्ति को एतदद्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

मद संख्या 7 : सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित पर विचार-विमर्श करना तथा पारित करना।

यह संकल्प किया जाता है कि समय-समय पर यथा संशोधित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 के विनियम 17 (1C) के अनुसरण में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी अधिसूचना ई फा.सं. 4/4/2021-बीओ-I दिनांकित 03.06.2022 के माध्यम से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (a) के अंतर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए या आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में श्री स्वरूप कुमार साहा की नियुक्ति को एतदद्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 19.06.2023 साकेत मेहरोत्रा कंपनी सचिव

टिप्पणियां

बैठक के व्यावसायिक कार्यकलाप के संबंध में महत्वपुर्ण तथ्यों को निर्धारित करने वाला व्याख्यात्मक वक्तव्य इसके साथ संलग्न है और नोटिस का प्रारूप भाग है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक

भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्नों के अनुसरण में बैंक के शेयरधारकों की 13वीं वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से किया जा रहा है जिसमें सदस्यों को किसी सामान्य स्थान पर भौतिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। 13वीं एजीएम के लिए मानित स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय होगा। वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों की गणना, पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठकें) विनिमय, 2008 के विनियम 58 के अंतर्गत गणपूर्ति में शामिल करने के उद्देश्य से की जाएगी। चूंकि वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम का आयोजन किया जाएगा इसलिए सचिवालय मानक 2 के अंतर्गत इस नोटिस के साथ अपेक्षित मानचित्र संलग्न नहीं है।

3. परोक्षी की नियुक्तिः

बैठक में भाग लेने और मतदान के लिए पाल शेयरधारक अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं मत देने के लिए परोक्षी की नियुक्ति करने हेतु पाल होगें/ होगीं तथा इस प्रकार के परोक्षी को बैंक का शेयरधारक होना अनिवार्य नहीं है। हालांकि वीसी /ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के आयोजन के लिए पूर्वोक्त छूटों के अनुसार, शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति को अनावश्यक बनाया गया है। तदनुसार, शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्ति की सुविधा इस एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं है तथा प्रॉक्सी फॉर्म व उपस्थिति पर्ची इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं हैं।

4. प्राधिकृत प्रतिनिधि (यों) की नियुक्तिः

कोई भी व्यक्ति किसी निगमित निकाय के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने तथा/ या ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए तब तक पात नहीं होगा जब तक कंपनी/ इकाई के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने के संकल्प की प्रमाणित सत्यापित प्रति बैठक की तिथि से 4 दिन पूर्व अर्थात <u>गुरुवार, 06 जुलाई 2023 को अपराह्न 5:00 बजे</u> या इससे पूर्व प्रधान कार्यालय, 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली -110008 के शेयर कक्ष में जमा नहीं की जाती है अथवा संवीक्षक को scrutinizer@snaco.net पर मेल नहीं किया जाता है जिसकी प्रतिलिपि complianceofficer@psb.co.in को भेजा जाना है।

बैंक का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी, शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं होगा।

शेयरधारकों के रजिस्टर का संवरण:

वार्षिक सामान्य बैठक के संबंध में बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बही, बुधवार, 05 जुलाई 2023 से मंगलवार, 11 जुलाई 2022 (दोनों दिवस शामिल) तक बंद रहेंगे।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

6. लाभांश का भुगतान:

लाभांश भुगतान करने के लिए अभिलिखित तिथि मंगलवार, 04 जुलाई 2023 होगी।

13वीं वार्षिक सामन्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन, 31 मार्च 2023 समाप्त वितीय वर्ष के लिए निदेशक मंडल ने प्रत्येक ₹10 अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर ₹ 0.48 के लाभांश की अनुशंसा की है। वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों द्वारा घोषित किए जाने पर लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम निम्नलिखित में शामिल है:

- a) इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में एनएसडीएल/ सीडीएसएल के अभिलेख के अनुसार **मंगलवार, 04 जुलाई 2023** को कार्य-समय की समाप्ति पर हिताधिकारी स्वामी के रूप में, या
- b) मंगलवार, 04 जुलाई 2023 को कार्य-समय की समाप्ति से पूर्व भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से प्राप्त वैध पारेषण/ ट्रांसिमशन अनुरोधों को प्रभावी करने के पश्चात मंगलवार, 04 जुलाई 2023 को शेयरधारकों के रजिस्टर में।

लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण अद्यतित किया है। बैंक द्वारा लाभांश भुगतान की तिथि से पूर्व अपने रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) अर्थात लिंक इनटाइम इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड के माध्यम से लाभांश वारंट/ मांग ड्राफ्ट उन शेयरधारकों के पंजीकृत पते पर भेजे जाएंगे जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण अद्यतित नहीं किया है।

पात्र शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान 13वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। अतैव शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपना पूर्ण बैंक विवरण पंजीकृत/ अद्यतित करें :

- i) यदि शेयर अमूर्त रूप में हैं तो अपने निक्षेपागार सहभागी (यों) जहाँ उनका डीमेट खाता अनुरक्षित है, के पास निक्षेपागार सहभागी (यों) द्वारा आवश्यक हो सकने वाले फॉर्म व दस्तावेज़ जमा करके, तथा
- ii) यदि शेयर भौतिक रूप में धारित है तो बैंक/ बैंक आरटीए के पास निम्न दस्तावेज़ जमा करके :
 - a. शेयरधारक का नाम, फोलियो संख्या, बैंक विवरण (बैंक खाता संख्या, बैंक व शाखा का नाम तथा पता, आईएफएससी, एमआईसीआर विवरण) समाविष्ट हस्ताक्षरित अनुरोध पत्न की प्रति।
 - b. पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति, तथा
 - c. निरस्त चेक लीफ।

7. लाभांश भुगतान पर कर

(i) आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसरण में, 1 अप्रैल 2020 से शेयधारकों को भुगतान या वितरित किया गया लाभांश कर योग्य है तथा बैंक को निर्धारित दरों पर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश से स्नोत पर कर कटौती करना आवश्यक है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों हेतु आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों तथा उसमें संशोधन का संदर्भ लें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक/ आरटीए (भौतिक रूप में शेयर होने की स्थिति में) तथा निक्षेपागारों (यदि शेयर डीमेट रूप में है) के पास अपना पैन अद्यतित करें।

- (ii) निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक जिसके पास वैध पैन है और जो आयकर का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी नहीं है वे स्रोत पर कर की कटौती न होने का लाभ प्राप्त करने के लिए फॉर्म संख्या 15-जी/ 15-एच में वार्षिक घोषणा प्रस्तुत कर सकते हैं। शेयरधारक कृपया नोट करें कि पैन पंजीकृत न होने की स्थिति में 20% की उच्च दर पर कर कटौती की जाएगी। अनिवासी शेयरधारक, भारत और उनके आवासीय राष्ट्र के मध्य हुए कर समझौते के अंतर्गत, आवश्यक दुस्तावेज जैसे कोई स्थायी अधिष्ठान और हिताधिकारी स्वामित्व घोषणा-पत्न, कर निवासी प्रमाण-पत्न, फॉर्म 10-एफ, कर समझौता लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज/ घोषणा-पत्न को https://web.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-<u>15g-15h.html</u> पर अपलोड करके हितकारी दुर प्राप्त कर सकते हैं। संबंधित दुस्तावेज़/ फॉर्म, बैंक की वेबसाइट https://punjabandsindbank.co.in/ पर उपलब्ध है।
- (iii) शेयरधारकों से अनुरोध है कि मंगलवार, 04 जुलाई 2023 को अपराह्न 5:00 बजे (आईएसटी) तक आरटीए की वेबसाइट अर्थात https://web.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html पर उपरोक्त दुस्तावेज़ों को जमा करें तािक बैंक उचित टीडीएस/ रोके गए कर दर पर कर निर्धारण तथा कर कटौती कर सके।

8. शेयरधारकों का मताधिकार:

अधिनियम के खंड 3 (2E) के प्रावधानों के संबंध में, केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने पास धारित बैंक के किसी भी शेयरों के संबंध में, समस्त शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार का उपयोग करने के लिए पाल नहीं होगा।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2008 के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो मतदान के संबंध में रजिस्टर में प्रथम नामित व्यक्ति को ही उसका एकमाल धारक माना जाएगा। अत: यदि शेयर संयुक्त धारक के नाम पर है तो केवल प्रथम नामित व्यक्ति ई-एजीएम में उपस्थित होने हेतु पाल है तथा कार्यसूची की मदों पर दुरस्थ ई-मतदान के माध्यम से अथवा दुरस्थ ई-मतदान के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग नहीं करने की स्थिति में ई-एजीएम के दौरान मताधिकार का पाल है।

9. इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से मतदान

- i. एमसीए परिपत्नों के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन 2015 के विनियम 44, यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के अंतर्गत शेयर बाज़ारों के साथ सूचीयन करार तथा प्रावधान के अनुसरण में बैंक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधनों (दुरस्थ ई-वोटिंग व एजीएम के दौरान ई-वोटिंग) द्वारा एजीएम में परिचालित किए जाने वाले व्यवसायिक मदों के संबंध में अपने शेयरधारकों को उनके मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्न है। ई-वोटिंग के माध्यम से मत डालने के लिए शेयरधारक की पालता निर्धारित करने की निर्दिष्ट तिथि मंगलवार, 04 जलाई, 2023 है।
- ii. सदस्य, नोटिस में उल्लिखित प्रक्रियाओं का अनुसरण करके बैठक प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व तथा निर्धारित समय पश्चात वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा न्युनतम 1000 सदस्यों को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें वृहत शेयरधारक (2 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सेदारी वाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा हितधारक संबंध समिति, लेखापरीक्षक इत्यादि शामिल नहीं होंगे जिन्हें पहले आओ-पहले पाओ के प्रतिबंध के बिना एजीएम में भाग लेने की अनुमति है।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

iii. दूरस्थ ई-मतदान और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग तथा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक से जुड़ने हेतु शेयधारकों के लिए निर्देश इस प्रकार है:

चरण 1 : अमूर्त रूप में शेयरधारित व्यतिगत शेयरधारकों के मामले में निक्षेपागार सीडीएसएल/ एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अभिगम।

चरण 2 : मूर्त रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक तथा अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अभिगम।

- (i) शुक्रवार, 07 जुलाई, 2023 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से दूरस्थ ई-मतदान प्रारंभ होगी तथा सोमवार, 10 जुलाई 2023 को अपराह्न 05.00 बजे समाप्त हो जाएगी। इस अविध के दौरान बैंक का शेयरधारक जिसके पास निर्दिष्ट तिथि मंगलवार, 04 जुलाई, 2023 को मूर्त अथवा अमूर्त रूप में शेयर है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं। उसके बाद सीडीएसएल द्वारा दुरस्थ ई-मतदान की प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी।
- (ii) शेयरधारक जिन्होंने बैठक तिथि से पूर्व ही मतदान कर दिया है, बैठक के दौरान मतदान के लिए पात नहीं होंगे।
- (iii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अंतर्गत **सेबी परिपल** संख्या एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांकित 09.12.2020 के अनुसार, सूचीबद्ध संस्थाओं को समस्त शेयरधारकों के संकल्पों के संबंध में अपने शेयरधारकों को दूरस्थ ई-मतदान की सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। तथापि यह पाया गया है कि सार्वजनिक गैर-संस्थागत शेयरधारकों/ खुदरा शेयरधारकों की सहभागिता नगण्य स्तर पर है।

वर्तमान में, भारत में सूचीबद्ध संस्थाओं को दूरस्थ ई-मतदान की सुविधा प्रदान करने वाले अनेक ई-मतदान सेवा प्रदाता (ईएसपी) हैं। इसके लिए शेयरधारकों द्वारा विभिन्न ईएसपी पर पंजीकरण और अनेक यूजर आईडी और पासवर्ड के अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। सार्वजनिक परामर्श के अनुसरण में, मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए सभी डीमेट खाताधारकों को उनके डीमेट खाते/ निक्षेपागारों की वेबसाइट/ निक्षेपागार सहभागियों के माध्यम से, एकल लॉगिन क्रेडेंशियल द्वारा ई-मतदान को सक्षम करने का निर्णय लिया गया है। डीमेट खाताधारक, ईएसपी के साथ पुनः पंजीकरण बिना अपना मतदान करने में सक्षम होंगे, जिससे न केवल निर्वाध प्रमाणीकरण की सुविधा होगी बल्कि ई-मतदान प्रक्रिया में भाग लेने की सगमता और सुविधा भी बढ़ेगी।

चरण 1 : डीमेट रूप में शेयरधारित व्यतिगत शेयरधारकों के मामले में निक्षेपागार सीडीएसएल/ एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अभिगम।

(iv) सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-मतदान सुविधा पर सेबी परिपत्न संख्या एसईबीआई/ एचओ/ सीएफडी/ सीएमडी/ सीआईआर/पी/2020/242 दिनांकित 9 दिसंबर, 2020 के संबंध में, डीमेट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को निक्षेपागारों तथा निक्षेपागार सहभागियों के पास अनुरक्षित अपने डीमेट खाते के माध्यम से मतदान की अनुमित है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि ई-मतदान सुविधा के अभिगम के लिए अपने डीमेट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अद्यतित करें।

उपरोक्त सेबी परिपत्न के अनुसरण में, **डीमेट रूप में प्रतिभूति रखने वाले व्यैक्तिक शेयरधारको के लिए** ई-मतदान और आभासी बैठक में भाग लेने के लिए लॉगिन प्रक्रिया नीचे दी गई है:

शेयरधारकों के प्रकार	लॉग-इन विधि
सीडीएसएल निक्षेपागार के पास डीमेट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक	 जिन प्रयोक्ताओं ने सीडीएसएल Easi/ Easiest सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई-मतदान पृष्ठ पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि Easi/ Easiest में लॉगिन करने के लिए सीडीएसएल बेबसाइट www.cdslindia.com का अवलोकन करें तथा और लॉगिन आइकन पर क्लिक करें तथा New System Myeasi का चयन करें। सफल लॉगिन के बाद Easi/ Easiest उपयोगकर्ता कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार पाल कंपनियों के लिए ई-मतदान का विकल्प देख सकेंगे, जहाँ ई-मतदान प्रगति पर है। ई-मतदान विकल्प में क्लिक करने पर उपयोगकर्ता दूरस्थ ई-मतदान अविध के दौरान अपना मतदान करने या आभासी बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान मतदान के लिए ई-मतदान सेवा प्रदाता का ई-मतदान पृष्ठ देखने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त, समस्त ई-मतदान सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं तािक उपयोगकर्ता सीधे ई-मतदान सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट का अवलोकन कर सके।
	3) यदि उपयोगकर्ता Easi/ Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है तो पंजीकरण करने का विकल्प www.cdslindia.com पर उपलब्ध है तथा लॉगिन और New System Myeasi Tab पर क्लिक करें तथा उसके बाद पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com के आवरण पृष्ठ पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमेट खाता संख्या और पैन नंबर डालकर सीधे ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंच सकते हैं। सिस्टम, डीमेट खाते में अभिलिखित पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के पश्चात, उपयोगकर्ता उस ई-मतदान विकल्प को देखने में सक्षम होगा जहां ई-मतदान प्रगति पर है और समस्त ई-मतदान सेवा प्रदाताओं की
एनएसडीएल के पास डीमेट मोड में प्रतिभूतियां धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	प्रणाली को सीधे एक्सेस करने में भी सक्षम होगा। 1) यदि आप पहले से ही NSDL IDeAS सुविधा के लिए पंजीकृत हैं तो कृपया एनएसडीएल की ई-सर्विसेज वेबसाइट पर जाएं। व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल https://eservices.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। एक बार ई-सेवाओं का आवरण पृष्ठ प्रारंभ होने के बाद, "Login" के अंतर्गत "Beneficial Owner" आइकन पर क्लिक करें, जो 'IDeAs' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्रविष्ठ करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के पश्चात, आप ई-मतदान सेवाओं को देख पाएंगे। ई-मतदान सेवाओं के अंतर्गत "Access to e-Voting" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पृष्ठ देखने में सक्षम होंगे। कंपनी के नाम या ई-मतदान सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और दूरस्थ ई-वोटिंग अविध के दौरान मतदान करने या आभासी बैठक में शामिल होने व बैठक के दौरान मतदान करने के लिए आपको ई-मतदान सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

	 2) यदि उपयोगकर्ता, IDeAS ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "Register Online for IDeAS Portal" का चयन करें अथवा https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। 3) एनएसडीएल की ई-मतदान वेबसाइट पर जाएं। व्यक्तिगत कंप्यूटर पर या मोबाइल पर यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। एक बार ई-मतदान सिस्टम का आवरण पृष्ठ
	प्रारंभ होने के बाद, "Login" आइकन पर क्लिक करें जो 'Shareholder/Member' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल में आपका सोलह अंकों का डीमेट खाता नंबर), पासवर्ड/ ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार सत्यापन कोड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद,
	आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहाँ आप ई-मतदान पृष्ठ देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-मतदान सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और दूरस्थ ई-मतदान अवधि के दौरान या आभासी बैठक में शामिल
	होने और बैठक के दौरान मतदान करने के लिए आपको ई-मतदान सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।
अपने निक्षेपागार	आप ई-मतदान सुविधा के लिए एनएसडीएल/ सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से अपने
सहभागियों के माध्यम	डीमेट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप ई-मतदान का
से लॉगिन करने वाले	विकल्प देख पाएंगे। एक बार जब आप ई-मतदान विकल्प पर क्लिक करते हैं तो आपको सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण के
व्यक्तिगत शेयरधारक	बाद एनएसडीएल/ सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप ई-मतदान सुविधा देख सकते
(डीमेट मोड में	हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान मतदान करने
प्रतिभूति धारक)	या आभासी बैठक में शामिल होने व बैठक के दौरान मतदान करने के लिए आपको ई-मतदान सेवा प्रदाता वेबसाइट पर
	पुनः निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट : जो सदस्य यूजर आईडी/ पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध 'Forget User ID and Forget Password' विकल्प का प्रयोग करें।

निक्षेपागार अर्थात सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमेट रूप में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क:

लॉग-इन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण										
सीडीएसएल के साथ डीमेट रूप में	लॉगिन	में	किसी	भी	तकनीकी	समस्या	का	सामना	करने	वाले	सदस्य
प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत helpdesk.evoting@cdslindi			ndia.com	पर अनुरोध	भेजक	र सीडीएस	एल हेल्पडे	हेस्क से सं	ापर्क कर		
शेयरधारक	सकते हैं या टोल-फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं।										

एनएसडीएल के साथ डीमेट रूप में	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध
प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत	भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री संख्या 1800 1020 990 और 1800
शेयरधारक	22 44 30 पर संपर्क कर सकते हैं।

: मूर्त रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक तथा डीमेट रूप में गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में सीडीएसएल ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से अभिगम।

- भौतिक शेयरधारकों तथा डीमेट रूप में व्यक्तिगत शेयरधारकों के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों के लिए दूरस्थ ई-मतदान और आभासी बैठक में (v) शामिल होने के लिए के लिए लॉगिन विधि।
 - 1. शेयरधारकों को ई-मतदान वेबसाइट <u>www.evotingindia.com</u> पर लॉग-ऑन करना चाहिए।
 - 2. "Shareholders" मॉड्यूल पर क्लिक करें।
 - 3. अब निम्नानुसार अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें:

सीडीएसएल हेतु : 16 अंकों की हिताधिकारी आईडी। i.

एनएसडीएल हेतु : 8 अंकों की डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की ग्राहक आईडी। ii.

भौतिक रूप में शेयरधारक, कंपनी में पंजीकृत अपनी फोलियों संख्या प्रविष्ट करें। iii.

- दर्शाई गई ईमेज सत्यापन को प्रविष्ट करें और लॉगिन पर क्लिक करें।
- यदि आपके पास शेयर डीमेट रूप में हैं और आपने <u>www.evotingindia.com</u> पर लॉगऑन किया है और पूर्व में किसी कंपनी हेतु मतदान किया है तो अपने वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करें।
- यदि आप प्रथम बार मतदान कर रहे हैं तो निम्न दिए गए चरणों का अनुसरण करें :

	भौतिक शेयरधारकों तथा डीमेट रूप में व्यक्तिगत शेयरधारकों के अतिरिक्त अन्य शेयरधारक
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फा-न्यूमेरिक *पैन प्रविष्ट करें (यह डीमेट शेयरधारकों के साथ-साथ भौतिक
	शेयरधारकों दोनों के लिए लागू है)
	• ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अपना पैन, बैंक/ डिपाजिटरी सहभागी के पास अद्यतित नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे
	बैंक/आरटीए द्वारा भेजे गए अनुक्रम संख्या का प्रयोग करें या कंपनी/आरटीए से संपर्क करें।
लाभांश	लॉगिन करने हेतु अपने डिमेट खाते में या बैंक अभिलेख में अभिलिखित लाभांश बैंक विवरण या जन्म-तिथि (दिन/ माह/ वर्ष प्रारूप
बैंक विवरण या	में) प्रविष्ट करें।
जन्म-तिथि	• यदि दोनों विवरण निक्षेपागार या कंपनी के पास पंजीकृत नहीं हैं तो कृपया लाभांश बैंक विवरण फील्ड में सदस्य आईडी/ फोलियों
(डीओबी)	संख्या प्रविष्ट करें ।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

- (vi) इन विवरणों को उपयुक्त रूप से प्रविष्ट करने के पश्चात "SUBMIT" टेब पर क्लिक करें।
- (vii) सदस्य जिनके पास मूर्त रूप में शेयर हैं, सीधे कंपनी सेलेक्शन स्क्रीन पर पहुँच सकते हैं। तथापि, सदस्य जिनके पास डीमेट रूप में शेयर हैं "Password Creation" मेनु में पहुँचेंगे, जहाँ उन्हें नए पासवर्ड स्थान में अनिवार्य रूप से अपना लॉगिन पासवर्ड दर्ज करना होगा। कृपया नोट करें कि डीमेट धारकों द्वारा इस पासवर्ड का उपयोग किसी भी कंपनी जिसमें वह वोट देने के लिए पाल है, किया जा सकता है बशर्ते कंपनी, सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का चयन करती है। प्रबलतापूर्वक यह अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतें।
- (viii) सदस्य जिनके पास शेयर मूर्त रूप में हैं, इस नोटिस में निहित संकल्प पर केवल ई-मतदान के लिए ब्यौरे का उपयोग किया जा सकता है।
 - (ix) पंजाब एण्ड सिंध बैंक के "EVSN" पर क्लिक करें जिसको आप मतदान करना चाहते हैं।
 - (x) मतदान पृष्ठ पर आप "RESOLUTIONS DESCRIPTION" के समक्ष YES/ NO का विकल्प, वोटिंग के लिए देखेंगे। इच्छानुसार "YES" अथवा "NO" विकल्प का चयन करें। "YES" का विकल्प, संकल्प के प्रति आपकी सहमति सूचित करता है तथा "NO" का विकल्प, संकल्प के प्रति आपकी असहमति सूचित करता है।
 - (xi) यदि आप सभी संकल्प विवरणों को देखना चाहते हैं तो "RESOLUTIONS FILE LINK" पर क्लिक करें।
- (xii) मतदान करने के संकल्प के चयन पश्चात "SUBMIT" पर क्लिक करें। एक पृष्टि बॉक्स दिखाई देगा। यदि आप अपने मतदान की पृष्टि करना चाहते हैं तो "OK" पर क्लिक करें और यदि अपना वोट बदलना चाहते हैं तो "CANCEL" पर क्लिक करें व तदनुसार अपना मतदान संशोधित करें।
- (xiii) संकल्प पर एक बार मतदान की "पुष्टि" के पश्चात मतदान को संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।
- (xiv) मतदान पृष्ठ पर "Click here to print" विकल्प पर क्लिक करके आप अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट भी निकाल सकते हैं।
- (xv) यदि डीमेट खाताधारक अपना लॉगिन पासवर्ड भूल गए हैं तो यूजर आईडी और ईमेज सत्यापन कोड को प्रविष्ट करें तथा "Forgot Password" पर क्लिक करें और प्रणाली द्वारा मांगे गए विवरण को प्रविष्ट करें।
- (xvi) यहाँ पर BR/POA अपलोड करने का वैकल्पिक प्रावधान भी है, यदि कोई अपलोड है जो सत्यापन के लिए संवीक्षक को उपलब्ध कराया जाएगा।
- (xvii) गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों तथा अभिरक्षकों के लिए अतिरिक्त सुविधा केवल दुरस्थ मतदान के लिए
 - गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों (अर्थात वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि के अतिरिक्त) तथा अभिरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करना होगा और "Corporates" मॉड्यूल में स्वयं को पंजीकृत करना होगा।
 - पंजीकरण फॉर्म की स्कैन प्रति जिस पर संस्था की मुहर तथा हस्ताक्षर हो, को <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u> पर मेल की जानी चाहिए।
 - लॉगिन विवरण प्राप्त होने के बाद, एडिमन लॉगिन तथा पासवर्ड का उपयोग करके अनुपालन यूजर सृजित करना चाहिए। अनुपालन यूजर, खाता (ओं) को लिंक करने समर्थ होगा जिसके लिए वो मतदान करना चाहते हैं।
 - लॉगिन में लिंक्ड खातों की सूची स्वतः मैप होगी तथा गलत मैपिंग के लिए डी-लिंक भी की जा सकती है।
 - यह अनिवार्य है कि बोर्ड संकल्प तथा मुख्तारनामा (पीओए) की स्केन प्रति जिसे उन्होनें अभिरक्षक के पक्ष में जारी किया है (यदि कोई है), तो संवीक्षक के पास उसके सत्यापन के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड करनी चाहिए।
 - वैकल्पिक रूप से गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों को विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो मतदान के लिए अधिकृत है, के अनुप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर सिहत प्रासंगिक बोर्ड संकल्प/ प्राधिकरण पत्न इत्यादि, संवीक्षक तथा बैंक को ईमेल पते अर्थात scrutinizer@snaco.net तथा complianceofficer@psb.co.in पर भेजना आवश्यक है यदि वे वैयक्तिक टैब से मतदान कर चुके हैं और जांच के लिए उसे संवीक्षक को सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली में अपलोड नहीं किया है।

जिन शेयरधारकों के ई-मेल/मोबाइल नंबर, बैंक अथवा डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं है, उनके लिए प्रक्रिया :

- भौतिक शेयरधारकों के लिए कृपया complianceofficer@psb.co.in / delhi@linkintime.co.in को ईमेल द्वारा आवश्यक विवरण यथा फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण-पत्न की स्केन प्रति (अग्र और पश्च), पैन (पैन कार्ड की स्व अनुप्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व अनुप्रमाणित स्कैन प्रति) उपलब्ध कराएं।
- **डीमेट शेयरधारकों के लिए** कृपया अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के पास अपना मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर अद्यतित करें।
- वैयक्तिक डीमेट शेयरधारकों के लिए कृपया अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के पास अपना मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर अद्यतित करें जो ई-मतदान करने तथा डिपॉजिटरी के माध्यम से आभासी बैठक में शामिल होने के लिए अनिवार्य है।

वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और बैठक के दौरान ई-मतदान करने वाले शेयरधारकों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

- एजीएम के दिन बैठक में भाग लेने तथा ई-मतदान के लिए प्रक्रिया, दुरस्थ ई-मतदान के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के समान ही है। 1.
- बैठक में भाग लेने के लिए वीसी/ ओएवीएम के लिए लिंक, दुरस्थ ई-मतदान के लिए ऊपर उल्लिखित निर्देशों के अनुसार सफल लॉगिन के बाद बैंक के 2. ईवीएसएन प्रदर्शित किए जाने वाले स्थान पर उपलब्ध होगा।
- दुरस्थ ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने वाले शेयरधारक बैठक में भाग लेने के लिए पाल होंगे। हालांकि, वे एजीएम में मतदान के पाल नहीं होंगे। 3.
- शेयरधारकों से अनुरोध है कि बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप/ आईपैड के माध्यम से बैठक में भाग लें। 4.
- तत्पश्चात, शेयरधारकों को कैमरा उपयोग की अनुमति देने तथा बैठक के दौरान किसी भी बाधा से बचने के लिए अच्छी गति के इंटरनेट के उपयोग की 5. आवश्यकता होगी।
- कृपया ध्यान दें कि मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके मोबाइल उपकरणों या टेबलेट या लैपटॉप के माध्यम से जुड़ने वाले सहभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में विचलन के कारण ऑडियो/ विडियों घटने का अनुभव हो सकता है। किसी प्रकार के पूर्वोक्त गडबड़ी को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लेन कनेक्शन के उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।
- शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं/ प्रश्न पूछना चाहते हैं, बैठक से कम से कम 48 घंटे पूर्व अपना नाम, डीमेट खाता संख्या/ फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर समाविष्ट अपना अनुरोध स्पीकर के रूप में complianceofficer@psb.co.in पर पंजीकृत कर सकते हैं। वे शेयरधारक जो एजीएम के दौरान बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन उन्हें किसी विषय में जानकारी चाहिए तो **बैठक से न्युनतम 48 घंटे पूर्व** अपना नाम, डीमेट खाता संख्या/ फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर समाविष्ट अपने प्रश्न अग्रिम में complianceofficer@psb.co.in पर भेज सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर बैंक द्वारा ई-मेल से समृचित रूप से दिया जाएगा।
- जिन शेयरधारकों ने अपने को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, बैठक के दौरान केवल उन्हें ही अपने विचार व्यक्त करने/ प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। 8.
- केवल वे शेयरधारक, जो वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से संकल्पों पर अपना मतदान नहीं किया है और जिन्हें अन्यथा ऐसा करने से नहीं रोका गया है, एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से मतदान के पात होंगे।
- 10. यदि एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-मतदान के माध्यम से किसी शेयरधारक द्वारा मतदान किया जाता है और उस शेयरधारक ने वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है तो ऐसे शेयरधारक द्वारा किए गए मतदान को अमान्य माना जाएगा क्योंकि बैठक के दौरान ई-मतदान की सुविधा केवल बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है।



यदि आपको एजीएम में भाग लेने एवं सीडीएसएल ई-मतदान प्रणाली से ई-मतदान के संबंध में किसी प्रकार की जिज्ञासा या प्रश्न है तो helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल कर सकते हैं या टोल-फ्री नंबर 1800-22-5533 पर संपर्क कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान की सुविधा से जुड़े सभी शिकायतों के लिए श्री राकेश दल्वी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल) केंद्रीय डिपॉजिटरी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25 वाँ तल, मैराथन फ्यूचर, मफतलाल मिल कंपाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई-400013 पर संपर्क करें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल करें या टोल-फ्री नंबर 1800-22-5533 पर संपर्क करें।

10. संवीक्षक

निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-मतदान प्रक्रिया की संवीक्षा के लिए बैंक द्वारा मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यम एण्ड कंपनी, कंपनी सचिवों को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

एजीएम संपन्न होने के 48 घंटे भीतर संवीक्षक, बैठक के अध्यक्ष को कुल डाले गए मतदान पर समेकन संवीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे तथा शेयर बाजारों एवं बैंक वेबसाइट पर संवीक्षक रिपोर्ट सहित परिणाम डालकर तत्काल मतदान के परिणाम की घोषणा करेंगे।

11. शेयर अंतरण एजेंट से संचार:

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए बैंक के शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर अपने ईमेल पते, डाक पते, बैंक विवरण आदि में परिवर्तन/ अद्युतन, यदि कोई हो, की सुचना दें:

लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

युनिट : पंजाब एण्ड सिंध बैंक

नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट सं. एनएच 2. एलएससी, सी-1 ब्लॉक

सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

दुरभाष: +91 11 4141 0592, 93, 94 फैक्स: +91 11 4141 0591

ईमेल: delhi@linkintime.co.in

अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सभी संचार प्राप्त करने के लिए ई-मेल पते, डाक पते, बैंक विवरण इत्यादि में हुए परिवर्तनों/ अद्यतन (यदि है) की सूचना अपने निक्षेपागार सहभागियों को दें।

12. अदत्त \अदावाकृत लाभांश, यदि कोई हो

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों के अपने लाभांश वारंट का नकदीकरण नहीं लिया है, उनसे अनुरोध है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट से उपरोक्त पते पर या प्रधान कार्यालय, 21 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 पर बैंक के शेयर कक्ष में संपर्क करें।

13. फोलियो का समेकन:

शेयरधारक, जिनके पास एक से अधिक फोलियो में नामों के समान क्रम में शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (आरटीए) को इसकी सूचना दें, शेयर प्रमाण-पल (ओं) के साथ इस प्रकार के खातों के खाता-बही पन्ने, बैंक को समस्त शेयर पूंजी को एक फोलियो में समेकित करने में सक्षम करते हैं। उचित समय पर आवश्यक पृष्ठांकन करने के बाद शेयर प्रमाण-पत्न, शेयरधारकों को वापस कर दिए जाएंगे।

14. अन्य सूचना

- सेबी और एमसीए परिपत्नों के अनुपालन में, ई-मतदान की प्रक्रिया तथा शिष्टता दर्शाने के साथ-साथ बैंक की 13वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) की सूचना समाविष्ट, 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट उन समस्त शेयरधारकों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित की जा रही है जिनके ई-मेल आईडी, रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) अर्थात "लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड"/ निक्षेपागार सहभागी (यों) के पास पंजीकृत हैं।
- b) एजीएम आयोजन की सूचना बैंक वेबसाइट https://punjabandsindbank.co.in/ पर अपलोड है। शेयर बाजारों यथा बीएसई लिमिटेड तथा नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः <u>www.bseindia.com</u> तथा <u>www.nseindia.com</u> से भी यह सूचना प्राप्त की जा सकती है। सीडीएसएल (एजीएम के दौरान दुरस्थ ई-मतदान सुविधा तथा ई-मतदान प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात www.evotingindia.com पर भी ईजीएम नोटिस को प्रसारित किया गया है।
- c) बैंक द्वारा प्रारंभ किए गए 'हरित पहल' के मद्देनजर शेयरधारकों से अनुरोध है कि डीमेट रूप में धारित शेयरों के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी के पास तथा भौतिक रूप में शेयर धारित होने पर बैंक के आरटीए (आरटीए का ईमेल आईडी: delhi@linkintime.co.in) के पास अपना ईमेल आई-डी पंजीकृत करें। इसके अतिरिक्त नाम, डाक-पता, ई-मेल पता, दुरभाष/ मोबाइल नंबर, स्थाई खाता संख्या (पैन), अनुदेश, नामांकन, बैंक विवरण जैसे – बैंक का नाम तथा शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कृट इत्यादि से संबंधित किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारक उसकी सुचना अपने डीपी को दें तथा भौतिक रूप में शेयरधारक आरटीए को सुचित करें।

15. शेयर कक्ष

शेयरधारकों को त्वरित व कुशल सेवा प्रदान करने के लिए बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली में शेयर कक्ष की स्थापना की है, किसी भी सहायता के लिए शेयरधारक नीचे उल्लिखित पते पर इस कक्ष से संपर्क कर सकते हैं:

कंपनी सचिव पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय शेयर कक्ष लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008

दुरभाष: 011-25782926, 25812922 ई-मेल: complianceofficer@psb.co.in

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

16. मूर्त शेयरधारिता का अमूर्तीकरण:

सेबी के वर्तमान मानदंडों के अनुपालन में, बैंक मूर्त रूप में शेयरों के हस्तांतरण की प्रक्रिया नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, मूर्त या अमूर्त रूप में धारित प्रतिभूतियों का संचरण/ स्थानांतरण केवल अमूर्त रूप में ही किया जाएगा। तदनुसार, मूर्त रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने शेयरों को अमुर्तीकरण करा लें।

17. पैन, केवाईसी, बैंक विवरण तथा नामांकन के प्रस्तुतीकरण के लिए नियम:

सेबी परिपल संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 दिनांकित 3 नवंबर 2021 के अधिक्रमण में सेबी ने परिपल संख्या SEBI/ HO/ MIRSD/ MIRSD-PoD-1/ P/ CIR /2023/ 37 दिनांकित 16.03.2023 के माध्यम से भौतिक प्रतिभूतियों के शेयरधारकों को अनिवार्य रूप से पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अन्य शब्दों में, सूचीबद्ध कंपनियों में भौतिक प्रतिभूतियों के समस्त धारकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने संबंधित फोलियो संख्या के लिए पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करें।

तदनुसार, यह पुनः दोहराया जाता है कि भौतिक प्रतिभूतियों के समस्त धारकों और दावेदारों के लिए आरटीए को पैन विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

उपरोक्त सेबी परिपत्न के अनुसरण में शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वैध पैन, ई-मेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और नामांकन विवरण, तत्काल नीचे दिए गए प्रपत्नों में आरटीए को प्रस्तुत करें:

क्र. सं.	फॉर्म/प्रपत	उद्देश्य
1	फॉर्म आईएसआर-1	पैन, केवाईसी विवरण पंजीकृत/अद्यतित करने के लिए।
2	फॉर्म आईएसआर-2	बैंक द्वारा प्रतिभूति धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि करने के लिए।
3	फॉर्म आईएसआर-3	नामांकन के ऑप्टिंग-आउट के लिए घोषणा-पत्न ।
4	फॉर्म एसएच-13	नामांकन फॉर्म
5	फॉर्म एसएच-14	नामांकन का निरसन या परिवर्तन (यदि कोई हो)

उपरोक्त समस्त फॉर्म [आईएसआर-1, आईएसआर-2, आईएसआर-3, एसएच-13, एसएच-14] और सेबी का उक्त परिपत्न, हमारी वेबसाइट https://punjabandsindbank.co.in/ पर उपलब्ध हैं। दिनांक 01.10.2023 को या उसके बाद जिन फोलियो में कोई भी उल्लिखित विवरण/ दस्तावेज (यथा पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन) हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें उपरोक्त सेबी परिपत्न के अनुसार अवरुद्ध/कीलन कर दिया जाएगा।

उपरोक्त के मद्देनज़र हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि यथाशीघ्र नीचे दिए गए पते पर बैंक आरटीए को समर्थित दस्तावेजों सहित विधिवत भरे हुए निवेशक सेवा अनुरोध फॉर्म जमा करें।

पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन के बिना फोलियो को अवरुद्ध/कीलन करना।

- 1) जिन फोलियो में उपर्युक्त अनुच्छेद में उल्लिखित में से कोई भी एक दस्तावेज़/ विवरण, 01 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद उपलब्ध नहीं है, उन्हें आरटीए द्वारा अवरुद्ध/कीलन कर दिया जाएगा।
- 2) प्रतिभृतिधारक जिनके फोलियो अवरुद्ध/कीलन कर दिए गए हैं वे निम्नलिखित के लिए पाल होंगे:
 - उपरोक्त पैरा में उल्लिखित पूर्ण दस्तावेज/ विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही आरटीए से शिकायत दर्ज करने या किसी सेवा अनुरोध का लाभ 2.1 उठाने के लिए।
 - 01 अप्रैल, 2024 से केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से इस प्रकार अवरुद्ध/कीलन फोलियो के संबंध में लाभांश, ब्याज या मोचन भुगतान 2.2 सहित किसी भी भुगतान के लिए। बैंक द्वारा प्रतिभृतिधारक को सूचना भेजी जाएगी कि इस प्रकार का भुगतान, देय है और इस परिपत्न के अनुच्छेद 4 में निर्दिष्ट अनिवार्यताओं के अनुपालन पर ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।
- 3) यदि फोलियो, 31 दिसंबर 2025 तक अवरुद्ध/कीलन रहते हैं तो बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 और/या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आरटीए/ सूचीबद्ध कंपनी द्वारा उनकी सूचना प्रशासी प्राधिकारी को दी जाएगी।
- 4) उपरोक्त अनुच्छेद में उल्लिखित समस्त दस्तावेजों/विवरणों की प्राप्ति पर आरटीए, अवरुद्ध/कीलन फोलियो को सामान्य स्थिति में प्रत्यावर्तित करेगा।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

स्थान : नई दिल्ली साकेत मेहरोत्रा दिनांक : 19.06.2023 कंपनी सचिव



व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 3 : अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी करना।

- निरंतर बदलते व्यवसायिक परिदृश्य में इसके तेजी से बढ़ते व्यसाय स्तर की आवश्यकता को पूरा करने और बासेल- III मानदंडों के अनुपालन हेतु बैंक को अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है।
- बासेल- III पूंजी विनियम और अनुवर्ती पूंजी प्रभार तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित सामान्य उधार उद्देश्यों हेतु निधियों के संबंध में बढ़ती पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंक, बैंक की पूंजी पर्याप्तता में सुधार हेतु और सामान्य व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु निधियों को जुटाने हेतु प्रस्ताव करता है।
- नोटिस में प्रस्तावित विशेष संकल्प अर्हता प्राप्त संस्थागत खरीदारों को आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के तहत अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी करने से संबंधित है, जिसकी कुल राशि ₹ 250 करोड़ (रुपये दो सौ पचास करोड़ माल) (प्रीमियम सहित) है।
- चूंकि बैंक के इक्विटी शेयर सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के अनुसार शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हैं, अतः शेयरधारकों के लिए यह आवश्यक है कि यदि आनुपातिक आधार पर उन्हें कोई और प्रतिभृति प्रदान नहीं की जाती है तो उन्हें जारी करने की अनुमित दें।
- यह ध्यान दिया जाना है कि शेयरधारकों के अनुमोदन के अतिरिक्त, अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) आदि के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी करना आदि समस्त वैधानिक, नियामक या किन्हीं अन्य लागृ दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन होंगे।
- इक्किटी शेयरों को जारी करने के लिए विस्तृत नियम और शर्तें, जब भी तैयार की जाएंगी, बोर्ड द्वारा विणक बैंकरों, अग्रणी प्रबंधकों, सलाहकारों और ऐसे अन्य अधिकारियों के परामर्श से निर्धारित की जाएंगी, जिन पर बैंक द्वारा प्रचिलत बाजार शर्तें और अन्य प्रासंगिक कारक को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना आवश्यक हो सकता है। विशेष संकल्प बोर्ड को ऐसे समय या समय पर, ऐसे मूल्य या कीमतों पर, और ऐसे निवेशकों को इक्किटी शेयर जारी करने का अधिकार देता है, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझें।
- निदेशक मंडल आपके अनुमोदन हेतु नोटिस में उल्लिखित विशेष संकल्प की अनुशंसा करता है।
- बैंक के किसी भी निदेशक का इस विशेष संकल्प से कोई सरोकार या हित नहीं है।

मदु संख्या 4 : बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के साथ-साथ गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में डॉ. चरन सिंह की नियुक्ति को अनुमोदित करना।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति हेतु शेयरधारकों की स्वीकृति आगामी सामान्य बैठक में ली जाए। तदनुसार, दिनांक 07.11.2022 से बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में डॉ. चरन सिंह की नियुक्ति हेतु एजीएम में शेयरधारकों का अनुमोदन अपेक्षित है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (एच) और धारा 9 की उपधारा (3ए) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अधिसूचना एफ. सं. 6/9/2022-बीओ. दिनांकित 07.11.2022 के अनुसार 07 नवंबर, 2022 से लेकर दो वर्ष या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, डॉ. चरण सिंह को पंजाब एण्ड सिंध बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है।

सेबी (एलओडीआर) के विनियम 36 (3) और सचिवीय मानक 2 के अनुसार एजीएम में नियुक्ति चाहने वाले निदेशक का विवरण।

डॉ. चरन सिंह का संक्षिप्त परिचय

निदेशक का नाम : डॉ. चरन सिंह

आयु : 62 वर्ष

शैक्षणिक योग्यता : अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट, एम.फिल

कार्यग्रहण की तिथि: 07.11.2022

डॉ. चरण सिंह ने इससे पूर्व मई, 2018 से मई, 2021 तक पंजाब एण्ड सिंध बैंक के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। इससे पहले, वह भारतीय प्रबंधन संस्थान बैंगलोर, भारत में अर्थशास्त्र के आरबीआई चेयर प्रोफेसर थे, जहां इन्होंने अन्य विषयों के साथ, तुलनात्मक मौद्रिक नीति और नीतिगत मुद्दों पर अध्यापन कार्य किया।

इन्होंने अगस्त, 2009 से नवंबर, 2012 तक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वाशिंगटन डीसी के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय में विरष्ठ अर्थशास्त्री के रूप में कार्य किया। वे भारतीय रिजर्व बैंक (1997-2009) में (विभाग: आर्थिक नीति, ऋण प्रबंधन) अनुसंधान निदेशक थे। इन्होंने आरबीआई में 1984 से 2009 तक विभिन्न क्षमताओं तथा विभिन्न विभागों में काम किया। उन्होंने 1983 में पंजाब नैशनल बैंक में प्रबंधन प्रशिक्षार्थी के रूप में अपने करियर का आरंभ किया।

डॉ. सिंह ने न्यु साउथ वेल्स विश्वविद्यालय, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। वे अर्थशास्त्र विभाग, हार्वर्ड विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड सेंटर फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, स्टैनफोर्ड युनिवर्सिटी में एक वर्ष से अधिक समय तक विजिटिंग स्कॉलर रहे। वे नैशनल हाउसिंग बैंक, दिल्ली के बोर्ड में पूर्व निदेशक और नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, बैंगलोर में पूर्व निदेशक हैं। मानद अध्येता, स्कॉच डेवलपमेंट फाउंडेशन और आवास क्षेत्र के मुद्दों पर अनौपचारिक सलाहकार समूह के सदस्य, आईएमएफ, वाशिंगटन डीसी रहे।

डॉ. सिंह ने विभिन्न पत्निकाओं में विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्न, बैंकिंग और राजकोषीय नीति से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों को व्यापक रूप से प्रकाशित किया। उन्होंने भारत में ऋण प्रबंधन (कैम्ब्रिज) पर एक पुस्तक भी लिखी है और सार्वजनिक ऋण प्रबंधन (स्प्रिंगर) पर एक अन्य का संपादन किया है। वे वर्तमान में भारतीय बैंकों के इतिहास का दस्तावेजीकरण करने वाली एक पुस्तक पर काम कर रहे हैं जो एक सदी से भी अधिक समय से परिचालित है।

बैंक द्वारा डॉ. चरण सिंह को बैठक शुल्क के अलावा कोई पारिश्रमिक/ प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाता है।

डॉ. चरण सिंह या उनके रिश्तेदारों के अतिरिक्त बैंक का कोई भी निदेशक या उनके रिश्तेदार और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई है, एजीएम सचना में संलग्न मद संख्या 4 में वर्णित विशेष संकल्प से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं।



मद संख्या 5 : सुश्री एम. जी. जयश्री की बैंक में भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति को अनुमोदित करना।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति हेतु शेयरधारकों की स्वीकृति आगामी सामान्य बैठक में ली जाए। तदनुसार, दिनांक 11.04.2022 से बैंक के बोर्ड में भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में सुश्री एम. जी. जयश्री की नियुक्ति हेतु एजीएम में शेयरधारकों का अनुमोदन अपेक्षित है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अधिसूचना एफ.सं. 6/2/2022-बीओ. दिनांकित 11.04.2022 के अनुसार 11 अप्रैल, 2022 से तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक, सुश्री एम.जी. जयश्री को पंजाब एण्ड सिंध बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है।

सेबी (एलओडीआर) के विनियम $36\ (3)$ और सचिवीय मानक 2 के अनुसार एजीएम में नियुक्ति चाहने वाले निदेशक का विवरण।

सुश्री एम. जी. जयश्री का संक्षिप्त परिचय

निदेशक का नाम: सुश्री एम.जी. जयश्री

आयु : 47 वर्ष

शैक्षणिक योग्यता : एम.एससी (लोक प्रबंधन और प्रशासन), एम.एससी (सांख्यिकी)

कार्यग्रहण की तिथि: 11.04.2022

सुश्री एम.जी. जयश्री ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एम.एससी, लोक प्रबंधन और प्रशासन, एम.जी विश्वविद्यालय, केरल से एम.एससी सांख्यिकी में पूर्ण की है। इन्हें भारत सरकार में कार्य करने का 24 वर्षों का अनुभव प्राप्त है और वर्तमान में वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार में उपमहानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं।

वे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में भी निदेशक हैं।

सुश्री एम.जी. जयश्री को बैंक द्वारा किसी मानदेय/ प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाता।

सुश्री एम. जी. जयश्री या उनके रिश्तेदारों के अतिरिक्त बैंक का कोई भी निदेशक या उनके रिश्तेदार और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई है, एजीएम सूचना में संलग्न मद संख्या 5 में वर्णित सामान्य संकल्प से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं।

मद संख्या 6: सुश्री रश्मि खेलपाल की बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति को अनुमोदित करना।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति हेतु शेयरधारकों की स्वीकृति आगामी सामान्य बैठक में ली जाए। तदनुसार, दिनांक 21.03.2022 से बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में सुश्री रश्मि खेलपाल की नियुक्ति हेतु एजीएम में शेयरधारकों का अनुमोदन अपेक्षित है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (एच) और धारा 9 की उपधारा (3ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अधिसूचना एफ.सं. 6/6/20121-बीओ. दिनांकित 21.03.2022 के अनुसार 21 मार्च, 2022 से उनकी नियुक्ति की अधिस्चना की तिथि से 3 वर्ष की अवधि हेतु या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, सुश्री रिम खेलपाल को पंजाब एण्ड सिंध बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है।

सेबी (एलओडीआर) के विनियम 36 (3) और सचिवीय मानक 2 के अनुसार एजीएम में नियुक्ति चाहने वाले निदेशक का विवरण।

सुश्री रश्मि खेलपाल का संक्षिप्त परिचय

निदेशक का नाम : सुश्री रश्मि खेलपाल

आयु : 50 वर्ष

शैक्षणिक योग्यता : सनदी लेखाकार कार्यग्रहण की तिथि: 21.03.2022

सुश्री रश्मि खेत्रपाल को दिनांक 21.03.2022 से पंजाब एण्ड सिंध बैंक के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले, वह हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) की स्वतंत्र निदेशक, आईसीएआई की निसाका की अध्यक्ष, आईसीएआई की एनआईआरसी की वैट समिति तथा आईसीएआई की अन्य समितियों की भी अध्यक्ष रही हैं। इन्हें आईसीएआई की एनआईआरसी में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जा चुका है।

सुश्री खेत्रपाल काउंटमैजिक ऑनलाइन सर्विसेज़ जो एमएसएमई के लिए लेखांकन व जीएसटी के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करती है, की संस्थापक निदेशक हैं। इसके अतिरिक्त ये सनदी लेखाकार हैं जिसका इन्हें दो दशकों से अधिक का अनुभव है और लेखांकन, वित्त, आंतरिक लेखा परीक्षा, कराधान तथा सूचना प्रौद्योगिकी में इन्हें निपुणता प्राप्त हैं। इन्होंने जीएसटी, पेशेवर धोखाधड़ी, आंतरिक नियंलण और पीओएसएच के विभिन्न विषयों पर 500 से अधिक संगोष्ठियों में व्याख्यान दिया है।

बैंक द्वारा सुश्री रश्मि खेत्रपाल को बैठक शुल्क के अलावा कोई पारिश्रमिक/प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाता है।

सुश्री रश्मि खेलपाल या उनके रिश्तेदारों के अतिरिक्त बैंक का कोई भी निदेशक या उनके रिश्तेदार और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई है, एजीएम सचना में संलग्न मद संख्या 6 में वर्णित विशेष संकल्प से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं।



मद संख्या 7: श्री स्वरूप कुमार साहा की बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को अनुमोदित करना।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति हेतु शेयरधारकों की स्वीकृति आगामी सामान्य बैठक में ली जाए। तदनुसार, दिनांक 03.06.2022 से बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में श्री स्वरूप कुमार साहा की नियुक्ति हेतु एजीएम में शेयरधारकों का अनुमोदन अपेक्षित है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अधिसूचना एफ.सं. 4/4/2021-बीओ. दिनांकित 03.06.2022 के अनुसार स्वरूप कुमार साहा को 03.06.2022 से उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात 03.06.2022 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पंजाब एण्ड सिंध बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नामित किया है।

सेबी (एलओडीआर) के विनियम 36 (3) और सचिवीय मानक 2 के अनुसार एजीएम में नियुक्ति चाहने वाले निदेशक का विवरण।

श्री स्वरूप कुमार साहा का संक्षिप्त परिचय

निदेशक का नाम : श्री स्वरूप कुमार साहा

आयु : 56 वर्ष

शैक्षणिक योग्यता : विज्ञान में स्नातक, सीएआईआईबी, आईआईबीएफ से कोष, निवेश और जोखिम प्रबंधन में डिप्लोमा, आईआईबीएफ से वित्तीय सेवा में

जोखिम में प्रमाण-पत्र।

कार्यग्रहण की तिथि : 21.03.2022

श्री स्वरूप कुमार साहा ने 3 जून, 2022 को पंजाब एण्ड सिंध बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। पंजाब एण्ड सिंध बैंक में एमडी एवं सीईओ के पद पर कार्यरत होने से पूर्व वे 10 मार्च, 2021 से पंजाब नैशनल बैंक में कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत थे।

श्री साहा, कोलकाता विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक हैं तथा वर्ष 1990 में उन्होंने परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में पूर्ववर्ती ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से अपने बैंक कैरियर का आरंभ किया। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित संबद्ध सदस्य (सीएआईआईबी) हैं। इन्होंने भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) से ट्रेजरी, निवेश और जोखिम प्रबंधन (डीटीआईआरएम) में डिप्लोमा और सीआईएसआई, लंदन के सहयोग से आईआईबीएफ द्वारा वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रमाण-पत्न भी प्राप्त किए हैं।

अपने 30 वर्षों से अधिक के कैरियर में इन्हें मानव संसाधन विकास, ट्रेजरी, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, ऋण, जोखिम प्रबंधन, संगठन पुनर्संरचना और बोर्ड मामलों का व्यापक अनुभव प्राप्त है।

पंजाब नैशनल बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य करते हुए इन्होंने ट्रेजरी एंड इंटरनेशनल बिजनेस, रिकवरी, रिटेल, एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई (रैम) क्रेडिट, डिजिटल बैंकिंग, फिनटेक और डिजिटल सहयोग, शुल्क आय और समूह व्यवसाय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्री साहा ने पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड और पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड के बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।

श्री साहा, आईआईएम, बैंगलोर के माध्यम से आयोजित बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) के 2019 में प्रमुख नेतृत्व विकास कार्यक्रम में प्रतिभागियों में शामिल थे। इन्होंने सीएएफआरएएल/स्टर्न बिज़नेस स्कूल, न्यूयॉर्क द्वारा संचालित उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम तथा एनआईबीएम और केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, यूएसए द्वारा संचालित नेतृत्व विकास कार्यक्रम में सहभागिता की है।

श्री स्वरूप कुमार साहा भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार मानदेय/ प्रतिपूर्ति हेतु पात्र हैं।

श्री स्वरूप कुमार साहा या उनके रिश्तेदारों के अतिरिक्त बैंक का कोई भी निदेशक या उनके रिश्तेदार और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक, यदि कोई है, एजीएम सूचना में संलग्न मद संख्या ७ में वर्णित सामान्य संकल्प से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक

: 19.06.2023

साकेत मेहरोला

कंपनी सचिव



निदेशकों की रिपोर्ट 2022-23

निदेशक मंडल द्वारा यथा 31 मार्च, 2023 की अवधि के लिए तुलन पत्न तथा 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा सहित बैंक की वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत की जा रही है।

प्रबंधन विचार-विमर्श तथा विश्लेषण :

a) वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण:

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल-2023 ने, हाल ही के वित्तीय क्षेत्र की अस्थिरता, लगातार उच्च मुद्रास्फीति, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष तथा अधोगामी प्रक्षेप में सहायक रहे महामारी के दुष्प्रभाव के साथ वैश्विक आर्थिक विकास में वर्ष 2022 में 3.4% से वर्ष 2023 में 2.8% तक गिरावट का अनुमान लगाया है।

आईएमएफ के अनुसार, वर्ष 2024 में 3.5% के मामूली सुधार से पूर्व व्यापार की मात्रा में 2022 में 5.1% से 2023 में 2.4% की प्रत्याशित कमी सिहत विकास और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों को संयमित करने से वैश्विक व्यापार भी प्रभावित हुआ है।

वित्तीय बाजारों में दबाव के आविर्भाव ने केंद्रीय बैंकों के कार्य को जटिल बना दिया है, विशेष रूप से उस परिस्थिति में जब मुद्रास्फीति लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। केंद्रीय बैंकों के अपने तुलन पत्न को अपचयीत करने की सामान्यीकरण प्रक्रिया, राष्ट्रिक ऋण बाजारों के लिए चुनौतियां पैदा कर सकती है जिन्हें निजी निवेशकों द्वारा आमेलित करना होगा।

b) आंतरिक आर्थिक दृष्टिकोण:

भारत की जीडीपी वृद्धि, वर्ष 2020-21 में 5.8% के संकुचन से पुनः बढ़कर 2021-22 में 9.1% हो गई। सरकार, केंद्रीय बैंक और नियामक द्वारा किए गए प्रयास, अर्थव्यवस्था के तेजी से सुधार में सहायक रहे।

मजबूत कृषिजन्य उत्पादन के क्रमिक वर्षों, संपर्क-गहन सेवाओं में महामारी पश्चात उच्छलन, बैंक ऋण में उत्फुल्ल संवृद्धि, स्वस्थ बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली तथा सरकार के पूंजीगत प्रोत्साहन के कारण आंतरिक आर्थिक गतिविधि लोचदार बनी हुई है। आंतरिक अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2022-23 में 7.2% की वृद्धि दर्ज की है।

आगामी समय में ग्रामीण मांग में सुधार, अवसंरचनात्मक व्यय पर सरकार की महत्ता, कॉर्पोरेट निवेश में पुनरुद्धार, स्वस्थ बैंक ऋण और वस्तुओं के मूल्य में कमी से आर्थिक गतिविधि को सहायता मिलेगी। दीर्घकालीन भू-राजनीतिक तनाव, कड़ी वैश्विक वित्तीय स्थिति, वैश्विक वित्तीय बाजार में अस्थिरता तथा बाह्य मांग में कमी, विकास परिदृश्य के लिए प्रमुख जोखिम हैं। आरबीआई ने अपनी अप्रैल 2023 की मौद्रिक नीति में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 6.5% की जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है।

c) बैंकिंग क्षेत्र:

हाल की वैश्विक बैंकिंग घटनाएं और भारतीय बैंकिंग पर उसका प्रभाव : वर्ष 2023, विश्व की उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वृहत बैंकिंग संकट का साक्ष्य रहा है। यह संकट क्रेडिट सुइस के आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण अशक्ति की रिपोर्टिंग से लेकर सिग्नेचर बैंक में संकेंद्रित और असुरक्षित थोक जमा के कारण बैंक में होने वाली गिरावट तक अलग-अलग है। तथापि, 28 अप्रैल को फेडरल रिजर्व ने एक विस्तृत आलोचनात्मक रिपोर्ट जारी की जिसमें एफईडी ने स्वयं के विनियमन और पर्यवेक्षण में अशक्ति को स्वीकार किया है और सिलिकॉन वैली बैंक के बंद होने की प्राथमिक जिम्मेदारी ली है।

सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने अधिकांश निवेशों को एचटीएम श्रेणी में वर्गीकृत किया है, जहां आस्ति के वास्तव में "परिपक्वता तक धारित" होने के कारण विधिक लेखांकन उपचार अनिवार्य रूप से हानि को कम करता है। हालांकि, जब फेडरल रिजर्व ने मुद्रास्फीति को कम करने के लिए दर-वृद्धि के अपने क्रमादेश को प्रारंभ किया तो दीर्घकालीन एसवीबी पोर्टफोलियो की बॉन्ड कीमतों में तेजी से गिरावट आई।

d) भारतीय बैंकिंग परिदृश्य:

भारत में, आरबीआई ने पूर्व में ही बैंकों को बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) के अंतर्गत तिमाही आधार पर अपने एचटीएम पोर्टफोलियो पर एमटीएम हानि (मार्क टू मार्केट लॉस) की रिपोर्ट करने की सलाह दी है। इसके अतिरिक्त, भारतीय लेखांकन मानकों को लाभ-हानि में प्रतिभृतियों के अंतरण के कारण होने वाले हानि का तत्काल अभिज्ञान अपेक्षित है।

विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में दर वृद्धि के कम परिमाण और ऋण लिखतों के आधार बिंदु (पीवीबीपी) के निम्नतर अंतर्निहित मूल्य के परिमाण सहित, भारतीय निश्चित आय संविभाग ने बढ़ते ब्याज दुर परिवेश में तुलनात्मक रूप से अच्छा प्रदुर्शन किया है। फिर भी, तथाकथित एमटीएम संरक्षित बैंकिंग बही एक्सपोज़र में ब्याज-दर जोखिम के सतर्कतापूर्वक अनुवीक्षण के लिए इसे एक सबक के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए।

उपरोक्त के अलावा, भारत का बैंकिंग क्षेत्र भली भाँति पूंजीकृत और विनियमित है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली वर्षों से लोचदार बनी हुई है और कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में पाई गई वित्तीय अस्थिरता की हाल की घटनाओं से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हुई है।

भारतीय बैंक अपने सुदृढ़ मूलभूत सिद्धांतों व जोखिम प्रबंधन प्रणाली, विविध जमाराशि व परिसंपत्ति आधार और मजबूत नियामक रूपरेखा के साथ किसी भी वैश्विक वित्तीय अस्थिरता का सामना करने में सक्षम है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के साप्ताहिक सांख्यिकी परिशिष्ट/अनुपूरक के अनुसार बैंक ऋण में वित्तीय वर्ष 2021-22 में वर्षानुवर्ष 9.6% प्रतिशत के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2022-23 में वर्षानुवर्ष 15% की वृद्धि हुई है। एससीबी ऋण वृद्धि, वित्त वर्ष 2011-12 के बाद सर्वाधिक है, जब यह 19.3% थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में वर्ष-दर वर्ष आधार पर बैंक जमाराशि में 9.58% की वृद्धि हुई, जबकि विगत वित्त वर्ष 2021-22 में इसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 8.9 % की वृद्धि हुई थी।

एससीबी ने वित्त वर्ष 2022-23 में जमाराशि के माध्यम से ₹ 15.78 ट्रिलियन संग्रहित किए, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में ₹ 13.51 ट्रिलियन संग्रहित किए गए थे। वित्त वर्ष 2022-23 में ऋण निरपेक्ष रूप से बढ़कर ₹17.83 ट्रिलियन हो गया, जो वित्त वर्ष 2021-22 में ₹10.43 ट्रिलियन था।

वैश्विक मंदी के कारण वित्त वर्ष 2023-24 में क्रेडिट वृद्धि के मध्यम रहने का अनुमान है।

स्त्रोत : www.rbi.org.in, https://www.imf.org

कार्यचालन परिणाम:

बैंक के वित्तीय कार्य- निष्पादन के उल्लेखनीय तथ्य नीचे दिए गए हैं:

- बैंक का कुल कारोबार 10.50% बढ़कर 31.03.2023 को ₹190647.22 करोड़ हो गया, जो 31.03.2022 को ₹ 172524.10 करोड़ था।
- कासा जमाराशि में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 6.67% की वृद्धि हुई और 31.03.2023 को यह ₹ 36833.11 करोड़ रही, जबकि 31.03.2022 को यह ₹ 34528.42 करोड़ थी।
- बैंक की कुल जमाराशि 31.03.2023 को ₹109665.49 करोड़ रही, जबिक 31.03.2022 को यह ₹102137.01 करोड़ थी। बैंक जमाराशि की औसत लागत, विगत वर्ष (वित्त वर्ष 2021-22) में 4.28% की तुलना में 4.53% (वित्त वर्ष 2022-23) रही।
- बैंक अग्रिम 15.05% बढ़कर 31.03.2023 को ₹80981.73 करोड़ हो गया जो 31.03.2022 को ₹70387.09 करोड़ था। अग्रिमों पर औसत प्रतिफल विगत वर्ष (वित्त वर्ष 2021-22) के दौरान 7.20% की तुलना में 7.67% (वित्त वर्ष 2022-23) रहा।
- कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम 31.03.2022 को ₹31178 करोड़ (एएनबीसी का 50.20%) था जो 5.18% की वृद्धि के साथ 31.03.2023 को ₹32795 करोड़ (एएनबीसी का 54.99%) हो गया।
- बैंक का खुदरा ऋण पोर्टफोलियो 31.03.2023 को बढ़कर ₹16437 करोड़ हो गया और पिछले वर्ष (₹11737 करोड़) की तुलना में इसमें 40.04% की वृद्धि दुर्ज की गई।
- 31.03.2023 को सकल अग्रिमों (₹81545.64 करोड़) में खुदरा ऋण (₹16437 करोड़) का प्रतिशत 20.15 रहा, जो 31.03.2022 को 16.68% था।
- У एमएसएमई ऋण, 31.03.2022 को ₹13021 करोड़ से 14.10% बढ़कर 31.03.2023 को ₹ 14857 करोड़ हो गया। दिनांक 31.03.2023 को कुल अग्रिमों में एमएसएमई ऋण का हिस्सा 18.35% रहा।

वित्तीय मापदंड:

- परिचालन लाभ 31.03.2023 को ₹1449.94 करोड़ रहा, जो 31.03.2022 को ₹1330.09 करोड़ था।
- दिनांक 31.03.2022 को ₹1039.05 करोड़ के शुद्ध लाभ की तुलना में दिनांक 31.03.2023 को निवल लाभ ₹1313.03 करोड़ रहा।
- 🕨 आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) 0.85% (वित्तीय वर्ष 2021-22) की तुलना में 0.98% (वित्तीय वर्ष 2022-23) रहा।
- 🗲 दिनांक 31.03.2022 के निवल मालियत ₹5051.90 करोड़ की तुलना में दिनांक 31.03.2023 को निवल मालियत ₹6785.94 करोड़ रही।
- 11.50% के न्यूनतम निर्धारित आवश्यकता के विरुद्ध बैंक की पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल-III)**, दिनांक** 31.03.2023 को 17.10% रही।
- बैंक का सकल एनपीए 31.03.2023 को ₹5648.21 करोड़ (6.97%) रहा, जबिक 31.03.2022 को यह ₹8564.82 करोड़ (12.17%) था।
- बैंक का निवल एनपीए 31.03.2023 को ₹1411.50 करोड़ रहा, जबिक 31.03.2022 को यह ₹1742.27 करोड़ था।
- 🕨 निवल एनपीए प्रतिशत सुधरकर 31.03.2023 को 1.84% हो गया, जो 31.03.2022 को 2.74% था।

वर्ष 2022-23 के लिए बैंक के वित्तीय कार्य-निष्पादन का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है -

(राशि करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2022-23
शुद्ध ब्याज आय	2973.38
गैर-ब्याज आय	939.96
परिचालन व्यय	2463.40
परिचालन लाभ	1449.94
प्रावधान /आकस्मिकताएं	136.91
शुद्ध लाभ	1313.03
प्रति शेयर आय (₹)	1.94
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	10.01

वर्ष 2022-23 के लिए प्रमुख वित्तीय अनुपात इस प्रकार हैं:

(प्रतिशत - %)

विवरण	वित्त वर्ष 2022-23
अग्रिम पर प्रतिफल	7.67
निवेश पर प्रतिफल	6.63
जमाराशि पर लागत	4.53
निवल ब्याज मार्जिन	2.91
आय अनुपात पर लागत	62.95

पूँजी और आरक्षित निधियां:

दिनांक 31.03.2022 को ₹5051.90 करोड़ की तुलना में दिनांक 31.03.2023 को बैंक की निवल मालियत ₹6785.94 करोड़ रही।

पूंजी पर्याप्तता:

- 🕨 बेसल-III संरचना के अनुसार, बैंक की पूंजी पर्याप्तता अनुपात 17.10% है जोकि 11.50% के नियामक आवश्यकता से अधिक है।
- पूँजी पर्याप्तता का विवरण (बेसल-III) इस प्रकार है:

(राशि करोड़ में)

विवरण		बेसल –	बेसल – III		
199(9)	31.03.	2022	31.03.	2023	
सीईटी 1 सीआरएआर	6307	12.77%	7990	14.32%	
एटी 1 सीआरएआर	1000	2.03%			
टियर-I पूँजी	7307	14.80%	7990	14.32%	
टियर-II पूँजी	1849	3.74%	1553	2.78%	
कुल पूँजी	9156	18.54%	9543	17.10%	
जोखिम भारित आस्तियाँ	49381	-	55815		

व्यावसायिक पहल:

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने ग्राहकों की सुविधा को बढ़ाने और अपनी प्रतिस्पर्धात्मक अग्रेता के लिए विभिन्न पहल किए हैं। उनमें से कुछ प्रमुख पहल इस प्रकार हैं :

- बैंक ने क्रेडिट कार्ड व्यवसाय आरंभ करने के लिए पीएसबी एसबीआई को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का प्रवर्तन किया है।
- बजाज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का जीवन बीमा व्यवसाय हेतु नए व्यवसाय भागीदार के रूप में चयन किया गया है।
- स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का एकल स्वास्थ्य बीमा भागीदार के रूप में चयन किया गया है।
- बचत बैंक ब्याज-दर और बैंक के सेवा प्रभार का औचित्य-स्थापन।
- बैंक, एकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम में शामिल हुआ है।
- विशिष्ट मिड-कॉर्पोरेट शाखाओं की शुरुआत।
- मिड-कॉरपोरेट और कॉर्पोरेट व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मुंबई में नया क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय बनाया गया।
- पूरे भारत में 28 नई शाखाएं खोलकर बैंक के शाखा नेटवर्क का विस्तार किया गया।
- समस्त तीन ग्रिडों के लिए नया सीटीएस सॉल्यूशन लागू किया गया।
- एलओएस सहित एकीकृत संपर्क केंद्र।
- समवर्ती लेखापरीक्षा पोर्टल को कार्यान्वित किया गया।
- अनुपालन जोखिम मैट्रिक्स पोर्टल का कार्यान्वयन।
- केसीसी आर्थिक सहायता योजना के लिए वित्त मंत्रालय के साथ केसीसी खातों का एपीआई एकीकरण।

ग्राहकों को सेवाओं की संपूर्ण श्रृंखला प्रदान करने के लिए बैंक ने वर्ष के दौरान अपने मौजूदा संग्रह में निम्नलिखित उत्पादों और सेवाओं को शामिल किया है:

- नगर निगम, चंडीगढ़ के कर्मचारियों के लिए विशेष जमा उत्पाद (पीएसबी एमसीसी आई-शील्ड सैलेरी उत्पाद) प्रारंभ किया गया।
- ऑनलाइन माध्यम से बचत और साविध जमा खाता खोलने की शुरुआत की गई।
- डिजिलॉकर के माध्यम से टीडीएस प्रमाणपत्न, जमाराशि के लिए ब्याज प्रमाण-पत्न, ऋण के लिए ब्याज प्रमाण-पत्न और खाते का संक्षिप्त विवरण
 प्राप्त करने की अतिरिक्त सुविधा।
- सीबीएस के माध्यम से एटीएम कार्ड ग्रीन-पिन बनाने की शुरुआत।
- सीबीएस में मोबाइल नंबर बदलने/हटाने के लिए एसएमएस अलर्ट की शुरुआत की गई।
- पीएसबी यूनिक एप में अब निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं:
 - ✓ पीएसबी यूनिक एप के माध्यम से तत्काल ऑनलाइन बचत खाता खोलें।
 - पूर्व-अनुमोदित व्यक्तिगत ऋण के लिए आवेदन करें।
 - 🗸 पीएसबी यूनिक पर डिजि ऋण आवास, वाहन, व्यैक्तिक, केसीसी, मुद्रा इत्यादि के लिए आवेदन करें।
 - 🗸 पीएसबी यूनिक पर वित्तीय समावेशन और जन-धन खातों के लिए पंजीकरण।

- सावधि जमा/आवर्ती जमा पर अतिरिक्त ब्याज दुर का लाभ उठाने के लिए पीएसबी यूनिक के माध्यम से डिजी सावधि जमा और डिजी आवर्ती जमा खाता खोलें।
- पीएसबी यूनिक पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) सक्रिय है।
- पीएसबी यूनिक अब 12 भाषाओं में उपलब्ध है।
- ग्राहक के डिवाइस में सभेद्यता को स्कैन करने के लिए पीएसबी यनिक एप को एक अतिरिक्त सरक्षा सविधा के साथ सक्षम किया गया है।

पुरस्कार और उपलब्धियां:

बैंक को निम्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं:

- 🕨 वित्त वर्ष 2022-23 की द्वितीय तिमाही के लिए ईज़ सुधार सूचकांक 5.0 में शीर्ष सुधारक/कार्य-निष्पादक बैंक।
- िदिनांक 30.09.2022 तक ईज़ के अंतर्गत थीम 4 यथा सहयोगात्मक और विकास केंद्रित बैंकिंग में तीसरा शीर्ष कार्य-निष्पादन वाला बैंक।
- राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए दिल्ली बैंक नराकास से राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता में पुरस्कार।
- प्रधान कार्यालय की ई-पत्रिका 'राजदीप' को दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति से हिंदी ई-पत्रिका श्रेणी में तृतीय पुरस्कार।

निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन:

निदेशक इस बात की पृष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय :

- a) तथ्यात्मक विसंगतियां, यदि कोई हो, से संबंधित समुचित स्पष्टीकरण सहित प्रयोज्य लेखा मानकों का पूर्णतः अनुपालन किया गया है।
- b) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की गई लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक मामलों तथा 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ-हानि की स्थिति को वास्तविक और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए तर्कसंगत व विवेकपूर्ण निर्णय और आकलन किए गए थे।
- c) बैंक आस्तियों की सुरक्षा तथा विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं से बचाव और उनका पता लगाने के लिए भारत में बैंकों को शासित करने वाले प्रयोज्य विधि के प्रावधानों के अनुसरण में लेखा-अभिलेखों के रखरखाव में समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है।
- d) वार्षिक लेखा को लाभकारी कारबार वाली संस्था के आधार पर तैयार किया गया है।
- e) बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली आंतरिक वित्तीय नियंलण प्रणाली निर्धारित की गई थी और इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंलण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।
- समस्त प्रयोज्य विधि के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उचित प्रणालियां तैयार की गई हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी रूप से परिचालित हो रहीं थी।



R S KATHURIA & Co.

Company Secretaries FCS, LL.B, Insolvency Professional



A-215/55 & 67, Chawala Complex, Shakarpur, Delhi- 110092 *Tel:*- 98-10544091 *E-mail:* rsk04069@rediffmail.com

<u>फॉर्म संख्या एमआर – 3</u> सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

[भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 24ए के अनुसरण में] 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

सदस्य पंजाब एण्ड सिंध बैंक 21, राजेंद्र प्लेस नई दिल्ली -110 008

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (इसमें एतद्पश्चात 'बैंक' कहा जाएगा) द्वारा उचित कॉरपोरेट व्यवहार की सचिवीय लेखा-परीक्षा संचालित की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार से की गई है कि हमें कॉरपोरेट परिचालन/ सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन तथा उसके संबंध में अपने मत को प्रकट करने का पर्याप्त आधार प्राप्त हुआ है।

सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान बही, दस्तावेज, कार्यवृत्त बही, सांविधिक रजिस्टर, फॉर्म एवं दायर विवरणियों तथा बैंक द्वारा अनुरक्षित अन्य दस्तावेजों के सत्यापन एवं बैंक, उसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर भी, हम एतदद्वारा सूचित करते हैं कि हमारे अभिमत में बैंक ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष की लेखा-परीक्षा अविध के दौरान, निम्नलिखित सूचीबद्ध विधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा यह भी कि हमारे मत में बैंक के पास उचित बोर्ड प्रक्रिया तथा अनुपालन व्यवस्था भी स्थापित है और उक्त प्रक्रिया तथा व्यवस्था उस सीमा तक उस प्रकार की है जैसा कि इसके बाद रिपोर्टिंग में प्रतिपादित किया गया है:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बैंक द्वारा अनुरक्षित बही, दस्तावेज, कार्यवृत्त बुक, फॉर्म एवं दायर विवरणी तथा अन्य अभिलेखों की जांच की हैः

- (i) प्रतिभृति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम
- (ii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम व उप-विधि
- (iii) भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, भारत से बाहर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी वाणिज्यिक ऋण के संबंध में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अंतर्गत बने तत्संबंधी नियम एवं विनियम;

- भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम तथा दिशानिर्देश : (iv)
 - भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर) (a)
 - भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (पृंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2018; (b)
 - भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011; (c)
 - भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभृतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) विनियम 2018; समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान (d) बैंक पर लागू नहीं।
 - भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे और स्वेट इक्विटी) विनियम,2021; **समीक्षाधीन वित्त** (e) वर्ष के दौरान बैंक पर लागू नहीं।
 - भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (अपरिवर्तनीय प्रतिभृतियों का निर्गमन और सूचीबद्धता) विनियम, 2021; (f)
 - भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार निषेध) विनियम 2015; (g)
 - निम्नलिखित अधिनियम, योजना, विनियम जो लागू हों और अन्य कानून जो विशेष रूप से बैंक के लिए हैं जैसे-(v)
 - बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1980 (a)
 - राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना 1980 (b)
 - पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2008 (c)

हमारी रिपोर्ट को नीचे उल्लिखित नोटिंग के साथ पढ़ा जाना है –

- सचिवीय अभिलेखों के अनुरक्षण का दायित्व बैंक प्रबंधन का है। हमारा दायित्व, अपने लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों 1) पर मत अभिव्यक्त करना है।
- 2) हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवीय अभिलेखों के अंतर्वस्तु की यथार्थता के विषय में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्यों के परिलक्षण को सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया है, हम मानते हैं कि जिन प्रक्रियाओं तथा पद्धतियों का हमने अनुसरण किया है, वे हमारे अभिमत के लिए एक तर्कसंगत आधार प्रदान करते हैं।
- 3) हमने बैंक के वित्तीय अभिलेख तथा लेखा बहियों की यथार्थता तथा उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

- 4) जहाँ भी आवश्यकता हो, हमने विधि, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं आदि के विषय में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
- 5) कॉरपोरेट तथा अन्य लागू विधि, नियमों व विनियमों, मानकों के प्रावधानों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है। हमारी परीक्षा, परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
- 6) हमने विशेष रूप से बैंक पर लागू विभिन्न राज्य विधि के अंतर्गत अनुपालन का सत्यापन नहीं किया है।
- 7) सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट बैंक के भविष्य में न तो बैंक की व्यवहार्यता और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के लिए आश्वासन है जिससे प्रबंधन, बैंक संबंधी व्यवसाय करता है।

समीक्षा के अंतर्गत अविध के दौरान, बैंक ने उपरोक्त निर्दिष्ट अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन किया है। हम रिपोर्ट करते हैं:

- 1) निम्नांकित पर्यावलोकन के अधीन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर) के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों तथा स्वतंत्र निदेशकों के साथ किया गया है:
 - 1 अप्रैल, 2022 से 6 नवम्बर, 2022 तक की अवधि हेतु गैर-कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई थी।

तथापि, भारत सरकार ने 7 नवम्बर, 2022 को दो वर्ष की अवधि हेतु डॉ. चरन सिंह को गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

बैंक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण अनुसार, गैर-कार्यकारी अध्यक्ष सहित निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी तथा बैंक ने सेबी (एलओडीआर) के प्रावधानों के अनुपालन के लिए पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार से लगातार संपर्क किया है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन, अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

- समस्त निदेशकों को बोर्ड बैठक के लिए यथोचित सूचना दी जाती है और तदनुसार, कार्यसूची तथा कार्यसूची के संबंध में विस्तृत जानकारी 2) निदेशकों को भेजे गए थे तथा बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों के संबंध में अधिक जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी हेतु प्रणाली विद्यमान है।
- बहमत से लिये गये निर्णयों को स्वीकार किया जाता है तथा असहमत सदस्यों के विचार, यदि हो, को कार्यवृत्त के भाग के रूप में रखा और 3) रिकार्ड किया जाता है।
- प्रयोज्य विधि, नियमों, विनियमों, तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा उसकी निगरानी हेतु बैंक के आकार तथा परिचालन 4) के अनुरूप बैंक में उचित प्रणाली तथा प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक ने विभिन्न अधिनियमों, नियमों व विनियमों, दिशानिर्देशों तथा मानकों की अपेक्षाओं का सामान्य तौर पर अनुपालन किया है जो बैंक पर लागू होते हैं।

> कृते आर एस कथूरिया एण्ड कंपनी कंपनी सचिव

: नई दिल्ली स्थान

दिनांक : 28 अप्रैल, 2023

आर एस कथूरिया

प्रोपराइटर

एफसीएस 5217; सीपी संख्या: 3112

यूडीआईएन: F005217E000217704



कंपनी अभिशासन पर रिपोर्ट (2022-23)

अभिशासन संहिता पर बैंक – दर्शन

बैंक, सभी स्तरों पर कार्य-निष्पादन तथा उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित करके अपने शेयरधारकों की हितों की सुरक्षा द्वारा उनके मूल्यों में अभिवृद्धि के लिए अपना सतत प्रयास जारी रखेगा। बैंक न केवल सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा अपितु स्वेच्छापूर्वक सुदृढ़ कंपनी अभिशासन पद्धतियों के समूह का गठन और उनका पालन भी करेगा। बैंक, अपने समस्त गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए नैतिक मूल्यों, पारदर्शिता तथा अनुशासित दृष्टिकोण के उच्च मानकों को स्थापित करने में विश्वास रखता है। बैंक सर्वोत्तम कार्यशैली के अनुसरण हेतु प्रतिबद्ध है। बैंक अपने सभी हितधारकों जिसमें शेयरधारक, ग्राहक, सरकार तथा व्यापक तौर पर समाज भी शामिल हैं, को अधिकतम लाभ पहुचाने हेतु कड़ा उद्यम करेगा।

बैंक एक सूचीबद्ध निकाय है जो एक कंपनी नहीं अपितु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत निगमित निकाय है तथा जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित होता है। बैंक, यथासंशोधित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार शेयर बाज़ारों के साथ किए गए सूचीयन करार के प्रावधानों, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों तथा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगा।

2) निदेशक-मंडल

2.1. बोर्ड का संघटन

निदेशक मंडल का गठन, बैंककारी विनियम अधिनियम 1949, यथा संशोधित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 तथा यथा संशोधित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध व विविध प्रावधान) योजना 1980 के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।

मार्च 31, 2023 की स्थिति के अनुसार बैंक के निदेशक-मंडल की संरचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	नाम	दिनांक 31.03.2023 को धारित बैंक के सामान्य शेयरों/ परिवर्तनीय लिखतों की संख्या	बैंक की उप समिति में सदस्यता की संख्या	टिप्पणी (बैंक में नियुक्ति की प्रकृति)	बैंक बोर्ड की उप-समिति की सदस्यता/अध्यक्षता
1.	डॉ. चरन सिंह गैर कार्यकारी अध्यक्ष	शून्य	8	A	 वृहत मूल्य के धोखाधड़ी की निगरानी के लिए सिमिति ग्राहक सेवा सिमिति हितधारक संबंध सिमिति आईटी कार्यनीति सिमिति

					5. एचआर समिति
					6. वसूली की निगरानी के लिए समिति
					7. इरादतन चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति
					8. कार्य-प्रदर्शन मूल्यांकन हेतु बोर्ड समिति (एमडी
					एण्ड सीईओ,ईडी तथा जीएम के लिए)
2.	श्री स्वरूप कुमार साहा	शून्य	10	В	1. प्रबंधन समिति
	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य				2. वृहत मूल्य के धोखाधड़ी की निगरानी के लिए
	कार्यकारी अधिकारी				समिति
					3. बोर्ड की सतर्कता समिति
					4. जोखिम प्रबंधन समिति
					5. ग्राहक सेवा समिति
					6. आईटी कार्यनीति समिति
					7. एचआर समिति
					8. वसूली की निगरानी के लिए समिति
					9. इरादतन चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति
					10. असहयोगी उधारकर्ता के लिए समीक्षा समिति
3.	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र	शून्य	9	С	1. प्रबंधन समिति
J.	कार्यकारी निदेशक	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			2. वृहत मूल्य के धोखाधड़ी की निगरानी के लिए
	नगनगरा । । जुरानग				समिति
					3. बोर्ड की सतर्कता समिति
					4. जोखिम प्रबंधन समिति
					'
					5. ग्राहक सेवा समिति6. आईटी कार्यनीति समिति
					7. एचआर समिति
					8. वसूली की निगरानी के लिए सिमिति
<u> </u>				F.	9. हितधारक संबंध समिति
4.	डॉ. रामजस यादव	शून्य	8	D	1. प्रबंधन समिति
	कार्यकारी निदेशक				2. वृहत मूल्य के धोखाधड़ी की निगरानी के लिए
					समिति
					3. बोर्ड की सतर्कता समिति
					4. ग्राहक सेवा समिति
					5. हितधारक संबंध समिति
					6. आईटी कार्यनीति समिति
					7. एचआर समिति
					8. वसूली की निगरानी के लिए समिति

5.	सुश्री एम.जी. जयश्री	शून्य	7	Е	1. बोर्ड की सतर्कता समिति
	निदेशक –एमओएफ	, <u>,</u>	_		2. ग्राहक सेवा समिति
	नामित				3. एचआर समिति
					4. वसूली की निगरानी के लिए समिति
					्र 5. इरादतन चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति
					6. कार्य-प्रदर्शन मूल्यांकन हेतु बोर्ड समिति (एमडी
					एण्ड सीईओ, ईडी तथा जीएम के लिए)
					7. अपील और समीक्षा के प्रकरणों से निपटने के
					लिए समिति
6.	श्री कमल प्रसाद पटनायक	शून्य	3	F	1. प्रबंधन समिति
	निदेशक – आरबीआई				2. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति
	नामित				3. बोर्ड की सतर्कता समिति
7.	श्री तीरथ राज मेन्दीरत्ता	100	8	G	1. प्रबंधन समिति
	गैर-सरकारी निदेशक				2. जोखिम प्रबंधन समिति
	(शेयरधारक निदेशक)				3. हितधारक संबंध समिति
					4. आईटी कार्यनीति समिति
					5. एचआर समिति
					6. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
					7. असहयोगी उधारकर्ता के लिए समीक्षा समिति
					8. कार्य-प्रदर्शन मूल्यांकन हेतु बोर्ड समिति (एमडी
					एण्ड सीईओ, ईडी तथा जीएम के लिए)
8.	श्री शंकर लाल अग्रवाल	शून्य	8	Н	1. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति
	गैर-सरकारी निदेशक				2. वृहत मूल्य के धोखाधड़ी की निगरानी के लिए
					समिति
					3. जोखिम प्रबंधन समिति
					4. इरादतन चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति
					5. अपील और समीक्षा के प्रकरणों से निपटने के
					लिए समिति
					6. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
					7. असहयोगी उधारकर्ता के लिए समीक्षा समिति
					8. हितधारक संबंध समिति
9.	सुश्री रश्मि खेत्रपाल	शून्य	7	I	1. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति
	गैर-सरकारी निदेशक				2. वृहत मूल्य के धोखाधड़ी की निगरानी के लिए
					समिति
					3. जोखिम प्रबंधन समिति

		4.	आईटी कार्यनीति समिति
		5.	इरादतन चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति
		6.	अपील और समीक्षा के प्रकरणों से निपटने के
			लिए समिति
		7.	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

- बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (एच) के अंतर्गत वित्त मंलालय, भारत सरकार की पत्र सं. 6/9/2022-बीओ. दिनांकित 07.11.2022 के निबंधन अनुसार कार्यालय में अधिसूचना की तिथि अर्थात् 07.11.2022 से लेकर दो वर्ष या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के साथ-साथ गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
- बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) के अंतर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार В. के पत सं. 4/4/2021-बीओ. दिनांकित 03.06.2022 के निबंधन अनुसार कार्यालय में कार्य-ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अविध या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।
- बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) के अंतर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार C. के पत्न सं. एफ. नं. 4/3/2020-बीओ-I दिनांकित 10 मार्च, 2021 के निबंधन अनुसार कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी अधिवर्षिता (अर्थात् 30 जून, 2023) या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) के अंतर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार D. के पत्र सं. ईएफ. नं. 4/2/2021-बीओ-I दिनांकित 21 अक्टूबर, 2021 के निबंधन अनुसार दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 से उनकी अधिवर्षिता (अर्थात् 30 अप्रैल, 2024) या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- E. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (बी) के अंतर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्न सं. एफ.नं. 6/2/22-बीओ-I दिनांकित 11 अप्रैल, 2022 के निबंधन अनुसार तुरंत प्रभाव से एवं आगामी आदेशों तक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- F. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (सी) के अंतर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्न सं. एफ.नं. 6/3/2011-बीओ-I दिनांकित 13 अप्रैल, 2021 के निबंधन अनुसार तुरंत प्रभाव से एवं आगामी आदेशों तक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (आई) के अंतर्गत 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए 11 मई, 2024 तक शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया है। उनकी नियुक्ति 2020 में आयोजित शेयरधारक-निदेशकों की चुनाव प्रक्रिया को वापस लेने के बैंक के निर्णय को चुनौती देने वाली रिट याचिका में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन है (आदेश दिनांकित 19/04/2021 के माध्यम से)।

- H. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) तथा उपधारा 3-ए के खंड (एच) के अंतर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. एफ.नं. 6/6/2021-बीओ-I दिनांकित 21 दिसंबर, 2021 के निबंधन अनुसार अधिसूचना की तिथि से 3 (तीन) वर्षों की अविध के लिए या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- I. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) तथा उपधारा 3-ए के खंड (एच) के अंतर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. एफ. नं. 6/6/2021-बीओ-I दिनांकित 21 मार्च, 2022 की शर्तों के अनुसार अधिसूचना की तिथि से 3 (तीन) वर्षों की अविध के लिए या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

2.2. वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति/ समाप्ति :

वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक के निदेशक-मंडल की संरचना में निम्न परिवर्तन हुए हैं:

(A) नियुक्ति:

- डॉ. चरन सिंह को अधिसूचना की तिथि अर्थात् दिनांक 07.11.2022 से दो वर्ष की अविध के लिए या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो,
 अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री स्वरूप कुमार साहा को कार्यालय में कार्यग्रहण तिथि से तीन वर्ष की अविध के लिए या आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।
- सुश्री एम जी जयश्री को तुरंत प्रभाव से तथा आगामी आदेशों तक निदेशक के रूप नियुक्त किया गया है।

(B) समाप्ति:

- श्री एस. कृष्णन, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिनांक 31.05.2022 तक बैंक बोर्ड में थे।
- श्री एस.आर मेहर, एमओएफ नामित निदेशक, दिनांक 10.04.2022 तक बैंक बोर्ड में थे।

2.3. अन्य सूचीबद्ध इकाइयों की सिमति/ बोर्ड में निदेशकों की सदस्यता/अध्यक्षता का विवरण

क्र. सं.	पीएसबी में निदेशक का नाम	अन्य सूचीबद्ध इकाई का नाम जिनमें निदेशक, बोर्ड का सदस्य है	अन्य सूचीबद्ध इकाई मे नाम जहाँ निदेशक अ		अन्य सूचीबद्ध इकाई में निदेशक पद की श्रेणी
1.	डॉ. चरन सिंह गैर कार्यकारी अध्यक्ष	कोई नहीं	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
2	श्री स्वरूप कुमार साहा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	कोई नहीं	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य

3	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र कार्यकारी निदेशक	कोई नहीं	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
4	डॉ. रामजस यादव कार्यकारी निदेशक	कोई नहीं	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
5	सुश्री एम. जी. जयश्री निदेशक –एमओएफ नामित	कोई नहीं	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
6	श्री कमल प्रसाद पटनायक निदेशक – आरबीआई नामित	कोई नहीं	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
7	श्री तीरथ राज मेन्दीरत्ता गैर-सरकारी निदेशक (शेयरधारक निदेशक)	कोई नहीं	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
8	श्री शंकर लाल अग्रवाल गैर-सरकारी निदेशक	कोई नहीं	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
9	सुश्री रश्मि खेत्रपाल गैर-सरकारी निदेशक	कोई नहीं	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य

2.4. वर्ष 2022-23 के दौरान नियुक्त निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

डॉ. चरन सिंह -गैर कार्यकारी अध्यक्ष

डॉ. चरण सिंह ने इससे पूर्व मई, 2018 से मई, 2021 तक पंजाब एण्ड सिंध बैंक के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। इससे पहले, वह भारतीय प्रबंधन संस्थान बैंगलोर, भारत में अर्थशास्त्र के आरबीआई चेयर प्रोफेसर थे जहाँ उन्होंने अन्य विषयों के साथ, तुलनात्मक मौद्रिक नीति और नीतिगत मुद्दों का अध्यापन कार्य किया।

इन्होंने अगस्त, 2009 से नवंबर, 2012 तक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वाशिंगटन डीसी के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय में वरिष्ठ अर्थशास्त्री के रूप में कार्य किया। वे भारतीय रिजर्व बैंक (1997-2009) में (विभाग: आर्थिक नीति, ऋण प्रबंधन) अनुसंधान निदेशक थे। इन्होंने आरबीआई में 1984 से 2009 तक विभिन्न क्षमताओं तथा विभिन्न विभागों में कार्य किया। इन्होंने, वर्ष 1983 में पंजाब नैशनल बैंक में प्रबंधन प्रशिक्षार्थी के रूप में अपना करियर शुरू किया था।

डॉ. सिंह ने न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। वे अर्थशास्त्र विभाग, हार्वर्ड विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड सेंटर फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, स्टैनफोर्ड युनिवर्सिटी में एक वर्ष से अधिक समय तक विजिटिंग स्कॉलर रहे। वे नैशनल हाउसिंग बैंक, दिल्ली के बोर्ड में पूर्व निदेशक और नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, बैंगलोर में पूर्व निदेशक हैं। मानद अध्येता, स्कॉच डेवलपमेंट फाउंडेशन; और आवास क्षेत्र के मुद्दों पर अनीपचारिक सलाहकार समूह के सदस्य, आईएमएफ, वाशिंगटन डीसी रहे।



डॉ. सिंह ने विभिन्न पितकाओं मुख्य रूप से वित्तीय क्षेत्र, बैंकिंग और राजकोषीय नीति से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों को व्यापक रूप से प्रकाशित किया। उन्होंने भारत में ऋण प्रबंधन (कैम्ब्रिज) पर एक पुस्तक भी लिखी है और सार्वजनिक ऋण प्रबंधन (स्प्रिंगर) पर एक अन्य का संपादन किया है। वे वर्तमान में भारतीय बैंकों के इतिहास का दुस्तावेजीकरण करने वाली एक पुस्तक पर काम कर रहे हैं जो एक सदी से भी अधिक समय से संचालित है।

श्री स्वरूप कुमार साहा - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री स्वरूप कुमार साहा ने 3 जून, 2022 को पंजाब एण्ड सिंध बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। पंजाब एण्ड सिंध बैंक के एमडी एण्ड सीईओ से पूर्व आप 10 मार्च, 2021 से पंजाब नैशनल बैंक में कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत थे।

श्री साहा कोलकाता विश्विद्यालय से विज्ञान में स्नातक हैं, अपने कैरियर के आरंभ वर्ष 1990 में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में पूर्ववर्ती ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में िकया। ये इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स (सीएआईआईबी) के प्रमाणित संबद्ध सदस्य है। इन्हें भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान से ट्रेजरी (आईआईबीएफ), निवेश और जोखिम प्रबंधन (डीटीआईआरएम) में डिप्लोमा तथा सीआईएसआई, लंदन के सहयोग से आईआईबीएफ द्वारा वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रमाणपत्न भी प्राप्त है।

अपने कैरियर के तीन दशकों में इन्हें मानव संसाधन विकास, ट्रेजरी, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, ऋण, जोखिम प्रबंधन, संगठन पुनर्संरचना और बोर्ड मामलों का व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता प्राप्त है।

पंजाब नैशनल बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य करते हुए इन्होंने ट्रेजरी और अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय, वसूली, खुदरा, कृषि और एमएसएमई (रैम) क्रेडिट, डिजिटल बैंकिंग, फिनटेक और डिजिटल सहभागिता, शुल्क आय और समूह व्यवसाय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्री साहा ने पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड और पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड के बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है।

श्री साहा, आईआईएम, बैंगलोर के माध्यम से 2019 में आयोजित बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) के फ्लेगशिप लीडरशिप डेवेलपमेंट कार्यक्रम के प्रतिभागीयों में शामिल थे। इन्होंने सीएएफआरएएल/स्टर्न बिज़नेस स्कूल, न्यूयॉर्क द्वारा आयोजित उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम तथा एनआईबीएम/ केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, यूएसए द्वारा आयोजित नेतृत्व विकास कार्यक्रम में भी भाग लिया है।

सुश्री एमजी जयश्री-एमओएफ नामित निदेशक

सुश्री एम जी जयश्री, एमओएफ नामित निदेशक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग की उप महानिदेशक हैं। इन्होंने एम. एससी, लोक प्रशासन एवं गवर्नेंस, एम.एससी सांख्यिकी, एम जी विश्वविद्यालय, केरल से पूर्ण की है। इन्हें भारत सरकार में कार्य करने का 23 वर्षों का अनुभव प्राप्त है और वे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में निदेशक भी हैं।

2.5. बोर्ड बैठकें

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खंड 12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम 6 बैठकों के विरुद्ध निम्न तिथियों पर कुल 20 बोर्ड बैठकें आयोजित की गई :

09.05.2022	19.05.2022	30.05.2022	24.06.2022	18.07.2022
01.08.2022	10.08.2022	24.08.2022	05.09.2022	27.09.2022
20.10.2022	05.11.2022	21.11.2022	03.12.2022	30.12.2022
21.01.2023	10.02.2023	04.03.2023	23.03.2023	31.03.2023

निदेशकों के संबंधित कार्यकाल में आयोजित उपर्युक्त बोर्ड बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की	दिनांक 12.07.2022 को आयोजित एजीएम में उपस्थिति
1	डॉ. चरन सिंह- अध्यक्ष (गैर-कार्यकारी)	07.11.2022 से 31.03.2023	8	8	अप्रयोज्य
2	श्री स्वरूप कुमार साहा – एमडी एवं सीईओ	03.06.2022 से 31.03.2023	17	17	उपस्थित
3	श्री एस.कृष्णन – पूर्व एमडी एवं सीईओ	01.04.2022 से 31.05.2022	03	03	अप्रयोज्य
4	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र - कार्यकारी निदेशक	01.04.2022 से 31.03.2023	20	20	उपस्थित
5	डॉ. रामजस यादव – कार्यकारी निदेशक	01.04.2022 से 31.03.2023	20	20	उपस्थित
6	सुश्री एम. जी. जयश्री – एमओएफ नामित निदेशक	11.04.2022 से 31.03.2023	20	19	अनुपस्थित
7	श्री कमल प्रसाद पटनायक – आरबीआई नामित निदेशक	01.04.2022 से 31.03.2023	20	17	अनुपस्थित
8	श्री शंकर लाल अग्रवाल – गैर-सरकारी निदेशक	01.04.2022 से 31.03.2023	20	20	उपस्थित
9	सुश्री रश्मि खेत्रपाल - गैर-सरकारी निदेशक	01.04.2022 से 31.03.2023	20	19	अनुपस्थित
10	श्री टी. आर. मेन्दीरत्ता – शेयरधारक निदेशक	01.04.2022 से 31.03.2023	20	20	उपस्थित

आचार संहिता 2.6.

शेयर बाजार के साथ सेबी (सूचीबद्धता बाध्ताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 17 (5) के अनुपालन में निदेशक मंडल तथा मुख्य प्रबंधन कार्मिकों अर्थात् निदेशकों व समस्त महाप्रबंधकों को समाविष्ट करते हुए निदेशक से एक श्रेणी नीचे के लिए आचार संहिता को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त आचार संहिता बैंक की बेबसाइट https://www.punjabandsindbank.co.in/ पर प्रदर्शित है। निदेशक मंडल के समस्त सदस्यों तथा महाप्रबंधकों ने आचार संहिता के प्रति सहमति व्यक्त की है।

साधारण सभा बैठक 3)

a) विगत तीन वर्षों के दौरान आयोजित साधारण सभा बैठक का विवरण नीचे दिया गया है:

स्वरूप	दिन व तिथि	समय	स्थान	उद्देश्य
दसवीं सामान्य बैठक	मंगलवार, 11 अगस्त, 2020	प्रातः 10.00 बजे	बैंक हाउस, 21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 (वीडियो काँफ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित)	 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक तुलन पत्न तथा लाभ व हानि खाते पर विचार-विमर्श, अनुमोदन और अंगीकार करना। बैंक के शेयरधारकों (केंद्र सरकार के अलावा) में से दो निदेशकों का चुनाव करना।
ग्यारहवीं सामान्य बैठक	मंगलवार, 20 जुलाई, 2021	प्रातः 11.00 बजे	बैंक हाउस, 21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 (वीडियो काँफ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित)	- 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक तुलन पत तथा लाभ व हानि खाते पर विचार-विमर्श, अनुमोदन और अंगीकार करना। - चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक के शेयर प्रीमियम खाते से 31 मार्च, 2021 को ₹ 3577,54,66,746.23 की संचित हानियों को विनियोजित करने के लिए विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदन।
बारहवीं सामान्य बैठक	मंगलवार, 12 जुलाई, 2022	प्रातः 11.00 बजे	बैंक हाउस, 21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 (वीडियो काँफ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित)	 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक तुलन पत्न तथा लाभ व हानि खाते पर विचार-विमर्श, अनुमोदन और अंगीकार करना। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लाभांश की घोषणा करना।

b) विगत तीन वर्षों के दौरान आयोजित असाधारण सामान्य बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

स्वरूप	दिन व तिथि	समय	स्थान	उद्देश्य
असाधारण सामान्य बैठक	गुरुवार, 25 मार्च, 2021	प्रातः 11.00 बजे	बैंक हाउस, 21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 (वीडियो काँफ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित)	- विशेष संकल्प के माध्यम से नगद के लिए भारत सरकार को अधिमानी आधार पर ₹ 5500/- करोड़ की कुल राशि के प्रति ₹ 10/- के मूल्य वाले शेयरों को निर्गम मूल्य ₹ 16.41 (₹ 6.41 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सिहत) पर कुल 3,35,16,14,868 इक्विटी शेयर का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटित करने हेतु अनुमोदन किया गया।

असाधारण सामान्य बैठक	सोमवार, 17 मई, 2021	प्रातः 11.00 बजे	बैंक हाउस, 21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 (वीडियो काँफ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित)	- बैंक के शेयरधारकों (केंद्र सरकार के अतिरिक्त) में से एक निदेशक का चुनाव करना। (श्री टी आर मेन्दीरत्ता को एकमात्र उम्मीदवार होने के कारण तुरंत निर्वाचित किया गया और बैठक रद्द कर दी गई)
असाधारण सामान्य बैठक	गुरुवार, 31 मार्च, 2022	प्रातः 11.00 बजे	बैंक हाउस, 21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 (वीडियो काँफ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित)	- नगद के लिए भारत सरकार को अधिमानी आधार पर ₹ 4600/- करोड़ की कुल राशि के प्रति ₹ 10/- के मूल्य वाले शेयरों को निर्गम मूल्य ₹ 16.88 (₹ 6.88 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सिहत) पर कुल 2,72,51,18,483 इक्विटी शेयर का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटित करने हेतु विशेष संकल्प के माध्यम से अनुमोदन किया गया।

c) डाक मतपतः बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान डाक मतपत के माध्यम से कोई व्यवसाय नहीं किया है और वर्तमान में डाक मतपत के माध्यम से कोई व्यवसाय प्रस्तावित नहीं है।

निदेशकों की समिति : 4)

भारतीय रिज़र्व बैंक तथा कंपनी अभिशासन और जोखिम प्रबंधन पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल ने सामरिक महत्व के क्षेलों की निगरानी के लिए निदेशकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है। बोर्ड/ समिति की बैठकों में विचार-विमर्श के दौरान प्रबंधन वर्ग ने मानव संसाधन/आईआर के प्रचालन निष्पादन व विकास के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास, खंड/ उत्पाद कार्य-निष्पादन, अवसरों, चुनौतियों, जोखिमों और उससे संबंधित आवश्यकताओं के विश्लेषण पर बल दिया है। बोर्ड की महत्वपूर्ण समितियाँ इस प्रकार है:

क्र. सं.	समिति का नाम
1	बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसी)
2	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)
3	वृहत मूल्य के धोखाधड़ी की निगरानी के लिए समिति
4	सतर्कता, अनुशासनात्मक मामले और विभागीय जांच से निपटने हेतु निदेशकों की समिति (बोर्ड की सतर्कता समिति)
5	जोखिम प्रबंधन समिति
6	ग्राहक सेवा समिति
7	हितधारक संबंध समिति
8	एचआर समिति
9	आईटी कार्यनीति समिति
10	अपील और समीक्षा के प्रकरणों से संबंधित समिति
11	वसूली की निगरानी के लिए समिति
12	इरादतन चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति

13	नामांकन और पारिश्रमिक समिति
14	असहयोगी उधारकर्ता के लिए समीक्षा समिति
15	कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के लिए बोर्ड समिति (एमडी एण्ड सीईओ, ईडी तथा जीएम के लिए)
16	बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति

भारत सरकार ने राजपत्न अधिसूचना संख्या एफ. सं. 16/22/2019-बीओ. I (भाग) दिनांकित 25.01.2021 के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1980 के अनुच्छेद14 के पश्चात निम्नांकित अनुच्छेद को अंतः स्थापित किया है।

"जहाँ किसी राष्ट्रीय बैंक से विधि द्वारा कोई कार्रवाई या बात करने की अपेक्षा है और ऐसा करने के लिए बैंक के बोर्ड की किसी समिति की सिफारिशों या अवधारणा, या उसके द्वारा प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों का समाधान, या किसी नियुक्ति, उसके संबंध में उसके अनुमोदन या पुनर्विलोकन की अपेक्षा है और यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी समिति का, ऐसी समिति में कोई रिक्ति विद्यमान होने अथवा उसके किसी सदस्य के इससे अलग होने के कारण बैठक के लिए गणपूर्ति पूरी नहीं हो सकती है तो बोर्ड उक्त कार्रवाई अथवा गतिविधि को कर सकेगा।"

उपरोक्त के अनुरूप, बोर्ड ऐसी किसी समिति के कार्य को समाविष्ट कर सकता है जहाँ ऐसी समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति ऐसी समिति में रिक्ति विद्यमान होने अथवा उसके किसी सदस्य के इससे अलग होने के कारण पुरा नहीं किया जा सकता है।

4.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति :

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के साथ पठित यथा संशोधित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1980 के खंड 13 के अनुसरण में बोर्ड के प्रबंधन समिति का गठन किया गया है जो महत्वपूर्ण मामलों के विभिन्न व्यवसायिक विषयों जैसे उच्च मूल्य के ऋण प्रस्ताव, समझौता/ बट्टा खाता प्रस्ताव, पूंजी व राजस्व व्यय की स्वीकृति, परिसर, निवेश, दान इत्यादि पर विचार करती है।

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक/कों और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 (3) (सी) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा नामित निदेशकों तथा धारा 9 (3) की उपधारा (डी) (ई) (एफ) (एच) व (आई) के अंतर्गत नियुक्त निदेशकों में से तीन निदेशकों का समावेश है।

31 मार्च, 2023 को प्रबंधन समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1	श्री स्वरूप कुमार साहा – प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (अध्यक्ष)
2	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र - कार्यकारी निदेशक
3	डॉ. रामजस यादव – कार्यकारी निदेशक
4	श्री कमल प्रसाद पटनायक - निदेशक (आरबीआई नामिति)
5	श्री टी आर मेन्दीरत्ता – शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बोर्ड की प्रबंधन समिति की निम्नलिखित तिथियों पर अट्टारह (18) बैठकें हुई :

02.05.2022	15.06.2022	24.06.2022	16.08.2022	24.08.2022
05.09.2022	17.09.2022	26.09.2022	21.11.2022	05.12.2022
13.12.2022	20.12.2022	26.12.2022	18.01.2023	09.02.2023
09.03.2023	23.03.2023	31.03.2023		

निदेशकों से संबंधित कार्यकाल के दौरान, समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री स्वरूप कुसार साहा - एमडी एवं सीईओ (अध्यक्ष)	03.06.2022 से 31.03.2023	17	17
2	श्री एस कृष्णन -पूर्व एमडी एवं सीईओ	01.04.2022 से 31.05.2022	01	01
3	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक	01.04.2022 से 31.03.2023	18	18
4	डॉ. रामजस यादव – कार्यकारी निदेशक	01.04.2022 से 31.03.2023	18	18
5	श्री कमल प्रसाद पटनायक — आरबीआई नामित निदेशक	01.04.2022 से 31.03.2023	18	18
6	श्री टी आर मेन्दीरत्ता – शेयरधारक निदेशक	01.04.2022 से 31.03.2023	18	18

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति (एसीबी): 4.2

बैंक ने कंपनी अभिशासन के मूल सिद्धांतों के अनुरूप तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसरण में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति गठित की है।

अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा समिति का प्रमुख कार्य बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली का निर्धारण तथा समीक्षा करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरणियाँ सही, उपयुक्त और विश्वसनीय है। बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व यह समिति तिमाही/वार्षिक वित्तीय विवरणियों की समीक्षा करती है तथा प्रबंधन को अनुशंसा करती है।

लेखापरीक्षा समिति दिशा-निर्देश प्रदान करती है तथा बैंक के समस्त लेखापरीक्षा कार्यों के संचालन की देखरेख करती है जिसमें संगठन, आंतरिक लेखापरीक्षा का प्रचालन व गुणवत्ता नियंत्रण, आंतरिक नियंत्रण दोष तथा बैंक के भीतर निरीक्षण और बैंक के सांविधिक/ बाह्य लेखापरीक्षा व आरबीआई निरीक्षण के सुझाव पर अनुवर्ती कार्रवाई सम्मिलित है।

लेखापरीक्षा समिति, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, इसकी स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा भी करती है तथा किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष और उसकी अनुवर्ती कार्रवाई पर आंतरिक लेखापरीक्षक/निरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। इसके अतिरिक्त बैंक की वित्तीय व जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करती है।

सांविधिक लेखापरीक्षा के लिए, लेखापरीक्षा सिमिति तिमाही/इयर टू डेट/वार्षिक वित्तीय परिणामों व रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पूर्व सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। यह सिमिति लॉग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर भी अनुवर्ती कार्रवाई करती है।

31 मार्च, 2023 को लेखा-परीक्षा समिति (एसीबी) की संरचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1	श्री शंकर लाल अग्रवाल-गैर सरकारी निदेशक (अध्यक्ष)
2	श्री कमल प्रसाद पटनायक - आरबीआई नामित निदेशक
3	सुश्री रश्मि खेलपाल –गैर सरकारी निदेशक

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) की निम्न तिथि पर दस (10) बैठक हुई :

09.05.2022	19.05.2022	18.07.2022	01.08.2022	27.09.2022
05.11.2022	16.12.2022	21.01.2023	09.02.2023	23.03.2023

निदेशकों से संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री शंकर लाल अग्रवाल-गैर सरकारी निदेशक (अध्यक्ष)	01.04.2022 से 31.03.2023	10	10
2	श्री कमल प्रसाद पटनायक - आरबीआई नामित निदेशक	01.04.2022 से 31.03.2023	10	10
3	सुश्री रश्मि खेलपाल –गैर सरकारी निदेशक	01.04.2022 से 31.03.2023	10	10

4.3 वृहत् मूल्य के धोखाधड़ी की निगरानी के लिए समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्न संख्या आरबीआई/2004.5.डीबीएस.एफजीवी (एफ) सं. 1004/23.04.01ए/2003-4 दिनांकित 14 जनवरी, 2004 के माध्यम से धोखाधड़ी के विभिन्न पहलुओं जैसे जांच, नियामक तथा प्रवर्तन एजेंसियों को उसकी सूचना और धोखाधड़ी के अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई इत्यादि में देरी के विषय में सूचित किया था। अत: यह सुझाव दिया गया कि बोर्ड की एक उप-समिति गठित की जाए जो पूरी तरह से ₹ 1 करोड़ और उससे ऊपर की राशि की धोखाधड़ी संबंधी मामले की निगरानी तथा अनुवर्ती कार्रवाई करेगी। बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति सामान्यत: धोखाधड़ी के सभी मामलों की निगरानी करती रहेगी।

समिति के प्रमुख कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ ₹ 1 करोड़ और उससे ऊपर की राशि के घोखाधड़ी की निगरानी तथा समीक्षा सम्मिलित है जिससे:

- (a) प्रणालीगत कमियों (यदि हो) जिससे धोखाधड़ी कृत्य में सुविधा होती है, का पता लगाया जा सके और उन्हें रोकने के लिए उपाय किए जा सके।
- (b) धोखाधड़ी (यदि हो) का पता लगाने में देरी के लिए कारणों की पहचान तथा बैंक व आरबीआई के उच्च प्रबंधन को उसकी रिपोर्टिंग।
- (c) सीबीआई/ पुलिस जांच-पड़ताल की प्रगति तथा वस्ली स्थिति की निगरानी।
- (d) सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों के सभी स्तरों पर स्टाफ उत्तरदायित्व का परीक्षण हो और यदि आवश्यक होने पर समय गवाए बिना स्टाफ पर तुरंत कार्रवाई हो।
- (e) धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति के निवारण हेतु की गई उपचारात्मक कार्रवाई की कार्यकुशलता यथा आंतरिक नियंलणों को सुदृढ़ करने की समीक्षा तथा
- (f) धोखाधड़ी के खिलाफ निवारण उपायों को सशक्त करने हेतु प्रसांगिक माने जाने वाले अन्य उपायों को प्रस्तुत करना।

31 मार्च, 2023 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1	डॉ. चरन सिंह-गैर कार्यकारी अध्यक्ष (अध्यक्ष)
2	श्री स्वरूप कुमार साहा- प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक
4	डॉ. रामजस यादव – कार्यकारी निदेशक
5	श्री शंकर लाल अग्रवाल –गैर सरकारी निदेशक
6	सुश्री रश्मि खेलपाल-गैर सरकारी निदेशक

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, नीचे दिए गए विवरण अनुसार समिति की चार (04) बार बैठकें आयोजित हुई :

09.05.2022 18.07.2022	31.12.2022	16.03.2023
-----------------------	------------	------------

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	डॉ. चरन सिंह-गैर कार्यकारी अध्यक्ष (अध्यक्ष)	07.11.2022 से 31.03.2023	02	02
2	श्री स्वरूप कुमार साहा - एमडी एवं सीईओ	03.06.2022 से 31.03.2023	03	03
3	श्री एस.कृष्णन – पूर्व एमडी एवं सीईओ	01.04.2022 से 31.05.2022	01	01
4	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक	01.04.2022 से 31.03.2023	04	04

5	डॉ. रामजस यादव – कार्यकारी निदेशक	01.04.2022 से 31.03.2023	04	04
6	सुश्री एम. जी. जयश्री – एमओएफ नामित निदेशक	11.04.2022 से 30.11.2022	02	02
7	श्री शंकर लाल अग्रवाल – गैर सरकारी निदेशक	01.04.2022 से 31.03.2023	04	04
8	सुश्री रश्मि खेलपाल - गैर सरकारी निदेशक	01.04.2022 से 31.03.2023	04	04

4.4 सतर्कता, अनुशासनात्मक मामले और विभागीय जांच से निपटने हेतु निदेशकों की समिति (बोर्ड की सतर्कता समिति)

वित्त मंत्रालय के पत्नांक 10/12/90/वीआईजी/सीवीओ दिनांकित 24.10.1990 की शर्तों के अनुरूप सतर्कता कार्यों की समीक्षा करने के मद्देनज़र सतर्कता अनुशासनात्मक प्रकरणों के त्वरित निपटान हेतु प्रभावी निगरानी उपकरण के रूप में बैंक ने बोर्ड की सतर्कता समिति गठित की है।

दिनांक 31.03.2023 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	
1	श्री स्वरूप कुमार साहा – एमडी एवं सीईओ (अध्यक्ष)	
2	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक	
3	डॉ. रामजस यादव - कार्यकारी निदेशक	
4	श्री एम जी जयश्री – निदेशक (एमओएफ नामित)	
5	श्री कमल प्रसाद पटनायक – आरबीआई नामित निदेशक	

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान नीचे दिए गए विवरण अनुसार समिति की चार (04) बार बैठकें आयोजित हुई :

02.05.2022	26.09.2022	26.12.2022	15.03.2023

- ÷	निदेशक का नाम	27	उनके कार्यकाल के दौरान	बैठकों में
क्र. सं.		अवधि	आयोजित बैठकें	उपस्थिति
1	श्री स्वरूप कुमार साहा - एमडी एवं सीईओ (अध्यक्ष)	03.06.2022 से 31.03.2023	3	3
2	श्री एस. कृष्णन – पूर्व एमडी एवं सीईओ	01.04.2022 से 31.05.2022	1	1
3	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक	01.04.2022 से 31.03.2023	4	4
4	डॉ. रामजस यादव - कार्यकारी निदेशक	01.04.2022 से 31.03.2023	4	4
5	श्री एम जी जयश्री – एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2022 से 31.03.2023	4	4
6	श्री कमल प्रसाद पटनायक — आरबीआई नामित निदेशक	01.04.2022 से 31.03.2023	4	4

4.5 जोखिम प्रबंधन समिति :

बैंक ने बैंक द्वारा कल्पित समस्त जोखिमों की समीक्षा एवं मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है।

समिति तीन प्रमुख जोखिम प्रकार्य यथा ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम तथा परिचालन जोखिम की समीक्षा करती है तथा विषय पर समन्वित विचार करती है और आवश्यक होने पर उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करती है।

31 मार्च, 2023 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1	सुश्री रश्मि खेत्रपाल - गैर सरकारी निदेशक (अध्यक्ष)
2	श्री स्वरूप कुमार साहा - एमडी एवं सीईओ
3	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र - कार्यकारी निदेशक
4	श्री शंकर लाल अग्रवाल – गैर स रकारी निदेशक
5	श्री टी आर मेन्दीरत्ता – शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निम्नलिखित तिथियों को समिति की सात (07) बैठक आयोजित हुई:

09.05.2022	24.06.2022	13.07.2022	16.08.2022
19.09.2022	01.11.2022	16.03.2023	

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	सुश्री रश्मि खेत्रपाल - गैर सरकारी निदेशक (अध्यक्ष)	01.04.2022 से 31.03.2023	7	7
2	श्री एस. कृष्णन – पूर्व एमडी एवं सीईओ	01.04.2022 से 31.05.2022	1	1
3	श्री स्वरूप कुमार साहा - एमडी एवं सीईओ	03.06.2022 से 31.03.2023	6	6
4	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र - कार्यकारी निदेशक	01.04.2022 से 31.03.2023	7	7
5	श्री शंकर लाल अग्रवाल – गैर सरकारी निदेशक	01.04.2022 से 31.03.2023	7	7
6	श्री टी आर मेन्दीरत्ता – शेयरधारक निदेशक	01.04.2022 से 31.03.2023	7	7

बैंक ने जोखिमों के विभिन्न श्रेणियो अर्थात ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम इत्यादि के आदर्श रूप से पहचान, प्रबंध, निगरानी व नियंत्रण की दृष्टि से जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक संरचना, जोखिम सिद्धांत, जोखिम प्रक्रिया, जोखिम नियंत्रण तथा जोखिम लेखापरीक्षा समाविष्ट यथोचित जोखिम प्रबंधन वास्तुकला की स्थापना की है। इसका अंतर्निहित उद्देश्य बैंक प्रचालन में निरंतर स्थिरता व कार्यक्षमता में वृद्धि करना तथा बैंक की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

4.6 ग्राहक सेवा समिति

बैंक ने बोर्ड की एक उपसमिति का गठन किया है जिसे "बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति" के नाम से जाना जाता है। 31 मार्च, 2023 को समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	
1	डॉ. चरन सिंह - गैर कार्यकारी अध्यक्ष (अध्यक्ष)	
2	श्री स्वरूप कुमार साहा – एमडी एवं सीईओ	
3	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक	
3	डॉ. रामजस यादव – कार्यकारी निदेशक	
5	श्री एम जी जयश्री – एमओएफ नामित निदेशक	

समिति के कार्यों में ग्राहक-सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने तथा हर समय सभी संवर्ग के ग्राहकों हेतु संतुष्टि के स्तर में सुधार के लिए सुझाव और नवोन्मेषी उपायों हेतु प्लेटफॉर्म बनाना शामिल है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का समावेश है:

- ग्राहक-सेवा पर शीर्ष समिति के रूप में कार्य करना तथा ग्राहक-सेवा पर स्थायी समिति के कार्यों की देखरेख करना और सार्वजनिक सेवाओं पर प्रक्रिया एवं प्रदर्शन लेखापरीक्षा समिति (सीपीपीएपीएस) की अनुशंसा का भी अनुपालन करना।
- ii) अधिनिर्णय की तारीख से तीन माह से अधिक अवधि व्यतीत होन जाने पर भी कार्यान्वयित नहीं किए गए शेष अधिनिर्णयों तथा बैंकिंग लोकपाल द्वारा संज्ञान में लिए गए बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में पाई गई किमयों की स्थिति की समीक्षा करना।
- iii) ग्राहक-सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु नवोन्मेषी उपाय करना और सभी स्तरों के ग्राहक वर्ग के लिए ग्राहक संतुष्टि के स्तर में सुधार करना।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, नीचे दिए गए विवरण अनुसार समिति की चार (04) बैठकें आयोजित हुई :

09.05.2022	19.09.2022	05.12.2022	27.02.2023

बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	डॉ. चरन सिंह - गैर कार्यकारी अध्यक्ष (अध्यक्ष)	07.11.2022 से 31.03.2023	2	2
2	श्री स्वरूप कुमार साहा - एमडी एवं सीईओ	03.06.2022 से 31.03.2023	3	3

3	श्री एस कृष्णन - पूर्व एमडी एवं सीईओ	01.04.2022 से 31.05.2022	1	1
4	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक	01.04.2022 से 31.03.2023	4	4
5	डॉ. रामजस यादव – कार्यकारी निदेशक	01.04.2022 से 31.03.2023	4	4
6	सुश्री एम जी जयश्री — एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2022 से 31.03.2023	4	4
7	सुश्री रश्मि खेलपाल – गैर सरकारी निदेशक	01.04.2022 से 30.11.2022	2	2

4.7 हितधारक संबंध समिति

सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 20 के अनुसार समिति का गठन किया गया है। शेयरधारकों, बांडधारकों तथा अन्य प्रतिभूति धारकों की शिकायतों के निराकरण-तंत्र की जांच-पड़ताल का कार्य समिति करती है।

31 मार्च 2023 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1	डॉ. चरन सिंह - गैर कार्यकारी अध्यक्ष (अध्यक्ष)
2	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक
3	डॉ. रामजस यादव – कार्यकारी निदेशक
4	श्री शंकर लाल अग्रवाल - गैर सरकारी निदेशक
5	श्री टी. आर. मेन्दीरत्ता – शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निम्नांकित तिथियों पर समिति की चार (04) बैठकें आयोजित हुई :

30.05.2022	10.08.2022	03.12.2022	04.03.2023
------------	------------	------------	------------

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	डॉ. चरन सिंह - गैर कार्यकारी अध्यक्ष (अध्यक्ष)	07.11.2022 से 31.03.2023	2	2
2	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक	01.04.2022 से 31.03.2023	4	4
3	डॉ. रामजस यादव – कार्यकारी निदेशक	01.04.2022 से 31.03.2023	4	4



4	श्री शंकर लाल अग्रवाल - गैर सरकारी निदेशक	01.12.2022 से 31.03.2023	2	2
5	श्री टी आर मेन्दीरत्ता – शेयरधारक निदेशक	01.04.2022 से 31.03.2023	4	4

समिति, निवेशकों की शिकायतों के निराकरण की समयबद्ध तरीके से निगरानी करती है। वर्ष के दौरान प्राप्त व निराकरण किए गए अनुरोध/ शिकायतों की संख्या का सारांश इस प्रकार है:

01.04.2022 को लंबित	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान निराकरण	31.03.2023 को लंबित
शून्य	3	3	शून्य

31 मार्च, 2023 तक कोई भी शिकायत लंबित नहीं है। सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 6 के अनुसार श्री साकेत मेहरोत्रा, कंपनी सचिव को "अनुपालन अधिकारी" के रूप में नामित किया गया है।

4.8 मानव संसाधन प्रबंधन समिति

विकासशील एचआर योजनाओं को गति प्रदान करने तथा विभिन्न यूनियन व संगठनों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए बीआर संख्या 19841 दिनांकित 05.05.2012 के माध्यम से एचआर समिति का गठन किया गया है। आवश्यकतानुसार लेकिन तिमाही में न्यूनतम एक बार बैठक आयोजित की जा सकती है। 31 मार्च, 2023 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1	डॉ. चरन सिंह - गैर कार्यकारी अध्यक्ष(अध्यक्ष)
2	श्री स्वरूप कुमार साहा - एमडी एवं सीईओ
3	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक
4	डॉ. रामजस यादव – कार्यकारी निदेशक
5	सुश्री एम जी जयश्री 🕒 एमओएफ नामित निदेशक
6	श्री टी आर मेन्दीरत्ता –शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान नीचे दिए गए विवरण अनुसार समिति की आठ (08) बैठकें हुई :

30.05.2022	18.06.2022	18.07.2022	19.09.2022
13.10.2022	01.11.2022	05.12.2022	10.02.2023

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	डॉ. चरन सिंह - गैर कार्यकारी अध्यक्ष (अध्यक्ष)	07.11.2022 से 31.03.2023	2	2
2	श्री स्वरूप कुमार साहा - एमडी एवं सीईओ	03.06.2022 से 31.03.2023	7	7
3	श्री एस कृष्णन -पूर्व एमडी एवं सीईओ	01.04.2022 से 31.05.2022	1	1
4	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र - कार्यकारी निदेशक	01.04.2022 से 31.03.2023	8	8
5	डॉ. रामजस यादव - कार्यकारी निदेशक	01.04.2022 से 31.03.2023	8	7
6	सुश्री एम. जी. जयश्री - एमओएफ नामित निदेशक	11.04.2022 से 31.03.2023	8	7
7	श्री टी आर मेन्दीरत्ता - शेयरधारक निदेशक	01.04.2022 से 31.03.2023	8	8

4.9 बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति

आईटी पहल में तीव्रता लाने और तकनीक के अन्य लाभों को सफल बनाने के दृष्टिकोण से, निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करके बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति बनाई गई है।

31 मार्च, 2023 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1	डॉ. चरन सिंह - गैर कार्यकारी अध्यक्ष (अध्यक्ष)
2	श्री स्वरूप कुमार साहा - एमडी एवं सीईओ
3	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक
4	डॉ. रामजस यादव – कार्यकारी निदेशक
5	श्री टी आर मेन्दीरत्ता – शेयरधारक निदेशक
6	सुश्री रश्मि खेलपाल - गैर सरकारी निदेशक

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान नीचे दिए गए विवरण अनुसार समिति की नौ (09) बैठकें हुई :

28.04.2022	30.05.2022	24.06.2022	18.07.2022	16.08.2022
26.09.2022	01.11.2022	31.12.2022	27.02.2023	



क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	डॉ. चरन सिंह - गैर कार्यकारी अध्यक्ष (अध्यक्ष)	07.11.2022 से 31.03.2023	2	2
2	श्री स्वरूप कुमार साहा - एमडी एवं सीईओ	03.06.2022 से 31.03.2023	7	7
3	श्री एस. कृष्णन -पूर्व एमडी एवं सीईओ	01.04.2022 से 31.05.2022	2	2
4	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र - कार्यकारी निदेशक	01.04.2022 से 31.03.2023	9	9
5	डॉ. रामजस यादव - कार्यकारी निदेशक	01.04.2022 से 31.03.2023	9	9
6	सुश्री एम जी जयश्री - एमओएफ नामित निदेशक	11.04.2022 से 30.11.2022	7	7
7	श्री टी आर मेन्दीरत्ता - शेयरधारक निदेशक	01.04.2022 से 30.11.2022 और 21.01.2023 से 31.03.2023	7	7
8	सुश्री रश्मि खेलपाल - गैर सरकारी निदेशक	01.04.2022 से 31.03.2023	9	9

4.10 अपील और समीक्षा के प्रकरणों से संबंधित समिति

अनुशासनात्मक प्रकरणों की अपील तथा समीक्षा याचिका में निर्णय के लिए बोर्ड संकल्प संख्या 22389 दिनांकित 10.08.2016 के माध्यम से अपील और समीक्षा प्रकरणों से संबंधित समिति का गठन किया गया है।

31.03.2023 को समिति की संरचना निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	निदेशक का नाम
1.	सुश्री एम. जी. जयश्री – एमओएफ नामित निदेशक (अध्यक्ष)
2.	श्री शंकर लाल अग्रवाल – गैर सरकारी निदेशक
3.	सुश्री रश्मि खेत्रपाल - गैर सरकारी निदेशक

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की कोई भी बैठक नहीं हुई।

4.11 वसूली की निगरानी के लिए समितिः

वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली के पत्नांक एफ. सं. 7/112/2012-बीओए दिनांकित 21.11.2012 के माध्यम से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के वसूली में प्रगति की निगरानी के लिए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी निदेशक तथा वित्त मंत्रालय के नामित निदेशक को शामिल करते हुए निदेशकों की समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2023 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	
1	<u>इ</u> ॉ. चरन सिंह – गैर कार्यकारी अध्यक्ष (अध्यक्ष)	
2	ो स्वरूप कुमार साहा – एमडी एवं सीईओ	
3	गी कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र — कार्यकारी निदेशक	
4	डॉ. रामजस यादव - कार्यकारी निदेशक	
5	सुश्री एम. जी. जयश्री – एमओएफ नामित निदेशक	

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, नीचे दिए गए विवरण अनुसार समिति की छह (06) बैठकें आयोजित हुई:

27.04.2022	30.05.2022	24.06.2022	18.07.2022	05.12.2022	27.02.2023

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	डॉ. चरन सिंह – गैर कार्यकारी अध्यक्ष (अध्यक्ष)	07.11.2022 से 31.03.2023	2	2
2	श्री स्वरूप कुमार साहा – एमडी एवं सीईओ	03.06.2022 से 31.03.2023	4	4
3	श्री एस. कृष्णन – पूर्व एमडी एण्ड सीईओ	01.04.2022 से 31.05.2022	2	2
4	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक	01.04.2022 से 31.03.2023	6	6
5	डॉ. रामजस यादव - कार्यकारी निदेशक	01.04.2022 से 31.03.2023	6	6
6	सुश्री एम. जी. जयश्री – एमओएफ नामित निदेशक	01.04.2022 से 31.03.2023	6	5
7	श्री शंकर लाल अग्रवाल – गैर सरकारी निदेशक	01.04.2022 से 30.11.2022	4	4

4.12 इरादतन चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति

पक्षकार को इरादतन चूककर्ता के रूप में घोषित करने के लिए ईडी द्वारा समिति के आदेशों की समीक्षा हेतु इरादतन चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति का गठन किया गया है जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में दो स्वतंत्र निदेशक सम्मिलित है।

31 मार्च, 2023 को समिति की संरचना इस प्रकार है:



क्र. सं.	निदेशक का नाम	
1	<u>इ</u> ॅ. चरन सिंह – गैर कार्यकारी अध्यक्ष (अध्यक्ष)	
2	श्री स्वरूप कुमार साहा – एमडी एवं सीईओ	
3	सुश्री एम. जी. जयश्री – एमओएफ नामित निदेशक	
4	श्री शंकर लाल अग्रवाल – गैर सरकारी निदेशक	

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान नीचे दिए गए विवरण अनुसार समिति की दो (02) बैठकें आयोजित हुई :

27.04.2022	16.03.2023
------------	------------

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	डॉ. चरन सिंह – गैर कार्यकारी अध्यक्ष (अध्यक्ष)	07.11.2022 से 31.03.2023	1	1
2	श्री स्वरूप कुमार साहा – एमडी एवं सीईओ	03.06.2022 से 31.03.2023	1	1
3	श्री एस. कृष्णन – पूर्व एमडी एवं सीईओ	01.04.2022 से 31.05.2022	1	1
4	सुश्री एम. जी. जयश्री – एमओएफ नामित निदेशक	11.04.2022 से 31.03.2023	2	2
5	श्री शंकर लाल अग्रवाल – गैर सरकारी निदेशक	01.12.2022 से 31.03.2023	1	1
6	सुश्री रश्मि खेलपाल – गैर सरकारी निदेशक	01.04.2022 से 30.11.2022	1	1

4.13 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

'बोर्ड की नामांकन समिति' तथा 'बोर्ड की पारिश्रमिक समिति' दोनों के स्थान पर डीएफएस अधिसूचना एफ. सं. 16/19/2019-बीओ.I दिनांकित 30.08.2019 के माध्यम से 'नामांकन और पारिश्रमिक समिति' के नाम से एकल समिति का गठन किया गया था।

आरबीआई द्वारा 'उचित और उपयुक्त' मानदंड के अनुसार नामांकन, अनुवीक्षण के आवश्यक प्रक्रिया हेतु समुचित सावधानी प्रारंभ करने के लिए बोर्ड संकल्प संख्या 24521 दिनांकित 18.09.2019 के माध्यम से न्यूनतम तीन सदस्यों के साथ 'नामांकन और पारिश्रमिक समिति' का पुनर्गठन किया गया है।

31.03.2023 को समिति की संरचना निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	निदेशक का नाम	
1	टी. आर. मेन्दीरत्ता - शेयरधारक निदेशक (अध्यक्ष)	
2.	सुश्री रश्मि खेलपाल - गैर सरकारी निदेशक	
3.	श्री शंकर लाल अग्रवाल – गैर सरकारी निदेशक	

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की कोई भी बैठक नहीं हुई।

असहयोगी उधारकर्ता के लिए समीक्षा समिति 4.14

भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना संख्या आरबीआई/2014-15/362 डीबीआर.सं.सीआईडी.बीसी.54/20.16.064/2014-15 दिनांकित 22.12.2014 के अनुसार, किसी उधारकर्ता को असहयोगी उधारकर्ता के रूप में वर्गीकृत करने के निर्णय के लिए कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में समिति के आदेशों की समीक्षा हेतु असहयोगी उधारकर्ता के लिए समीक्षा समिति गठित की गई थी।

31 मार्च, 2023 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	
1	श्री स्वरूप कुमार साहा – एमडी एवं सीईओ (अध्यक्ष)	
2	भ्री शंकर लाल अग्रवाल – गैर सरकारी निदेशक	
3	श्री टी आर मेन्दीरत्ता – शेयरधारक निदेशक	

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की कोई भी बैठक नहीं हुई।

4.15 कार्य-निष्पादन मुल्यांकन के लिए सिमिति (एमडी एवं सीईओ, कार्यकारी निदेशकों तथा महाप्रबंधकों के लिए) :

राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यकारी निदेशकों तथा महाप्रबंधकों (आंतरिक नियंत्रण कार्यों के प्रभारी) के वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) को अभिलेखबद्ध करने के लिए वित्त मंत्रालय, डीएफएस पत्नांक एफ. सं. 9/5/2009-एचआर दिनांकित 30.08.2019 के अनुसार कार्य-निष्पादन मूल्यांकन हेतु बोर्ड समिति (एमडी एवं सीईओ, ईडी तथा जीएम के लिए) गठित की गई थी।

31 मार्च, 2023 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	
1	डॉ. चरन सिंह – गैर कार्यकारी अध्यक्ष (अध्यक्ष)	
2	सुश्री एम जी जयश्री – एमओएफ नामित निदेशक	
3	श्री टी आर मेन्दीरत्ता – शेयरधारक निदेशक	



वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान नीचे दिए गए विवरण अनुसार समिति की दो (02) बैठकें आयोजित हुई :

26.05.2022	27.02.2023

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	डॉ. चरन सिंह – गैर कार्यकारी अध्यक्ष (अध्यक्ष)	07.11.2022 से 31.03.2023	1	1
2	सुश्री एम. जी. जयश्री – एमओएफ नामित निदेशक	11.04.2022 से 31.03.2023	2	2
3	श्री शंकर लाल अग्रवाल – गैर सरकारी निदेशक	01.04.2022 से 30.11.2022	1	1
4	श्री टी आर मेन्दीरत्ता – शेयरधारक निदेशक	01.04.2022 से 31.03.2023	2	2

बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी) 4.16

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के साथ पठित यथा संशोधित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध व विविध प्रावधान) योजना 1980 के खंड 13 के अनुसरण में, दो सौ पचास करोड़ रुपये तक के विभिन्न ऋण प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने के लिए बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2023 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	
1	श्री स्वरूप कुमार साहा – एमडी एवं सीईओ	
2	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक	
3	डॉ. रामजस यादव - कार्यकारी निदेशक	
4	भी राजेश पांडेय - महाप्रबंधक (ऋण)	
5	पुश्री महिमा अग्रवाल – मुख्य वित्तीय अधिकारी	
6	श्री धीरज कुमार गौड़ – मुख्य जोखिम अधिकारी	
7	श्री प्रवीण के अरोड़ा – उप महाप्रबंधक (कोष)	

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति की निम्नांकित तिथियों पर बारह (12) बैठकें आयोजित हुई :

18.04.2022	21.06.2022	12.07.2022	03.09.2022	01.10.2022	26.10.2022
23.11.2022	15.12.2022	08.02.2023	16.02.2023	14.03.2023	31.03.2023

संबंधित कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री स्वरूप कुमार साहा – एमडी एवं सीईओ	03.06.2022 से 31.03.2023	11	11
2	श्री एस. कृष्णन – पूर्व एमडी एवं सीईओ	01.04.2022 से 31.05.2022	01	01
3	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक	01.04.2022 से 31.03.2023	12	12
4	डॉ. रामजस यादव - कार्यकारी निदेशक	21.10.2022 से 31.03.2023	12	12
5	श्री राजेश पांडेय - महाप्रबंधक (ऋण)	01.04.2022 से 31.03.2023	12	12
6	सुश्री महिमा अग्रवाल – मुख्य वित्तीय अधिकारी	01.08.2022 से 31.03.2023	9	8
7	श्री प्रवीण के अरोड़ा – उप महाप्रबंधक (कोष)	01.04.2022 से 31.03.2023	12	8
8	श्री वी. के. मेहरोला – पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी	01.04.2022 से 31.07.2022	3	3
9	श्री धीरज कुमार गौड़ – मुख्य जोखिम अधिकारी	03.09.2022 से 31.03.2023	9	8
10	श्री संजय पी श्रीवास्तव – मुख्य जोखिम अधिकारी	01.04.2022 से 03.09.2022	4	4

4.17 शेयर अंतरण समिति :

संयोजक के रूप में कंपनी सचिव सहित जीएम, डीजीएम/ एजीएम को शामिल करते हुए अधिकारियों की समिति, पखवाड़े में न्यूनतम एक बार बैठक करती है। शेयर अंतरण समिति की बैठक के कार्यवृत्त आगामी बैठक में बोर्ड के समक्ष रखे जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान शेयर अंतरण समिति के अट्टाइस बैठकें की गई।

4.18 अन्य प्रकटीकरण:

- i) निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा की जाती है। निदेशकों का परस्पर कोई संबंध नहीं है।
- स्वतंत्र निदेशकों को दी गई कार्य-पद्धति कार्यक्रम का विवरण बैंक वेबसाइट पर दिखाया गया है तथा यूआरएल ii) https://punjabandsindbank.co.in/content/familiarization-programmes-imparted-to-directors अवलोकन किया जा सकता है।

निदेशक-मंडल के कौशल/ विशेषज्ञता/ योग्यता का निर्धारण करने वाला संचित्न/आव्यृह:

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 के अनुसार, किसी निदेशक के पास कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, विधि, लघु उद्योग जैसे एक या अधिक विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होगा।

क्र. सं.	निदेशक का नाम एवं श्रेणी	अनुभव	मुख्य कौशल/ विशेषज्ञता/ योग्यता
1	डॉ. चरन सिंह — गैर कार्यकारी अध्यक्ष	एप्लाइड इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च (एम. फिल) और डॉक्टरेट की डिग्री अर्थात् न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय, सिडनी से अर्थशास्त्र में पीएच. डी.।	अर्थशास्त्र
2	श्री स्वरूप कुमार साहा – एमडी एवं सीईओ	बी. एससी (ऑनर्स), कोष, निवेश और जोखिम प्रबंधन (डीटीआईआरएम) में डिप्लोमा, सीएआईआईबी, वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रमाणन।	बैंकिंग एवं वित्त
3	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र – कार्यकारी निदेशक	वाणिज्य में स्नातकोत्तर, विधि स्नातक, सीएआईआईबी तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में 40 वर्षों से अधिक का अनुभव।	बैंकिंग एवं वित्त
4	डॉ. रामजस यादव – कार्यकारी निदेशक	वाणिज्य में स्नातकोत्तर, विशेष योग्यता सिंहत व्यावसायिक योग्यता यथा - आईसीडब्ल्यूए, सीएस, एमबीए और डॉक्टरेट (पीएचडी)। राष्ट्रीयकृत बैंकों में 38 वर्षों से अधिक का अनुभव।	बैंकिंग एवं वित्त
5	सुश्री एम जी जयश्री – भारत सरकार नामिती	स्नातकोत्तर, लोक प्रबंधन तथा शासन, एमजी विश्वविद्यालय, केरला से सांख्यकी में एमएससी।	प्रशासन एवं प्रबंधन
6	श्री कमल प्रसाद पटनायक – भारतीय रिज़र्व बैंक नामिती	भारतीय रिज़र्व बैंक, जम्मू में क्षेत्रीय निदेशक। एम. ए. (राजनीति विज्ञान), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित सहयोगी और बैंकिंग जोखिम तथा विनियमन (आईसीबीआरआर) (जीएआरपी, यूएसए) में जीएआरपी इंटरनेशनल सर्टिफिकेट धारक। भारत तथा विदेश में बैंकिंग पर्यवेक्षण में 16 वर्षों का ऑफ-साइट व ऑन- साइट अनुभव।	बैंकिंग एवं वित्त
7	श्री टी आर मेन्दीरत्ता - शेयरधारक निदेशक	वित्त, विपणन, कार्मिक प्रशामन तथा सामान्य प्रशासन। वित्त, विपणन, कार्मिक प्रशासन तथा सामान्य प्रशासन के क्षेत्र में भारतीय जीवन बीमा निगम में 30 वर्षों का अनुभव।	बैंकिंग एवं वित्त
8	श्री शंकर लाल अग्रवाल – गैर सरकारी निदेशक	बी. कॉम, एल.एल.बी तथा अर्हता प्राप्त सनदी लेखाकार। वर्ष 1989 से फर्म के वरिष्ठ भागीदार के रूप में कार्यरत।	बैंकिंग एवं वित्त
9	सुश्री रश्मि खेलपाल – गैर सरकारी निदेशक	दो दशकों से अधिक का सनदी लेखाकार अनुभव तथा लेखा, वित्त, आंतरिक लेखापरीक्षा, कराधान तथा सूचना प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता।	बैंकिंग एवं वित्त

आगे, यह है कि :

- पृष्टि की जाती है कि बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक, सेबी एलओडीआर विनियम में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं तथा प्रबंधन से स्वतंत्र होते हैं तथा i.
- सूचित किया जाता है कि कार्यकाल समाप्ति से पूर्व किसी स्वतंत्र निदेशक के त्यागपत्र का कोई प्रकरण नहीं है। ii.

निदेशकों का पारिश्रमिक: 6)

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1980 (यथा संशोधित) के खंड 17 के निबंधन के अनुसार समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार गैर सरकारी निदेशकों को यात्रा और ठहराव खर्चों सहित पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी निदेशक को वेतन के रूप में पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी निदेशक (ओं) को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

A. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बकाया सहित प्रदत्त वेतन का भुगतान:

क्र. सं.	नाम	पारिश्रमिक (राशि लाख में)
1	श्री स्वरूप कुमार साहा – एमडी एवं सीईओ	28.34
2	श्री एस. कृष्णन - पूर्व एमडी एवं सीईओ	12.81
3	श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र - कार्यकारी निदेशक	34.32
4	डॉ. रामजस यादव - कार्यकारी निदेशक	32.69
कुल 108		108.16

B. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर सरकारी निदेशकों को भुगतान किया गया बैठक शुल्क इस प्रकार है (पूर्णकालिक निदेशकों और भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशकों को कोई बैठक शुल्क देय नहीं है):

क्र. सं.	निदेशक का नाम	भुगतान की गई राशि (लाख में)
1	डॉ. चरन सिंह – गैर कार्यकारी अध्यक्ष	7.50
2	श्री तीरथ राज मेन्दीरत्ता – शेयरधारक निदेशक	15.00
3	श्री शंकर लाल अग्रवाल – गैर सरकारी निदेशक	14.30
4	सुश्री रश्मि खेत्रपाल - गैर सरकारी निदेशक	14.55
कुल		51.35

अदावी लाभांश:

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की शर्तों के अनुसार, बैंक को संबंधित असंदत्त लाभांश लेखा में अंतरित लाभांश राशि जो अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए असंदत्त/अदावाकृत हैं, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित करना आवश्यक है।

क्रम संख्या	अदावी लाभांश का विवरण	दिनांक 31.03.2023 को शेष
1	लाभांश 2015-16	14,10,401.85
2	लाभांश 2021-22	7,19,928.18

प्रकटीकरण : 8)

सार-रूप में कोई विशेष संबंधित पक्षकार लेनदेन नहीं है जिसका व्यापक रूप से बैंक हितों के साथ टकराव की संभावना हो सकती है।

- b) महत्वपूर्ण अनुषंगी और संबंधित पार्टी लेनदेन नीति के निर्धारण के लिए नीति बैंक की वेबसाइट https://punjabandsindbank.co.in/content/psb-policy पर उपलब्ध है।
- c) विगत तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर शेयर बाज़ार (ओं) या बोर्ड या किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध इकाई पर लगाए गए शास्ति, आक्षेप का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	विवरण
1	2020-21	बीएसई और एनएसई ने सितंबर 2020 को समाप्त छमाही के लिए सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के
		विनियमन 23 (9) के गैर-अनुपालन के लिए अर्थदंड लगाया है। बाद में शेयर बाज़ारों द्वारा इसे माफ कर दिया
		गया था।
2	2021-22	बीएसई ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 27 (2) के संदर्भ में अपेक्षित कंपनी अभिशासन
		विवरणी को देरी से दाखिल करने के लिए शास्ति लगाया था। एक्सबीआरएल में तकनीकी समस्या के कारण
		देरी हुई थी और शेयर बाज़ार द्वारा इसे माफ कर दिया गया था।
3	2022-23	- एनएसई ने विनियम 60 (2) के संदर्भ में ब्याज भुगतान के लिए अभिलेख तिथि की सूचना में एक दिन के
		विलंब के लिए शास्ति लगाया था। शास्ति निरस्त करने के लिए शेयर बाज़ार में आवेदन दिया गया है।
		- बीएसई और एनएसई ने विनियम 29 (2) की शर्तों में अपेक्षित अनुसार दिनांक 21.01.2023 को आयोजित
		निदेशक मंडल की बैठक की सूचना में एक दिन के विलंब के लिए शास्ति लगाया था। शास्ति निरस्त करने के
		लिए शेयर बाज़ार में आवेदन दिया गया है।

- d) बैंक की पर्दाफाश नीति है और किसी भी कर्मचारी को लेखापरीक्षा समिति के अभिगम से वंचित नहीं किया गया है।
- e) लाभांश वितरण नीति, बैंक वेबसाइट <u>https://punjabandsindbank.co.in/content/psb-policy</u> पर उपलब्ध है।
- f) अधिमान्य आबंटन के माध्यम बैंक द्वारा जुटाए गए धनराशि का उपयोग सामान्य व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया गया है।
- g) कंपनी सचिव से इस आशय का प्रमाण-पत्न प्राप्त किया गया है कि बैंक बोर्ड के किसी भी निदेशक को बोर्ड/ कारपोरेट कार्य मंत्रालय या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करने या सतत रखने से विवर्जित नहीं किया गया है अथवा अयोग्य नहीं ठहराया गया है।
- h) वित्तीय वर्ष के दौरान कमोडिटी मूल्य जोखिम तथा कमोडिटी हेजिंग गतिविधियां लागू नहीं है।
- i) बैंक की कोई सहायक कंपनी नहीं है।
- j) यह पृष्टि की जाती है कि ऐसा कोई दृष्टांत नहीं था, जहां बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अनिवार्य रूप से आवश्यक हो सकने वाले बोर्ड की किसी भी समिति की अनुशंसा को स्वीकार नहीं किया था।
- k) विवेकाधीन और अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन की स्थिति नीचे बिंदु 9 और 10 पर विस्तृत हैं।
- 9) कंपनी अभिशासन आवश्यकताओं के अनुपालन का प्रकटीकरण:

रजि. सं.	शीर्षक/ संक्षिप्त वर्णन	अनुपालन स्थिति
		बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत हमारा बैंक तदनुरूप नया बैंक है। शेयरधारक निदेशक के अतिरिक्त बैंक के समस्त निदेशक अधिनियम की धारा 9 (3) के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त/ नामित हैं।
17 व 17 ए	निदेशक-मंडल	बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित है।
		बोर्ड विचार-विमर्श का अधिकांश समय बैंक की व्यावसायिक रणनीति और निष्पादन, अनुपालन, अभिशासन और जोखिम प्रोफाइल पर व्यतीत किया किया जाता है।
		बोर्ड के कार्यकरण में पारदर्शिता और स्वतंत्रता सुनिश्चित है।
18	लेखापरीक्षा समिति	अनुपालन किया गया।
19	नामांकन और पारिश्रमिक समिति	नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना और संदर्भ की शर्तें आरबीआई के निर्देशों/दिशानिर्देशों द्वारा शासित होती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति, अधिनियम की
		धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत निदेशकों के रूप में चयनित होने वाले व्यक्तियों की 'उचित और उपयुक्त' स्थिति के निर्धारण के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया करती है।
20	हितधारक संबंध समिति	अनुपालन किया गया।
21	जोखिम प्रबंधन समिति	अनुपालन किया गया।
22	विजिल तंत्र	अनुपालन किया गया।
23	संबंधित पक्ष लेनदेन	अनुपालन किया गया।
24	सूचीबद्ध इकाई की अनुषंगी के संबंध में कंपनी अभिशासन अपेक्षाएं	अप्रयोज्य
24 A	सचिवीय लेखापरीक्षा	अनुपालन किया गया।
25	स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में बाध्यताएं	अनुपालन किया गया।
26	वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों, निदेशकों तथा प्रवर्तकों सहित कार्मिकों के संबंध में बाध्यताएं	अनुपालन किया गया।
27	अन्य कंपनी अभिशासन अपेक्षाएं	अनुपालन किया गया।
46 (2)(b) से (i)	वेबसाइट	अनुपालन किया गया।

10) अनिवार्य और विवेकाधीन आवश्यकताएं:

बैंक ने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 की अनुसूची V के अनुसार लागू अज्ञापक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 की अनुसूची II {विनियम 27 (1)} के भाग-ई के अनुसार विवेकाधीन अपेक्षाओं के कार्यान्वयन का विस्तार-क्षेत्र इस प्रकार है:

क्र. सं.	विवेकाधीन अपेक्षाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
1	बोर्ड – गैर कार्यपालक अध्यक्ष, सूचीबद्ध इकाई के व्यय पर अध्यक्ष	अनुपालन किया गया। भारत सरकार ने <u>डॉ. चरन सिंह</u> को बैंक
	के कार्यालय को अनुरक्षित करने का पात्र है तथा उसे अपने कर्तव्य-	बोर्ड के <u>गैर-कार्यकारी अध्यक्ष</u> के रूप में नियुक्त किया है।
	निर्वहन में वहन किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति की भी अनुमति है।	
2	शेयरधारकों का अधिकार – विगत छह माह की महत्वपूर्ण	तिमाही/ अर्धवार्षिक/ वार्षिक वित्तीय परिणाम शेयर बाजारों को
	घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्य-निष्पादन की अर्धवार्षिक	भेजे जाते हैं, प्रमुख समाचार-पत्नों में प्रकाशित कराया जाता है
	घोषणा, शेयरधारकों को भेजी जाए।	और शेयरधारकों के सूचनार्थ बैंक वेबसाइट
		https://punjabandsindbank.co.in/ पर प्रदर्शित
		किया जाता है।
3	लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित मत – कंपनी, असंशोधित	लेखापरीक्षकों ने बैंक के वित्तीय विवरण पर असंशोधित राय
	लेखापरीक्षा मत वाली वित्तीय विवरणी की व्यवस्था का चयन कर	व्यक्त की है।
	सकती है।	
4	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के	पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एवं मुख्य
	अलग-अलग पद - सूचीबद्ध इकाई, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	कार्यकारी अधिकारी के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों को
	या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों	नियुक्त किया है।
	को नियुक्त कर सकती है, जैसे कि अध्यक्ष	
	(a) एक गैर-कार्यकारी निदेशक होगा; तथा	
	(b) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत परिभाषित शब्द	
	"रिश्तेदार" की परिभाषा के अनुसार प्रबंध निदेशक या मुख्य	
	कार्यकारी अधिकारी से संबंधित नहीं होगा।	
5	आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग – आंतरिक लेखापरीक्षक	निरीक्षण विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट सीधे
	सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं।	लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

11) संचार के माध्यम:

बैंक, वर्तमान उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार साधनों के माध्यम से अपने शेयरधारकों तथा हितधारकों को उनके हितों से संबंधित जानकारियों के विषय में अवगत कराते रहने की आवश्यकता को समझता है।

अनुमोदन पश्चात बोर्ड बैठक की समाप्ति पर तत्काल बैंक के वित्तीय परिणाम उन शेयर बाजारों को प्रस्तुत की जाती है जहाँ बैंक की प्रतिभृतियाँ सूचीबद्ध है। परिणाम, अंग्रेजी भाषा के राष्ट्रीय दैनिक अखबार जो पुरे भारत में या पर्याप्त रूप से प्रसारित है, में तथा बैंक के पंजीकृत कार्यालय अर्थात दिल्ली की राज्यभाषा में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्न में भी प्रकाशित होते हैं। बैंक, वित्तीय परिणामों और उसमें प्रबंधन दृष्टिकोण पर विश्लेषक बैठक, निवेशकों/ विश्लेषकों आदि के साथ बैठकें भी आयोजित करता है।

बैंक की तिमाही/ इयर-ट्-डेट/ वार्षिक वित्तीय परिणाम, प्रेस-विज्ञप्ति और विश्लेषकों के समक्ष प्रस्तुति की प्रति तथा अन्य आधिकारिक घोषणाओं को बैंक वेबसाइट https://punjabandsindbank.co.in/ पर प्रदर्शित किया जाता है।

बैंक का इक्विटी शेयर, भारत के निम्नांकित प्रमुख शेयर बाजारों में सूचीबद्ध है :

- बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड फिरोज जीजाभॉय टॉवर, 25 वां तल, दुलाल स्ट्रीट, फोर्ट मुंबई-400 001 बीएसई कोड: 533295
- ii) नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड "एक्सचेंज प्लाजा", बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051

एनएसई कोड: PSB-EQ

एक्सचेंज (ओं) के साथ सूचीबद्ध सभी प्रतिभृतियों के संबंध में एनएसडीएल, सीएसडीएल को अभिरक्षा शुल्क तथा बीएसई, एनएसई को सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान किया जा चुका है।

बैंक द्वारा जारी बांड के लिए डिबेंचर ट्रस्टी निम्नलिखित हैं:

बांडधारकों के लिए ट्रस्टी

DBI trustee **IDBI Trusteeship Services Ltd** आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि.

यूनीवर्सल इंशोरेंस बिल्डिंग, भू-तल, सर पी एम रोड, फोर्ट मुंबई, महाराष्ट्र - 400 001 दुरभाष संख्या 022-40807000, +91 7208822299, +91 8591585821 फैक्स संख्या 022-66311776 ई-मेल: itsl@idbitrustee.com

AXIS TRUSTEE

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज़ लिमिटेड

एक्सिस हाउस, बॉम्बे डाइंग मिल परिसर, पांडुरंग बुद्धकर मार्ग वर्ली, मुंबई - 400 025 दुरभाष: +91 22 62260054/ 6226 0050 ई-मेल:

debenturetrustee@axistrustee.in

VISTRA ITCL

विस्तरा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड

द आईएल एण्ड एफएस वित्तीय केंद्र प्लॉट संख्या सी-22, जी ब्लॉक, सातवाँ तल बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व), मुबंई 400051

दुरभाष: +91 22 2659 3535 फैक्स: +91 22 2653 3297

ई-मेल : mumbai@vistra.com



11.1 प्रतिभूतियों का अमूर्तीकरण:

सेबी की अनिवार्य डीमेट सूची के अंतर्गत बैंक के शेयर आते हैं और बैंक ने अपने शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए नैशनल सिक्युरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार किया है। शेयरधारक, एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के पास अपने शेयरों का अमूर्तीकरण करा सकते हैं।

नीचे दिए गए विवरण अनुसार 31 मार्च 2023 को बैंक के पास 6,77,77,86,447 इक्विटी शेयर हैं जिनमें से 6,77,77,05,318 शेयर अमूर्त रूप में है।

धारिता का स्वरूप	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भौतिक	81,129	0.0012
अमूर्त		
एनएसडीएल	8,06,07,961	1.1893
सीडीएसएल*	6,69,70,97,357	98.8095
कुल योग	6,77,77,86,447	100.0000

^{*}इनमें भारत सरकार द्वारा धारित 6,65,90,51,093 सामान्य शेयर शामिल हैं।

11.2 इलेक्टॉनिक समाशोधन सेवाएं (ईसीएस) :

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं, भुगतान की आधुनिक पद्धति है जहाँ लाभांश/ब्याज इत्यादि की राशि सीधे संबंधित निवेशकों के बैंक खाते में जमा की जाती है। ईसीएस/एनईसीएस सुविधा के अंतर्गत बैंक ने शेयरधारकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रिक्षत सभी केंद्रों पर इस सुविधा का लाभ उठाने का विकल्प दिया गया है।

11.3 शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकों की शिकायतों का निराकरण:

बैंक के शेयर, बीएसई और एनएसई दोनों पर ISIN INE608A01012 के अंतर्गत डीमेट में व्यापार योग्य हैं। नैशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल), बैंकों के शेयर्स को अमूर्त रूप में रखने वाले दो डिपॉजिटरी हैं।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि अमूर्त रूप में धारित शेयर्स के लिए पते और/या बैंक अधिदेश (बैंक का नाम, पता, खाता संख्या, एमआईसीआर कोड इत्यादि) में परिवर्तन की स्थिति में अभिलेख में अद्यतन हेतु सीधे अपने डिपॉजिटरी सहभागी (डीपी) को सूचित करें।

शेयरधारकों, बांडधारकों तथा अन्य प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों के निराकरण तंत्र की जांच-पड़ताल के लिए बोर्ड ने हितधारक संबंध समिति गठित की है। नियमित अंतराल पर समिति की बैठकें आयोजित होती है तथा वह निवेशकों के शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करती है।

बैंक ने अपने शेयर ट्रांसफर एजेंट के रूप में लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड को नियुक्त किया है।

निवेशक, शेयर ट्रांसफर एजेंट को निम्नांकित पते पर संपर्क कर सकते हैं:

लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड, (यूनिट : पंजाब एण्ड सिंध बैंक)

नोबेल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट एनएच 2, सी-1 ब्लॉक एलएससी सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

दूरभाष: (011) 41410592 से 0594

फैक्स : (011) 41410591, ई-मेल : delhi@linkintime.co.in

बैंक ने प्रधान कार्यालय, 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली – 110008 पर शेयर कक्ष की स्थापना की है जहाँ शेयरधारक अपने सुझाव/ शिकायतों के निराकरण के लिए नीचे दिए गए पर मेल कर सकते हैं:

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

प्रधान कार्यालय : लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग (शेयर कक्ष)

21, राजेन्द्र प्लेस, प्रथम तल,

नई दिल्ली 110 008, दुरभाष संख्या : (011) 41424071

फैक्स: (011) 25781639, ई-मेल: complianceofficer@psb.co.in

सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनिमय 2015 के विनिमय 6 (2) (डी) के अनुसार उपर्युक्त ई-मेल आई डी, निवेशकों की शिकायतों के लिए विशेष रूप से अभिहित है।

12) निलंब खाते में आबंटितीयों के अदावी शेयरों के संबंध में स्थिति रिपोर्ट (31.03.2023):

क्र. सं.	ब्यौरा	एनएसडीएल	सीडीएसएल
ਲਾ. ਚ.	ब्यारा	IN301330-21335661	1601010000399414
1	वर्ष के प्रारंभ में पीएसबी अदावी उंचत खाते में रखे हुए शेयरों की संख्या	1172	1230
2	शेयर अंतरण के लिए संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या तथा उन शेयरधारकों की संख्या जिनके शेयरों को उंचत खाते से अंतरित किया गया		
3	वर्ष के अंत में पीएसबी अदावी उंचत खाते में रखे हुए शेयरों की संख्या	1172*	1230*

^{*}प्रमाणित किया जाता है कि इन शेयरों पर मताधिकार उक्त शेयरों के वास्तविक स्वामी द्वारा दावा किए जाने तक अवरोधित रहेंगे।

13) बैंक द्वारा प्राप्त ऋण पालता निर्धारण:

श्रेणी निर्धारक एजेंसी	टीयर-II बांड के लिए श्रेणी निर्धारण	अतिरिक्त टीयर-I बांड के लिए श्रेणी निर्धारण	जमाराशियों के प्रमाणपत्न के लिए श्रेणी निर्धारण
सीएआरई	सीएआरई एए – स्थिर (आउटलुक को नकारात्मक से स्थिर में संशोधित किया गया)	-	
क्रिसिल	क्रिसिल एए नकारात्मक (पुनः पुष्टि की गई)	-	
आईसीआरए		-	आईसीआरए ए1 + (पुनः पुष्टि की गई)
इंफोमेरिक्स	आईवीआर एए स्थिर (नई श्रेणी निर्धारण)	-	

14) सांविधिक लेखा-परीक्षकों को भुगतान किए गए शुल्क का विवरण:

प्रकृति	राशि
सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक	9,07,75,300
सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक	1,67,03,360

15) कंपनी अभिशासन:

बैंक ने उन पद्धतियों, परिपाटियों व संहिताओं को अपनाया है और उनका पालन कर रहा है जो जमाकर्ताओं सहित अपने वित्तीय हितधारकों को गुणवत्तापूर्वक कंपनी अभिशासन पर उच्च स्तर का आश्वासन प्रदान करता है। बैंक में पारदर्शी स्वामित्व संरचना, सुपरिभाषित कार्यकारी प्रबंधन संरचना, संतोषजनक जोखिम प्रबंधन पद्धतियां, बोर्ड व वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति व कार्यों में पारदर्शिता तथा इसके निरीक्षण विभाग व स्वतंत्र लेखापरीक्षक फर्मों दोनों द्वारा संपन्न विस्तृत लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली विद्यमान है।

16) कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण:

01.04.2022 तक लंबित शिकायतों की संख्या	2
कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान	3
दुर्ज शिकायतों की संख्या	
वर्ष के दौरान निराकृत शिकायतों की संख्या	5
31.03.2023 को लंबित शिकायतों की संख्या	0

17) वित्तीय कैलेंडर (संभावित):

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023	
13वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि, समय और स्थान	बैंक की 13वीं वार्षिक सामान्य बैठक मंगलवार, 11जुलाई, 2023 को पूर्वाह्र 11:00 बजे वीसी के माध्यम से आयोजित की जाएगी और बैठक का मानित स्थान, बैंक का प्रधान कार्यालय होगा।
बही संवरण तिथि	बुधवार, 05 जुलाई 2023 से मंगलवार, 11 जुलाई 2023
लाभांश के लिए निर्दिष्ट तारीख	04 जुलाई, 2023
लाभांश भुगतान तिथि	13वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से 30 दिनों के भीतर

18) 31 मार्च, 2022 को शेयरधारिता प्रतिरूप:

क्र. सं.	वर्ग	शेयरधारकों की संख्या	शेयर की संख्या	इक्विटी का प्रतिशत
1	समाशोधनकर्ता सदस्य	49	97482	0.00
2	अन्य कॉरपोरेट निकाय	316	4391020	0.06
3	हिंदू अविभक्त परिवार	5190	2993705	0.04
4	पारस्परिक निधि	5	3221063	0.05
5	राष्ट्रीयकृत बैंक	2	18050	0.00
6	गैर राष्ट्रीयकृत बैंक	1	7946	0.00
7	अनिवासी भारतीय	553	1214367	0.02
8	अनिवासी (गैर प्रत्यावर्तनीय)	502	738629	0.01
9	सार्वजनिक	142560	62761473	0.93
10	न्यास	8	106550	0.00
11	भारत के राष्ट्रपति	1	6659051093	98.25
12	बीमा कंपनी	7	42169570	0.62
13	सीमित देयता भागीदारी	6	4153	0.00
14	अदावी शेयर्स	2	2402	0.00
15	विदेशी संविभाग निवेशक (सामूहिक)-I	2	830044	0.01
16	आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी	1	6000	0.00
17	वैकल्पिक निवेश कोष -III	1	172900	0.00
	कुल	149206	6777786447	100.00



19) 31 मार्च, 2023 को शेयरधारिता (शेयर) का संवितरण – श्रेणीवार :


शेयर की शेयरधारिता	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का प्रतिशत	कुल शेयर्स	कुल का प्रतिशत
1 – 500	130008	87.13	12419638	0.18
501 – 1000	8738	5.86	7177236	0.11
1001 – 2000	4592	3.08	7019036	0.10
2001 – 3000	1884	1.26	4814249	0.07
3001 – 4000	777	0.52	2801088	0.04
4001 – 5000	1046	0.70	4853182	0.07
5001 – 10000	1408	0.94	10100957	0.15
10001 व उससे अधिक	753	0.51	6728601061	99.27
कुल	149206	100.00	6777786447	100.00

20) शेयर बाज़ारों में शेयर का मूल्य, व्यापारित शेयरों की माला (01.04.2022 से 31.03.2023 तक) :

माह	नैशनल स	टॉक एक्सचेंज	ऑफ इंडिया लिमिटेड	(एनएसई)	बॉर्म्	बे स्टॉक एक्स ⁻	वेंज लिमिटेड (बीप	रसई)
	उच्च (₹)	निम्न (₹)	खरीद-फरोख्त की मात्रा (संख्या)	निफ्टी बैंक बंद	उच्च (₹)	निम्न (₹)	खरीद-फरोख्त की माला (संख्या)	बैंकेक्स बंद
अप्रैल 2022	17.45	15.45	8234112	36088.15	17.60	15.40	1062668	41533.91
मई 2022	16.50	13.10	8065861	35487.40	16.60	13.85	816922	40907.30
जून 2022	15.90	13.00	4662589	33425.10	15.90	12.50	678513	38475.94
जुलाई 2022	15.55	14.05	3809329	37491.40	15.43	13.90	316959	43130.69
अगस्त 2022	16.15	14.75	10249784	39536.75	16.20	14.70	1003623	45295.67
सितंबर 2022	16.65	14.15	8354239	38631.95	16.85	14.65	770239	44179.79
अक्टूबर 2022	17.15	14.90	6153942	41307.90	17.15	14.75	517298	47398.64
नबंवर 2022	22.60	16.20	64436185	43231.00	22.50	16.00	7858042	49348.18
दिसंबर 2022	44.75	20.30	428042718	42986.45	44.65	20.15	49699730	48906.28
जनवरी 2023	33.85	27.60	65397893	40655.05	33.75	27.45	6714458	46079.85
फ रवरी 2023	31.00	24.55	29756262	40269.05	31.00	24.55	4683107	45608.78
मार्च 2023	29.30	23.10	39955044	40608.65	29.36	23.06	4603293	46031.95

^{*}स्त्रोत – एनएसई/ बीएसई वेबसाइट (www.nseindia.com/www.bseindia.com)

बैंक निफ्टी की तुलना में बैंक शेयर के प्रदर्शन का आलेखी वर्णन नीचे दिया गया है 21)



22) 31 मार्च, 2023 को शेयरधारकों का भौगोलिक (राज्यवार) वितरण:

क्र. सं.	राज्य	शेयरधारकों की संख्या	धारित शेयर	प्रतिशत*
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	18	979	0.00
2	आंध्र प्रदेश	7635	3888016	0.06
3	अरूणाचल प्रदेश	156	96908	0.00
4	असम	1072	231578	0.00
5	बिहार	3262	1440599	0.02
6	चंडीगढ़	890	517526	0.01
7	छत्तीसगढ़	1045	432396	0.01
8	दादर और नगर हवेली	24	7740	0.00
9	दमन और दीब	16	4516	0.00
10	दिल्ली	13006	6667279102	98.36
11	गोवा	249	138840	0.00
12	गुजरात	20502	7238168	0.11

13	हरियाणा	5795	3230256	0.05
14	हिमाचल प्रदेश	637	263851	0.00
15	जम्मू और कश्मीर	489	252160	0.00
16	ज्ञारखंड	1740	822367	0.01
17	कर्नाटक	6602	2964194	0.04
18	केरल	2232	1079580	0.02
19	लक्ष्यद्वीप	1	5	0.00
20	मध्य प्रदेश	4965	1987562	0.03
21	महाराष्ट्र	26576	60202509	0.89
22	मणिपुर	77	52638	0.00
23	मेघालय	28	3817	0.00
24	मिजोरम	8	4951	0.00
25	नागालैंड	38	14252	0.00
26	ओड़िसा	1529	546407	0.01
27	अन्य	1297	1777845	0.03
28	पुदुचेरी	76	32607	0.00
29	पंजाब	6898	3826297	0.06
30	राजस्थान	12319	4374617	0.06
31	सिक्किम	15	4433	0.00
32	तमिलनाडु	7209	3393626	0.05
33	त्रिपुरा	71	34682	0.00
34	उत्तर प्रदेश	12214	5949963	0.09
35	उत्तराखण्ड	1184	540881	0.01
36	पश्चिम बंगाल	9331	5150579	0.08
	कुल	149206	6777786447	100

^{*0.00%} उन मूल्यों को संदर्भित करता है जो 0.01% से कम है।

23) कंपनी सचिव से इस आशय का प्रमाण-पल कि निदेशक मंडल के किसी भी निदेशक को बोर्ड/ कारपोरेट कार्य मंत्रालय या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखे जाने से वंचित अथवा अयोग्य नहीं ठहराया गया है, प्राप्त किया गया है तथा नीचे उपलब्ध कराया गया है :

R S KATHURIA & Co.

Company Secretaries FCS, LL.B, Insolvency Professional



A-215/55 & 67, Chawala Complex, Shakarpur, Delhi- 110092 Tel:- 98-10544091 E-mail: rsk04069@rediffmail.com

निदेशकों के गैर-अयोग्यता का प्रमाण पत्न {सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 34 (3) तथा अनुसूची V, अनुच्छेद सी, उपबंध (10) (i) के अनुसरण में}

समस्त सदस्य पंजाब एण्ड सिंध बैंक 21, राजेंद्र प्लेस नई दिल्ली -110008

हमने, पंजाब एण्ड सिंध बैंक जिसका पंजीकृत कार्यालय 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 (यहाँ इसके बाद 'बैंक' के रूप में संदर्भित) में है, के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टर, अभिलेखों, फॉर्म, विवरणियों तथा प्रकटनों की जांच की है जिन्हें भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 की अनुसूची V, अनुच्छेद सी, उपबंध(10)(i) के साथ पठित विनियम 34 (3) के अनुसरण में इस प्रमाण-पत्न को जारी करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

हमारे विचार से तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और यथा आवश्यक माने गए सत्यापनों {पोर्टल <u>www.mca.gov.in</u> पर निदेशकों की पहचान संख्या (DIN) की स्थिति सहित} एवं बैंक व उसके अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम एतदद्वारा प्रमाणित करते हैं कि नीचे बताए गए अनुसार बैंक के बोर्ड के किसी भी निदेशक को 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, कॉरपोरेट मामले मंत्रालय या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या जारी रखे जाने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

नियुक्ति की पावता सुनिश्चित करने/ बोर्ड में प्रत्येक निदेशक को जारी रखने का उत्तरदायित्व बैंक प्रबंधन का है। हमारा दायित्व है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर विचार प्रकट करें। यह प्रमाण-पत्न, भविष्य में न तो बैंक की व्यवहार्यता और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के लिए आश्वासन है जिससे प्रबंधन, बैंक संबंधी व्यवसाय करता है।

> कृते आर एस कथूरिया एण्ड कंपनी कंपनी सचिव

: नई दिल्ली स्थान दिनांक : 28 अप्रैल, 2023

आर एस कथूरिया

प्रोपराइटर

एफसीएस 5217; सीपी संख्या: 3112

यूडीआईएन: F005217E000217814



कंपनी अभिशासन की शर्तों के अनुपालन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्न

पंजाब एण्ड सिंध बैंक के सदस्यों हेत्

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 तथा सूचीयन करार के अनुपालन में हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए पंजाब एण्ड सिंध बैंक द्वारा कंपनी अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कंपनी अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच, कंपनी अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही बैंक की वित्तीय विवरणियों के विषय में हमारा अभिमत है।

हमारी राय में तथा हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 तथा सूचीयन करार में अनुबंद्ध अनुसार कंपनी अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हमारा यह भी अभिकथन है कि इस प्रकार का अनुपालन न तो भविष्य में बैंक की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा बैंक की दक्षता या प्रभावशीलता के संचालन से संबंधित है।

घिया एण्ड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 001088C

यूडीआईएन : 23420734BGRRZP2375

(सीए शुभम गुप्ता)

पार्टनर

एम .नं . 420734

चतुर्वेदी एण्ड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन : 302137E

यूडीआईएन: 23012705BGWLXW2467

(सीए सतीश चन्द्र चतुर्वेदी)

पार्टनर

एम .नं . 012705

शिव एण्ड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 009989N

यूडीआईएन: 23097424BGSSLY2237

(सीए मनोज कुमार)

पार्टनर

एम .नं .097424

मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

एफआरएन : 001997S

यूडीआईएन : 23221848BGYIHT2638

(सीए संदीप मोगालापल्ली)

पार्टनर

एम .नं . 221848

दिनांकित : 02 मई, 2023 स्थान : नई दिल्ली निदेशक मंडल पंजाब एण्ड सिंध बैंक नई दिल्ली

आदरणीय महोदय,

विषय : भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं] विनियम, 2015 की अनुसूची-V के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए

यह घोषणा की जाती है कि बैंक के समस्त बोर्ड सदस्यों और उच्च प्रबंधन कार्मिकों ने शेयर बाज़ारों के साथ किए गए सुचीयन करार तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड [सुचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं] विनियम, 2015 की अनुसुची-V के अनुसरण में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। उक्त आचार संहिता को बैंक वेबसाइट https://punjabandsindbank.co.in/ पर भी प्रदर्शित किया गया है।

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

: नई दिल्ली स्थान (स्वरूप कुमार साहा)

दिनांक : 02.05.2023 प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

निदेशक मंडल पंजाब एण्ड सिंध बैंक नई दिल्ली आदरणीय महोदय,

विषयः वर्ष 2022-23 के लिए सीएफओ/ सीईओ प्रमाणीकरण।

भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड [सृचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं] विनियम, 2015 के अनुपालन प्रमाण-पत्न की अनुसूची-II कंपनी अभिशासन भाग-बी के अनुसरण में हम एतदद्वारा प्रमाणित करते हैं कि :

- (A) हमने वर्ष के वित्तीय विवरणियों तथा नगदी प्रवाह विवरणी की समीक्षा की है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :
 - 1) इन विवरणों में तात्विक रूप से कोई असत्य विवरण अंतर्विष्ट नहीं है या इनमें किसी महत्वपूर्ण/ तात्विक तथ्य का लोप नहीं किया गया है या इनमें ऐसे विवरण अंतर्विष्ट नहीं है जो भ्रामक हो।
 - 2) ये अभिकथन/विवरण कुल मिलाकर बैंक के कार्यकलापों का सही एवं निष्पक्ष/स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और ये विद्यमान लेखा-मानकों, प्रयोज्य विधियो एवं विनियमों के अनुपालन
- (B) हमारी जानकारी व विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसा कोई संव्यवहार नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अवैध हो या जिनसे बैंक की आचार संहिता का अतिक्रमण हुआ हो।
- (C) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने की व उन्हें बनाए रखने का दायित्व स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में बैंक के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है तथा इस प्रकार के आंतरिक नियंत्रणों के स्वरूप व प्रचालन संबंधी किमयों (यदि कोई हो), जो हमारे संज्ञान में है, के संबंध में और इन किमयों को दूर करने के जो उपाय किए हैं या प्रस्तावित है, के संबंध में लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को प्रकटीकरण कर दिया है।
- (D) हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को निम्न के विषय में अवगत कराया है:
 - 1) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक नियंत्रण में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन;
 - 2) वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इसका प्रकटीकरण वित्तीय विवरणियों के नोट में किया गया है; तथा
 - 3) हमारे संज्ञान में आए कपट के महत्वपूर्ण दृष्टांत तथा उसमें प्रबंधन या किसी कार्मिक की संलिप्तता, यदि कोई हो, जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग में बैंक की आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका हो।

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक (महिमा अग्रवाल) (स्वरूप कुमार साहा) मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

: नई दिल्ली स्थान दिनांक : 02.05.2023

मेसर्स घिया एण्ड कंपनी	मेसर्स शिव एण्ड एसोसिएट्स	मेसर्स चतुर्वेदी एण्ड कंपनी	मेसर्स मनोहर चौधरी एण्ड
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	एसोसिएट्स
घिया अस्पताल कॉम्प्लेक्स, ई-68	103, 105, प्लॉट संख्या 1, वर्धमान	पार्क सेंटर, 24, पार्क स्ट्रीट	सनदी लेखाकार
सिद्धार्थ नगर, मालवीय नगर	इंद्रप्रस्थ प्लाजा, आई पी एक्सटेंशन	कोलकाता-700016	27, सुब्रमण्यम स्ट्रीट, अब्राहिमपुरा
जयपुर – 302017	पटपड़गंज दिल्ली - 110092		चेन्नई, तमिलनाडु-600018

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

पंजाब एण्ड सिंध बैंक के सदस्य

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षण पर रिपोर्ट

अभिमत

- 1. हमने पंजाब एण्ड सिंध बैंक ('बैंक') की वित्तीय विवरणियों की लेखा-परीक्षा की है जिनमें 31 मार्च, 2023 का तुलन-पल तथा इस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए बैंक के लाभ-हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरणी तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों सिहत वित्तीय विवरणियों पर नोट्स और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है जिनमें उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाएं और ट्रेजरी विभाग तथा शाखाओं के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 693 शाखाएं और 44 कार्यालय/ प्रसंस्करण केंद्र के विवरण शामिल हैं। हमारे द्वारा लेखापरीक्षित और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का चयन बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। वित्तीय विवरणियों में बैंक की उन 824 शाखाओं की विवरणियां भी शामिल है जिनका लेखापरीक्षण नहीं किया गया है। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं से अग्रिम का 12.59 प्रतिशत, जमाराशियों का 29.92 प्रतिशत, ब्याज आय का 9.85 प्रतिशत और ब्याज व्यय का 25.67 प्रतिशत भाग संबंधित है।
- 2. हमारे अभिमत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपरोक्त वित्तीय विवरणियां, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 ('अधिनियम') द्वारा यथाआवश्यक अनुसार बैंक के अनुरूप जानकारी देती है और यह भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और:
 - a) टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्न एक पूर्ण और निष्पक्ष तुलन-पत्न है जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं, 31 मार्च, 2023 को बैंक की क्रियाकलापों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रदर्शित करने के लिए समुचित रूप से तैयार किया गया है;
 - b) टिप्पणियों के साथ पठित लाभ और हानि खाता, **लाभ** का वास्तविक संतुलन प्रदर्शित करता है ; और
 - c) नकदी प्रवाह विवरणी, उस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए सत्य तथा वास्तविक नकदी प्रवाह प्रस्तुत करती है।

अभिमत का आधार

3. हमने अपना लेखापरीक्षण, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार किया है। उक्त मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों को विस्तारपूर्वक हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा-परीक्षकों के जिम्मेदारी खंड में वर्णित किया गया है। नैतिक अपेक्षाएं जो सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप तैयार वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षण के लिए प्रासंगिक हैं जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक तथा बैंककारी विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 29 के प्रावधान तथा भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा समय-समय पर जारी परिपत तथा दिशानिर्देश शामिल हैं तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं तथा नैतिक आचार संहिता के अनुसार अपनी सभी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, लेखापरीक्षा संबंधी मत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

तथ्यों का प्रभाव

- 4. हम आपका ध्यान निम्न की ओर आकर्षित करना चाहते हैं:
 - a) ₹236.84 करोड़ राशि के परिवार पेंशन में संशोधन के कारण अनुमानित अतिरिक्त देयता के परिशोधन के संबंध में वित्तीय विवरणियों की अनुसूची संख्या 18 {नोट संख्या 14 (i) }। जैसा कि वहाँ अवस्थित है, बैंक ने 31 मार्च 2023 को समाप्त चालू वित्तीय वर्ष के लिए लाभ व हानि खाते में ₹47.37 करोड़ की राशि प्रभारित की है तथा ₹ 142.10 करोड़ राशि के शेष गैर-परिशोधित व्यय को तुलन-पत्न में अग्रेषित किया गया है।
 - b) बोर्ड के अनुमोदन से 31 मार्च, 2023 से एलसीआर की गणना की पद्धति में परिवर्तन के संबंध में अर्थात 30 दिनों की अवशिष्ट परिपक्वता वाले वृहत् जमाराशि के स्थान पर वृहत् निधियन के लिए कुल बकाया जमाराशि को बहिर्वाह के रूप में मानते हुए वित्तीय विवरणियों की अनुसूची संख्या 18 {नोट संख्या 17}। बैंक ने संशोधित पद्धति का उपयोग करते हुए 31 मार्च, 2023 के लिए एलसीआर की गणना की थी और एलसीआर 113.56% पर पहुंचा था। प्रबंधन के अनुसार, इसमें शामिल डाटा की माला और जटिलता के कारण परिवर्तन के तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

उक्त वर्णित मामले के संबंध में हमारे अभिमत को संशोधित नहीं किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा मामले

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले

5. वर्तमान अवधि के लिए वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा में महत्वपूर्ण लेखांकन मामले, वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है तथा उस पर विचार तैयार करने में हमने इन मामलों पर कार्रवाई की है तथा इन मामलों में हम अलग से कुछ विचार नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित करने के लिए बैंक के महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामलों का निर्धारण किया गया है, जिनका विवरण इस प्रकार है :

अग्रिमों का वर्गीकरण, आय की पहचान, गैर-निष्पादित अग्रिमों की	
पहचान और प्रावधानन	
(वित्तीय विवरण की अनुसूची 9 का संदर्भ लें)	हमने आस्तियों के वर्गीकरण और प्रावधानन के संबंध में बैंक के सॉफ्टवेयर,
 अग्रिमों को अर्जक तथा अनर्जक (एनपीए) अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत	परिपत्नों, दिशानिर्देशों, आरबीआई के दिशा-निर्देशों तथा बैंक के आंतरिक
किया जाता है जो आय अभिनिर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानन	निदेशों एवं प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त की है। हमारे लेखा परीक्षण का
(आईआरएसी) मानदंडों और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक	दृष्टिकोण, अनर्जक आस्तियों की पहचान के लिए प्रणाली के अभिकल्प की
(आरबीआई) द्वारा जारी किए गए अन्य परिपत्नों और निर्देशों द्वारा	जांच करना है ताकि मामले में आरबीआई के दिशा-निर्देशों की पुष्टि करते
्र अभिशासित होते हैं। वर्गीकरण और प्रावधानन, बैंक के आईटी सॉफ्टवेयर	हुए अनर्जक आस्तियों की पहचान तथा मूल्यांकन की नमूना जांच सुनिश्चित
। द्वारा अपने कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) के साथ एकीकृत किए जाते हैं।	हो सके।

हमारे लेखापरीक्षा में मामले के संबंध में किस प्रकार कार्रवाई की गई

पहचान किए गए एनपीए के लिए प्रावधान समय बढ़ने और एनपीए के वर्गीकरण, वसूली अनुमान, प्रतिभूति के मूल्य पर आधारित है और आरबीआई द्वारा निर्देष्ट प्रावधान मानदंडों के अधीन हैं।

विवेकपूर्ण मानदंडों/ नियामक आवश्यकताओं के किसी भी अनुचित आवेदन या प्रतिभूति के गलत मूल्य पर विचार करने की स्थिति में, अग्रिमों का आवर्ती मूल्य, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से मूर्त रूप में गलत हो सकता है और वित्तीय वक्तव्यों में अग्रिमों की राशि के महत्व के मद्देनजर, अग्रिमों के वर्गीकरण और प्रावधानन को हमारे लेखापरीक्षा में मुख्य लेखापरीक्षा मामला माना गया है। हमने किसी अग्रिम खाते में अतिदेय, असंतोषजनक आचरण या अशक्ति का पता लगाने के लिए बड़े एवं दुबावग्रस्त ऋणों की नमूना जांच के आधार पर प्रलेखीकरण, परिचालनों/ निष्पादनों की पुनर्समीक्षा की है ताकि हमारे द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं के संबंध में, आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसरण में इनका वर्गीकरण सुनिश्चित हो सके। अन्य शाखा सांविधिक लेखाकारों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं के संबंध में, हम उनकी रिपोटों पर विश्वास करते हैं और सुनिश्चित किया है कि शाखा लेखाकारों द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों को यथाआश्यक विधिवत रूप से लागू किया गया था।

हमने ऋण लेखापरीक्षा, निरीक्षण लेखापरीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा, नियामक लेखापरीक्षा के रिपोर्ट की नमूना जांच के आधार पर समीक्षा की है ताकि किसी भी प्रतिकूल विशेषताओं/ टिप्पणियों वाले अग्रिमों का पता लगाया जा सके और बैंक प्रणाली से व्युत्पन्न रिपोर्ट की समीक्षा की जा सके।

हमने आरबीआई मास्टर परिपत्न/ दिशानिर्देश/ न्यायिक कथनों के अनुपालन के संबंध में नमूना आधार पर दबावग्रस्त अग्रिमों सहित अग्रिमों की समीक्षा की है।

लेखापरीक्षा के दौरान जहां कहीं आवश्यक था, आवश्यक परिवर्तन किए गए और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणियों में इसके प्रभाव को विधिवत रूप से शामिल किया गया।

निवेश अभिज्ञान का वर्गीकरण और मूल्यांकन तथा अनर्जक अग्रिम के लिए प्रावधानन

(वित्तीय विवरण की अनुसूची 8 का संदर्भ लें)

बैंक के निवेश संविभाग में सरकारी प्रतिभूतियों, बाण्ड्स, ऋण पत्न, शेयरों, प्रतिभूति प्राप्तियों तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश सम्मिलित है जिनको तीन वर्गों में वर्गींकृत किया जाता है जैसे परिपक्वता तक धारित, बिक्री हेतु उपलब्ध तथा व्यापार हेतु धारित।

निवेशों का मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की पहचान, उनसे संबंधित आय की पहचान नहीं करना और उन पर प्रावधानन को संबंधित परिपत्नों/ दिशानिर्देशों/ आरबीआई के निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

मूल्यांकन में शामिल निर्णय, लेनदेन की माला, हाथ में निवेश, नियामक

आरबीआई परिपतों/ दिशानिर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में रूपरेखा की समीक्षा और परीक्षण, आंतरिक नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता और मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेश का अभिनर्धारण, निवेश से संबंधित प्रावधानन/ मूल्यहास के संबंध में विशेष्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं शामिल हैं।

हमने, आरबीआई के प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए बैंक द्वारा निर्धारित प्रणाली तथा आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन किया है तथा उसे समझा है।

हमने, एनपीआई के अभिनिर्धारण की प्रक्रिया तथा अप्राप्त आय का तदनुरूप व्युत्क्रम और प्रावधान के सृजन का निर्धारण और मूल्यांकन किया है।

आवश्यकताओं और वित्तीय विवरण में निवेश की राशि के महत्व को ध्यान में रखते हुए, हमने चालू वर्ष के लेखापरीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले के रूप में इसकी पहचान की है।

हमने, आरबीआई के परिपत्नों और निर्देशों के अनुसार अनुरक्षित करने और मुल्यहास के प्रावधान को स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना करने के लिए मुल लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं की हैं। तद्नुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमुनों का चयन किया और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई के लिए परीक्षण किया और एनपीआई के उन चयनित नम्ने के लिए आरबीआई परिपत्न के अनुसार अनुरक्षण के प्रावधान की पुनर्गणना की

लेखापरीक्षा के दौरान यथास्थान आवश्यक परिवर्तन किए गए और उसके प्रभाव को 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणियों में विधिवत रूप से सम्मिलित किया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का मूल्यांकन

बैंक का आईटी वातावरण जटिल है और इसमें बड़ी संख्या में स्वतंत्र और अंतर-निर्भर आईटी सिस्टम शामिल हैं जिनका उपयोग विभिन्न स्थानों पर बड़ी माता में लेनदेन को संसाधित करने और रिकॉर्ड करने के लिए बैंक के संचालन में किया जाता है।

परिणामस्वरूप, बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के लिए ऐसी आईटी प्रणालियों पर उच्च स्तर की निर्भरता है। उपयुक्त आईटी सामान्य नियंत्रण और अनुप्रयोग नियंत्रण यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि ऐसी आईटी प्रणालियां, विश्वसनीय वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पूरी तरह सटीक और आवश्यक डेटा को संसाधित करने में सक्षम हैं।

आईटी, लेनदेन की रिकार्डिंग पर नियंत्रण रखता है, आरबीआई के दिशानिर्देशों/ निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न रिपोर्ट तैयार करता है। इसकी रिपोर्टिंग बैंक में कोर बैंकिंग प्रणाली के कार्य पर निर्भर करती है। इसलिए किसी भी सत्यापन में विफलताओं, गलत इनपुट डाटा और डाटा के गलत निष्कर्षण से प्रबंधन और नियामकों को डाटा की गलत रिपोर्टिंग हो सकती है।

बैंक, अपने सभी अग्रिमों से संबंधित लेनदेन के लिए खाते, सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी सिस्टम) में रखता है अर्थात कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) जो यह चिह्नांकन करता है कि अग्रिम सही हैं या गैर-निष्पादित हैं और उन पर प्रावधान की गणना करता है।

हमने, बैंक द्वारा अपनाई गई सीबीएस प्रणाली का मूल्यांकन किया और समझा है।

हमने, विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं के भीतर प्रमुख स्वचालित नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता का आकलन किया। इसमें सिस्टम इंटरफेस की पूर्णता का परीक्षण, डाटा की पूर्णता और सटीकता, प्रणाली समायोजन नियंत्रण और स्वचालित गणना शामिल है।

हमने, प्रणाली में डाटा की प्रविष्टि का आकलन किया और बैंक में विद्यमान आईटी प्रणाली से वित्तीय जानकारी और विवरणियां निकालने का अध्ययन किया।

नमूना आधार पर सिस्टम द्वारा दी गई आउटपुट और तैयार किए गए रिपोर्ट की समीक्षा की।

जहां कमियों की पहचान की गई थी, हमने क्षतिपूर्ति नियंत्रणों या वैकल्पिक प्रक्रियाओं का परीक्षण किया।

प्रणाली से इनपुट/ आउटपुट डाटा की किमयों को नियंत्रित करने के लिए इसकी प्रभावकारिता हेतु सिस्टम को और सुढ़ढ़ करने की आवश्यकता है।



बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर आईटी सिस्टम और संबंधित नियंत्रण वातावरण के प्रभाव के महत्व के कारण, हमने चालू वर्ष की लेखापरीक्षा के लिए इस प्रकार की आईटी प्रणाली तथा उससे संबंधित नियंत्रण वातावरण के परीक्षण को महत्वपूर्ण मामले के रूप में चिह्नित किया है।

आकस्मिक देयताएं तथा दावे

आकस्मिक देयता एक संभावित दायित्व है जिसका परिणाम एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होन पर निर्भर करता है। प्रबंधन के निर्णय के अनुसार, बैंक के विरुद्ध कर मांगों सहित इस तरह के दावे और मुकदमे अंततः एक दायित्व नहीं बनेंगे।

हालांकि, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए वित्तीय परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं जो इस स्तर पर अनिश्चित हैं।

इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए कानून के संदर्भ में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है, इसे एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया है। हमने बैंक द्वारा दावे और कर मुकदमों के संबंध में प्राप्त प्रबंधन नोट और कानूनी राय पर भरोसा किया है और इस तरह के मुकदमों और दावों की प्रकृति, उनकी वर्तमान स्थिति, स्थायित्व, हाल के आदेशों की जांच और/ या विभिन्न कर प्राधिकारियों/ न्यायिक न्यायाधिकरण से प्राप्त संचार और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई तथा उपलब्ध अभिलेखों और घटनाक्रम से लेकर आज तक के अंतिम समाधान पर दावों/ मुकदमों के परिणामिक दायित्व में बदलने की संभाव्यता की समीक्षा के लिए हमारी आंतरिक टीम को शामिल किया है।

6. वित्तीय विवरणों तथा उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त जानकारी

अन्य जानकारियों के लिए बैंक का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में कंपनी अभिशासन रिपोर्ट (परंतु इसमें वित्तीय विवरणियां और उस पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है), जिसे हमने इस लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तिथि से पूर्व प्राप्त की है, तथा उसमें निदेशकों की रिपोर्ट, व्यवसायिक उत्तरदायित्व व धारणीयता रिपोर्ट (अनुलग्नकों सिहत, यदि हो), जिसे उस तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराया जाना प्रत्याशित है, समाविष्ट है।

वित्तीय विवरणियों के संबंध में हमारी राय में अन्य जानकारी तथा बासल III के अंतर्गत स्तंभ 3 शामिल नहीं है तथा हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन एवं निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणियों की हमारे लेखापरीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी उपरोक्त पहचान की गई अन्य जानकारियों का अध्ययन करना है तथा ऐसा करते समय विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी, वित्तीय विवरणियों या लेखापरीक्षा के दौरान में आए हमारी जानकारी के साथ तात्विक रूप से असंगत है या अन्यथा तात्विक रूप से असंगत प्रतीत होते हैं।

लेखापरीक्षक की इस रिपोर्ट की तारीख से पूर्व प्राप्त अन्य जानकारी पर हमने जो कार्य किया है, उसके आधार पर यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में वस्तुगत तुटि है तो उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन प्रभारी के उत्तरदायित्व

7. बैंक का निदेशक मंडल, इन वित्तीय विवरणों को आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों और बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा समय-समय पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) दिशानिर्देशों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जो बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन तथा नगदी प्रवाह की वास्तविक तथा उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं से बचने तथा धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए बनाए गए अधिनियम के प्रावधानों; उपयुक्त लेखांकन नीति का चयन तथा अनुप्रयोग; विवेकपूर्ण एवं तर्कसंगत अनुमान एवं आकलन करना और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा बनाना, लागू करना एवं उसे बनाए रखना, जिन्हें लेखांकन रिकार्ड की पूर्णता एवं सटीकता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित किया जा रहा था, जो वित्तीय विवरणियों को तैयार करने एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित थे और जो वास्तविक एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और धोखाधड़ी या तुटि के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त हैं, के अनुसरण में उपयुक्त लेखांकन अभिलेखों को अनुरक्षित करना भी शामिल है।

वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में, लाभकारी कारोबार वाली संस्था के रूप में जारी रखने के लिए बैंक की क्षमता का आकलन करने, प्रकटन, जैसा भी लागू है, संस्था की निरंतरता से संबंधित मामलों तथा जब तक प्रबंधन लेखांकन का संस्था की निरंतरता के आधार पर प्रयोग न करे, चाहे वह बैंक का परिसमापन या परिचालन बंद करना चाहते हो या ऐसा करने के अलावा और कोई विकल्प न हो, का मूल्यांकन करने के लिए प्रबंधन उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

8. हमारा उद्देश्य इस विषय में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरण, समग्र रूप से धोखाधड़ी या तुटि के कारण महत्वपूर्ण मिथ्या विवरणों से मुक्त है और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय भी शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है परंतु यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखांकन (एसएएस) के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा में हमेशा गलत विवरण, यदि कोई हो, का पता लगा लिया जाएगा। गलत विवरण धोखाधड़ी या तृटि की वजह से हो सकते हैं तथा उन्हें गंभीर माना जाएगा, यदि अलग-अलग या समग्र रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय पर्याप्त रूप से प्रभावित होते हैं।

मानक लेखांकन (एसएएस) के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर आंकलन करते हैं और पेशेवर संशयात्मकता बनाए रखते हैं। इसके साथ ही हम:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिम, चाहे वे धोखाधड़ी या तुटि के कारण हो, की पहचान एवं मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रिया को तैयार एवं निष्पादित करते हैं और हमारी राय को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप दिए गए गंभीर गलत विवरणों की जांच न करने का जोखिम तृटिवश दिए गए गलत विवरण की अपेक्षा उच्चतर होता है क्योंकि धोखाधड़ी में षड़यंत्र, जालसाजी, इरादतन की गई चुक, मिथ्या प्रस्तुति या आंतरिक कानून के विरूद्ध कार्य करना शामिल हो सकते हैं।
- लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करना ताकि वर्तमान परिस्थितियों में उपयक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाई जा सके।

- उपयोग में लाई गई लेखांकन पद्धितयों को उपयुक्तता और लेखांकन के मूल्यांकन एवं प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटन के औचित्य का मूल्यांकन करना।
- संस्था की निरंतरता के आधार पर लेखांकन संबंधी प्रबंधन के उपयोग को उपयुक्तता और प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा के साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसे मामलों या स्थितियों से संबंधित कोई अनिश्चितता है जो बैंक को संस्थागत निरंतरता को जारी रखने में महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती है, यदि हम महत्वपूर्ण अनिश्चितता के विद्यमान होने का निष्कर्ष निकालते हैं या उक्त प्रकटन हमारी राय को संशोधित करने में अपर्याप्त हो तो वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन हेतु हमें, हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। हमारे निष्कर्ष, हमारे लेखा परीक्षक को रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखांकन साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भविष्य की घटनाएं या मामले बैंक की संस्थागत निरंतरता को रोकने के कारण हो सकते हैं।
- प्रकटन सिहत वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन और वित्तीय विवरण में अंतर्निहित संव्यवहारों और मामलों को उचित प्रकार प्रस्तुत करने के तरीके का मूल्यांकन करना।

उपर्युक्त प्रसंगों में परिमाण (मेटेरिएलिटी), वित्तीय विवरणों में गलत जानकारी का स्तर है जो अकेले या समग्र रूप से ऐसी स्थिति पैदा करने की संभावना रखता है कि वित्तीय विवरणी के पर्याप्त जानकार प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं हम, (i) अपने लेखा परीक्षा कार्य की योजनाओं तथा उसके परिणाम के मूल्यांकन में एवं (ii) वित्तीय विवरण में पहचान किए गए गलत विवरण के प्रभाव का आकलन करने में परिणात्मक महत्ता एवं गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य विषयों के साथ लेखापरीक्षा की समय-सीमा एवं नियोजित स्वरूप तथा हमारी लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पहचान की गई किसी महत्वपूर्ण अनियमितताओं सहित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों से अभिशासन प्रभारी को सूचित करते हैं।

हम अभिशासन प्रभारी को इस विवरण से भी सूचित करते हैं कि हमने निष्पक्षता संबंधी सभी प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का तथा उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों व अन्य मामलों जो हमारी निष्पक्षता को प्रभावित कर सकते हैं और संबंधित रक्षा उपायों, जहाँ भी लागू है, का अनुपालन किया है।

अभिशासन प्रभारी के साथ संप्रेषित मामलों से, हमने उन मामलों को निर्धारित किया है जो वर्तमान अविध के वित्तीय विवरण में लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है और इसलिए प्रमुख लेखा संबंधी मामले हैं। इन मामलों को हम हमारी लेखापरीक्षक को रिपोर्ट में दर्शाते हैं। यदि कानून या विनियम इस मामले के सार्वजिनक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित न करें या जब हम यह तय करते हैं, बहुत ही कम परिस्थितियों में, कि इन्हें हमारी रिपोर्ट में व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से जनहित लाभों से अधिक ऐसी सूचना के प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।

अन्य मामले

9. हमने, बैंक की वित्तीय विवरणों में समाविष्ट 693 शाखाओं तथा 44 कार्यालयों/ प्रसंस्करण केंद्रों की वित्तीय विवरणी/ वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा नहीं की है जिनकी वित्तीय विवरणी/ वित्तीय जानकारी, दिनांक 31.03.2023 को ₹ 27,408.86 करोड़ की कुल आस्तियां तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 556.58 करोड़ के कुल राजस्व दर्शाते हैं जो वित्तीय विवरणी में माना गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/ जानकारी की लेखापरीक्षा, सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है तथा हमारे अभिमत में जहाँ तक यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, पूर्ण रूप से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इस मामले के संबंध में हमारे अभिमत को आशोधित नहीं किया गया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

- 10. बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तुलन-पत्न तथा लाभ एवं हानि खाते तैयार किए गए हैं।
- 11. उपर्युक्त अनुच्छेद 6 से 9 में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा संबंधी सीमाओं के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की अपेक्षाओं के अनुसार और इसमें अपेक्षित प्रकटन की सीमाओं के भी अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - (a) हमने अपने लेखापरीक्षा के प्रयोजन हेतु आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, वे हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार है और उन्हें संतोषजनक पाया गया है;
 - (b) हमारी जानकारी में आए हए बैंक के लेनदेन, बैंक के विवेकाधिकार में हैं ; और
 - (c) बैंक के कार्यालयों तथा शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ, हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन हेतु पर्याप्त हैं।
- 12. "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति- वित्त वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग अपेक्षाएं" पर आरबीआई द्वारा जारी अनुवर्ती संप्रेषण दिनांक 19.05.2020 के साथ पठित आरबीआई पत्न संख्या डीओएस. एआरजी. नं. 6270/08.91.001/2019-20 दिनांकित 17.03.20220 की अपेक्षानुसार, हम उपर्युक्त पत्न के अनुच्छेद 2 में विनिर्दिष्ट मामलों पर रिपोर्ट करते हैं कि:
 - (a) हमारे अभिमत में, उपरोक्त वित्तीय विवरण आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीति के साथ असंगत नहीं होने की सीमा तक प्रयोज्य लेखांकन मानक का अनुपालन करते हैं।
 - (b) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के "अनुबंध ए" में दी गई है। 31 मार्च 2023 को वित्तीय रिपोर्टिंग में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी रिपोर्ट असंशोधित अभिमत व्यक्त करती है।
 - (c) यथा दिनांक 31.03.2023 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, बैंक के निदेशक में से किसी को भी यथा दिनांक 31.03.2023 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है।
 - (d) वित्तीय लेनदेन या मामलों पर कोई पर्यावलोकन या टिप्पणी नहीं है जो बैंक के कार्यकरण पर कोई विपरित प्रभाव डालते हो।
 - (e) खातों के प्रबंधन और उनसे संबंधित अन्य मामलों के संबंध में कोई विशिष्टता, संदेह अथवा प्रतिकृल टिप्पणी नहीं हैं।
- 13. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:
 - (a) हमारे अभिमत में, विधि द्वारा यथा अपेक्षित खाता बहियां उचित रूप से बैंक में रखी गई हैं और जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया है, इन बहियों की जांच से जहाँ तक प्रतीत होता है उनसे प्राप्त विवरणियां हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त है।
 - (b) इस रिपोर्ट में प्रस्तुत तुलन-पत्न, लाभ एवं हानि खाता और नगदी प्रवाह विवरण हमारे द्वारा निरीक्षण नहीं किए गए शाखाओं से प्राप्त खाता बहियों और विवरणियों से मेल खाते हैं।

- (c) बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा निरीक्षित किए गए शाखाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट हमें प्रेषित की गई है तथा इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप से व्यवहृत किया गया है ; और
- (d) हमारे अभिमत में, तुलन-पल, लाभ एवं हानि खाते और नगदी प्रवाह विवरण प्रयोज्य लेखांकन मानकों का, आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुरूप होने की सीमा तक अनुपालन करते हैं।

कृते मेसर्स घिया एण्ड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 001088C

सीए शुभम गुप्ता

पार्टनर

एम. नं. 420734

युडीआईएन: 23420734BGRRZO7034

स्थान : नई दिल्ली

कृते मेसर्स चतुर्वेदी एण्ड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 302137E

सीए सतीश चन्द्र चतुर्वेदी

पार्टनर

एम. नं. 012705

यूडीआईएन: 23012705BGWLXV6179

स्थान : नई दिल्ली

कृते मेसर्स शिव एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार

एफआरएन: 009989N

सीए मनोज कुमार

पार्टनर

एम. नं. 097424

युडीआईएन: 23097424BGSSLW6356

स्थान : नई दिल्ली

कृते मेसर्स मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 001997S

सीए संदीप मोगालापल्ली

पार्टनर

एम. नं. 221848

यूडीआईएन: 23221848BGYIHQ2314

स्थान : नई दिल्ली

दिनांकित: 02 मई, 2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ए'

(सम तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुच्छेद 12 (a) के अंतर्गत "अन्य विधिक तथा विनियामकीय आवश्यकताएं पर रिपोर्ट' का संदर्भ लें।)

भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") के पत्न डीओएस.एआरजी. संख्या 6270/08.91.001/2019-20 दिनांकित 17 मार्च, 2020 (यथा संशोधित) ("आरबीआई संसूचना") द्वारा आवश्यक वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने, संबंधित तारीख को समाप्त वर्ष के लिए **पंजाब एण्ड सिंध बैंक ("संबंधित बैंक")** की वित्तीय विवरणियों के हमारे लेखापरीक्षा से संयोजन में 31 मार्च, 2023 को बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग के पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को लेखा-परीक्षित किया है जिसमें चयनित बैंक शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग भी शामिल है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का दायित्व

बैंक का प्रबंधन, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने तथा उसके अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार होगा जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उक्त आंतरिक नियंत्रण पर आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित किया गया है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंलण का निर्माण, कार्यान्वयन तथा रखरखाव शामिल होगा जो उसके कारोबार के व्यवस्थित तथा दक्ष परिचालन को सुनिश्चित करते हुए प्रभावी रूप से परिचालित बनाये हुए था। इस जिम्मेदारी में बैंक की नीतियों का पालन, बैंक की आस्तियों की रक्षा, धोखाधड़ियों एवं तुटियों की रोकथाम तथा पहचान, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता तथा बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के अंतर्गत यथा आवश्यक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्न और दिशानिर्देशों द्वारा आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समयपूर्वक तैयारी भी शामिल है।

लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय व्यक्त करें। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई'") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर निर्देशन नोट ("गाइडेंस नोट") तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन पर मानक (एसए), प्रयोज्य सीमा तक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के अनुसरण में अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों तथा उक्त निर्देशन नोट के अनुसार यह आवश्यक है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा इस विषय में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित व अनुरक्षित किया गया है और यदि ऐसे सभी नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पक्षों में प्रभावी ढंग से प्रचालित है।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा उनकी प्रचालन प्रभावशीलता के विषय में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल थी। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जोखिम का मुल्यांकन करना कि कोई महत्वपूर्ण दोष विद्यमान है तथा मुल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा और प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण व मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रिया, लेखापरीक्षक के निर्णय के ऊपर आश्रित होगी जिसमें धोखाधड़ी या गलती के कारण वित्तीय विवरणियों की महत्वपूर्ण तुटि के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है।

हमारा मानना है कि निम्नलिखित "अन्य मामले" शीर्षक के निम्नलिखित अनुच्छेद में संदर्भित अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की शर्तों के अनुसार, उनके द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, लेखापरीक्षा संबंधी मत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित हैं।



वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के विषय में पर्याप्त आश्वासन प्रदान करने तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के प्रयोजन से अभिकल्पित किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ तथा प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जो (1) अभिलेख के रखरखाव से संबंधित हैं तथा यह पर्याप्त विस्तार से बैंक की आस्तियों की प्रकृति तथा संबंधित संव्यवहारों को ठीक प्रकार से तथा सही रूप में बताते हैं; (2) पर्याप्त आश्वासन उपलब्ध कराना कि सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणियाँ तैयार करने को संभव बनाने के लिए यथा आवश्यक संव्यवहारों को दर्ज किया जाता है तथा बैंक की प्राध्तियाँ तथा व्यय, बैंक के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार ही किये जाते हैं तथा (3) बैंक की आस्तियों के अप्राधिकृत अर्जन, प्रयोग या प्रवृत्ति की समयपूर्वक पहचान या बचाव के संबंध में पर्याप्त आश्वासन उपलब्ध कराना जिसका वित्तीय विवरणियों पर गंभीर प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतनिर्हित सीमाएं

मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबंधन के नियंत्रणों पर हावी होने सिहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहत सीमाओं के कारण बुटि से या धोखाधड़ी के कारण गंभीर गलत विवरणी की प्रस्तुति हो सकती है तथा ऐसा भी संभव है कि उनका पता न लगाया जा सके। साथ ही, भविष्य की अविधयों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग के किसी मूल्यांकन का पूर्वानुमान इस जोखिमों के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन का स्तर कम हो सकता है।

मत

हमारे मत में, तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी में एवं हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे के अन्य मामले शीर्षक के अंतर्गत शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा संदर्भित रिपोर्टों के आलोक में बैंक ने, वित्तीय रिपोर्टिंग पर सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण पक्षों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंलण रखा है तथा भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंलण की लेखापरीक्षा पर निर्देशन नोट में उक्त आंतरिक नियंलण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए मानदण्ड के अनुसार यथा 31 मार्च, 2023 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसा आंतरिक वित्तीय नियंलण प्रभावी तरीके से कार्य कर रहा था।

अन्य मामले

हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट जहाँ तक 55 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालनात्मक प्रभावशीलता से संबंधित है, वह रिपोर्ट उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखापरीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित हैं।

इस मामले के संदर्भ में हमारी राय को आशोधित नहीं किया गया है।

कृते मेसर्स घिया एण्ड कंपनी कृते मेसर्स शिव एण्ड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार सनदी लेखाकार

एफआरएन : 001088C एफआरएन : 009989N

सीए शुभम गुप्ता सीए मनोज कुमार

पार्टनर पार्टनर

एम. नं. 420734 एम. नं. 097424

यूडीआईएन: 23420734BGRRZO7034 यूडीआईएन: 23097424BGSSLW6356

स्थान : नई दिल्ली स्थान : नई दिल्ली

कृते मेसर्स चतुर्वेदी एण्ड कंपनी कृते मेसर्स मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार सनदी लेखाकार

एफआरएन : 001997S एफआरएन : 302137E

सीए सतीश चन्द्र चतुर्वेदी सीए संदीप मोगालापल्ली

पार्टनर पार्टनर एम. नं. 012705 एम. नं. 221848

यूडीआईएन : 23012705BGWLXV6179 यूडीआईएन: 23221848BGYIHQ2314

स्थान : नई दिल्ली स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 02 मई, 2023



पंजाब एण्ड सिंध बैंक 31 मार्च, 2023 का तुलन-पत्न

		₹	₹
इस तिथि को पूंजी एवं देयताएं	अनुसूची	31.03.23 की स्थिति के अनुसार [लेखा परीक्षित]	31.03.22 की स्थिति के अनुसार [लेखा परीक्षित]
पूंजी	1	67777864	67777864
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	2	83307205	72328029
जमाराशियां	3	1096654900	1021370140
उधार	4	90183832	24436325
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	26621369	24763106
कुल		1364545170	1210675464
आस्तियां			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद एवं शेष	6	62254008	61392384
बैंकों में शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	7	713208	1489858
निवेश	8	448384193	422808739
अग्रिम	9	768194289	636265621
अचल आस्तियां	10	15194228	15774435
अन्य आस्तियां	11	69805244	72944427
कुल		1364545170	1210675464
आकस्मिक देयताएं	12	76453991	99122954

वसूली के लिए बिल		9559266	8998817
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	17		
खातों पर टिप्पणियां	18		
अनुसूची 1 से 18, खातों के अभिन्न भाग हैं।			

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता

		1	`	
			₹	₹
			31.03.23 को समाप्त वर्ष [लेखा परीक्षित]	31.03.22 को समाप्त वर्ष [लेखा परीक्षित]
I.	आब			
	अर्जित ब्याज	13	79927314	70958102
	अन्य आय	14	9399603	9593786
	कुल		89326917	80551888
II.	व्यय			
	व्यय किया गया ब्याज	15	50193510	44444954
	परिचालन व्यय	16	24634019	22806029
	आकस्मिक व्यय एवं प्रावधान		1369098	2910359
	कुल		76196627	70161342
III.	लाभ/हानि			
	अवधि के लिए निवल लाभ/ हानि (-)		13130290	10390546
	अग्रानीत लाभ/ हानि(-)		6260282	-35775467
	शेयर प्रीमियम		0	35775467
	सांविधिक आरक्षित निधि से आहरण		0	1090000
	कुल		19390572	11480546
	मूल एवं तनुकृत अर्जन प्रति शेयर (ईपीएस)		1.94	2.56
	l .			

IV.	विनियोजन			
	अंतरण : सांविधिक आरक्षित निधि		3290000	2600000
	पूंजी आरक्षित निधि [निवेश]		69106	669880
	धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि		0	86176
	निवेश उच्चावचन आरक्षित निधियां		316663	1864208
	लाभांश		2101114	0
	कर्मचारी कल्याण न्यास		50000	0
	शेष को तुलन पत्र में ले जाया गया		13563689	6260282
	कुल		19390572	11480546
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	17		
	खातों पर टिप्पणियां	18		
	अनुसूची 1 से 18, खातों के अभिन्न भाग हैं।			

महिमा अग्रवाल तीरथ राज मेंदीरत्ता मुख्य वित्तीय अधिकारी निदेशक

रश्मि खेलपाल शंकर लाल अग्रवाल

निदेशक निदेशक

एम.जी. जयश्री के.पी. पटनायक निदेशक निदेशक

कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र डॉ. रामजस यादव कार्यकारी निदेशक कार्यकारी निदेशक

डॉ. चरन सिंह स्वरूप कुमार साहा

समतिथि पर हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते घीया एण्ड कं. सनदी लेखाकार

एफआरएन 001088C

(शुभम गुप्ता) एम. सं. 420734 स्थान: नई दिल्ली

यूडीआईएन: 23420734BGRRZQ6913

कृते चतुर्वेदी एण्ड कं. सनदी लेखाकार

एफआरएन: 302137E

(सतीश चन्द्र चतुर्वेदी) एम.सं. 012705 स्थान: नई दिल्ली

यूडीआईएन: 23012705BGWLXV6179

: नई दिल्ली स्थान :02 मई, 2023 दिनाक

कृते शिव एण्ड एसोसिएटस्

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 009989N

(मनोज कुमार) एम.सं. 097424 स्थान: नई दिल्ली

यूडीआईएन: 23097424BGSSMA5745

कृते मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स्

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 001997S

(संदीप मोगलापल्ली) एम. सं. 221848 स्थान: नई दिल्ली

यूडीआईएन: 23221848BGYIHU3060

(000 छोड़कर)

		₹	₹
	अनुसूची 1-पूंजी	31.03.23 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]	31.03.22 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]
	प्राधिकृत पूँजी:		
I.	इक्विटी शेयर पूँजी (प्रत्येक ₹ 10 के 1000,00,00,000 शेयर)	100000000	100000000
		100000000	100000000
	निर्गम, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी:		
I.	प्रत्येक ₹ 10/- के 6,77,77,86,447 इिक्वटी शेयर पूंजी (विगत वर्ष 6,77,77,86,447) [केंद्र सरकार द्वारा धारित प्रत्येक ₹ 10/- के 6,65,90,51,093 (विगत वर्ष 6,65,90,51,093) शेयर सहित]	67777864	67777864
	कुल	67777864	67777864

		₹	₹
	अनुसूची 2 – आरक्षित निधि एवं अधिशेष	31.03.23 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]	31.03.22 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]
I.	सांविधिक आरक्षित निधि		
	अथरो ग	12446906	10936906
	योग: वर्ष के दौरान परिवर्धन	3290000	2600000
	कम: वर्ष के दौरान कटौती	0	-1090000
	उष-योग I	15736906	12446906
II.	पूंजी आरक्षित निधि:		
	a. पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि (अचल आस्तियाँ):		
	अथशेष	9199014	9184403
	योग: वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	89861
	कन: वर्ष के दौरान कटौती	-76768	-75250

	उष-योग II. a	9122246	9199014
	b. पूंजी आरक्षित निधि [निवेश]		
	अथशेष	7459234	6789354
	योग: वर्ष के दौरान परिवर्धन	69106	669880
	उष-योग II. b	7528340	7459234
III.	शेयर प्रीमियम:		
	अथशेष	31319785	48351091
	योग: वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	18748816
	क म : वर्ष के दौरान कटौती	0	-35780122
	उष-योग III	31319785	31319785
IV.	राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधि		
	a). सामान्य आरक्षित निधि		
	अथशेष	1089003	1089003
	योग: वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
	क म : वर्ष के दौरान कटौती	0	0
	उष-योग IV. a	1089003	1089003
	b). राजस्व आरक्षित निधि:		
	अथशे¶	351561	276311
	योग: वर्ष के दौरान परिवर्धन	76768	75250
	क न : वर्ष के दौरान कटौती	0	0
	उष-योग IV. b	428329	351561
	c). धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि :		
	अथशेष	2004818	1918642
	योग: वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	86176



	उब-योग IV. c	2004818	2004818
	d). निवेश आरक्षित निधि		
	अथशेष	333218	333218
	योग: वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
	उप योग IV. d	333218	333218
	e). निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि		
	अथशेष	1864208	0
	योग: वर्ष के दौरान परिवर्धन	316663	1864208
	उब-योग IV. e	2180871	1864208
V.	लाभ एवं हानि खाते का शेष	13563689	6260282
	कुल [I से V]	83307205	72328029

		₹	₹
	अनुसूची 3 – जमाराशियां	31.03.23 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]	31.03.22 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]
A	I. मां ग जमाराशियां		
	i. बैंकों से	1668873	589421
	ii. अन्यों से	48080431	40946334
	II. बचत बैंक जमाराशियां	318581762	303748441
	III. आवधिक जमाराशियां		
	i. बैंकों से	3623481	1330704
	ii. अन्यों से	724700353	674755240
	कुल [I+II+III]	1096654900	1021370140
В	भारत में शाखाओं की जमाराशियां	1096654900	1021370140

		(000 छोड़कर)
	₹	₹
अनुसूची 4 – उधार	31.03.23 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]	31.03.22 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]
I. भारत में उधार		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	0	
ii) अन्य बैंक	0	
iii) अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां	77810832	206332
iv) अतिरिक्त टीयर - I बॉन्ड	0	1000000
v) गौण ऋण	12373000	1237300
II. भारत के बाहर उधार राशियां	0	
कुल [I व II]	90183832	2443632
उपरोक्त I व II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	77810832	206332

(000 छोड़कर)		
	₹	₹
अनुसूची 5 – अन्य देयताएं एवं प्रावधान	31.03.23 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]	31.03.22 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]
I. देय बिल	3303704	2680828
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	1332649	1401546
III. प्रोदभूत ब्याज	8113873	6876615
IV. आस्थगित कर देयता	0	0
V. अन्य (प्रावधान सहित)	13871143	13804117
कुल	26621369	24763106

	₹	₹
अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और इतिशेष	31.03.23 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]	31.03.22 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]
I. रोकड़ शेष [विदेशी करेंसी नोट सहित]	3235185	2798992
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में इतिशेष		
i) चालू खातों में	52018823	43193392
ii) अन्य खातों में	7000000	15400000
कुल [I व II]	62254008	61392384

(000 छोड़ट		(000 छोड़कर)
	₹	₹
अनुसूची 7 - बैंकों के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर देय राशि	31.03.23 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]	31.03.22 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]
I. भारत में		
i) बैंकों के पास शेष राशि		
a) चालू खातों में	157977	143177
b) अन्य जमा खातों में	0	0
ii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि		
a) बैंक के पा स	0	0
b) अन्य संस्थाओं के पा स	0	0
उब-योग [I]	157977	143177
II. भारत के बाहर		
i) चालू खातों में	555231	1346681
ii) अन्य जमा खातों में	0	0

iii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि	0	
उप-योग [II]	555231	134
कुल [I व II]	713208	148
		(০০০ ন্ত
	₹	
अनुसूची 8 - निवेश	31.03.23 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]	31.03.22 की स्थिति के अ [लेखापरीक्षित]
I. भारत में निवेश		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ * *	288515120	27072
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	0	
iii) शेयर	1551390	152
iv) डिबेंचर तथा बांड्स	154236011	14700
v) सहायक इकाइयां तथा/या संयुक्त उद्यम एवं प्रायोजित संस्थान	0	
vi) अन्य:		
a) वाणिज्यिक पत्न/ सीडी/ प्रतिभूति रसीदें	3709115	326
b) यूटीआई के यूनिट, अन्य म्यूचुअल फंड	372557	28
उष-योग [I]	448384193	42280
II. भारत के बाहर निवेश	0	
कुल [I + II]	448384193	42280
सकल मूल्य	454643310	42766
मूल्य हास का प्रावधान [-]	6259117	485
निवल निवेश	448384193	42280

(000 छोड़कर)

		₹	₹
	अनुसूची ९ - अग्रिम	31.03.23 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]	31.03.22 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]
A	i) क्रय किए गए तथा भुनाए गए बिल	9766742	6141153
	ii) नगद ऋ ण , ओवर ड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण	242618040	219198688
	iii) मीयादी ऋण	515809507	410925780
	कुल	768194289	636265621
В	i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के सापेक्ष अग्रिमों सहित)	573021651	489473388
	ii) बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा अनुरक्षित	123413144	127027702
	iii) अप्रतिभूत	71759494	19764531
	कुल	768194289	636265621
С	भारत में अग्रिम		
	i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	297291346	270615503
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र	172495905	145973298
	iii) बैंक	4697183	13000000
	iv) अन्य	293709855	206676820
	कुल	768194289	636265621

(000 छोड़कर)

	₹	₹
अनुसूची 10 – अचल आस्तियाँ	31.03.23 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]	31.03.22 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]
I. परिसर		
लागत (अथशेष)	4215439	4185371
पुनर्मूल्यन के कारण लागत-वृद्धि	9274264	9355015

उष-योग	13489703	13540386
वर्ष के दौरान परिवर्धन		
वास्तविक लागत	0	30068
पुनर्मूल्यन लागत	0	9274264
वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
वास्तविक लागत	-359	0
पुनर्मूल्यन लागत	0	-9355014
घटाएं: इस तिथि को मूल्यह्रास		
वास्तविक लागत	-408938	-302863
पुनर्मूल्यन लागत	-152018	-75250
कुल-I	12928388	13111591
🛚 अन्य अचल आस्तियाँ (फर्नीचर तथा जुड़नार सहित)		
लागत (अथशेष)	8599682	7450085
वर्ष के दौरान परिवर्धन	1150383	1188710
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-444086	-39113
इस तिथि को मूल्यहास	-7040139	-5936838
कुल II	2265840	2662844
कुल I व II	15194228	15774435
		(000 छोड़कर)
	₹	₹
अनुसूची 11 – अन्य आस्तियाँ	31.03.23 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]	31.03.22 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	0	0
II. प्रोदभूत ब्याज	6761421	6218050
III. अग्रिम में अदा किया गया कर/ स्रोत पर काटा गया कर	5415089	4603797



	IV. लेखन सामग्री और स्टाम्प	42863	47058
	V. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर बैंककारी आस्तियाँ	0	0
	VI. आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	18442476	21683448
	VII. अन्य \$\$	39143395	40392074
	कुल	69805244	72944427
\$\$ आ	\$\$ आरआईडीएफ के अंतर्गत नाबार्ड के साथ संयुक्त रूप से जमा राशि ₹ 2359.44 करोड [पिछले वर्ष ₹ 2759.23 करोड]		

		(000 छोड़कर)
	₹	₹
अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ	31.03.23 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]	31.03.22 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]
I. बैंक के सापेक्ष दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है।	67830	67830
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	383137	558055
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कार ण देयता	34223743	60682255
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटी		
a) भारत में	27903629	26124279
b) भारत के बाहर	0	0
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन तथा अन्य बाध्यताएं	1781221	1972002
VI. अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	12094431	9718533
कुल	76453991	99122954
		(000 छोड़कर)
	₹	₹
अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज	31.03.23 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]	31.03.22 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]
I. अग्रिमों/ बिलों पर ब्याज/ बट्टा	55024390	47784124

II. निवेशों पर आय	23593446	20946587
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	307130	1184293
IV. अन्य	1002348	1043098
कुल	79927314	70958102
		(००० छोड़कर)
	₹	₹
अनुसूची 14 – अन्य आय	31.03.23 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]	31.03.22 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]
I. कमीशन, विनिमय और ब्रोकरेज	1139122	1005837
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल)	1012217	3314714
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	-1153998	-608071
IV. भूमि, भवन तथा अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ (निवल)	21539	-1582
IV. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ (निवल)	362127	561466
V. विविध आय	8018596	5321422
कुल	9399603	9593786
		(000 छोड़कर)
	₹	₹
अनुसूची 15 – व्यय किया गया ब्याज	31.03.23 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]	31.03.22 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]
I. जमाराशियों पर ब्याज	47178381	42077019
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/ अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	1494893	24948
III. अन्य	1520236	2342987
कुल	50193510	4444954



	_
(000	
(000	छोड़कर)

		(, - ,
	₹	₹
अनुसूची 16 – परिचालन व्यय	31.03.23 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]	31.03.22 की स्थिति के अनुसार [लेखापरीक्षित]
I. कर्मचारियों को भुगतान और तत्संबंधी प्रावधान	15444206	14785600
II. किराया, कर और बिजली	1367262	1208020
III. मुद्रण एवं लेखन सामग्री	108374	105087
IV. विज्ञापन और प्रचार	76181	38716
V. बैंक संपत्ति पर मूल्यह्रास	1483332	1370904
घटा : पुनर्मूल्यन आरक्षति निधि से अंतरण	0	0
	1483332	1370904
VI. निदेशकों के शुल्क, भत्ते और खर्च	6930	2023
VII. लेखा परीक्षकों के शुल्क और खर्चे शाखा के लेखा-परीक्षकों के शुल्क व खर्चे सहित)	141980	85900
VIII. विधि प्रभार	136807	139733
IX. डाक-खर्च, तार, टेलीफोन इत्यादि	603375	116946
X. मरम्मत एवं रखरखाव	309043	256196
XI. बीमा	1370738	1297940
XII. अन्य व्यय	3585791	3398964
कुल	24634019	22806029

अनुसूची - 17

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

सामान्य

मूलभूत आधार

वित्तीय विवरणों को लेखा उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत परंपरा जहाँ अन्यथा स्पष्ट न किया गया हो एवं सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धातों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत निर्धारित सांविधिक आवश्यकताओं, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्नों एवं दिशा-निर्देशों तथा कंपनी (लेखा मापदंडों) नियम, 2006 द्वारा अधिसृचित लेखा मानकों की प्रयोज्य सीमा तक तथा भारतीय बैंकिंग उद्योग के वर्तमान कार्यकलापों के आधार पर तैयार एवं प्रस्तुत किया गया है।

प्राक्कलन का आधार

वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी हेतु प्रबंधन को वित्तीय विवरणों की तिथि तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिए सुचित आय और व्यय के अनुसार रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की राशियों में आंकलन करने और विचार करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय वक्तव्यों को तैयार करने में प्रयोग किए गए अनुमान, विवेकपूर्ण और उचित हैं।

विदेशी मुद्रा लेनदेन 2

- विदेशी मुद्राओं वाली समस्त मौद्रिक आस्तियों तथा देयताओं का भारतीय रुपये में परिवर्तन, तुलन-पत्न की दिनांक को लागू विनिमय दरों पर 2.1 किया गया है जिन्हें भारतीय विदेशी विनिमय व्यापारी संघ (फैडाई) द्वारा अधिसचित किया गया था। इसके लिए लाभ-हानि की गणना, लाभ-हानि खाते में की गई है।
- बकाया विदेशी मुद्रा सौदे को वायदा की तिथि को प्रचलित विनिमय दर के अनुसार किया गया है। ऐसे सौदों में लाभ या हानि की संगणना, दिनांक 2.2 31.03.2023 को फैड़ाई द्वारा दी गई दरों पर तथा फैडाई दिशा-निर्देशों और एएस 11 के पैरा 38 के प्रावधानों के अनुसरण में की गई है।
- विदेशी मुद्रा लेनदेन से संबंधित आय और व्यय की मदें, लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर अभिलिखित की जाती है। 2.3
- विदेशी मुद्रा में गारंटी व साख-पत्न सहित स्वीकृति, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्वों के कारण आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन दिनांक 2.4 31.03.2023 को फैडाई द्वारा प्रकाशित दरों के अनुसार किया गया है जबकि समाहरण के लिए बिलों को प्रस्तुतिकरण के समय अनुमानित दरों पर लेखाबद्ध किया गया है।

निवेश 3

निवेश का वर्गीकरण तथा मूल्यांकन, आरबीआई द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों/ दिशा-निर्देशों के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 3.1 विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसरण में किया गया है।

- 3.2 समस्त निवेश संविभाग को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है जैसे 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' तथा ''व्यापार के लिए धारित'' जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों/ निर्देशों के अनुरूप है। इन तीनों वर्गों के अंतर्गत निवेशों का प्रकटीकरण निम्नांकित छह वर्गीकरणों में किया गया है:
 - i. सरकारी प्रतिभूतियां
 - ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
 - iii. शेयर
 - iv. ऋण-पत्र
 - v. सहायक/ संयुक्त उद्यम तथा
 - vi. अन्य

3.3 वर्गीकरण का आधार

- i. ऐसे निवेश जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता हो, उन्हें 'परिपक्वता तक धारित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- ii. ऐसे निवेश जिन्हें खरीदने की तिथि से 90 दिनों के भीतर सैद्धांतिक रूप से पुन: विक्रय के लिए रखा हो, उन्हें 'व्यापार के लिए धारित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- iii. ऐसे निवेश जो उक्त दोनों श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं हों, उन्हें 'विक्रय के लिए उपलब्ध' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- iv. निवेशों को क्रय करते समय उक्त तीनों श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रतिभूतियों का अंतरण सामान्यत: बोर्ड के अनुमोदन से वर्ष में एक बार किया जाता है। अंतरण की तिथि को अधिग्रहण लागत से कम मूल्य/ बहीमूल्य/ बाजार मूल्य पर अंतरित किया गया है तथा इस प्रकार के अंतरण पर मूल्य ह्रास,यदि कोई हो, पर प्रावधान पूर्णतया किया गया है और प्रतिभूतियों के अंकित मूल्यों में तदनुसार परिवर्तन किया गया है।
- 3.4 'परिपक्वता तक धारित' के अंतर्गत प्रतिभूतियों को अधिग्रहण लागत मूल्य पर लिया गया है जब तक ऐसी लागतें, अंकित मूल्य से अधिक न हो, इस प्रकरण में परिपक्वता की शेष अविध पर प्रीमियम, परिशोधनीय है। ऐसे परिशोधन को वास्तविक मदों के रूप में अनुसूची 13 मद II में "निवेशों पर आय" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है। जहाँ लागत मूल्य, प्रतिदान मूल्य से कम है, वहाँ अंतर, वसूली योग्य न होने के कारण इस आय को नहीं लिया गया है। सहायक इकाइयाँ तथा संयुक्त उपक्रम के निवेश के मूल्य में (अस्थाई प्रकृति के अतिरिक्त) किसी प्रकार की कमी, प्रत्येक निवेश हेतु अलग-अलग हास का प्रावधान किया जाता है।
- 3.5 'बिक्री हेतु उपलब्ध' के अंतर्गत प्रतिभूतियों का मूल्यांकन स्क्रिप वार किया गया है तथा हास/वृद्धि को श्रेणीवार पृथक किया गया है। निवल वृद्धि को शामिल नहीं किया गया है, प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत निवल मूल्यहास के लिए प्रावधान किया गया है।
- 3.6 'व्यापार के लिए धारित प्रतिभूतियों' का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया गया है एवं प्रत्येक श्रेणी में निवल मूल्यहास के लिए प्रावधान किया गया है।
- 3.7 निवेश की लागत, श्रेणी के अनुरूप भारित औसत लागत पद्धति पर आधारित है।

3.8 लेखा पद्धति – निपटान तिथि लेखांकन

निपटान तिथि लेखांकन का अभिप्राय है (a) किसी आस्ति का अभिज्ञान जिस दिन वह संस्था द्वारा प्राप्त की जाती है, और (b) किसी आस्ति का अभिज्ञान समाप्त करना तथा इकाई द्वारा इसकी सुपुर्दगी दिवस को निस्तारण पर किसी लाभ या हानि का अभिज्ञान।

तदनुसार, संपूर्ण संविभाग, एसएलआर के साथ-साथ गैर-एसएलआर के लिए बैंक, निपटान तिथि लेखांकन का अनुसरण करता है। निवेश की लागत, श्रेणी के अनुरूप भारित औसत लागत पद्धति पर आधारित है।

'बिक्री हेतु उपलब्ध' एवं 'व्यापार हेतु धारित' श्रेणी के अंतर्गत शामिल निवेशों के मृल्यांकन के उद्देश्य के लिए बाजार मृल्य, शेयर बाजारों पर 3.9 ट्रेड्स/उद्धत से उपलब्ध स्क्रिप का बाजार मूल्य, भारतीय रिज़र्व बैंक की मूल्य सूची, प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीडीएआई) द्वारा फिक्सड इन्कम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फिम्डा) के साथ संयुक्त रूप से घोषित मूल्य है।

गैर-उद्भृत प्रतिभूतियों के संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया निम्नानुसार है:

a	भारत सरकार की प्रतिभूतियां : और राज्य सरकार	फिम्डा/ पीडीएआई/ एफबीआईएल द्वारा दी गई दरों पर।
	की प्रतिभूतियां	
b	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, अधिमान्य शेयर्स,	आरबीआई या फिम्डा/ पीडीएआई/ एफबीआईएल द्वारा ऐसे कीमत-लागत
	ऋण-पत्नों तथा पीएसयू बॉड्स	अंतर सहित फिम्डा/ पीडीएआई/ एफबीआईएल द्वारा निर्धारित दर पर
		परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर।
С	इक्विटी शेयर :	उद्भृत शेयर के लिए एनएसई और बीएसई से लिए गए बाजार मूल्य पर। गैर-
		उद्भृत के लिए, नवीनतम तुलन-पत्न के आधार पर विश्लेषित मूल्य
		(पुनर्मूल्यांकन आरक्षित पर विचार किए बिना) पर, जो विचारित मूल्यांकन
		की तिथि को एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। ऐसे प्रकरणों में जहाँ पर
		नवीनतम तुलन-पत्न उपलब्ध नहीं है, शेयरों का मूल्य ₹ 1/-प्रति कंपनी माना
		गया है।
d	म्यूचुअल फंड यूनिट्स, उद्यम पूंजी निधि तथा	पुनः क्रय मूल्य पर या शुद्ध आस्ति मूल्य पर।
	प्रतिभूति रसीद	
e	राजकोष, नगद प्रबंधन बिल, वाणिज्यिक पत्न, जमा	शुद्ध लागत पर।
	प्रमाण-पत्न, पुनर्पूजीकरण बॉड्स, सहायक, संयुक्त	
	उद्यम तथा प्रायोजित संस्थान :	

3.10 निवेशों के अधिग्रहण मूल्य के निर्धारण में:

- अभिदान के समय प्राप्त प्रोत्साहन को प्रतिभूतियों की लागत से घटाया गया है।
- प्रतिभृतियों के अधिग्रहण पर व्यय की गई दुलाली/ कमीशन/ स्टांप ड्यूटी को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है।
- निवेशों के अधिग्रहण पर प्रदत्त खंडित अवधि ब्याज, यदि कोई हो, को लाभ-हानि खाते के नामे किया गया है। प्रतिभृतियों की बिक्री पर प्राप्त खंडित अवधि ब्याज को ब्याज आय माना जाता है।

निवेशों की बिक्री से लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है। तथापि, 'परिपक्वता के लिए धारित' श्रेणी में निवेशों की बिक्री पर लाभ 3.11 की स्थिति में, लाभ के समतुल्य राशि को आरक्षित पूंजी में विनियोजित किया गया है।

अनर्जक निवेश: 3.12

गैर-निष्पादित प्रतिभूतियों के संबंध में आय की पहचान नहीं की गई है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार ऐसी प्रतिभूतियों में मूल्यह्नास के लिए उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं।

- शेयरों तथा म्यूचुअल फंड पर लाभांश आय की गणना प्राप्ति आधार पर की जाती है। 3.13
- किसी मामले में, 'एएफएस' और 'एचएफटी' श्रेणियों में एमटीएम खाते पर किया गया मृल्यह्नास किसी भी वर्ष में आवश्यक राशि से अधिक पाया 3.14 जाता है तो अतिरिक्त राशि को लाभ एवं हानि खातें में जमा कर दिया जाता है और उसके समतुल्य राशि को अनुसूची 2 में निवेश आरक्षित खातें – "राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां" के शीर्ष के अंतर्गत "आरक्षित और अधिशेष" में समायोजित कर दिया जाता है।

अग्रिम 4.

अग्रिमों का वर्गीकरण "निष्पादक" तथा "गैर-निष्पादक" आस्तियों में किया जाता है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों 4.1 के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं। बैंक ने गैर-निष्पादक आस्तियों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार निम्नानुसार प्रावधान किए हैं:

आस्तियों की श्रेणी	प्रावधान मानदंड
अवमान क	जमानती एक्सपोज़र पर 15%
	गैर जमानती* एक्सपोज़र पर 25%
	गैर जमानती* एक्सपोज़र पर 20%
	आधारभूत संरचना ऋण खातों के संबंध में, जहाँ कुछ सुरक्षा प्रावधान जैसे निलंब खाते उपलब्ध हैं।
संदिग्ध-I	जमानती ऋण पर 25%
	गैर-जमानती ऋण पर 100%
संदिग्ध-II	जमानती ऋण पर 40%
	गैर-जमानती ऋण पर 100%
संदिग्ध-III	जमानती ऋण पर 100%
	गैर-जमानती ऋण पर 100%
हानि	बही बकाया का 100%

^{*} गैर-जमानती ऋणों को ऐसे ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है जहाँ बैंक/ अनुमोदित मूल्यांकक/ भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा मृल्यांकित अनुसार प्रतिभूति का प्राप्य मूल्य, बकाया एक्सपोज़र के आदितः 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

- अग्रिमों को गैर-अभिज्ञापित ब्याज और गैर-निष्पादित अग्रिमों के संबंध में किए गए प्रावधानों/ तकनीकी बट्टे खाते को घटाकर वर्णित किया गया 4.2 है। डीआईसीजीसी/ सीजीटीएमएसई/ ईसीजीसी से प्राप्त दावों को ऐसे अग्रिमों से समायोजित/ तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने तक कम नहीं किया जाता है जबकि समस्त एनपीए खातों में आंशिक वसुली को अग्रिमों में से घटाया जाता है।
- मानक अग्रिमों पर प्रावधान किए गए हैं तथा उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 'अन्य दायित्वों तथा प्रावधान' शीर्ष के अंतर्गत 4.3 रखा गया है।
- पनर्गठित/ पनर्निर्धारित अग्रिमों के लिए प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में किया गया है। 4.4
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार अनर्जक खातों की बिक्री की गणना की जाती है: 4.5
 - जब बैंक, प्रतिभृतीकरण कंपनी (एससी)/ पुनर्सरचना कंपनी (आरसी) को अपनी वित्तीय आस्तियां बेचता है तो इसको बहियों से हटा दिया जाता है।
 - ii. यदि बिक्री का मुल्य, निवल बही मुल्य (एनबीवी) (अर्थात बही मुल्य में कम प्रावधान है) से कम है तो इस कमी को बिक्री वर्ष के लाभ-हानि खाते से डेबिट किया जाता है।
 - iii. यदि बिक्री का मुल्य, निवल बही मुल्य (एनबीवी) से अधिक है तो अतिरिक्त प्रावधान को उस वर्ष में प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है जिसमें यह राशि प्राप्त हुई थी।

अस्थायी प्रावधान 5

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक के पास अग्रिमों एवं निवेशों हेतु अस्थाई प्रावधानों का सृजन करने और उसका उपयोग करने के लिए एक अनुमोदित नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, सुजित किए जाने वाले अस्थाई प्रावधानों की माला का मुल्यांकन किया जाएगा। अस्थाई प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से नीति में निर्धारित असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आकस्मिकताओं के लिए ही किया जाएगा।

6 अचल आस्तियां

- परिसर तथा अन्य अचल आस्तियों को परम्परागत लागत/ पुनर्मृल्यन खातों में लिया गया है। परिसर जिनमें भूमि तथा ऊपरी भाग में अंतर किया 6.1 जाना संभव नहीं है, अधिरचना के मूल्य पर विचार किया जाता है।
- स्थाई पट्टे पर लिए गए परिसरों को पूर्ण स्वामित्व वाला परिसर माना गया है और परिशोधित नहीं किया गया है। 6.2

अचल संपत्तियों पर मृल्यहास 7

मुल्यह्नास निम्नानुसार लगाया गया है : 7.1

- कंप्युटर पर सीधी कटौती प्रणाली के अनुसार 33.33 % परिवर्धन पर पूरे वर्ष का मृल्यहास लगाया गया है चाहे भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों 7.1.1 के अनुसार परिवर्धन की जो भी तिथि हो।
- संपत्तियों के उपयोगी जीवन के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर अचल परिसंपत्तियों में मूल्यहास, मूल लागत के पाँच प्रतिशत अवशिष्ट मूल्य को 7.1.2 ध्यान में रखते हुए प्रभारित किया गया है। वर्ष के दौरान इसके परिवर्धन की तिथि के बावजुद पुरे वर्ष के लिए मुल्यहास किया जाता है। उपयोगी जीवन तथा मल्यहास दर नीचे इस प्रकार है:

क्र. सं.	विवरण	उपयोग की अवधि	मूल्यहास दर
1	परिसर	60	1.58%
2	फर्नीचर और जुड़नार	10	9.50%
3	संयंत्र तथा मशीनरी	15	6.33%
4	वाहन	8	11.88%

- जहाँ कहीं भवन के ऊपरी भाग से शेष भृमि का मुल्य पृथक करना संभव नहीं था, वहाँ परिसरों का मुल्य सम्मिश्रित मुल्य पर लिया गया है। 7.1.3
- वर्ष के दौरान बेची गई/ निपटाई गई आस्तियों पर कोई मूल्यहास नहीं किया गया है। 7.2
- आस्तियों में होने वाले पुनर्मूल्यन के फलस्वरूप मूल्यह्नास को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया है तथा समतुल्य राशि को पुनर्मूल्यन 7.3 आरक्षित निधि खाते से राजस्व आरक्षित निधि खाते में अंतरित किया गया है।

राजस्व निर्धारण 8

- जहाँ अन्यथा वर्णित न हो, आय और व्यय को उपचय आधार पर लिया गया है। 8.1
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसरण में अनर्जक परिसंपत्तियों पर होने वाली आय का निर्धारण प्राप्य आधार पर 8.2 किया जाता है।
- अनर्जक परिसंपत्तियों में आंशिक वसूली को पहले मूलराशि तथा उसके पश्चात ब्याज में समायोजित किया गया है। 8.3
- आरबीआई द्वारा शुरु की गई विशेष योजनाओं यथा दबावग्रस्त आस्तियों (एस4ए) के दीर्घकालिक संरचना हेतु योजना, नीतिगत ऋण पुनर्निर्धारण, 8.4 दीर्घकालिक परियोजना ऋण की नम्य संरचना (5/25), उधारकर्ता संस्थाओं के स्वामित्व में परिवर्तन (नीतिगत ऋण पुनर्निर्धारण योजना के परे), जहाँ खाता तदंतर एनपीए हो जाता है, कोई वसूली इत्यादि के अंतर्गत रक्षित मामलों के लिए पहले ऋण और अग्रिम पर ब्याज जमा किया जाएगा। इसके बाद, वसूली राशि को खाते में बकाया मूलराशि के लिए विनियोजित किया जाएगा। उक्त योजनाओं के अंतर्गत आने वाले सभी खातों में लेखांकन प्रक्रिया एक समान और सुसंगत होगी।
- गारंटियों तथा जारी साख-पत्नों से आय, लॉकर किराया, मर्चेंट बैंकिंग, लेन-देन से आय, मुद्रा-अंतरण सेवा, शेयरों पर लाभांश, आयकर वापसी 8.5 पर ब्याज, क्रेडिट कार्ड पर कमीशन, अतिदेय बिलों पर ब्याज, प्रसंस्करण शुल्क, सरकारी लेन-देन जिसमें पेंशन का संवितरण, म्यूचुअल फण्ड उत्पाद की इकाइयों से आय तथा एटीएम प्रचालनों से आय शामिल है, की संगणना को प्राप्ति आधार पर लिया जाता है।

- ऋण खातों के पूर्ण रूप से समायोजित होने के समब खातों के समाधान पर दी गई छूट को खातों में लिया जाता है। 8.6
- अतिदेय सावधि जमा राशियों पर ब्याज की संगणना, बचत बैंक जमाराशि पर लागू ब्याज दर पर की जाती है। 8.7
- पट्टा करार के नवीकरण पर वृद्धिशील पट्टा किराए के संबंध में देयता की गणना पट्टे के नवीकरण के समय की जाती है। 8.8
- टीयर II पूँजी में उन्नयन के कारण बाँड जारी करने संबंधी व्ययों को आस्थगित राजस्व व्यय माना गया है जिन्हें पाँच वर्ष की अवधि में बट्टे खाते 8.9 में डाला जाएगा।
- शेयर निर्गम व्ययों को शेयर प्रीमियम खाते से समायोजित किया जाता है। 8.10

कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ 9

- उपदान निधि, पेंशन निधि तथा अवकाश नकदीकरण निधि, रजत जयंती बोनस तथा सेवानिवृत्ति उपहार में वार्षिक अंशदान का प्रावधान बीमांकिक 9.1 मुल्यांकन के आधार पर किया जाता है।
- दिनांक 01.04.2010 या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत रक्षित किया जा रहा है। 9.2

आस्तियों का ह्रास 10

अचल संपत्तियों (पुनर्मृल्यांकित आस्तियों सहित) पर ह्रासित हानि (यदि कोई हो) की पहचान आईसीएआई द्वारा जारी एएस 28 (आस्तियों का ह्रास) के अनुसार की जाती है और लाभ-हानि खाते में प्रभारित की जाती है।

11 आय पर कर

- वर्तमान आयकर को लागू कर दरों तथा अनुकूल न्यायिक निर्णयों/ विधिक पर विचार करते हुए भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि के आधार 11.1 पर आंका जाता है।
- एएस 22 के अनुसार आस्थगित कर जिसमें अवधि के लिए कर योग्य आय तथा लेखांकन आय के बीच समयांतर का कर प्रभाव सम्मिलित है, का 11.2 निर्धारण आस्थगित कर आस्तियों/ देयताओं के संबंध में विवेक के विचार को ध्यान में रखकर किया गया है।

अनुसूची- 18

लेखांकन की टिप्पणियां

A) बहियों का शेष मिलान और उनका समायोजन

- कतिपय शाखाओं में, नियंत्रण खातों का सहायक बही खातों के साथ मिलान/ समायोजन का कार्य प्रगति में है। i.
- ii. सीबीएस सिस्टम से पहले, अंतर बैंक खाते (आईबीआर+डीडी) में पुरानी प्रविष्टियों के डेबिट व क्रेडिट बकाया का प्रारंभिक मिलान होता है। दिनांक 31.03.2023 तक समायोजन (पुराने बकाया प्रविष्टियों सहित) कर लिया गया है और समायोजन प्रक्रिया में है।
- iii. देय ड्राफ्टों, प्राप्य/ देय नामे नोट, आरटीजीएस/ एनईएफटी (उचंत) का समायोजन कार्य चल रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक की शर्तों के अनुसार प्रावधान किए गए हैं। 31 मार्च, 2023 तक नोस्ट्रो खातों का समायोजन किया जा चुका है।
 - प्रबंधन की राय में, लाभ-हानि खाते तथा तुलन-पत्न पर उक्त पैरा (i) से (iii) का प्रभाव, यदि कोई है, हालांकि मात्रात्मक नहीं है, तो यह नगण्य होगा।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार 30.09.2022 तक की अवधि और 31.03.2023 तक शेष बकाया से संबद्ध अंतर शाखा खातों में डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियों का विसंयोजन कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप या तो कतिपय शीर्ष में निवल डेबिट या अन्य शीर्ष में निवल क्रेडिट है। छः महीनों से अधिक के अवधि के लिए बकाया निवल डेबिट प्रविष्टियों के संबंध में प्रावधान किया जाना है। अग्रदाय समाशोधन खातों के लिए भी इन्हीं दिशानिर्देशों का अनुसरण किया गया है।
 - अंतर शाखा खाते में निवल क्रेडिट शेष है इसलिए प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।
- दिनांक 01.04.2012 से 31.03.2013 तक की अवधि के लिए अवरुद्ध अदावी जमाराशि खाता (नए अवरुद्ध खाता) में बकाया जमा-प्रविष्टि ₹ 1.32 लाख की राशि मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान डीईएएफ खाते में अंतरित कर दिया गया है।
 - इसके अतिरिक्त 10 वर्षों से अधिक से संबंधित असमायोजित प्रविष्टियों को तिमाही आधार पर डीईएएफ खाते में अंतरित किया जाता है।
 - दिनांक 31.03.2023 को, दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2016 तक की अवधि से संबंधित असमायोजित जमा-प्रविष्टियाँ राशि ₹ 54.98 लाख है तथा तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया है और इसलिए इसे निरुद्ध अदावा जमाराशि खाते (नए निरुद्ध खाता) में अंतरित किया गया था।
- B) 31.03.2023 को ₹ 2.87 करोड़ की मूल लागत तथा ₹ 62.98 करोड़ की पुनर्मूल्यांकन राशि वाली 02 बैंक संपत्तियों के संबंध में कानूनी औपचारिकता को पूरा किया जाना शेष है। (विगत वर्ष 02 बैंक संपत्तियों की मूल लागत ₹ 2.87 करोड़ तथा पुनर्मूल्यांकन राशि ₹ 62.98 करोड़ थी।)

1. नियामक पूंजी

a) नियामक पूंजी का संघटन

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2022-23	2021-22
(i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)*	7990.22	6306.61
(ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी*	0.00	1000.00
(iii)	टियर 1 पूंजी (i + ii)	7990.22	7306.61
(iv)	टियर 2 पूंजी	1553.09	1849.13
(v)	कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2)	9543.31	9155.74
(vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए)	55815.43	49380.53
(vii)	सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1)* (%)	14.32	12.77
(viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 1 पूंजी) (%)	14.32	14.80
(ix)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 2 पूंजी) (%)	2.78	3.74
(x)	जोखिम भारित आस्तियों के अनुपात के लिए पूंजी (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी) (%)	17.10	18.54
(xi)	लीवरेज अनुपात * (%)	5.88	6.03
(xii)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत (%)	98.25	98.25
(xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई चुकता इक्विटी पूंजी की राशि	0.00	2725.12

^{*}पूंजीगत पर्याप्तता अनुपात (बासल III) वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भारत सरकार द्वारा पूंजी के रूप में डाले गए गैर-ब्याज वाले पुनर्पूंजीकरण बॉड्स के निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) पर विचार पश्चात प्राप्त होता है। इसके अलावा, 31 मार्च 2022 और 31 मार्च, 2023 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात की संगणना में पूंजीगत निधियों के निर्धारण में प्रस्तावित लाभांश के प्रभाव की गणना की गई है।

आरक्षित निधि से आहरण b)

दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान पुरानी प्रविष्टियों के दावेदार को भुगतान के लिए सामान्य आरक्षित निधि से शून्य रुपये की राशि निकाली गई है।



2. आस्ति देयता प्रबंधन

a) 31.03.2023 को आस्ति एवं देयताओं के कतिपय मदों का परिपक्वता-स्वरूप:

(राशि करोड़ में)

परिपक्वता स्वरूप	जमाराशियां	ऋण व अग्रिम	निवेश	उधार	विदेशी	मुद्रा
(समयावधि)	जमारागिया	ऋण य आश्रम	।गपरा	ડવાર	आस्तियां	देयताएं
1 दिन	535.12	1330.06	0.00	0.00	148.85	55.24
2-7 दिन	1122.98	298.51	343.89	5400.48	15.72	0.45
8-14 दिन	878.91	170.59	134.36	30.70	25.31	1.62
15-30 दिन	2765.89	1445.49	150.27	0.00	77.29	4.32
31 दिन से 02 माह	5849.81	391.27	54.79	62.76	92.02	8.14
2 माह से अधिक और 3 माह तक	5523.99	2606.69	495.21	62.29	61.71	11.66
3 माह से अधिक और 6 माह तक	14224.20	1262.39	998.85	479.96	95.68	31.36
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	27076.45	5119.30	2342.77	924.41	0.00	63.74
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	26188.57	14854.80	4300.35	820.48	87.26	65.59
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	13246.72	15011.23	3985.93	500.00	0.00	10.72
5 वर्ष से अधिक	12252.85	34329.10	32032.00	737.30	0.00	0.00
कुल	109665.49	76819.43	44838.42	9018.38	603.84	252.84

31.03.2022 को आस्ति एवं देयताओं के कतिपय मदों का परिपक्वता-स्वरूप:

परिपक्वता स्वरूप	जमाराशियां	ऋण व अग्रिम	निवेश	उधार	विदेशी	मुद्रा
(समयावधि)	जमारााराया	ऋण व आश्रम	ागपरा	ુ ડવાર	आस्तियां	देयताएं
1 दिन	439.27	1520.93	0.00	0.00	217.40	18.33
2-7 दिन	1421.93	548.68	83.55	0.00	32.37	0.44
8-14 दिन	1233.23	485.79	96.43	0.00	52.09	1.83
15-30 दिन	1322.07	1508.06	50.00	0.00	98.09	3.88
31 दिन से 02 माह	6699.90	677.50	518.69	1001.36	151.99	11.84
2 माह से अधिक और 3 माह तक	6641.30	1315.83	350.09	11.50	98.15	7.10
3 माह से अधिक और 6 माह तक	13515.91	2663.78	503.49	25.20	78.02	32.22
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	23116.05	3121.80	1592.03	44.90	1.95	50.07
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	22129.64	9721.01	4150.10	123.37	16.75	72.65
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	13422.51	10309.89	4922.70	500.00	101.33	17.96
5 वर्ष से अधिक	12195.20	31753.28	30013.79	737.30	0.00	0.00
कुल	102137.01	63626.55	42280.87	2443.63	848.14	216.32

(q	चलनिधि कवरेज अनुपात						(राशि करोड़ में)		
		30.06.2022	2022	30.0	30.09.2022	31.	31.12.2022	31.0;	31.03.2023
		कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत))
उच्च गुर	उच्च गुणवत्ता चल आस्तियां								
1	कुल उच्च गुणवत्ता चल आस्तियां		25769.72		27196.53		27472.22		25904.69
नकदी प्रवाह	प्रवाह								
2	खुदरा जमाराशियां तथा छोटे कारोबारी ग्राहकों से जमाराशियां जिसमें से	66669.02	6640.02	67725.89	6745.31	69166.23	6889.39	70273.61	92:6669
(i)	स्थिर जमाराशियां	537.71	26.89	545.70	27.29	544.74	27.24	551.90	27.59
(ii)	कम स्थिर जमाराशियां	66131.31	6613.13	67180.19	6718.02	68621.48	6862.15	69721.72	6972.17
3	अरक्षित थोक निधियां, जिसमें से	11738.22	5265.27	10996.55	5068.35	10408.13	5041.56	11244.88	5668.53
(i)	प्रचालन जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	0	0	0	0	0	0	0	0
(ii)	गैर-परिचालनगत जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	11738.22	5265.27	10996.55	5068.35	10408.13	5041.56	11244.88	5668.53
(iii)	अप्रत्याभूत ऋण	0	0	0	0	0	0	0	0
4	जमानती थोक निधियन		0		0		0		0
2	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से	0	80.776	0	819.93	0	900.31	0	1216.73
(i)	डेरिवेटिव एक्सपोज़र से संबंधित बहिर्गमन व अन्य संपार्श्विक आवश्यकताएं	839.66	839.66	96.969	696.96	777.59	777.59	1099.97	1099.97
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन हानि से संबंधित बहिर्गमन	0	0	0	0	0	0	0	0
(iii)	ऋण तथा चलनिधि सुविधाएं	2689.66	137.42	2356.93	122.97	2380.36	122.72	2258.67	116.76
9	अन्य संविद्रागत निधियन द्रायित्व	0	0	0	0	0	0	0	0
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व	10536.03	451.58	9948.91	428.88	10910.05	474.21	11069.85	476.28
8	कुल नकदी बहिर्गमन								
नकदी	नकदी अंतर्वाह								
6	प्रत्याभूत उधार (उदाहरण: रिवर्स रेपो)	640.20	0	44.20	0	5.45	0	1.38	0
10	पूर्णतया निष्पादक एक्सपोज़र से अंतर्वाह	1274.97	756.46	2108.82	1203.97	1874.98	1373.50	1638.55	981.82
11	अन्य नकदी अंतर्वाह	538.57	537.49	748.66	748.66	602.47	598.58	816.22	816.22
12	कुल नकदी अंतर्वाह	2453.74	1293.95	2901.68	1952.63	2482.90	1972.08	2456.15	1798.04
13	कुल एचक्यूएलए		25769.72		27196.53		27472.22		25904.69
14	कुल निवल नकदी बाह्य प्रवाह		12040.00		11109.84		11333.39		12563.26
15	चलनिधि व्याप्ति अनुपाल (%)		214.03%		244.80%		242.40%		206.19%

*नोट संख्या 17 का संदर्भ लें।

	चलानाथं कवरज अनुपात					₹,	(रााश कराइ म)		
		30.06.2021	2021	30.0	30.09.2021	31	31.12.2021	31.0	31.03.2022
		कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अनिर्धारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत))
उस्म	उच्च गुणवत्ता चल आस्तियां								
-	कुल उच्च गुणवत्ता चल आस्तियां		22279.75		26699.46		28305.55		28592.30
नकदी	नकदी प्रवाह								
2	खुदरा जमाराशियां तथा छोटे कारोबारी ग्राहकों से जमाराशियां जिसमें से	60694.60	6023.22	61885.56	6141.23	63756.78	6326.75	65024.49	6465.25
(<u>i</u>)	स्थिर जमाराशियां	924.70	46.23	946.46	47.32	978.53	48.93	744.00	37.20
(ii)	कम स्थिर जमाराशियां	59769.90	5976.99	60939.10	6093.91	62778.25	6277.82	64280.49	6428.05
3	अरक्षित थोक निधियां, जिसमें से	10267.32	4779.67	86.9076	4646.79	8726.35	4112.48	97.9976	4535.15
(<u>i</u>)	प्रचालन जमाराशियौं (सभी प्रतिपक्षकार)	0	0	0	0	0	0	0	0
(ii)	गैर-परेचालनगत जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	10267.32	4779.67	86.9076	4646.79	8726.35	4112.48	97.9976	4535.15
(iii)	अप्रत्याभूत ऋण	0	0	0	0	0	0	0	0
4	जमानती थोक निधियन		0		0		0		0
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से	3066.67	627.59	3348.07	824.28	4217.73	1049.33	3653.48	986.73
(<u>i</u>)	डेरिवेटिव एक्सपोज़र से संबंधित बहिर्गमन व अन्य संपार्श्विक आवश्यकताएं	509.76	509.76	682.16	682.16	868.18	868.18	842.44	842.44
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन हानि से संबंधित बहिर्गमन	0	0	0	0	0	0	0	0
(iii)	ऋण तथा चलनिधि सुविधाएं	2556.91	147.83	2665.91	142.12	3349.55	181.15	2811.04	144.29
9	अन्य संविद्रागत निधियन दायित्व	0	0	0	0	0	0	0	0
	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व	9403.00	397.90	9241.83	390.98	9295.83	392.69	10992.04	478.81
∞	कुल नकदी बहिर्गमन		11858.38		12003.28		11881.25		12465.94
नकर्त	नकदी अंतर्वाह								
6	प्रत्याभूत उधार (उदाहरण : रिवर्स रेपो)	1363.63	0	2871.53	0	3213.04	0	3077.76	0
10	पूर्णतया निष्पादक एक्सपोज़र से अंतर्वाह	1566.03	814.40	1328.17	813.05	1117.89	817.45	1027.39	662.36
11	अन्य नकदी अंतर्वाह	706.54	706.54	532.07	532.07	613.53	613.53	566.77	266.77
12	कुल नकदी अंतर्वाह	3636.20	1520.94	4731.77	1345.12	4944.46	1430.98	4671.92	1229.13
13	कुल एचक्यूएलए		22279.75		26699.46		28305.55		28592.30
14	कुल निवल नकदी बाह्य प्रवाह		10337.44		10658.16		10450.27		11236.81
15	चलनिधि व्याप्ति अनुपाल (%)		215.52%		250.51%		270.86%		254.45%
		दिनांक 01.04.2021 से 30.06.2021 तक की	30.06.2021 तक की	दिनांक 01.07.2021 से	दिनांक 01.07.2021 से 30.09.2021 तक की अवधि	दिनांक 01.10.2021 से 31	दिनांक 01.10.2021 से 31.12.2021 तक की अवधि के दौरान	दिनांक 01.01.2022 से	दिनांक 01.01.2022 से 31.03.2022 तक की अवधि
		अवधि के दौरान किए गए दैनिक प्रेक्षणों के सामान्य	दैनिक प्रेक्षणों के सामान्य	के दौरान किए गए दैनिक	के दौरान किए गए दैनिक प्रेक्षणों के सामान्य औसत के	किए गए दैनिक प्रेक्षणों के स	किए गए दैनिक प्रेक्षणों के सामान्य औसत के आधार पर दिनांक	के दौरान किए गए दैनिब	के दौरान किए गए दैनिक प्रेक्षणों के सामान्य औसत के
		औसत के आधार पर दिनांक 30.06.2021 को समाप्त	30.06.2021 को समाप्त	आधार पर दिनांक 30.09	आधार पर दिनांक 30.09.2021 को समाप्त तिमाही के	31.12.2021 को समाप्त	31.12.2021 को समाप्त तिमाही के लिए चलनिधि कवरेज	आधार पर दिनांक 31.03	आधार पर दिनांक 31.03.2022 को समाप्त तिमाही के
		ितिमाडी के लिए चलनिधि कवरेज अनुपान पाप्न इआ है।	रेन अनुपान पापन हथा है।	स्त्रिम मस्त्रमिष्टि करने च अनगत गान हथा है।	ma ma zan À	क्रियाच साम हामा है।			a

c) निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर)

(राशि करोड़ में)

ब्यौरा	31.03.2022	30.06.2022	30.09.2022	31.12.2022	31.03.2023
उपलब्ध स्थिर निधीयन (एएसएफ)	96261.56	93492.14	97749.10	100527.57	98493.57
आवश्यक स्थिर निधीयन (आरएसएफ)	81705.99	78785.11	76863.97	78766.02	80049.78
एनएसएफआर % (एएसएफ/आरएसएफ)	117.81%	118.67%	127.17%	127.63%	123.04%

इसके अतिरिक्त, समस्त तिमाहियों के लिए एनएसएफआर के घटकों का विवरण बैंक की आधिकारिक साइट <u>www.punjabandsindbank.co.in</u> पर उपलब्ध है।

a) दिनांक 31.03.2023 को निवेश संविभाग की संरचना

				भारत में निवेश					भारत के बाहर निवेश	हर निवेश		Ī
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	भेवर	डिबेंचर तथा बॉड	सहायक इकाइयां तथा संयुक्त उद्यम	क्षन	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्रशासन सहित)	सरकारी प्रतिभूतियाँ सहायक इकाइयां स्थानीय प्रशासन तथा संयुक्त उद्धम सहित)	ल अ	भारत के बाहर कुल निवेश	कुल निवेश इस
परिपक्कता तक धारित												
सकल	22222.91	00.00	00.00	11674.83	00.00	36.32	33934.06	0.00	0.00	00.00	0.00	33934.06
घटा: गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई)	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00
निवल	22222.91	00'0	00.00	11674.83	00:00	36.32	33934.06	00'0	00.00	00.00	0.00	33934.06
बिक्री हेतु उपलब्ध												
सकल	6753.77	0	367.34	4036.49	00.00	372.67	11530.27	00'0	00.00	00'0	0.00	11530.27
घटा: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	125.17	00.00	212.20	287.72	0.00	0.82	625.91	00'0	00.00	00'0	0.00	625.91
निवल	6628.60	0	155.14	3748.77	00:00	371.85	10904.36	0.00	0.00	00.00	0.00	10904.36
कारोबार के लिए धारित												
सकल	0.00	00'0	00.00	00.00	00:00	00.00	0.00	00'0	00.00	00.00	0.00	00.00
घटा: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	00'0	0.00	0.00	00:00	0.00	00.00	00'0	00:00	00'0	0.00	0.00
निवल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल निवेश	28976.68	0:00	367.34	15711.32	0.00	408.99	45464.33	00.00	0.00	0.00	0.00	45464.33
घटा: गैर-निष्पादन निवेश के लिए प्रावधान	0.00	00:0	191.06	267.49	00:0	00.00	458.55	0.00	00:0	00:0	0.00	458.55
घटा: मूल्यह्नास और एनपीआई के लिए प्रावधान	125.17	00:00	21.14	20.23	00:00	0.82	167.36	000	00.00	00:00	0.00	167.36
निवल	28851.51	00:0	155.14	15423.60	0.00	408.17	44838.42	0.00	00.0	0.00	0.00	44838.42

दिनांक 31.03.2022 को निवेश संविभाग की संरचना

				भारत में निवेश					भारत के बाहर निवेश	निवेश		
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	शेवर	डिबेंचर तथा बॉड	सहायक इकाइयां तथा संयुक्त उद्यम	अस	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्रशासन सहित)	सहायक इकाइयां तथा संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत के बाहर कुल निवेश	कुल निवेशा
परिपक्वता तक धारित												
सकल	21629.25	00.00	00.00	11788.99	00.00	26.98	33445.21	0.00	00.00	00.00	00.00	33445.21
घटा : गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई)	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	00:0	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
निवल	21629.25	00:00	0.00	11788.99	0.00	26.98	33445.21	0.00	0.00	0.00	0.00	33445.21
विक्री हेत उपलब्ध												
सकल	5443.46	00.00	354.13	3195.20	0.00	328.24	9321.04	0.00	00:00	0.00	0.00	9321.04
घटा : मूल्यह्नास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	00:00	201.14	283.77	00.00	0.47	485.38	0.00	0.00	0.00	0.00	485.38
निवल	5443.46	0.00	152.99	2911.43	00.00	327.77	8835.66	0.00	0.00	00.00	00.00	8835.66
4 mm												
काराबार के लिए सारत सकल	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00
घटा : मूल्यह्वास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	00:00	0.00	00.00	00.00	0.00	00:0	0.00	00:00	0.00	0.00	00:00
निवल	0.00	0.00	0.00	00.00	00.00	0.00	00.00	0.00	00:00	0.00	00:00	0.00
कल निवेश	27072, 71	00 0	354.13	14984 19	00 0	355 22	42766 25	00 0	00 0	00 0	00 0	70 99207
ु घटा : गैर-निष्पादन के लिए प्रावधान	00.00	0.00	189.64	243.78	00.00	00.00	433.42	0.00	00:00	0.00	0.00	433.42
घटा : मूल्यह्नास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	11.50	39.99	00:0	0.47	51.96	0.00	00:00	0.00	0.00	51.96
निवल	27072.71	00.00	152.99	14700.42	000	354.75	42280.87	0.00	0.00	0.00	0.00	42280.87

b) मूल्यह्नास और निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व के प्रावधानों का संचलन

(राशि करोड में)

	विवरण	2022-23	2021-22
i)	निवेश पर मूल्यहास के लिए धारित प्रावधानों का संचलन		
	a) आरंभिक शे ष	485.38	495.64
	b) जमा : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	306.07	86.01
	c) घटा : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान को बट्टे में डालना/ प्रतिलेखन	165.54	96.27
	d) अंतिम शेष	625.91	485.38
ii)	निवेश में उतार-चढ़ाव आरक्षित का संचलन		
	a) आरंभिक शेष	186.42	0.00
	b) जमा : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	31.67	186.42
	c) घटा : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान को बट्टे में डालना/ प्रतिलेखन	0.00	0.00
	d) अंतिम शेष	218.09	186.42
iii)	एएफएस और एचएफटी/वर्तमान श्रेणी में निवेश* के संवरण शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेष	2%	2%

^{*} निवल मुल्यह्नास घटाकर वहन मुल्य (निवल अधिमूल्यन की उपेक्षा करना) अर्थात तुलन-पत्न में परिलक्षित निवल राशि।

एचटीएम श्रेणी से/को बिक्री और अंतरण

मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान बैंक ने "व्यापार के लिए धारित" श्रेणी से "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी में ₹ 3980.00 करोड़ के अंकित मूल्य (₹ 3995.06 करोड़ बही मूल्य) की सरकारी प्रतिभृतियां स्थानांतरित की है जबकि "बिक्री के लिए उपलब्ध" से "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में कोई प्रतिभृतियां स्थानांतरित नहीं की गई है। एचटीएम से एएफएस में प्रतिभृतियों के स्थानांतरण पर लाभ को अग्रिम रूप से बुक नहीं किया गया था और वर्ष के दौरान ऐसी प्रतिभृतियों की बिक्री पर लाभ/हानि की पहचान की गई थी।

वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी से स्थानांतरण/ बिक्री का मूल्य (वर्ष की शुरुआत में एकमुश्त स्थानांतरण और पूर्व-घोषित ओएमओ नीलामियों के अंतर्गत बिक्री के अतिरिक्त), वर्ष के प्रारंभ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेश के बही-मूल्य के 5% से अधिक नहीं है।

गैर-एसएलआर निवेश संविभाग

i) अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश

क्र. सं.	विवरण	2022-23	2021-22
a)	आरंभिक शेष	438.11	485.28
b)	1अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन	192.32	39.66

c)	उपरोक्त अवधि के दौरान कटौती	147.83	86.83
d)	अंतिम शेष	482.60	438.11
e)	धारित कुल प्रावधान	458.55	433.42

ii) गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	जारीकर्ता	रा	शि	निजी तौर पर	शेयर आबंटन	'निवेश ग्रेः प्रतिभूति		_	त' प्रतिभूति बंटन	•	प्रतिभूति का बंटन
(1)	(2)	(:	3)	(4	1)	(5	5)	((5)	('	7)
		2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
a)	सार्वजनिक उपक्रम	12763.17	12996.17	12564.69	12764.62	0.00	0.00	12587.21	12787.48	12498.37	12596.83
b)	वित्तीय संस्थाएं	1263.07	630.70	14.60	14.60	0.00	0.00	46.66	46.66	235.40	14.60
c)	बैंक	625.48	390.32	0.00	0.00	0.00	0.00	23.32	270.41	123.88	247.56
d)	निजी कॉरपोरेट	1771.62	1615.85	364.83	485.23	523.91	494.33	547.95	374.32	365.04	367.76
e)	अनुषंगियां/ संयुक्त उद्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	अन्य	64.31	60.50	64.31	60.50	26.23	31.79	64.31	60.50	64.31	60.50
g)	मूल्यहास हेतु किए गए प्रावधान (एनपीए सहित)	(500.74)	(485.38)	(269.19)	(273.16)	(479.69)	(448.22)	(476.76)	(263.75)	(301.12)	(262.96)
	कुल	15986.91	15208.16	12739.24	13051.79	70.46	77.90	12792.69	13275.62	12985.88	13024.29

e) वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य के संदर्भ में)

				(राशि करोड़ में)
	वर्ष के दौरान न्यूनतम	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान दैनिक	31 मार्च, 2023
	बकाया	अधिकतम बकाया	औसत बकाया	को बकाया
i) रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां				
a) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-	-	-
b) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-
c) कोई अन्य प्रतिभूतियां	-	-	-	-
ii) रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
a) सरकारी प्रतिभूतियां	1500.00	2754.00	171.55	0.00
b) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	ı
c) कोई अन्य प्रतिभूतियां	-	-	-	-



वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य के संदर्भ में)

				(राशि करोड़ में)
	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च, 2022 को बकाया
i) रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां				
a) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-	-	-
b) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-
c) कोई अन्य प्रतिभूतियां	-	-	-	-
ii) रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
a) सरकारी प्रतिभूतियां	-	4700.00	2982.49	1540.00
b) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-
c) कोई अन्य प्रतिभूतियां	-	-	-	-

4. आस्ति गुणवत्ता

a) धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण

	मानक		अनज	ोक		
	कुल मानक अग्रिम	अव- मानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	कुल
सकल मानक अग्रिम और एनपीए						
आरंभिक शेष	61822.26	833.13	5568.83	2162.86	8564.82	70387.08
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन					908.46	
घटाएं : वर्ष के दौरान कमी					3825.07	
अंतिम शेष	75333.52	893.21	2893.27	1861.73	5648.21	80981.73
निम्न के कारण सकल एनपीए में अपचयन :						
i) उन्नयन					235.28	
ii) वसूली (उन्नत खातों से वसूली को छोड़कर)					1306.50	

iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना					2127.64		
iv) उपरोक्त (iii) के अलावा अन्य बट्टे खाते में डालना					155.65		
प्रावधान (अस्थाई प्रावधानों को छोड़कर)							
धारित प्रावधानों का आरंभिक शेष	711.70	226.65	4367.08	2162.50	6756.23	7467.93	
जमाः वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					574.08		
घटाएं : उत्क्रमित अतिरिक्त प्रावधान/ बट्टे खाते में डाले गए ऋण					3170.53		
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष	644.69	171.77	2126.28	1861.73	4159.78	4804.47	
निवल एनपीए	•	•		•			
आरंभिक शेष					1742.27		
जोड़ें : वर्ष के दौरान नए परिवर्धन					712.16		
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती					1042.93		
अंतिम शेष					1411.50		
चल प्रावधान							
प्रारंभिक शेष							
जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त							
प्रावधान	शून्य						
घटाएं : वर्ष के दौरान आहरित राशि							
चल प्रावधानों का अंतिम शेष							

तकनीकी बट्टे खाते में डालना और उस पर की गई वसूली						
तकनीकी/ प्रूडेंशियल बट्टे में डाले गए खातों का आरंभिक शेष						5820.95
जोड़ें : वर्ष के दौरान तकनीकी/ प्रूडेंशियल बट्टे खाते में डालना						2127.64
घटाएं : वर्ष के दौरान पहले ही तकनीकी/ प्रूडेंशियल बट्टे में डाले गए खातों से की गई वसूली						691.18
अंतिम शेष	-	_	-	-		7257.41

	मानक		अनज	र्गक		
	कुल मानक अग्रिम	अव- मानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	कुल
सकल मानक अग्रिम और एनपीए		l l	L			
आरंभिक शेष	58477.17	1501.48	4743.66	3088.86	9334.00	67811.17
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन					2064.63	
घटाएं : वर्ष के दौरान कमी					2833.81	
अंतिम शेष	61822.26	833.13	5568.83	2162.86	8564.82	70387.08
निम्न के कारण सकल एनपीए में अपचयन :						
i) उन्नयन					689.01	
ii) वसूली (उन्नत खातों से वसूली को छोड़कर)					1011.26	
iii) तकनीकी /प्रूडेंशियल बट्टे खाते में डालना					1049.43	
iv) उपरोक्त (iii) के अलावा अन्य बट्टे खाते में डालना					84.11	
प्रावधान (अस्थाई प्रावधानों को छोड़कर)			ı			
धारित प्रावधानों का आरंभिक शेष	1594.32	291.92	3436.52	3088.26	6816.70	8411.02
जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					1964.75	
घटाएं : उत्क्रमित अतिरिक्त प्रावधान/बट्टे खाते में डाले गए ऋण					2025.22	
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष	711.70	226.65	4367.08	2162.50	6756.23	7467.93
निवल एनपीए		<u> </u>			<u> </u>	
आरंभिक शेष					2461.95	
जोड़ें : वर्ष के दौरान नए परिवर्धन					597.96	
घटाएं : वर्ष के दौरान अपचयन					1317.64	
अंतिम शेष					1742.27	

चल प्रावधान		
आरंभिक शेष		
जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त		
प्रावधान	शून्य	
घटाएं : वर्ष के दौरान आहरित राशि		
चल प्रावधानों का अंतिम शेष		
तकनीकी बट्टे खाते में डालना और उस पर की गई	वसूली	
तकनीकी/ प्रूडेंशियल बट्टे में डाले गए खातों का	5058.57	
आरंभिक शेष	3030.37	
जोड़ें : वर्ष के दौरान तकनीकी/ प्रूडेंशियल बट्टे	1049.43	
खाते में डालना	1049.43	
घटाएं : वर्ष के दौरान पहले ही तकनीकी/		
प्रूडेंशियल बट्टे में डाले गए खातों से की गई	287.05	
वसूली		
अंतिम शेष	5820.95	

अनुपात (प्रतिशत में)	2022-23	2021-22
सकल एनपीए से सकल अग्रिम	6.97	12.17
निवल एनपीए से निवल अग्रिम	1.84	2.74
प्रावधान कवरेज अनुपात (टीडब्ल्यूओ सहित)	89.06	87.89
प्रावधान कवरेज अनुपात (टीडब्ल्यूओं के बिना)	75.01	79.66

b) क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए

			2022-23			2021-22		
क्र. सं.	क्षेत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस सेक्टर के कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस सेक्टर के कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत	
i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	31285.60	2739.33	8.76	29068.76	3127.63	11.00	
a)	कृषि एवं संबद्घ गतिविधियां	11787.44	1027.17	8.71	10933.87	944.05	9.00	
b)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के रूप में पात उद्योग क्षेत्र को अग्रिम	4505.60	465.84	10.34	4874.73	715.84	15.00	
जिनमें से	जिनमें से बकाया अग्रिम, उस क्षेत्र के बकाया कुल अग्रिमों के 10% से अधिक है							
b.i)	कपड़ा	947.29	158.25	16.71	1056.55	174.96	16.56	



b.ii)	अभियांत्रिकी	529.89	62.03	11.71	503.26	92.15	18.31
b.iii)	धातु और धातु उत्पाद	505.80	24.14	4.77	377.95	44.98	11.90
c)	सेवाएं	10375.46	983.33	9.48	8698.56	1122.19	12.90
d)	व्यक्तिगत ऋण	4617.10	262.99	5.70	4561.60	345.55	8.00
	उप योग (i)	31285.60	2739.33	8.76	29068.76	3127.63	11.00
	, <u> </u>						
ii)	गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	49696.12	2908.87	5.85	41318.32	5437.19	13.00
a)	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	उद्योग	18275.59	1231.17	6.74	17762.36	2028.41	11.00
	ो बकाया अग्रिम, उस क्षेत्र के बकाया ट्	_	ने अधिक है				
b.i)	बिजली एवं ऊर्जा	5704.89	219.40	3.85	6530.50	653.76	10.01
b.ii)	सामाजिक एवं सामान्य अवसंरचना	4596.03	0.02	0.00	3640.63	0.95	0.03
b.iii)	सड़के एवं राजमार्ग	3264.07	733.05	22.46	2816.94	801.79	28.46
c)	सेवाएं	19600.56	1462.84	7.46	16380.28	3157.40	19.28
जिनमें से	ो बकाया अग्रिम, उस क्षेत्र के बकाया ट्	हुल अग्रिमों के 10% र	ने अधिक है				
c.i)	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी	14060.02	1150.91	8.19	8442.72	2330.26	27.60
d)	व्यक्तिगत ऋण	11819.97	214.87	1.82	7175.68	251.38	3.50
	उप योग (ii)	49696.12	2908.88	5.85	41318.32	5437.19	13.16
	कुल (i + ii)	80981.72	5648.21	6.97	70387.08	8564.82	12.17

विदेशी आस्ति, एनपीए और राजस्व

(राशि करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
कुल आस्ति	55.52	134.67
कुल एनपीए	0.00	0.00
कुल राजस्व	5.73	0.28

d) संकल्प योजना और पुनर्सरचना का विवरण

'दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा' पर आरबीआई परिपल डीबीआर सं. बीपी.बीसी. 45/21.04.048/2018-19 दिनांकित 7 जून, 2019 की शर्तों के अनुसार बैंक के पास दो खातों में ₹ 50.51 करोड़ राशि के अतिरिक्त मानक आस्तियों का प्रावधान धारित है। इसका विवरण इस प्रकार है:

भा.रि.बैं. परिपत्न	एनपीए के रूप में	एनपीए के रूप में वर्गीकृत (B) में	आरबीआई परिपत्न के अंतर्गत	(D) में से दिनांक
द्वारा अंतर्घट्टित ऋण	वर्गीकृत की जाने वाली	से 31.03.2023 की स्थिति के	रक्षित ऋणों के लिए आवश्यक	31.03.2023 तक पूर्व
राशि	ऋण राशि	अनुसार ऋण राशि	अतिरिक्त प्रावधान	में ही किए गए प्रावधान
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
142.68	-	-	50.51	50.51

e) आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान में विचलन

वित्तीय विवरण - प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण में विचलन पर आरबीआई मास्टर परिपत्न संख्या डीओआर. एसीसी. आरईसी. संख्या 46/21.04.018/2021-22 दिनांकित 30.08.2021 (20.02.2023 को अद्यतित) के अनुसार बैंकों को आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण में विचलन का प्रकटीकरण करना चाहिए। निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों शर्तें पूरी होने पर बैंकों को विचलन का प्रकटीकरण करना चाहिए :

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांन किए गए एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान, संदर्भ अवधि के प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पूर्व रिपोर्ट किए गए लाभ के 10 प्रतिशत से अधिक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पहचाने गए अतिरिक्त सकल एनपीए, संदर्भ अवधि के लिए रिपोर्ट किए गए वृद्धिशील सकल एनपीए के 15 प्रतिशत से अधिक है।

ऊपर निर्दिष्ट अनुसार बैंक में विचलन, प्रारंभिक सीमा के भीतर हैं। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आरबीआई की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

ऋण जोखिम के हस्तांतरण का प्रकटीकरण

दुबावग्रस्त ऋणों के हस्तांतरण या अधिग्रहण के मामले में, निम्नलिखित प्रकटीकरण किए जाने चाहिए:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान स्थानांतरित किए गए तनावग्रस्त ऋणों (एनपीए व एसएमए) का विवरण					
	एआरसी को	अनुमत स्थानांतरितियों	अन्य स्थानांतरितियों के		
	पुजारसा का	के लिए	लिए (कृपया निर्दिष्ट करें)		
खातों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य		
हस्तांतरित ऋणों का कुल मूलधन	शून्य	शून्य	शून्य		
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	शून्य	शून्य		
हस्तांतरित ऋणों का शुद्ध बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	शून्य	शून्य	शून्य		
कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य	शून्य		



पिछले वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	शून्य	शून्य	शून्य			
वर्ष के दौरान अर्जित ऋणों का विवरण						
हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) सहित एससीबी, आर	एआरसी द्वारा					
एसएफबी और एनबीएफसी द्वारा						
अर्जित ऋणों का कुल मूलधन बकाया	शून्य					
कुल प्रतिफल का भुगतान किया गया	शून्य	शून्य	शून्य			
अधिग्रहित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	शून्य	शून्य			

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान स्थानांतरित किए गए तनावग्रस्त ऋणों (एनपीए व एसएमए) का विवरण				
	एआरसी को	अनुमत स्थानांतरितियों	अन्य स्थानांतरितियों के	
	एआरसा का	के लिए	लिए (कृपया निर्दिष्ट करें)	
खातों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	
हस्तांतरित ऋणों का कुल मूलधन	शून्य	शून्य	शून्य	
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	शून्य	शून्य	
हस्तांतरित ऋणों का शुद्ध बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	शून्य	शून्य	शून्य	
कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य	शून्य	
पिछले वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	शून्य	शून्य	शून्य	
वर्ष के दौरान अर्जित ऋणों का विवरण				
हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) सहित एससीबी, आर	आरबी, सहकारी बैंक,	एआईएफआई,	एआरसी द्वारा	
एसएफबी और एनबीएफसी द्वारा				
अर्जित ऋणों का कुल मूलधन बकाया	शून्य	शून्य	शून्य	
कुल प्रतिफल का भुगतान किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	
अधिग्रहित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	शून्य	शून्य	

- (ii) 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के दौरान हस्तांतरित/अधिग्रहित ऋणों के विवरण के संबंध में आरबीआई परिपल संख्या. डीओआर. एसटीआर. आरईसी.51/21.04.048/2021-22 दिनांकित 24 सितंबर 2021 के अनुसार, बैंक ने एनपीए और विशेष उल्लिखित खाते (एसएमए) का हस्तांतरण और अधिग्रहण नहीं किया है।
- (iii) क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को दिए गए रिकवरी रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में धारित एसआर का वितरण :

वसूली रेटिंग बैंड	31.03.2023 (बही मूल्य)	31.03.2022 (बही मूल्य)
RR1+	शून्य	शून्य
RR1	26.23	31.79
RR2	शून्य	शून्य
RR3	शून्य	शून्य
RR4	शून्य	शून्य
RR5	शून्य	शून्य
रेटिंग प्रत्याहृत	शून्य	शून्य
कुल	26.23	31.79

g) धोखाधड़ी खाते

(राशि करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी प्रकरणों की संख्या	132	159
धोखाधड़ी में शामिल राशि	1363.22	454.59
ऐसी धोखाधड़ी प्रकरणों के लिए किए गए प्रावधान की राशि	1137.14	238.73*
वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षितियों' से नामे किए गए अपरिशोधित प्रावधान की राशि	0.00	0.00

[्]र *पिछले वर्ष में ₹ 215.17 करोड़ का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है।

h) कोविड-19 संबंधित दुबाव के लिए समाधान ढांचे के तहत प्रकटीकरण

आरबीआई परिपत्न दिनांकित 6 अगस्त, 2020 (आरएफ 1.0) तथा 05 मई, 2021 (आरएफ 2.0) के अनुसार कोविड-19 से संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचे के अंतर्गत कार्यान्वयनित समाधान योजना का विवरण नीचे दिया गया है:

31.03.2023 को समाप्त छमाही के लिए

(राशि करोड़ में)

उधारकर्ता के प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोज़र – विगत छमाही (30.09.2022) के अंत में स्थिति (A)	(A) का कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए की श्रेणी में चला गया।	(A) की राशि जो छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई।	(A) की राशि जिसका उधारकर्ताओं द्वारा छमाही के दौरान भुगतान किया गया।	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोज़र – इस छमाही (31.03.2023) के अंत तक स्थिति	
(i) व्यक्तिगत ऋण	1003.24	43.86	0.00	60.93	916.20	
(ii) कॉर्पोरट व्यक्ति#	1105.94	25.25	0.00	65.84	1041.82	
जिसमें से एमएसएमई	599.41	25.25	0.00	52.36	534.56	
(iii) अन्य	39.19	2.84	0.00	2.59	33.34	
कुल	2148.37	71.95	0.00	129.36	1991.36	
#जैसा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3 (7) में परिभाषित किया गया है।						

दिनांक 30.09.2022 को समाप्त छमाही के लिए

उधारकर्ता के प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोज़र – विगत छमाही (31.03.2022) के अंत में स्थिति (A)	(A) का कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए की श्रेणी में चला गया।	(A) की राशि जो छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई।	(A) की राशि जिसका उधारकर्ताओं द्वारा छमाही के दौरान भुगतान किया गया।	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोज़र – इस छमाही (30.09.2022) के अंत तक स्थिति	
(i) व्यक्तिगत ऋण	1101.15	67.29	0.00	69.81	1003.24	
(ii) कॉर्पोरट व्यक्ति#	1735.18	65.84	0.00	564.36	1105.94	
जिसमें से एमएसएमई	709.89	65.84	0.00	49.79	599.41	
(iii) अन्य	46.40	2.84	0.00	4.17	39.19	
कुल	2882.73	135.97	0.00	638.34	2148.37	
#जैसा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3 (7) में परिभाषित किया गया है।						

5. एक्सपोज़र

a) रियल स्टेट क्षेत्र के लिए एक्सपोज़र

	श्रेणी	2022-23	2021-22
प्रत्यक्ष	एक्सपोज़र		
(a)	आवासीय बंधक*		
	आवासीय संपत्ति पर ऋण जो बंधक द्वारा पूरी तरह से प्रतिभूत है जो उधारकर्ता द्वारा	8129.80	7354.21
i.	अरिक्त है या अरिक्त किया जाएगा या किराए पर दिया है।		
ii.	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में समावेश के लिए पात्र वैयक्तिक गृह ऋण	3875.73	4105.23
	*एक्सपोज़र में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी।		
(b)	वाणिज्यिक रियल स्टेट		
	वाणिज्यिक रियल स्टेट (कार्यालय भवन, खुदरा व्यापार स्थान, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक	814.68	1242.12
	परिसर, बहुपरिवार आवासीय भवन, बहु-किराएदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या	Г	
	माल-गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण आदि) पर बंधक द्वारा	т	
	प्रतिभूत ऋण। एक्सपोज़र में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी	1	
(c)	बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोज़र में निवेश	-	-
	a. आवासीय	-	-
	b. वाणिज्यिक रियल इस्टेट	-	-
अप्रत्य	क्ष निवेश	6182.73\$	2858.43\$
नेशनल	। हाउसिंग बैंक (एनएचबी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (एचएफसी) पर निधि आधारित	T I	
एवं गैर	निधि आधारित एक्सपोज़र		
रियल र	स्टेट सेक्टर हेतु कुल एक्सपोज़र	15127.21	11454.76

^{\$} इसमें एनएचबी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में निवेश के रूप में ₹ 869.92 करोड़ (विगत वर्ष 1019.83 करोड़) शामिल है।



b) पूंजी बाज़ार के लिए एक्सपोज़र

(राशि करोड़ में)

	विवरण	2022-23	2021-22
1	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर तथा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड		
	की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश जिसकी आधारभूत निधि विशेष रूप से कार्पोरेट ऋण में	397.04	374.92
	निवेश नहीं की गई है;		
2	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉड, परिवर्तनीय डिबेंचर तथा इक्विटी		
	उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश के लिए व्यक्तियों को या शेयरों/ बॉड्स/	0.60	1.72
	डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के बदले या स्पष्ट आधार पर अग्रिम		
3	अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों		
	या इक्विटी उन्मुख म्यूचूअल फण्डों की यूनिट को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया	-	-
	है;		
4	शेयरों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की		
	इकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत सीमा तक किसी भी अन्य उद्देश्यों के लिए		
	अग्रिम अर्थात जहाँ शेयरों/ परिवर्तनीय बॉण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी उन्मुख	-	-
	म्यूचुअल फंडों की इकाइयों के अतिरिक्त प्राथमिक प्रतिभूति निधि अग्रिमों को पूर्णतया		
	कवर नहीं करती हैं।		
5	स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम तथा स्टार ब्रोकरों तथा बाजार		
	निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां;	-	-
6	संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तकों के योगदान को		
	पूरा करने के लिए शेयरों/ बाण्डों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा के एवज में या	-	-
	बेजमानती आधार पर कॉरपोरेट्स को स्वीकृत ऋण;		
7	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/ निर्गमों के विरुद्ध कंपनियों को पूरक ऋण;	-	-
8	शेयर या परिवर्तनीय बॉन्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल निधि की		
	इकाइयों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं;	-	-
9	मार्जिन व्यवसाय हेतु स्टॉक ब्रोकरों के लिए वित्तपोषण;	-	-
10	उद्यम पूंजी निधि हेतु समस्त एक्सपोज़र (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	38.07	28.71
पूंजी बा	जार में कुल एक्सपोज़र	435.71	405.35

जोखिम श्रेणी-वार देश का एक्सपोज़र

प्रत्येक देश के संबंध में विदेशी मुद्रा लेनदेन से संबंधित बैंक का शुद्ध देश-वार वित्त पोषित एक्सपोज़र, बैंक के कुल आस्ति के 1% के भीतर है। इसलिए, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

d) गैर-प्रतिभूत अग्रिम

(राशि करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम	6578.70	2012.49
उपरोक्त में से, अग्रिम की राशि जिसके लिए अवास्तविक प्रतिभूतियां यथा अधिकार, अनुज्ञप्ति, प्राधिकरण आदि पर प्रभार लिया गया है।	0.00	0.00
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	0.00	0.00

e) आढ़त (फेक्टोरिंग) एक्सपोज़र: शून्य

अंतर-समूह एक्सपोज़र

(राशि करोड़ में)

- ÷		2022-23		2021-22	
क्र. सं.	विवरण	स्वीकृति ऋण/ सीमा	बकाया शेष	स्वीकृति ऋण/सीमा	बकाया शेष
(a)	अंतर-समूह एक्सपोज़र की कुल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(b)	शीर्ष-20 अंतर-समूह एक्सपोज़र की कुल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(c)	उधारकर्ताओं/ ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोज़र के संबंध में अंतर-समूह एक्सपोज़र का प्रतिशत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(d)	अंतर-समूह एक्सपोज़र सीमा के उल्लंघन का विवरण और उस पर विनियामकीय कार्रवाई, यदि कोई हो।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

g) अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्न संख्या बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.85/21.06.200/2013-14 दिनांकित 15.01.2014 के संदर्भ में अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र के प्रति देयता का अनुमान लगाया है और 31 मार्च, 2023 तक ₹ 0.04 करोड़ का प्रावधान किया गया है। (31 मार्च, 2022 को ₹ 0.097 करोड़ था)

6. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजरों और एनपीए का संकेंद्रण



a) जमाओं का संकेंद्रण

(राशि करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि	13491.58	18724.52
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	12.30	18.33

b) अग्रिमों का संकेंद्रण

(राशि करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	20677.61	15873.10
बैंक की कुल अग्रिमों में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को अग्रिमों का प्रतिशत	25.53	22.55

c) एक्सपोज़र का संकेंद्रण*

(राशि करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	20946.94	16907.74
बैंक के उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को एक्सपोज़र का प्रतिशत (%)	22.24	19.53

^{*} केंद्र सरकार और केंद्र सरकार की गारंटी के लिए एक्सपोज़र को सम्मिलित नहीं किया गया है।

d) एनपीए संकेंद्रण

(राशि करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
बीस शीर्ष एनपीए खातों में कुल एक्सपोज़र	2521.29	4109.52
कुल सकल एनपीए में बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोज़र का प्रतिशत	44.64	47.98

7. डेरिवेटिव

डेरिवेटिव के अंतर्गत बैंक, केवल व्यापारी वायदा संविदा में व्यापार करता है और बकाया वायदा संविदा का मूल्य ₹ 654.51 करोड़ है।

a) वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2022-23	2021-22
i)	स्वैप करारों का आनुमानिक मूलधन	शून्य	शून्य
ii)	संबंधित पक्षों द्वारा करार के अंतर्गत अपने दायित्व पूर्ति न किए जाने के फलस्वरूप होने वाली हानियां	शून्य	शून्य
iii)	स्वैप प्रक्रिया अपनाने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	शून्य	शून्य
iv)	स्वैप के कारण क्रेडिट जोखिम का संकेद्रण	शून्य	शून्य
v)	स्वैप बुक का उचित मूल्य	शून्य	शून्य

b) विनिमय व्यापार ब्याज-दर डेरिवेटिव

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2022-23	2021-22
i)	वर्ष के दौरान किए गए विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की आनुमानिक मूल राशि (लिखत वार)	शून्य	शून्य
ii)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की आनुमानिक मूल राशि (लिखत वार)	शून्य	शून्य
iii)	विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की आनुमानिक मूल राशि बकाया जो कि 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं है (लिखत वार)	शून्य	शून्य
iv)	विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव का मार्क-टू-मार्केट वेल्यू बकाया जो 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं है (लिखत वार)	शून्य	शून्य

c) डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोज़र पर प्रकटीकरण

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने वर्ष 2022-23 के दौरान वायदा दर करार/ ब्याज दर की अदला-बदली/ विनिमय ट्रेडिड ब्याज दर डेरिवेटिव के संबंध में किसी भी व्युत्पन्न लेनदेन में प्रविष्टी नहीं की है। तदनुसार, डेरिवेटिव लेनदेन के संबंध में आरबीआई दिशानिर्देशों के अंतर्गत गुणात्मक और मात्रात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।



मात्रात्मक प्रकटीकरण

(राशि करोड़ में)

		202	22-23	2021-22	
क्र. सं.	विवरण	मुद्रा व्युत्पन्नी	ब्याज दर व्युत्पन्नी	मुद्रा व्युत्पन्नी	ब्याज दर व्युत्पन्नी
	व्युत्पन्नी (अनुमानिक मूलधन राशि)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
a)	i) वित्तीय हानि से बचाव-व्यवस्था हेतु	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ii) ट्रेडिंग के लिए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बाजार की स्थिति के लिए चिह्नित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
b)	i) आस्ति (+)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ii) देयता (-)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
c)	ऋण एक्सपोज़र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
d)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*PV 01)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	i) व्युपन्नी वित्तीय हानि से बचाव-व्यवस्था पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ii) व्युत्पन्नी ट्रेडिंग पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
e)	वर्ष के दौरान देखा गया अधिकतम और न्यूनतम 100*PV01	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	i) वित्तीय हानि से बचाव-व्यवस्था पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ii) ट्रेडिंग पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

d) क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप

वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक ने किसी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में प्रविष्टी नहीं की है।

8. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

(संख्या/ राशि करोड़ में)

क्र. सं.			विवरण	2022-23	2021-22
1.			न्न प्रतिभूतिकरण लेन-देन के लिए आस्ति रखने वाले एसपीई की संख्या (यहां केवल करण एक्सपोज़र से संबंधित एसपीवी की सूचना दी जानी है)	शून्य	शून्य
2.	एसपीई	तपीई की बही के अनुसार प्रतिभूत आस्ति की कुल राशि			शून्य
			ों के अनुसार न्यूनतम प्रतिधारण आवश्यकता (एमआरआर) का अनुपालन करने के रखे गए एक्सपोज़र की कुल राशि	शून्य	शून्य
		तुलन-पर	न से इतर एक्सपोज़र	शून्य	शून्य
	a)	*	प्रथम हानि	शून्य	शून्य
3.		*	अन्य	शून्य	शून्य
		तुलन-पर	न का एक्सपोज़र	शून्य	शून्य
	b)	*	प्रथम हानि	शून्य	शून्य
		*	अन्य	शून्य	शून्य
	एमआरअ	गर से इतर	प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए एक्सपोज़र की राशि	शून्य	शून्य
	a)	तुलन-पत	त्र से इतर एक्सपोज़र	शून्य	शून्य
		i)	स्वयं के प्रतिभूतिकरण का एक्सपोज़र	शून्य	शून्य
			* प्रथम हानि	शून्य	शून्य
			* अन्य	शून्य	शून्य
		ii)	अन्य पक्ष के प्रतिभूतिकरण का एक्सपोज़र	शून्य	शून्य
			* प्रथम हानि	शून्य	शून्य
4.			* अन्य	शून्य	शून्य
	b)	तुलन-पत	त्र का एक्सपोज़र	शून्य	शून्य
			स्वयं की प्रतिभूतियों का निवेश	शून्य	शून्य
		i)	* प्रथम हानि	शून्य	शून्य
			* अन्य	शून्य	शून्य
			अन्य पार्टी प्रतिभूत का निवेश	शून्य	शून्य
		ii)	* प्रथम हानि	शून्य	शून्य
			* अन्य	शून्य	शून्य
5.	प्रतिभूति	नेकृत आर्गि	स्तेयों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल और प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री पर लाभ/हानि	शून्य	शून्य
6.		-	ा, प्रतिभूतिकरण के बाद आस्ति सेवा आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं ाता (बकाया मूल्य)	शून्य	शून्य

7	प्रत्येक सुविधा यथा ऋण संवृद्धि, चलनिधि समर्थन, सर्विसिंग एजेंट इत्यादि के लिए प्रदान की गई सुविधा का कार्य-निष्पादन। प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के रूप में कोष्ठक में प्रतिशत का उल्लेख करें। भुगतान की गई राशि प्राप्त पुनर्भुगतान बकाया राशि	शून्य	शून्य
8.	पूर्व में आलोकित किए गए निवेश सूची की औसत डिफॉल्ट दर। (प्रत्येक आस्ति श्रेणी जैसे आरएमबीएस, वाहन ऋण, आदि के लिए अलग से ब्यौरा प्रदान करें।)	शून्य	शून्य
9.	समान अंतर्निहित आस्ति पर दिए अतिरिक्त/ टॉप अप ऋण राशि और संख्या।	शून्य	शून्य
10.	निवेशकर्ताओं की शिकायतें प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त तथा ; लंबित शिकायतें	3	3 0

9. तुलन-पत्र से इतर एसपीवी प्रायोजित

प्रायोजित एसपीवी का नाम					
घरेलू विदेशी					
31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022		
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		

10. जमाव	र्कर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईए निधि) में अंतरण		
			(राशि करोड़ में)
क्र. सं.	विवरण	2022-23	2021-22
i)	डीईएफ निधि में अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष	430.03	316.65
ii)	जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईए निधि में अंतरित राशि	77.66	117.46
iii)	घटाएं : दावों के लिए डीईए निधि द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि	7.45*	4.08*
iv)	डीईए निधि में अंतरित राशि का अंतिम शेष	500.24	430.03

^{*}मूलधन

11. शिक	11. शिकायतों का प्रकटीकरण					
बैंक को ग्रा	बैंक को ग्राहकों से तथा बैंकिंग लोकपाल कार्यालय से प्राप्त शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी					
क्र. सं.	विवरण 2022-23 2021-22					
	बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें					
1	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	202	96			

2		वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	19051	23973
3		वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	19167	23867
	3.1	जिनमें से, बैंक द्वारा निरस्त शिकायतों की संख्या	366	186
4		वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या	86	202
	बैंकिंग	लोकपाल कार्यालय से बैंक को प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतें		
5		बैंकिंग लोकपाल कार्यालय से बैंक द्वारा प्राप्त अनुरक्षण योग्य शिकायतों की संख्या	544	655
	5.1.	5 में से, बैंकिंग लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के पक्ष में हल की गई शिकायतों की संख्या	254	620
	5.2	5 में से, बैंकिंग लोकपाल कार्यालय द्वारी जारी सुलह/ मध्यस्थता/ सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या	276	27
	5.3	5 में से, बैंकिंग लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के विरुद्ध निर्णय पारित करने के बाद समाधान की गई शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य
6		निर्धारित समय में क्रियान्वित नहीं किए गए निर्णयों की संख्या (अपील किए गए निर्णयों के अतिरिक्त)	शून्य	शून्य

b) ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पाँच आधार						
शिकायतों के आधार (अर्थात शिकायत किससे संबंधित है)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में बढ़ोतरी/ कमी का %	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	
		1	2022-23			
आधार -1 : एटीएम/ डेबिट कार्ड	32	11035	8.71	30	शून्य	
आधार -2 : इंटरनेट/ मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	119	4201	(59.16)	14	1	
आधार -3 : ऋण और अग्रिम	18	638	(11.02)	16	शून्य	
आधार -4 : बिना किसी पूर्व सूचना के प्रभारों/ अत्यधिक प्रभारों/ फोरक्लोज़र प्रभारों की उगाही	5	608	215.03	1	शून्य	
आधार -5 : चेक/ ड्राफ्ट/बिल	शून्य	135	62.65	2	शून्य	
अन्य	28	2434	(4.25)	23	2	
कुल	202	19051	(20.53)	86	3	

	2021-22				
आधार -1 : एटीएम/ डेबिट कार्ड	8	10287	381	119	2
आधार -2 : इंटरनेट/ मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	62	10151	14.90	32	3
आधार -3 : ऋण और अग्रिम	4	717	51.60	18	6
आधार -4 : बिना किसी पूर्व सूचना के प्रभारों/ अत्यधिक प्रभारों/ फोरक्लोज़र प्रभारों की उगाही	शून्य	193	188	5	शून्य
आधार -5 : चेक/ ड्राफ्ट/बिल	3	118	(26.70)	5	1
अन्य	19	2507	(7.20)	23	2
कुल	96	23973	65.90	202	14

12. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

(राशि करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
एनबीएफसी द्वारा समूह कंपनियों / सहायक कंपनियों और संबद्ध कंपनियों को आगे उधार देने के लिए आरबीआई के निर्देशों के उल्लंघन में स्वीकृत अग्रिमों के कारण आरबीआई द्वारा लगाया गया दंड।	0.00	1.00
असामान्य साइबर सुरक्षा और संदिग्ध अनिधकृत इंटरनेट बैंकिंग लेनदेन की घटनाओं के कारण आरबीआई द्वारा लगाया गया दंड।	0.00	0.25
'बाहरी बेंचमार्क आधारित ऋण' पर परिपल संख्या बैंविवि.डीआईआर.बीसी.सं.14/13.03.000/2019-20 दिनांकित 04.09.2019 के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देश के गैर अनुपालन के कारण आरबीआई द्वारा लगाया गया दंड।	0.275	0.00

13. पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण – बैंक के लिए अप्रयोज्य

14. अन्य प्रकटन

a) व्यापार अनुपात

विवरण	2022-23	2021-22	
i) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय (%)	5.99	5.80	
ii) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय (%)	0.70	0.78	

iii) जमा लागत (%)	4.53	4.28
iv) निवल ब्याज मार्जिन (%)	2.91	2.80
v) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ (%)	1.09	1.09
vi) आस्तियों पर प्रतिफल (%)	0.98	0.85
vii) प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा और अग्रिम)	21.45	20.31
viii) प्रति कर्मचारी लाभ	0.15	0.12

b) बैंक-बीमा के संबंध में प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक का प्रकटन

(राशि करोड़ में)

	2022-23	2021-22
A) जीवन बीमा व्यवसाय से शुल्क/ पारिश्रमिक	19.75	13.14
B) सामान्य बीमा व्यवसाय से शुल्क/ पारिश्रमिक	3.38	3.08
C) एपीवाई पर कमीशन	1.53	0.80

c) विपणन और वितरण कार्य (बैंकएश्योरेंस व्यवसाय को छोड़कर) के संबंध में प्राप्त शुल्क/ पारिश्रमिक का प्रकटीकरण

(राशि करोड़ में)

	2022-23	2021-22
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना पर कमीशन	0.43	0.85
एएसबीए पर कमीशन	0.01	0.00

d) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण-पत्नों (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटीकरण

बैंक ने लघु और सीमांत कृषकों के अंतर्गत ₹ 850.00 करोड़ के प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण-पत्न (पीएसएलसी) के अंतर्गत 3400 इकाइयाँ विक्रय की है और दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 9.74 करोड़ की कमीशन आय अर्जित की है।

e) प्रावधान और आकस्मिकताएं

लाभ और हानि खाते के नामे किया गया प्रावधान	2022-23	2021-22
एनपीआई के लिए प्रावधान	25.13	(51.86)
एनपीए के लिए प्रावधान	(471.06)	988.96
आयकर के लिए किया गया प्रावधान	306.81	147.63
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं (विवरण सहित)	276.03	(793.69)

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(राशि करोड़ में)

लाभ और हानि खाते में व्यय शीर्ष के अंतर्गत दिखाए गए 'प्रावधानों और आकस्मिकताओं' का अलग- अलग विवरण/आंकड़े	2022-23	2021-22
अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान	(471.06)	988.96
मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान	(67.01)	(882.61)
एफवी पुनर्संरचित अग्रिमों में ह्रास के लिए प्रावधान	(1.78)	(48.47)
अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान	25.13	(51.86)
धोखाधड़ी के लिए प्रावधान	54.93	2.43
अग्रिमों पर छूट	155.65	84.11
अन्य प्रावधान	134.23	50.84
कर-निर्धारण के लिए प्रावधान		
वर्तमान कर	265.13	37.76
आस्थगित कर	324.10	147.63
एमएटी क्रेडिट पात्रता – वर्तमान वर्ष	(282.41)	(37.76)
एमएटी क्रेडिट पात्रता –प्रतिलोमित	0.00	0.00
कुल	136.91	291.04

भारतीय लेखांकन मानक (भारत- लेखांकन मानदंड) एकीकृत आईएफआरएस का कार्यान्वयन

बैंक, आईएनडी-एएस के संबंध में सांविधिक प्राधिकरणों की रिपोर्टिंग अनिवार्यताओं का अनुपालन कर रहा है। नियामक द्वारा ईसीएल पर चर्चा पल जारी करने के बाद बैंक, आईएनडी-एएस के कार्यान्वयन के क्षेत्र में अनुभवी सलाहकार की नियुक्ति करेगा। इसके अतिरिक्त कार्मिकों को विशेष प्रशिक्षण देने की भी योजना बनाई गई है ताकि प्रासंगिक विशेषज्ञता का सृजन किया जा सके, अंततः जिसके परिणामस्वरूप कार्यान्वित अनुसार आईएनडी-एएस का सुचारू कार्यान्वयन होगा।

डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण 2022-23		2021-22
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	142.86	136.06
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया	0.00	0.00

निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को दी गई सुविधाओं का प्रकटीकरण – बैंक के लिए अप्रयोज्य। h)

बैंकों के कार्मिकों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण i)

पारिवारिक पेंशन में संशोधन के परिणामस्वरूप अनुमानित अतिरिक्त पेंशन देनदारी ₹ 236.84 करोड़ थी। आरबीआई ने अपने परिपत्न भारिबै/2021-22/105 डीओआर. एसीसी.आरईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांकित 04 अक्तूबर, 2021के माध्यम से भारतीय बैंक संघ के समस्त सदस्यों को 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि में उक्त अतिरिक्त देयता को परिशोधित करने की अनुमति दी है, बशर्ते प्रत्येक वर्ष, कुल राशि का न्यूनतम 1/5 भाग परिशोधित किया जाए। बैंक, उक्त देयता को 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि में परिशोधित करेगा जो प्रत्येक वर्ष न्युनतम ₹ 47.37 करोड़ के अधीन है। तदनसार बैंक ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त चाल वित्तीय वर्ष के लिए लाभ-हानि खाते में ₹ 47.37 करोड़ की राशि प्रभारित की है तथा 31 मार्च, 2023 को शेष ₹ 142.10 करोड़ की अपरिशोधित राशि को अग्रेनीत किया गया है।

- आरबीआई परिपत्न संख्या डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं.91/21.04.018/2021-22 दिनांकित 13 दिसंबर, 2022 के अनुसार प्रकटीकरण:
- कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक होने पर "अनुसूची 14-अन्य आय" शीर्ष के तहत "विविध आय" उपशीर्ष के अंतर्गत मदें :

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	ब्यौरा	2022-23	कुल आय में से %	2021-22	कुल आय में से %
1	तकनीकी रूप से बट्टे में डाले गए खातों में वसूली	511.64	5.73	261.47	3.25
2	विविध आय	110.82	1.24	85.94	1.07
3	ऋण प्रसंस्करण शुल्क	81.12	0.91	89.33	1.11

- (ii) कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक होने पर "अनुसूची 16-परिचालन व्यय" शीर्ष के तहत उपशीर्ष "अन्य व्यय" के अंतर्गत मदें : शून्य
- (iii) कुल आस्तियों के एक प्रतिशत से अधिक होने पर शीर्ष "अनुसूची 5 (IV)- अन्य देनदारियां और प्रावधान- "अन्य (प्रावधानों सहित)" के अंतर्गत मदें : शून्य
- (iv) कुल आस्तियों के 1% (एक प्रतिशत) से अधिक होने पर "अनुसूची 11(VI)-अन्य आस्तियां-"अन्य" शीर्ष के अंतर्गत मदें :

क्र. सं.	ब्यौरा	2022-23	कुल आस्ति में से %	2021-22	कुल आस्ति में से %
1	ग्रामीण बुनियादी संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ)	2359.44	1.73	2759.23	2.28

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

15. लेखांकन मानक (एएस) के अनुसार प्रकटीकरण

15.1 लेखांकन मानक 5 : अविध के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अविध मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

15.1.1 नोट में अन्यत्न उद्घाटित को छोड़कर आरबीआई निर्देशों के साथ पठित एएस-5 के अनुसार लाभ-हानि खाते में सम्मिलित किसी भी महत्वपूर्ण प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

15.2 लेखांकन मानक 9: राजस्व अभिज्ञान

आय की कतिपय मदों को **अनुसूची 1**7- **महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों** के मद संख्या 8- "राजस्व अभिज्ञान" में उद्घाटित अनुसार उगाही आधार पर अभिज्ञापित किया गया है। तथापि आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, उक्त आय को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है।

15.3 लेखांकन मानक 10 : संपत्ति संयंत एवं उपस्कर

बाह्य स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर बैंक ने अंतिम बार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया था। दिनांक 31.03.2023 को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि का अंतिम शेष (राजस्व आरक्षित में हस्तांतरित राशि को घटाकर) ₹ 912.22 करोड़ है। (विगत वर्ष ₹ 919.90 करोड़)

बैंक के स्वामित्व वाली 59 संपत्तियों में से (30 साल तक की पट्टा अवधि वाली पट्टाधृति संपत्तियों को छोड़कर), 38 संपत्तियों की लागत को भूमि और अधिरचना में पृथक किया गया है।

15.4 लेखांकन मानक 15 – कर्मचारी हितलाभ

आईसीएआई द्वारा जारी संशोधित लेखांकन मानक (एएस-15) के अनुसार पेंशन, उपदान, अवकाश नकदीकरण तथा अन्य दीर्घकालीन लाभों के लिए प्रावधान किए गए हैं।

लाभ-हानि खाते तथा तुलन पत्न में अभिज्ञात नियोजन पश्चात लाभों की संक्षिप्त स्थिति इस प्रकार है:

दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(राशि करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)		अवकाश नगदीकरण (निधिक)	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
1 अप्रैल को परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व का वर्तमान मूल्य	4610.95	4199.43	319.58	324.96	257.93	227.27
ब्याज लागत	313.48	265.98	21.95	21.71	18.05	15.41
गत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्तमान सेवा लागत	214.86	173.47	24.90	22.47	16.94	21.61
प्रदत्त लाभ	(453.22)	(459.09)	(35.31)	(50.96)	(19.38)	(29.36)
दायित्वों पर बीमांकिक हानि/ (लाभ)	12.45	431.16	(9.75)	1.40	(1.32)	23.00
31 मार्च को परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व का वर्तमान मूल्य	4698.52	4610.95	321.37	319.58	272.22	257.93

योजनागत आस्तियों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(राशि करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)	अवकाश नगदीकरण (निधिक)		
1990	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	
1 अप्रैल को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	4322.98	3952.38	321.08	313.18	262.41	219.38	
योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	339.35	317.77	25.37	25.37	17.53	15.84	
अंशदान	282.83	546.16	13.79	36.73	9.24	55.15	
प्रदत्त लाभ	(453.22)	(459.09)	(35.31)	(50.96)	(19.38)	(29.36)	
बीमांकिक लाभ/(हानि)	(59.84)	(34.24)	(6.67)	(3.24)	(0.20)	1.40	
31 मार्च को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	4432.10	4322.98	318.26	321.08	269.60	262.41	
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	279.51	283.53	18.70	22.13	17.33	17.24	

निवल बीमांकिक हानि/ (लाभ)

विवरण	पेंशन (निधिक)		विवरण पेंशन (निधिक) उपदान (निधिक)		निधिक)	अवकाश न (निधि	*
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	
दायित्व पर बीमांकिक हानि/ (लाभ) (A)	12.45	431.16	(9.75)	1.40	(1.32)	23.00	
योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक हानि/ (लाभ) (B)	59.84	34.24	6.67	3.24	0.20	(1.40)	
निवल बीमांकिक हानि/ (लाभ)	72.29	465.40	(3.08)	4.64	(1.12)	21.60	
अवधि में अभिज्ञापित बीमांकिक हानि/ (लाभ) (A+B)	72.29	465.40	(3.08)	4.64	(1.12)	21.60	
वर्ष के अंत में अमान्य बीमांकिक हानि/ (लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	



तुलन-पत्न में अभिज्ञात राशि

(राशि करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)	उपदान	(निधिक)	अवकाश नगदीकरण (निधिक)		
1440	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	
31 मार्च को परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व का वर्तमान	4698.52	4610.95	321.37	319.58	272.22	257.93	
मूल्य	1070132	1010.73	921.97	317.50	_,	-37.73	
घटाएं : 31 मार्च को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	4432.10	4322.98	318.26	321.08	269.60	262.41	
तुलन पत्र में मान्य अतिरिक्त निवल आस्ति/ (अनिधिक	(266.42)	(287.97)	(3.11)	1.50	(2.62)	4.48	
देयता)	(200.42)	(207.97)	(3.11)	1.50	(2.02)	4.40	
रखे गए उच्च प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
वर्ष के दौरान मान्य संक्रमणशील देयता							
अनिर्धारित संक्रमणशील देयता							
तुलन पत्र में मान्य अतिरिक्त निवल आस्ति/ (अनिधिक	(266.42)*	(287.97)	(3.11)	1.50	(2.62)	4.48	
देयता)	(200.42)	(20/.9/)	(3.11)	1.50	(2.02)	4.40	

^{* ₹ 142.10} करोड़ की आस्थगित पारिवारिक पेंशन देयता सहित

लाभ-हानि खाते में अभिज्ञात व्यय

(राशि करोड़ में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)	अवकाश नगदीकरण (निधिक)	
विवर्ण	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
वर्तमान सेवा लागत	214.86	173.47	24.90	22.47	16.94	21.61
विगत सेवा लागत						
ब्याज लागत	313.48	265.98	21.95	21.71	18.05	15.41
योजनागत आस्तियों पर अनुमानित प्रतिफल	(339.35)	(317.77)	(25.37)	(25.37)	(17.53)	(15.84)
वर्ष के दौरान मान्य निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि	72.29	465.40	(3.08)	4.64	(1.12)	21.60
आस्थगित पेंशन व्यय		(189.47)				
निवल (लाभ)/व्यय	261.28	397.61	18.40	23.45	16.34	42.78

तुलन-पत्न में अभिज्ञात देयताओं में उतार-चढ़ाव

विवरण	पेंशन (नि	नेधिक)	उपदान (निधिक)	अवकाश नगदीकरण (निधिक)	
144(*)	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
प्रारंभिक निवल देयता/ (आस्ति)	287.97	247.05	(1.50)	11.78	(4.48)	7.89
जोड़ें : आस्थगित पेंशन व्यय		189.47				
जोड़ें : निवल लाभ व्यय	261.28	397.61	18.40	23.45	16.34	42.78

घटाएं : प्रदत्त अंशदान	282.83	546.16	13.79	36.73	9.24	55.15
समापन देयता/ (आस्ति)	266.42	287.97	3.11	(1.50)	2.62	(4.48)
जोड़ें : रखे गए उच्च प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
संवरण देयताएं/ (आस्ति)	266.42*	287.97	3.11	(1.50)	2.62	(4.48)

^{* ₹ 142.10} करोड़ की आस्थगित पारिवारिक पेंशन देयता सहित

न्यास द्वारा अनुरक्षित निवेश प्रतिशत

(प्रतिशत में)

विवरण	पेंशन (नि	धिक)	उपदान (निधिक)	अवकाश नगदीकरण (निधिक)		
14444	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	
केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियां	6.29	8.04				शून्य	
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	13.24	16.10	21.09	21.65		शून्य	
उच्च सुरक्षा बॉन्ड/ टीडीआरएस	9.76	11.71	20.95	21.53	82.47	81.53	
अन्य निवेश	70.71	64.15	57.96	56.82	17.53	18.47	

तुलन-पत्न तिथि को मूल बीमांकिक पूर्वानुमान

(प्रतिशत में)

विवरण	पेंशन (निधिक)		उपदान (निधिक)	अवकाश नगदीकरण (निधिक)		
Idato	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	
रियायती दर	7.15	6.70	7.27	7.25	7.27	7.25	
योजनागत आस्तियों पर अनुमानित प्रतिफल दर	7.85	8.04	7.90	8.10	6.68	7.22	
वेतनवृद्धि दर	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
ह्रास-दुर	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
मार्टेलिटी तालिका	आईएएलएम	आईएएलएम	आईएएलएम	आईएएलएम	आईएएलएम	आईएएलएम	
THORIGINAL THORITON	2012-14	2012-14	2012-14	2012-14	2012-14	2012-14	
प्रयोग में लाई गई विधि	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	पीयूसी	

मानित बीमांकिक पूर्वानुमानों का आधार

विवरण	पूर्वानुमान का आधार
रियायती दुर	रियायती दर का निर्धारण, देयता के अनुमानित अवधि की शर्तों के अनुरूप शासकीय बॉड्स पर तुलन-पत्न की तिथि को
ારવાવલા હર	बाजार प्रतिफल के संदर्भ में किया गया है।
योजनागत आस्तियों पर	संबंधित देयता की संपूर्ण कार्यकाल पर प्रतिफल के लिए, अवधि के आरंभ में, योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल,
अनुमानित प्रतिफल दर	बाजार की प्रत्याशा पर आधारित है।
वेन्यवित्र ग	बीमांकिक मूल्यांकन में वेतन में भविष्य में वृद्धि का प्राक्कलन मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा प्रासंगिक कारकों यथा
वेतनवृद्धि दर	कर्मचारी बाजार में मांग व आपूर्ति को ध्यान में रखकर किया जाता है।

हास-दर	ह्रास-दर का निर्धारण विगत और अपेक्षित भविष्य के अनुभव के द्वारा किया गया है तथा इसमें मृत्यु के अतिरिक्त (लेकिन दिव्यांगता कारक शामिल है) समस्त प्रकार के आहरण सम्मिलित है।
मार्टेलिटी तालिका	मार्टेलिटी तालिका, जिसे जीवन तालिका या बीमांकिक तालिका के रूप में भी जाना जाता है, एक निश्चित समय अंतराल के दौरान परिभाषित जनसंख्या में होने वाली मृत्यु दर या जन्म से मृत्यु तक जीवित रहने की दर को दर्शाता है।

अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (गैर निधिक)

(राशि करोड़ में)

विवरण	एलटीसी/ एलएफसी नगदीकरण		रजत जयंती बोनस		चिकित्सा लाभ*		सेवानिवृत्ति उपहार	
•	2022-23	2021-22*	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
देयता का वर्तमान मूल्य	7.92	6.77	1.32	1.23	0.71	0.77	1.29	1.29
परिवर्ती देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान मान्य परिवर्ती देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अमान्य परिवर्ती देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रखे गए उच्च प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन-पत्न में मान्य देयता	7.92	6.77	1.32	1.23	0.71	0.77	1.29	1.29

^{*}जैसा कि प्रबंधन द्वारा निर्धारित किया गया है ।

15.5 लेखांकन मानक- 17 – खंड रिपोर्टिंग

भाग A : कारोबार खंड

	समाप्त वर्ष			
विवरण	31.03.2023	31.03.2022		
	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)		
राजस्व खंड				
a) राजको ष	2345.16	2365.32		
b) कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग	3071.45	3179.63		
c) खुदरा बैंकिंग	3491.41	2493.31		
-डिजिटल बैंकिंग	0.00	0.00		
-अन्य खुदरा बैंकिंग	3491.41	2493.31		
d) अन्य बैंकिंग परिचालन	24.67	16.93		
कुल	8932.69	8055.19		

परिणाम खंड		
a) राजको ब	759.02	1020.53
b) कॉरपोरेट/ थो क बैंकिंग	553.68	473.71
c) खुदरा बैंकिंग	629.39	371.45
-डिजिटल बैंकिंग	(0.50)	0.00
-अन्य खुदरा बैंकिंग	629.89	371.45
d) अन्य बैंकिंग परिचालन	24.67	16.93
कुल	1966.76	1882.62
3. गैर-आबंटित व्यय	516.82	552.53
4. परिचालनगत लाभ	1449.94	1330.09
5. प्रावधान व आकस्मिकताएं	(169.90)	143.40
6. आयकर	306.81	147.64
		0.00
7. असाधारण लाभ/हानि	0.00	0.00

अन्य जानकारी		
खंड आस्तियां		
a) राजको ग	45476.84	42863.74
b) कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग	41394.98	41987.21
c) खुदरा बैंकिंग	47054.84	32924.40
-डिजिटल बैंकिंग	0.77	0.00
-अन्य खुदरा बैंकिंग	47054.07	32924.40
d) अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
e) गैर-आबंटित आस्ति	2527.86	3292.20
कुल आस्ति	136454.52	121067.55
देयताएं खंड		
राजको¶	41159.64	38911.83
कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग	37465.28	38116.11
खुदरा बैंकिंग	42587.84	29888.87
पुष्रा वावमा	42307.04	2,000.07
-डिजिटल बैंकिंग	1.28	0.00
-डिजिटल बैंकिंग	1.28	0.00

कुल देयताएं	121346.02	107056.96
नियोजित पूंजी		
राजकोष	4317.20	3951.91
कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग	3929.70	3871.10
खुदरा बैंकिंग	4467.00	3035.53
-डिजिटल बैंकिंग	(0.51)	0.00
-अन्य खुदरा बैंकिंग	4467.51	3035.53
d) अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
e) गैर-आबंटित देयताएं	2394.60	3152.05
कुल नियोजित पूंजी	15108.50	14010.59

नोट : आईसीएआई के लेखांकन मानदंड -17 की शर्तों के अनुसार तथा आरबीआई दिशानिर्देशों में निर्धारित अनुसार खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य के लिए, बैंक के कारोबार को चार खंडों यथा [a] राजकोष परिचालन, [b] कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग, [c] खुदरा बैंकिंग (आगे डिजिटल बैंकिंग और अन्य खुदरा बैंकिंग में उप-विभाजित) तथा [d] अन्य बैंकिंग परिचालन में वर्गीकृत किया गया है।

कॉरपोरेट/ थोक तथा खुदरा बैंकिंग के संबंध में खंडीय राजस्व, परिणाम, आस्ति व देयताओं को इन खंडों के एक्सपोज़र के आधार पर विभाजित किया गया है।

भाग B – भौगोलिक खंड

अभी तक बैंक की विदेश में कोई भी शाखा नहीं है इसलिए भौगोलिक खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग अप्रयोज्य है।

15.6 लेखांकन मानक 18 - संबद्घ पक्षकार प्रकटीकरण

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:

श्री स्वरूप कुमार साहा	दिनांक 03.06.2022 से प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
श्री एस. कृष्णन	दिनांक 04.09.2020 से 31.05.2022 तक प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र	दिनांक 10.03.2021 से कार्यकारी निदेशक
डॉ. रामजस यादव	दिनांक 21.10.2021 से कार्यकारी निदेशक

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को प्रदत्त पारिश्रमिकः

(राशि लाख में)

नाम एवं पदनाम	2022-23	2021-22
श्री स्वरूप कुमार साहा, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	28.34	0.00
श्री एस. कृष्णन, पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	12.81	33.08
श्री कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र, कार्यकारी निदेशक	34.32	27.26
डॉ. रामजस यादव, कार्यकारी निदेशक	32.69	12.82

(राशि लाख में)

मद्/ संबंधित पक्षकार	प्रमुख प्रबंधन (2022-23)	प्रमुख प्रबंधन (2021-22)
उधार	शून्य	शून्य
जमाराशि	74.61	52.69
वर्ष के दौरान अधिकतम	253.12	57.51
जमाराशियों का नियोजन	शून्य	शून्य
अग्रिम	17.52	शून्य
निवेश	शून्य	शून्य
गैर-निधि प्रतिबद्धताएं	शून्य	शून्य
पट्टा उधार/ लाभ उठाए गए एचपी व्यवस्था	शून्य	शून्य
पट्टा उधार /प्रदान की गई एचपी व्यवस्था	शून्य	शून्य
अचल आस्तियों की खरीद	शून्य	शून्य
अचल आस्तियों की बिक्री	शून्य	शून्य
चुकता ब्याज	3.14	2.06
प्राप्त ब्याज	0.08	शून्य
सेवाएं प्रदान करना	शून्य	शून्य
सेवाओं की प्राप्ति	शून्य	शून्य
प्रबंधन अनुबंध	शून्य	शून्य

15.7 लेखांकन मानक 20 – प्रति शेयर अर्जन

(राशि करोड़ में)

विवरण	2022-23	2021-22
इक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कर पश्चात निवल लाभ	1313.03	1039.05
इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या	677.78	406.01
प्रति शेयर मूलभूत एवं तनुकृत आय (₹)	1.94	2.56
प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)	10.00	10.00

15.8 लेखांकन मानक 21 – समेकन वित्तीय विवरण

बैंक की कोई अनुषंगी/ सहयोगी नहीं है अतः एएस 21 अप्रयोज्य है।

15.9 लेखांकन मानक 22 – आय पर करों के लिए लेखांकन



- 15.9.1 आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक-22 'आय पर कर के लिए लेखांकन' के अनुपालन में बैंक ने आयकर के लिए लेखांकन किया है।
- 15.9.2 आस्थगित कर आस्तियां/ देयताओं के मुख्य घटक इस प्रकार हैं:

(राशि करोड़ में)

		आस्थगित व	कर आस्तियां	आस्थगित कर देयताएं		
	शीर्ष		31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	
1	अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	0.00	0.00	12.82	20.36	
2	धारा 36 (1) (vii) के अंतर्गत विशेष आरक्षतियां	0.00	0.00	70.06	70.06	
3	निवेश पर एनपीए के लिए प्रावधान	160.24	151.45	0.00	0.00	
4	वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	20.77	0.00	0.00	0.00	
5	अग्रिमों के लिए प्रावधान	1670.45	2033.75	0.00	0.00	
6	पुनर्सरचित अग्रिमों के एफवाई में ह्रास के लिए प्रावधान	0.87	1.50	0.00	0.00	
7	संचित हानि	74.8	72.05	0.00	0.00	
	कुल	1927.13	2258.75	82.88	90.42	

- 15.9.3 बैंक द्वारा धारित आयकर तथा आस्थगित कर के लिए प्रावधान को विधि विशेषज्ञों के अभिमत तथा अनुकूल न्यायिक घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त माना गया है।
- 15.9.4 भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 22 "आय पर करों के लिए लेखांकन" के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों की समीक्षा, समयांतर के विरुद्ध संभावित कर लाभ के बैंक प्रबंधन प्राक्कलन के आधार पर की गई है तथा 31 मार्च 2023 तक ₹1844.25 करोड़ के निवल आस्थगित कर आस्तियों को अभिज्ञापित किया गया है। (31 मार्च, 2022 तक ₹ 2168.34 करोड़)
- 15.9.5 अपीलीय प्राधिकारियों के निर्णय/ न्यायिक घोषणाओं/ विधि विशेषज्ञों की राय के मद्देनजर ₹ 709.31 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 541.82 करोड़) की कुल आय की विवादित मांगों के संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है।
- 15.9.6 भारत सरकार ने कराधान कानून (संशोधित) अधिनियम, 2019 के माध्यम से, आयकर अधिनियम 1961 में दिनांक 01 अप्रैल 2019 से धारा 115 BAA सम्मिलित किया है। बैंक ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 BAA के अंतर्गत उपलब्ध विकल्प का मूल्यांकन किया और पूर्व में गए प्रावधानों के अनुसार दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय पर कर के अभिज्ञान को जारी रखने के विकल्प का चयन किया है।

15.10 लेखांकन मानक 23 – समेकित वित्तीय विवरणों मे सहायक संस्थाओं में निवेश के लिए लेखांकन

बैंक की कोई अनुषंगी/ सहयोगी नहीं है अतः एएस 23 अप्रयोज्य है।

15.11 लेखांकन मानक 26 - अमूर्त आस्तियां

बैंक में उपयोग में आनो वाले सॉफ्टवेयर आंतरिक तंत्र में ही विकसित किए गए हैं तथा समय के साथ विकसित हुए हैं। इसलिए, सॉफ्टवेयर की लागत, बैंक परिचालन व्यय यथा वेतन का अनिवार्य हिस्सा है और इसलिए लाभ-हानि खाते में व्यय के संबंधित शीर्ष पर प्रभारित किया जाता है।

15.12 लेखांकन मानक 28 – आस्तियों की क्षीणता

बैंक के पास विद्यमान अचल संपत्तियों को एस-28 में परिभाषित अनुसार 'निगमित आस्तियों' के रूप में माना गया है न कि 'नगद उत्पादक इकाइयों' के रूप में । प्रबंधन की राय में, 31.03.2023 तक महत्वपूर्ण राशि की 'अचल आस्तियों' की कोई क्षीणता, आईसीएआई द्वारा जारी एएस-28 की शर्तों के अनुसार अभिज्ञापित करना आवश्यक नहीं है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अन्य आस्तियों की हानि के लिए प्रावधान किया गया है।

15.13 लेखांकन मानक 29- प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

- 15.13.1 लेखांकन मानक 29 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियों के अनुसार, बैंक ने निम्नलिखित के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है –
- a) पूर्व घटनाओं से उत्पन्न कोई संभाव्य देयता जिसके विद्यमानता की पृष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से की जाएगी, जो पूर्णतः बैंक के नियंत्रण में नहीं है, या
- b) पिछली घटना से उत्पन्न कोई वर्तमान देयता जिसको अभिज्ञापित नहीं किया गया है क्योंकि :
- यह संभव नहीं है कि दायित्व के निपटाने के लिए आर्थिक लाभ को मूर्त रूप देने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी; या
- देयता राशि का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ऐसी देयताओं को आकस्मिक देयता के रूप में अभिलिखित किया गया है। इसका आंकलन निरंतर किया जाता है और देयताओं का केवल वह भाग जिसमें आर्थिक लाभ को मूर्त रूप देने वाले संसाधनों का बहिर्वाह संभव है, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़कर जहां कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, प्रावधान किया जाता है।

15.13.2 आकस्मिक देयताओं के विरुद्ध प्रावधानों में उतार-चढ़ाव:

(राशि करोड में)

विवरण	प्रारंभि	ोक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन		वर्ष के दौरान कटौती		अंतिम शेष	
144(*)	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।	25.53	24.58	1.92	1.02	0.49	0.07	26.96	25.53
आह्वानकृत बैंक गारंटी	7.63	7.62	0.02	0.01	शून्य	शून्य	7.65	7.63
साख पत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

15.14 अन्य महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को लेखों के भाग स्वरूप टिप्पणियों में उपयुक्त स्थानों पर प्रस्तुत किया गया है।



16. एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अनुसार प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान की गई खरीद के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है तथा अधिनियम के अनुसार वेंडर्स को समय पर भुगतान किया गया है। चूंकि भुगतान में कोई विलंब नहीं हुआ था इसलिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान दंड स्वरूप ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है।

17. एलसीआर की गणना 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए 90 दिनों की औसत अवधि (तिमाही) हेत् विद्यमान पद्धति के साथ की गई है और यह 206.19% हो गई है। प्रबंधन ने संरक्षी पद्धति को अर्थात 30 दिनों की अवशिष्ट परिपक्वता वाले थोक जमाराशि के स्थान पर थोक निधि के लिए कुल बकाया जमाराशि को बहिर्वाह के रूप में अनुमोदित किया है। नई कार्यप्रणाली के आधार पर बैंक, 31 मार्च, 2023 को अर्थात एक दिन के लिए एलसीआर 113.56% पर आ गया। चुंकि बैंक ने विगत 90 दिनों के लिए समान पद्धति का उपयोग नहीं किया है इसलिए यह पूर्व में रिपोर्ट किए गए एलसीआर नंबरों के साथ तुलनीय नहीं है। विगत तिमाहियों/ वर्ष (औसतन 90 दिन) के लिए तुलनात्मक आंकड़े, अंतर्ग्रस्त डेटा की वृहत मात्रा और जटिलता के कारण नहीं किया जा सका। हालांकि अब एलसीआर गणना के लिए संशोधित पद्धति का उपयोग किया जा रहा है।

18. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के परिपत्न के अनुसार बैंकों को बासल III पंजी विनियमावली के अंतर्गत लीवरेज अनुपात, चलनिधि कवरेज अनुपात और निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफआर) सहित पिलर 3 प्रकटीकरण करना आवश्यक है। यह प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट https://punjabandsindbank.co.in पर उपलब्ध कराए गए हैं। प्रकटीकरण, बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन नहीं है।

पत संख्या डीबीआर सं. बीपी:15199/21.04.048/2016-17 दिनांकित 23 जून, 2017 और डीबीआर सं. बीपी: 1907/ 19. 21.04.048/2017-18 दिनांकित 28 अगस्त 2017 के माध्यम से दिवाला प्रक्रिया-प्रावधानीकरण मानदंड आरंभ करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, बैंक ने उपरोक्त परिपत्नों में निर्दिष्ट एनपीए उधार खातों के संबंध में 31 मार्च, 2023 को ₹ 265.44 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 281.56 करोड़) की बकाया राशि के विरुद्ध ₹ 265.44 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 281.56 करोड़) का प्रावधान किया है।

20. बैंक द्वारा अधिक्रमित एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल), समृह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण

वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक ने निम्न प्रकरणों में आरबीआई द्वारा एकल उधारकर्ता/ समूह उधारकर्ता के लिए निर्धारित एलईएफ सीमा का अधिक्रमण किया है

उधारकर्ता	का नाम	वर्ष के दौरान अधिकतम सीमा	एलईएफ के अनुसार एक्सपोज़र सीमा (%)	31.03.2023 को सीमा/ देयता	31.03.2022 को टीयर 1 पूंजी के संबंध में एक्सपोज़र (%)
			शून्य		

- 21. बैंक ने एक खाते में ₹ 87.49 करोड़ का निधिक एक्सपोज़र किया है जो मुकदमेबाज़ी के अधीन है और माननीय उच्च न्यायालय ने डाउनग्रेडिंग पर रोक लगा दी है। बैंक ने खाते के लिए 40% का प्रावधान किया है जो आईआरएसी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधानों से अधिक है।
- 22. वेतन संशोधन (नवंबर 2022 से देय) पर द्विपक्षीय समझौते के लंबित निपटान के लिए दिनांक 31.03.2023 तक ₹ 59.44 करोड़ की तदर्थ राशि उपबंधित की गई है।
- 23. जहां सूचना उपलब्ध नहीं थी, के अतिरिक्त यथाआवश्यक विगत वर्ष के आकंड़ों को पुन: समूहित/ पुनर्व्यवस्थित किया गया है।



पंजाब एण्ड सिंध बैंक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(000 छोड़कर)

लाभ-हानि खाते के अनुसार निवल लाभ 13130290 10390546 निप्तिलिखित के लिए समायोजन : प्रावचान और आकस्मिक व्यव 1369098 2910359 अवल आस्तियों पर मुल्यहास 1483332 1370904 आस्तियों की विक्री पर लाभ 2-21539 1582 बाँड पर व्याज 1165942 2313978 कार्यशील पूँजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ 17127123 16987369 निप्तिलिखित के लिए समायोजन : जमाराशियों में वृद्धि/(कमी) 75284760 60288344 उधार राशियों में वृद्धि/(कमी) 75747507 1000825 अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी) 75747507 1000825 अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी) 1952164 1-124722 निवेशों में (वृद्धि/(कमी) 1952164 1-1247223 अन्य अस्तियों में (वृद्धि)/कमी 1565000 -7029853 अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी 1565000 -7029853 अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी 1565000 -7029853 अन्य आस्तियों में वृद्धि/ कमी 1565000 -7029853 अन्य आस्तियों में वृद्धि -903125 -1206359 आस्तियों से नकदी प्रवाह्ध में प्रवृद्धि -903125 -1206359 आस्तियों से वृद्धि -	विवरण	2022-23	2021-22
निम्नतिष्ठित के लिए समायोजन : प्रावधान और आकस्मिक व्यय 1369098 2910359 अचल आस्तियों पर मृत्यहास 1483332 1370904 आस्तियों की विक्री पर लाभ 21539 1582 वॉड पर व्याज 1165942 2313978 कार्यसील पूँजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ 17127123 16987369 निम्नलिखित के लिए समायोजन : जमाराधियों में वृद्धि/(कमी) 75284760 60288344 उधार रासियों में वृद्धि/(कमी) 75747507 1000825 अन्य देवताओं में वृद्धि/(कमी) 75747507 1000825 अन्य देवताओं में वृद्धि/(कमी) 1952164 1-124722 निवेशों में (वृद्धि)/कमी 1952164 1-124722 निवेशों में (वृद्धि)/कमी 1565000 -7029853 अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी 1565000 -7029853 प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (प्रतिदाय को घटाकर) 1493895 8539541 परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह (A) 14283616 -59985669 (B) निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह अचल आस्तियों में वृद्धि -903125 -1206359 आस्तियों की विक्री पर लाभ 21539 -1582 निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह (B) -881586 -1207941 (C) वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह अव पर प्राप्त येवर प्रीमियम 0 27251185 अव पर प्राप्त येवर प्रीमियम 0 18748816 अधिमान्य निर्मम व्यय 0 -4655 गीण बॉल्ड का मोचन -10000000 -3000000	(A) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
प्रावधान और आकस्मिक व्यय 1369098 2910359 अचल आस्तियों पर मूल्यहास 1483332 1370904 आस्तियों की बिक्री पर लाभ -21539 1582 बींड पर व्याज 1165942 2313978 कार्यशील पूँजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ 17127123 16987369 निम्नलिखित के लिए समायोजन : ज्याराशियों में वृद्धि/(कमी) 75284760 60288344 उधार राशियों में वृद्धि/(कमी) 75747507 1000825 अन्य देवाओं में वृद्धि/(कमी) 75747507 1000825 अन्य देवाओं में वृद्धि/(कमी) 1952164 -124722 निवेशों में (वृद्धि/(कमी) 1952164 -27142239 -102552600 अग्रियों में (वृद्धि)/कमी -128756804 -37094573 अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी 1565000 -7029853 अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी 1565000 -7029853 प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (प्रतिदाय को घटाकर) 1493895 8539541 परिचालन गतिविषियों से नकदी प्रवाह (B) निवेश संवंधी गतिविषियों से नकदी प्रवाह अधल आस्तियों में वृद्धि -903125 -1206359 आस्तियों की विक्री पर लाभ 21539 -1582 निवेश संवंधी गतिविषियों से नकदी प्रवाह (C) वित्तपोषण संवंधी गतिविषियों से नकदी प्रवाह उस पर प्राप्त शेवर अंभित्यम 0 27251185 उस पर प्राप्त शेवर अंभित्यम विविषयों से नकदी प्रवाह अधिमान्य निर्मम व्य 0 -4655 गीण बॉन्ड का मोचन -10000000 -3000000	लाभ-हानि खाते के अनुसार निवल लाभ	13130290	10390546
अचल आस्तियों पर मृत्यहास 1483332 1370904 आस्तियों की बिक्री पर लाभ -21539 1582 बाँड पर व्याज 1165942 2313978 कार्यशील पूँजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ 17127123 16987369 निम्नलिखित के लिए समायोजन : जमाराशियों में वृद्धि/(कमी) 75284760 60288344 उचार राशियों में वृद्धि/(कमी) 75747507 1000825 अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी) 1952164 -124722 निवेशों में (वृद्धि/कमी -27142239 -102552600 अग्रिमों में (वृद्धि/कमी -128756804 -37094573 अन्य आस्तियों में (वृद्धि/कमी 1565000 -7029853 अन्य आस्तियों में (वृद्धि/कमी 1565000 -7029853 प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (प्रतिदाय को घटाकर) 1493895 8539541 परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह (A) 14283616 -59985669 (B) निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह (B) -1207941 (C) वित्तापोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह (B) -881586 -1207941 (C) वित्तापोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह अधार श्रीमाम 0 27251185 उस पर प्राप्त शेयर अभित्य मृत्य) का निर्गम 0 27251185 उस पर प्राप्त शेयर अभित्य मृत्य) का निर्गम 0 18748816 अधिमान्य निर्गम व्यय 0 -4655 गीण बाँन्ड का मोचन -10000000 -3000000	निम्नलिखित के लिए समायोजन :		
आस्तियों की बिक्री पर लाभ -21539 1582 वाँढ पर ब्याज 1165942 2313978 कार्यशील पूँजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ 17127123 16987369 निम्नलिखित के लिए समायोजन : जमाराशियों में वृद्धि/(कमी) 75284760 60288344 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	प्रावधान और आकस्मिक व्यय	1369098	2910359
बाँढ पर ब्याज 1165942 2313978 कार्यशील पूँजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ 17127123 16987369 निम्नलिखित के लिए समायोजन : जमाराशियों में वृद्धि/(कमी) 75284760 60288344 3चार राशियों में वृद्धि/(कमी) 75747507 1000825 अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी) 75747507 1000825 अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी) 1952164 -124722 1742239 -102552600 अप्रिमों में (वृद्धि)/कमी -27142239 -102552600 अप्रिमों में (वृद्धि)/कमी 1565000 -7029853 अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी 1565000 -7029853 प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (प्रतिदाय को घटाकर) -1493895 8539541 परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह (A) 14283616 -59985669 (B) निवेश संवंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह (A) 14283616 -59985669 (C) वित्तपोषण संवंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह (B) -881586 -1207941 (C) वित्तपोषण संवंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह (B) -881586 -1207941 उस पर प्राप्त शेषर अभियम 0 18748816 अधिमान्य निर्णम व्या 0 -4655 गीण बॉन्ड का मोचन -10000000 -30000000	अचल आस्तियों पर मूल्यहास	1483332	1370904
कार्यशील पूँजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ 17127123 16987369 निम्नलिखित के लिए समायोजन : जमाराशियों में वृद्धि/(कमी) 75284760 60288344 उचार राशियों में वृद्धि/(कमी) 75747507 1000825 अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी) 1952164 -124722 निवेशों में (वृद्धि)/कमी -27142239 -102552600 अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी -128756804 -37094573 अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी 1565000 -7029853 प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (प्रतिदाय को घटाकर) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह (A) 14283616 -59985669 (B) निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह अधल आस्तियों में वृद्धि -903125 -1206359 आस्तियों की विक्री पर लाभ 21539 -1582 निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह (B) -881586 -1207941 (C) वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह -कदी हेतु इक्विटी शेयर (अंकित मृल्य) का निर्गम 0 27251185 उस पर प्राप्त शेयर प्रीमियम 0 18748816 अधिमान्य निर्गम व्यय 0 -4655 गीण बॉन्ड का मोचन -10000000	आस्तियों की बिक्री पर लाभ	-21539	1582
निम्नलिखित के लिए समायोजन : जमाराशियों में वृद्धि/(कमी) 75284760 60288344 उधार राशियों में वृद्धि/(कमी) 75747507 1000825 अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी) 1952164 -124722 निवेशों में (वृद्धि)(कमी) 1952164 -27142239 -102552600 अग्रिमों में (वृद्धि)(कमी -27142239 -102552600 अग्रिमों में (वृद्धि)(कमी 128756804 -37094573 अन्य आस्तियों में (वृद्धि)(कमी 1565000 -7029853 प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (प्रतिदाय को घटाकर) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह (A) 14283616 -59985669 (B) निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह अचल आस्तियों में वृद्धि अधितायों की बिक्री पर लाभ 21539 -1206359 आत्तियों की बिक्री पर लाभ (C) वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह (C) वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह अध्य पर प्राप्त शेयर ग्रीमियम 0 18748816 अधिमान्य निर्गम व्यय 10 -4655	बाँड पर ब्याज	1165942	2313978
जमाराशियों में वृद्धि/(कमी) 75284760 60288344 उधार राशियों में वृद्धि/(कमी) 75747507 1000825 अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी) 1952164 -124722 निवेशों में (वृद्धि)/कमी -27142239 -102552600 अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी -128756804 -37094573 अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी 1565000 -7029853 अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी 1565000 -7029853 प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (प्रतिदाय को घटाकर) -1493895 8539541 परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह (A) 14283616 -59985669 (B) निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ 21539 -1582 निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह (B) -881586 -1207941 (C) वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह उस पर प्राप्त शेयर (अंकित मूल्य) का निर्गम 0 27251185 उस पर प्राप्त शेयर प्रीमियम 0 18748816 अधिमान्य निर्गम व्यय 0 -4655	कार्यशील पूँजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ	17127123	16987369
उधार राशियों में वृद्धि/(कमी) 75747507 1000825 अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी) 1952164 -124722 निवेशों में (वृद्धि)/कमी -27142239 -102552600 अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी -128756804 -37094573 अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी 1565000 -7029853 अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी 1565000 -7029853 प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (प्रतिदाय को घटाकर) -1493895 8539541 परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह (A) 14283616 -59985669 (B) निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह अचल आस्तियों में वृद्धि -903125 -1206359 आस्तियों की विक्री पर लाभ 21539 -1582 निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह (B) -881586 -1207941 (C) वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह सकदी हेतु इक्विटी शेयर (अंकित मृल्य) का निर्गम 0 27251185 उस पर प्राप्त शेयर प्रीमियम 0 18748816 अधिमान्य निर्गम व्यय 0 -4655	निम्नलिखित के लिए समायोजन :		
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी) 1952164 -124722 निवेशों में (वृद्धि)/कमी -27142239 -102552600 अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी -128756804 -37094573 अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी 1565000 -7029853 प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (प्रतिदाय को घटाकर) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह (A) 14283616 -59985669 (B) निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह अचल आस्तियों में वृद्धि -903125 -1206359 आस्तियों की बिक्री पर लाभ 21539 -1582 निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह (B) -881586 -1207941 (C) वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह उस पर प्राप्त शेयर (अंकित मूल्य) का निर्गम 0 27251185 उस पर प्राप्त शेयर प्रीमियम 0 18748816 अधिमान्य निर्गम व्यय 0 -4655 गीण बॉन्ड का मोचन -10000000	जमाराशियों में वृद्धि/(कमी)	75284760	60288344
निवेशों में (वृद्धि)/कमी -27142239 -102552600 अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी -128756804 -37094573 अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी 1565000 -7029853 प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (प्रतिदाय को घटाकर) -1493895 8539541 परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह (A) -59985669 (B) निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह अचल आस्तियों में वृद्धि -903125 -1206359 आस्तियों की बिक्री पर लाभ -1582 निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह (B) -881586 -1207941 (C) वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह उस पर प्राप्त शेयर प्रीमियम	उधार राशियों में वृद्धि/(कमी)	75747507	1000825
अग्निमों में (वृद्धि)/कमी -128756804 -37094573 अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी 1565000 -7029853 प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (प्रतिदाय को घटाकर) -1493895 8539541 परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह (A) 14283616 -59985669 (B) निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह अचल आस्तियों में वृद्धि -903125 -1206359 आस्तियों की बिक्री पर लाभ 21539 -1582 निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह (B) -881586 -1207941 (C) वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह नकदी हेतु इिक्रटी शेयर (अंकित मूल्य) का निर्गम 0 27251185 उस पर प्राप्त शेयर प्रीमियम 0 18748816 अधिमान्य निर्गम व्यय 0 -4655 गीण बॉन्ड का मोचन -10000000	अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	1952164	-124722
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी 1565000 -7029853 प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (प्रतिदाय को घटाकर) -1493895 8539541 परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह (A) 14283616 -59985669 (B) निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह अचल आस्तियों में वृद्धि -903125 -1206359 आस्तियों की बिक्री पर लाभ 21539 -1582 निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह (B) -881586 -1207941 (C) वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह जकदी हेतु इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य) का निर्गम 0 27251185 उस पर प्राप्त शेयर प्रीमियम 0 18748816 अधिमान्य निर्गम व्यय 0 -4655 गीण बॉन्ड का मोचन -10000000	निवेशों में (वृद्धि)/कमी	-27142239	-102552600
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (प्रतिदाय को घटाकर) -1493895 8539541 परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह (A) 14283616 -59985669 (B) निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह अचल आस्तियों में वृद्धि -903125 -1206359 आस्तियों की बिक्री पर लाभ 21539 -1582 निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह (B) -881586 -1207941 (C) वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह -कदी हेतु इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य) का निर्गम 0 27251185 उस पर प्राप्त शेयर प्रीमियम 0 18748816 अधिमान्य निर्गम व्यय 0 -4655 गीण बॉन्ड का मोचन	अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	-128756804	-37094573
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह (A) 14283616 -59985669 (B) निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह अचल आस्तियों में वृद्धि -903125 -1206359 आस्तियों की बिक्री पर लाभ 21539 -1582 निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह (B) -881586 -1207941 (C) वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह नकदी हेतु इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य) का निर्गम 0 27251185 उस पर प्राप्त शेयर प्रीमियम 0 18748816 अधिमान्य निर्गम व्यय 0 -4655 गीण बॉन्ड का मोचन -10000000	अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	1565000	-7029853
(B) निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह अचल आस्तियों में वृद्धि -903125 -1206359 आस्तियों की बिक्री पर लाभ 21539 -1582 निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह (B) -881586 -1207941 (C) वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह नकदी हेतु इिकटी शेयर (अंकित मूल्य) का निर्गम 0 27251185 उस पर प्राप्त शेयर प्रीमियम 0 18748816 अधिमान्य निर्गम व्यय 0 -4655 गौण बॉन्ड का मोचन -10000000	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (प्रतिदाय को घटाकर)	-1493895	8539541
अचल आस्तियों में वृद्धि -903125 -1206359 आस्तियों की बिक्री पर लाभ 21539 -1582 निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह (B) -881586 -1207941 (C) वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह नकदी हेतु इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य) का निर्गम 0 27251185 उस पर प्राप्त शेयर प्रीमियम 0 18748816 अधिमान्य निर्गम व्यय 0 -4655 गौण बॉन्ड का मोचन -10000000	परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह (A)	14283616	-59985669
आस्तियों की बिक्री पर लाभ 21539 -1582 निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह (B) -881586 -1207941 (C) वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह नकदी हेतु इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य) का निर्गम 0 27251185 उस पर प्राप्त शेयर प्रीमियम 0 18748816 अधिमान्य निर्गम व्यय 0 -4655 गौण बॉन्ड का मोचन -10000000	(B) निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह (B) -881586 -1207941 (C) वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह नकदी हेतु इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य) का निर्गम 0 27251185 उस पर प्राप्त शेयर प्रीमियम 0 18748816 अधिमान्य निर्गम व्यय 0 -4655 गौण बॉन्ड का मोचन -10000000	अचल आस्तियों में वृद्धि	-903125	-1206359
(C) वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह नकदी हेतु इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य) का निर्गम 0 27251185 उस पर प्राप्त शेयर प्रीमियम 0 18748816 अधिमान्य निर्गम व्यय 0 -4655 गौण बॉन्ड का मोचन -10000000 -3000000	आस्तियों की बिक्री पर लाभ	21539	-1582
नकदी हेतु इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य) का निर्गम 0 27251185 उस पर प्राप्त शेयर प्रीमियम 0 18748816 अधिमान्य निर्गम व्यय 0 -4655 गौण बॉन्ड का मोचन -10000000	निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह (B)	-881586	-1207941
उस पर प्राप्त शेयर प्रीमियम 0 18748816 अधिमान्य निर्गम व्यय 0 -4655 गौण बॉन्ड का मोचन -10000000 -3000000	(C) वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
उस पर प्राप्त शेयर प्रीमियम 0 18748816 अधिमान्य निर्गम व्यय 0 -4655 गौण बॉन्ड का मोचन -10000000 -3000000	नकदी हेतु इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य) का निर्गम	0	27251185
गौण बॉन्ड का मोचन -10000000 -3000000	उस पर प्राप्त शेयर प्रीमियम	0	18748816
गौण बॉन्ड का मोचन -10000000 -3000000	अधिमान्य निर्गम व्यय	0	-4655
	गौण बॉन्ड का मोचन	-10000000	-3000000
	बॉन्ड पर ब्याज	-1165942	

इक्विटी पर लाभांश	-2101114	0
कर्मचारी कल्याण न्यास	-50000	0
वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह (C)	-13317056	40681368
परिचालन गतिविधियों से नकदी	14283616	-59985669
निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी	-881586	-1207941
वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी	-13317056	40681368
नकदी और नकदी समतुल्य में वृद्धि	84974	-20512242
नगदी एवं बैंक शेष (प्रारंभिक)	62882242	83394484
नगदी एवं बैंक शेष (अंतिम)	62967216	62882242

महिमा अग्रवाल मुख्य वित्तीय अधिकारी

डॉ. रामजस यादव कार्यकारी निदेशक कोल्लेगाल वी राघवेन्द्र कार्यकारी निदेशक

स्वरूप कुमार साहा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

कृते मेसर्स घिया एण्ड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन : 001088C

सीए शुभम गुप्ता पार्टनर

एम .नं .420734

यूडीआईएन: 23420734BGRRZO7034

स्थान : नई दिल्ली

कृते मेसर्स शिव एण्ड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

एफआरएन : 009989N

सीए मनोज कुमार

पार्टनर

एम .नं .097424

यूडीआईएन: 23097424BGSSLW6356

स्थान : नई दिल्ली



कृते मेसर्स चतुर्वेदी एण्ड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन : 302137E

सीए सतीश चन्द्र चतुर्वेदी

पार्टनर

एम .नं .012705

यूडीआईएन : 23012705BGWLXV6179

स्थान : नई दिल्ली

कृते मेसर्स मनोहर चौधरी एण्ड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

एफआरएन: 001997S

सीए संदीप मोगालापल्ली

पार्टनर

एम .नं .221848

यूडीआईएन : 23221848BGYIHQ2314

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 02 मई, 2023 स्थान : नई दिल्ली

Punjab & Sind Bank (A Government of India Undertaking) Head Office: 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008 https://punjabandsindbank.co.in/

NOTICE

Notice is hereby given that the 13th Annual General Meeting of Shareholders of Punjab & Sind Bank will be held through Video Conferencing (VC) / or Other Audio-Visual Means (OAVM) on Tuesday, the 11th July, 2023 at 11.00 a.m. (the Head Office of the Bank will be the deemed venue of the Meeting) to transact the following business(es):

Ordinary Business:

Item No 1: To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2023, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2023, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item No 2: To declare dividend for the Financial Year 2022-23.

Special Business:

Item No 3: Issue of Equity Shares by way of Qualified Institutional Placement

To seek approval of shareholders to create, offer, issue and allot Fresh Equity Shares of Face Value of Rs.10/-(Rupees Ten only) each up to an amount of Rs.250 crore (including premium) by way of Qualified Institutional Placement, ranking pari passu with the existing equity shares of the Bank for all purpose and in all respects, including payment of dividend, in one or more tranches, at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board/Committee in its absolute discretion and to consider and if thought fit, pass with or without modification (s) the following as Special Resolution (s):

"RESOLVED THAT pursuant to Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (herein referred to as "the Act"), Banking Regulation Act, 1949 (herein referred to as "Banking Act"), Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008 (herein referred to as the "Regulations"), the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended (herein referred to as "SEBI (ICDR) Regulations") and in accordance with the applicable rules, regulations, guidelines, circulars and clarifications issued by Government of India ("GOI"), Reserve Bank of India ("RBI"), Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and / or any other competent authorities and subject to any other applicable laws, rules and regulations (including any amendment thereto or re-enactment thereof for the time being in force), the Listing agreements entered into by the bank with stock exchanges where equity shares of the bank

are listed, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (herein referred to as "SEBI (LODR)"), any approval, consent, permissions or sanctions of other concerned authorities and such terms, conditions and modifications as may be prescribed by any of them while granting such approvals, consent, permissions or sanctions and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank (herein referred to as "the Board" which term shall include any committee constituted by the Board), consent be and is hereby granted to the Board to create, offer, issue and allot by way of Qualified Institutional Placement under Chapter VI of ICDR Regulations, whether they be holders of the shares of the Bank or not as may be approved by GOI / RBI and as may be decided by the Board in their discretion and permitted under the applicable laws and regulations for an aggregate amount not exceeding Rs.250 crore (Rupees Two Hundred and Fifty Crore only) at such time or times, at such price including premium in such manner and on such terms and conditions as may deemed appropriate by the Board at its absolute discretion including the discretion to determine the categories of investors to whom the offer, issue and allotment considering the prevailing market conditions and other relevant factors and wherever necessary in consultation with lead managers(s) and / or underwriter(s) and / or other advisor(s) as the Board may in its absolute discretion deem fit or appropriate."

"RESOLVED FURTHER THAT the Equity shares issued shall rank pari-passu with the existing shares of the Bank including dividend."

"RESOLVED FURTHER THAT in case of Qualified Institutional Placement pursuant to Chapter VI of ICDR Regulations:

- a. the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such securities shall be fully paid-up and the allotment of such securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution.
- b. The Bank is, pursuant to Regulation 176(1) of ICDR Regulations, authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations
- c. The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations"

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above Resolutions, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things including but not limited to finalization and approval of the draft as well as final offer document(s) determining the form and manner of the issue, including the class of investors to whom the Equity Shares are to be issued and allotted, number of Equity Shares to be allotted, issue price, premium amount on issue as it may in its absolute discretion deem fit and to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the issue, offer or allotment of shares and utilization of the issue proceeds as it may in it absolute discretion deem fit without being required to seek any further consent or approval of members or otherwise to the end and intent that the members shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this Resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to engage / appoint Lead Managers, Legal

Advisors, Underwriters, Bankers, Advisors as may be necessary and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of Equity Shares and to remunerate them by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc, with such agencies and to seek the listing of Equity Shares issued such on the stock exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to form a committee of Directors to delegate all or any of its powers to a Committee of Directors / Managing Director & Chief Executive Officer / Executive Director(s) / Company Secretary / other person authorized by the Board to give effect to the aforesaid Resolution and is authorized to take such steps and to do all such acts, deeds, matters, things and accept any alterations(s) or amendments(s) as they may deem fit and proper and give such directions as may be necessary to settle any question or difficulty that may arise in regard to issue and allotment of Equity Shares including but not limited to:

- i. Approving the draft / final offer documents and filing the same with any other authority or persons as may be required;
- ii. Approving the issue price, the number of Equity Shares to be allotted, the basis of allocation and allotment of Equity Shares;
- iii. Arranging, the delivery and execution of all contracts, agreements and all other documents, deeds and instruments as may be required or desirable in connection with the issue of Equity Shares;
- iv. Opening such Bank Accounts as may be required for the offering;
- v. To do all such acts, deeds, matters and things and execute all such other documents and pay all such fees, as it may, in its absolute discretion, deem necessary or desirable for the purpose of the transaction:
- vi. To make all such necessary applications with the appropriate authorities and make the necessary regulatory filings in this regard;
- vii. Making applications for listing of the Equity Shares of the Bank on the stock exchanges(s) where the equity shares of the Bank are listed.

Item No 4:

To consider and pass the following as a Special Resolution

RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, read with Regulation 25 (2A) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, the appointment of Dr. Charan Singh, as part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman of the Bank under clause (h) of subsection (3) and subsection (3A) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, vide Notification Ref F.No.6/9/2022-BO-I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services dated 07.11.2022 for a period of 2 years from the date of the notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved.



Item No 5:

To consider and pass the following as an Ordinary Resolution

RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, the appointment of Ms. M G Jayasree, as part-time Non-Official Director of the Bank under clause (b) of sub section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, vide Notification Ref eF.No.6/2/2022-BO-I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services dated 11.04.2022 with immediate effect and until further orders, be and is hereby approved.

Item No 6:

To consider and pass the following as an Special Resolution

RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, read with Regulation 25 (2A) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, the appointment of Ms. Rshmi Khetrapal, as part-time Non-Official Director of the Bank under clause (h) of sub section (3) and subsection (3A) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, vide Notification Ref F.No.6/6/2021-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services dated 21.03.2022 for a period of 3 years from the date of the notification of her appointment or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved.

Item No 7:

To consider and pass the following as an Ordinary Resolution

RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, the appointment of Shri Swarup Kumar Saha, as Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank under clause (a) of sub section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, vide Notification Ref F.No.4/4/2021-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services dated 03.06.2022 for a period of 3 years w.e.f. the date of assumption of office or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved.

By Order of the Board of Directors

Place: New Delhi Date: 19-06-23

Saket Mehrotra Company Secretary

NOTES

1. The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto and form part of the Notice.

2. ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING

Pursuant to Circulars issued by Securities & Exchange Board of India (SEBI) and Ministry of Corporate Affairs the 13th Annual General Meeting of the shareholders of the Bank is being conducted through Video Conferencing (VC) which does not require the physical presence of the members at a common venue. The deemed venue for the 13th AGM shall be the Head Office of the Bank. Shareholders attending the AGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 58 of Punjab & Sind Bank (Shares & Meeting) Regulations, 2008. As the AGM will be held through VC / OAVM, the Route Map is not annexed in this notice as required under Secretarial Standard 2.

3. APPOINTMENT OF PROXIES: A shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself / herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank. However, in accordance with the aforesaid relaxations for convening of the AGM through VC/OAVM, physical attendance of shareholders has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxy by shareholders is not available for this AGM and the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this notice.

4. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE(S):

No person shall be entitled to attend the meeting through VC / OAVM and / or vote through e-voting as duly authorized representative of a body corporate, unless a certified true copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative of a company/entity is deposited at Shares Cell at Head Office, 21- Rajendra Place, New Delhi-110008 or has been sent by email to the scrutinizer at scrutinizer@snaco.net with copy marked to complianceofficer@psb.co.in not later than four days before the date of meeting i.e. on or before 5.00 p.m. on Thursday, 06th July 2023.

No officer or employee of the Bank shall be appointed as the Authorised Representative of a shareholder.

5. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Wednesday, July 05, 2023 to Tuesday, July 11, 2023 (both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting.

6. PAYMENT OF DIVIDEND:

The Record date for payment of Dividend will be **Tuesday**, **July 04**, **2023**.

The Board of Directors has recommended a dividend of Rs.0.48 per equity share of Rs.10 each for the Financial Year ended 31st March 2023, subject to the approval of shareholders at the 13th Annual General Meeting. The payment of dividend, if declared by the shareholders in the Annual General Meeting will be made to those shareholders whose names appear:

- a. As beneficial owners as at the close of business hours on Tuesday, July 04, 2023 as per the records of NSDL / CDSL in respect of the shares held in electronic form, or
- b. In the Register of Shareholders as on Tuesday, July 04, 2023, after giving effect to the valid transmission requests received from the shareholders holding shares in physical form, before the close of business hours of **Tuesday**, **July 04**, **2023**

Payment of dividend shall be made through electronic mode to the shareholders who have updated their Bank Account details. Dividend Warrants / Demand Drafts will be dispatched by the Bank through its Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e., Link Intime India (Pvt) Ltd before the date of payment of dividend to the registered address of the shareholders who have not updated their Bank Account details.

The Dividend will be distributed to the eligible shareholders within 30 days from the date of the 13th Annual General Meeting.

Shareholders are therefore requested to register / update their complete Bank details:

- With their Depository Participant (s) where they maintain their demat accounts, if the shares are held in dematerialized mode, by submitting forms an documents as may be required by the Depository Participant (s), and
- ii) With the Bank / Bank's RTA, if the shares are held in physical mode, by submitting:
 - a. Copy of the signed request letter containing the Shareholders name, Folio number, Bank details (Bank Account number, Bank and Branch name and address, IFSC, MICR details)
 - b. Self-attested copy of the PAN card, and
 - c. Cancelled cheque leaf.

7. TAX ON DIVIDEND PAYMENT

- Pursuant to Provision of Income Tax Act, 1961, dividend income is taxable in the hands of shareholders w.e.f. 1st April, 2020 and the Bank is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the shareholders are requested to refer to the provisions of Income Tax Act, 1961 and amendments thereof. The shareholders are requested to update their PAN with the Bank / RTA (in case of shares held in physical form) and Depositories (in case of shares held in demat form).
- A Resident individual shareholder with valid PAN and who is not liable to pay income tax can submit a yearly declaration in Form No. 15G / 15H, to avail the benefit of non-deduction of tax at source. Shareholders are requested to note that in case their PAN is not registered, the tax will be deducted at a higher rate of 20%. Non-resident shareholders can avail beneficial rates under tax treaty between India and their country of residence, subject to providing necessary documents i.e. No

Permanent Establishment and Beneficial Ownership Declaration, Tax Residency Certificate, Form 10F, any other document which may be required to avail the tax treaty benefits by submitting the relevant documents / declarations by uploading them on https://web.linkintime.co.in/formsreg/submissionof-form-15g-15h.html. The relevant documents / forms are available on the website of the Bank at https://punjabandsindbank.co.in/.

The shareholders are requested to submit the aforementioned documents latest by 5 PM (IST), Tuesday, 04th July, 2023 on the website of the RTA viz.https://web.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html in order to enable the Bank to determine and deduct tax at appropriate TDS / withholding tax rate.

8. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS:

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

As per Regulation 10 of the Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the e-AGM) and vote on the items on the agenda either through remote e-voting or voting at the e-AGM, if voting right is not exercised through remote e-voting.

9. VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

- I. Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Listing Agreement with Stock Exchanges and provisions under Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, read with MCA Circulars, the Bank is pleased to provide its shareholders facility to exercise their right to vote in respect of the business to be transacted at the AGM by electronic means (remote e-voting and e-voting during the AGM) through the e-voting platform provided by Central Depository Services Limited (CDSL). The Cut-off date for determining the eligibility of shareholders to cast vote through e-voting is **Tuesday**, **July 04, 2023**.
- II. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available to atleast 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.



III. The instructions for shareholders for remote e-voting and e-voting during AGM and joining the meeting through VC / OAVM are as under:

Step 1: Access through Depositories CDSL/NSDL e-Voting system in case of individual shareholders holding shares in demat mode.

Step 2 : Access through CDSL e-Voting system in case of shareholders holding shares in physical mode and non-individual shareholders in demat mode.

- i. The remote e-voting period begins at 10:00 a.m. on Friday, 07th July, 2023 and ends at 05:00 p.m. on Monday, 10th July, 2023. During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cutoff date of Tuesday, 04th July, 2023, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- ii. Shareholders who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote during the meeting.
- iii. Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 09.12.2020, under Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, listed entities are required to provide remote e-voting facility to its shareholders, in respect of all shareholders' resolutions. However, it has been observed that the participation by the public non-institutional shareholders/retail shareholders is at a negligible level.

Currently, there are multiple e-voting service providers (ESPs) providing e-voting facility to listed entities in India. This necessitates registration on various ESPs and maintenance of multiple user IDs and passwords by the shareholders.

In order to increase the efficiency of the voting process, pursuant to a public consultation, it has been decided to enable e-voting to all the demat account holders, by way of a single login credential, through their demat accounts/ websites of Depositories/ Depository Participants. Demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the ESPs, thereby, not only facilitating seamless authentication but also enhancing ease and convenience of participating in e-voting process.

Step 1: Access through Depositories CDSL/NSDL e-Voting system in case of individual shareholders holding shares in demat mode.

iv. In terms of SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Pursuant to above SEBI Circular, Login method for e-Voting and joining virtual meetings for Individual shareholders holding securities in Demat mode is given below:

Type of shareholders	Login Method	
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL Depository		
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	1) If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com either on a Persona Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficia Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section. A new screen will open. Yo will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote evoting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 2) If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available a https://eservices.nsdl.com . Select "Register Online for IDeAS "Portal or click a https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp	

Type of shareholders	Login Method
	3. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their Depository Participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

Logintype	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com_or contact at toll free no. 1800 22 55 33
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30

Step 2: Access through CDSL e-Voting system in case of shareholders holding shares in physical mode and nonindividual shareholders in demat mode.

- i. Login method for remote e-Voting and joining virtual meeting for Physical shareholders and shareholders other than individual holding in Demat form.
 - 1. The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
 - 2. Click on "Shareholders" module.
 - 3. Now enter your User ID
 - I. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - ii. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - iii. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.
 - 4. Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
 - 5. If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.
 - 6. If you are a first time user follow the steps given below:

	For Physical shareholders and other than individual shareholders holding shares in Demat form
PAN	 Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) Shareholders who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Bank/RTA or contact Bank/RTA.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	 Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login. If both the details are not recorded with the depository or Bank please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field.

- i. After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- ii. Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- iii. For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- iv. Click on the EVSN of Punjab & Sind Bank on which you choose to vote.



- v. On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- vi. Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- vii. After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- viii. Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- ix. You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- x. If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- xi. There is also an optional provision to upload BR/POA if any uploaded, which will be made available to scrutinizer for verification.
- xii. Additional Facility for Non Individual Shareholders and Custodians For remote Voting only
 - Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the "Corporates" module.
 - A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
 - After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
 - The list of accounts linked in the login will be mapped automatically & can be delinked in case of any wrong mapping.
 - It is Mandatory that, a scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
 - Alternatively Non Individual shareholders are required to mandatorily send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Bank at the email address viz; scrutinizer@snaco.net and complianceofficer@psb.co.in, if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL/MOBILE NO. ARE NOT REGISTERED WITH THE BANK/DEPOSITORIES.

- 1. For Physical shareholders Please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to compliance officer@psb.co.in/delhi@linkintime.co.in.
- 2. For Demat shareholders Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP).
- 3. For Individual Demat shareholders Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings through Depository.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE AGM THROUGH VC/OAVM AND E-VOTING DURING THE **MEETING ARE AS UNDER:**

- 1. The procedure for attending meeting & e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for Remote e-voting.
- 2. The link for VC/OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of the Bank will be displayed after successful login as per the instructions mentioned above for Remote e-voting.
- 3. Shareholders who have voted through Remote e-voting will be eligible to attend the meeting. However, they will not be eligible to vote at the AGM.
- 4. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / IPads for better experience.
- 5. Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
- 6. Please note that Participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
- 7. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance atleast 48 hours prior to meeting mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at complianceofficer@psb.co.in. The shareholders who do not wish to speak during the AGM but have queries may send their queries in advance 48 hours prior to meeting mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at complianceofficer@psb.co.in. These queries will be replied to by the Bank suitably by email.
- 8. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.
- 9. Only those shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM.
- 10. If any votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the AGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u> or contact at toll free no. 1-800-22-5533.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on toll free no. 1800 22 55 33.

10. **SCRUTINIZER**

M/s S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co, Company Secretaries, has been appointed as the scrutinizer by the Bank to



scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report on the total votes cast to the Chairman of the Meeting not later than 48 hours of conclusion of the AGM and the Chairman or a person authorised by him in writing shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith by placing the Results along with the Scrutinizer's Report on the website of Stock Exchanges and the Bank.

COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENT: 11.

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes/update, if any, in their email address, postal address, bank details etc. to Share Transfer Agent of the Bank at the following address to receive all communication through electronic mode:

Link Intime India Private Limited.

Unit: Punjab & Sind Bank

Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058 Phone: +91 11 4141 0592, 93, 94 Fax: +91 11 4141 0591

Email: delhi@linkintime.co.in

Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate changes/ update, if any, in their email address, postal address, bank details etc. to their depository participants, to receive all communication through electronic mode.

12. UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their dividend warrants for the previous years are requested to approach the Banks' Registrar & Share Transfer Agent at aforesaid address or at Banks' Shares Cell at Head Office, 21- Rajendra Place, New Delhi-110008.

13. CONSOLIDATION OF FOLIOS:

The shareholders, who are holding shares in identical order of names in more than one folio, are requested to intimate to Link Intime India Pvt. Ltd. (RTA), the ledger folio of such accounts together with the share certificate(s) to enable the Bank to consolidate all the holdings into one folio. The share certificate(s) will be returned to the Shareholders after making necessary endorsement in due course.

14. OTHER INFORMATION

- a) In compliance with the SEBI & MCA Circulars, the Annual Report for 2022-23 containing the Notice of the 13" Annual General Meeting (AGM) of the Bank, inter alia, indicating the process and manner of e-voting etc. is being sent only in electronic mode to all the shareholders whose email IDs are registered with the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e. "Link Intime India Private Limited" / Depository Participant(s).
- b) The Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Bank at https://punjabandsindbank.co.in/. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The AGM Notice is also

disseminated on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the AGM) i.e. www.evotingindia.com.

c) In view of the 'Green Initiatives' undertaken by the Bank, shareholders are requested to get their Email ids registered with their respective Depository Participant in case of shares held in demat form and with the Bank's RTA in case of shares held in physical form (email id of RTA: delhi@linkintime.co.in). Further, in case of changes, if any, pertaining to their name, postal address, email address, telephone/mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc., the same may be intimated to their DPs in case the shares are held by them in electronic form and to the RTA in case the shares are held by them in physical form.

15. SHARES CELL

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up a Shares cell at its Head Office, New Delhi, Shareholders may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance.

The Company Secretary, Punjab & Sind Bank, Head Office, Shares Cell, Accounts & Audit Department, 21 Rajendra Place, 1st floor, New Delhi-110008

Telephone: 011-25782926, 25812922 E-mail: complianceofficer@psb.co.in

16. DEMATERILAISATION OF PHYSICAL SHAREHOLDINGS:

In compliance of extant SEBI norms, the Bank shall not process transfer of shares in physical form. Further, transmission / transposition of securities held in physical or dematerialized form shall be effected only in dematerialized form. Accordingly, the shareholder(s) holding shares in physical form are requested to get his/her shares dematerialized.

17. Norms for furnishing of PAN, KYC, Bank details and Nomination:

SEBI vide circular No. SEBI/ HO/ MIRSD/ MIRSD-PoD-1/ P/ CIR /2023/ 37 dated 16.03.2023 in supersession of SEBI circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/ CIR/2021/655 dated 3rd November 2021 has instructed to mandatorily furnish PAN, KYC details and Nomination by holders of physical securities. In other words, it shall be mandatory for all holders of physical securities in listed companies to furnish PAN, Nomination, Contact details, Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding folio numbers.

Accordingly, it is once again reiterated that it is mandatory for all holders and claimants of physical securities to furnish PAN details to RTA.

Pursuant to above SEBI circular, the shareholders are requested to furnish valid PAN, email address, mobile number, Bank account details and nomination details immediately in the below mentioned forms to the RTA:

Sl No	Form	Purpose
1	Form ISR - 1	To register/update PAN, KYC details
2	Form ISR - 2	To Confirm Signature of securities holder by the Bank
3	Form ISR - 3	Declaration Form for opting-out of Nomination
4	Form SH - 13	Nomination Form
5	Form SH - 14	Cancellation or Variation of Nomination (if any)

All above Forms [ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14] and the said SEBI circular are available on our website https://punjabandsindbank.co.in/. Folios wherein any one of the cited details / documents (i.e. PAN, KYC, Bank Details and Nomination) are not available with us, on or after 1st October 2023, shall be frozen as per the aforesaid SEBI circular.

In view of the above, we request the shareholders to submit the duly filled-in Investor Service Request forms along with the supporting documents to Bank's RTA at below address at the earliest.

Freezing of Folios without PAN, KYC details and Nomination.

- 1. The folios wherein any one of the cited document/details as in para above are not available on or after October 01, 2023, shall be frozen by the RTA.
- 2. The security holder(s) whose folio(s) have been frozen shall be eligible:
 - 2.1. to lodge grievance or avail any service request from the RTA only after furnishing the complete documents / details as mentioned in para above.
 - 2.2. for any payment including dividend, interest or redemption payment in respect of such frozen folios, only through electronic mode with effect from April 01, 2024. An intimation shall be sent by the Bank to the security holder that such payment is due and shall be made electronically only upon complying with the requirements stated in para 4 of this Circular.
- 3. Frozen folios shall be referred by the RTA / listed company to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and/ or Prevention of Money Laundering Act, 2002, if they continue to remain frozen as on December 31, 2025.
- 4. The RTA shall revert the frozen folios to normal status upon receipt of all the Documents/details as in para above.

By Order of the Board of Directors

Place: New Delhi Saket Mehrotra Date: 19.06.2023 **Company Secretary**

Explanatory Statement

Item No 3: Issue of Equity Shares by way of Qualified Institutional Placement

To cater to its increasingly growing business level in the continually changing business scenario and to comply with the Basel-III norms, the Bank needs additional capital.

In order to meet the growing capital requirement of funds in terms of Basel III Capital Regulations and consequent Capital Charge and for general lending purposes as may be decided by the Board, the Bank proposes to raise funds to improve the Capital Adequacy of the Bank and to fund general business needs of the Bank.

The Special Resolution proposed in the Notice relates to the issue of equity shares through Qualified Institutional Placement under Chapter VI of ICDR Regulations to Qualified Institutional Buyers for an amount not exceeding Rs.250 crore (Rupees Two Hundred Fifty Crore only) (including premium).

As the equity shares of the Bank is listed with the Stock Exchanges pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is necessary for the shareholders to approve issue of any further security if not offered to them on a proportionate basis.

It may be noted that apart from the approval of the shareholders, the issue of equity shares by way of Qualified Institutional Placement (QIP), etc., would be subject to compliance of all statutory, regulatory or any other applicable guidelines in this regard.

The detailed terms and conditions for the issuance of the Equity Shares as and when made will be determined by the Board in consultation with the Merchant Bankers, Lead Managers, Advisors and such other authorities as may required to be considered by the Bank considering the prevailing market conditions and other relevant factors. The Special Resolution seeks to give the Board powers to issue Equity Shares in one or more tranches at such time or times, at such price or prices, and to such of the Investors as are mentioned therein as the Board in its absolute discretion deems fit.

The Board of Directors recommends for your approval the Special Resolution mentioned in the Notice.

None of the Directors of the Bank are concerned or interested in the Special Resolution.

Item No 4: To approve appointment of Dr Charan Singh as part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman of the Bank

Pursuant to the Regulation 17 (1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, a Public Sector Company shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for appointment of Dr. Charan Singh as part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman on the Board of the Bank w.e.f 07.11.2022.

In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub section (3) and subsection (3A) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Central Government, vide notification F.No.6/9/2022-BO-I dated 07.11.2022 has nominated Dr. Charan Singh as Director on the Board of Punjab & Sind Bank, w.e.f. 07th November 2022 for a period of 2 years from the date of the notification of his appointment or until further orders.



Details of Director seeking appointment at the AGM in terms of Regulation 36(3) of SEBI (LODR) and Secretarial Standard 2

Brief Profile of Dr. Charan Singh

Name of Director: Dr.Charan Singh

Age: 62 years

Educational Qualification: Doctorate in Economics, M.Phil

Date of Joining: 07.11.2022

Dr. Charan Singh has earlier served as the Non-Executive Chairman of Punjab & Sind Bank from May 2018 to May 2021. Earlier, he was the RBI Chair Professor of Economics at the Indian Institute of Management Bangalore, India where, amongst other subjects, he taught comparative monetary policy and policy issues;

He served as Senior Economist at the Independent Evaluation Office of the International Monetary Fund, Washington DC from August 2009 to November 2012. He was the Research Director (Departments: Economic Policy, Debt Management) at the Reserve Bank of India (1997–2009). He worked at the RBI from 1984 to 2009 in various capacities and in different departments. He started his career as management trainee in Punjab National Bank in 1983.

Dr. Singh earned his doctorate in Economics from the University of New South Wales, Sydney, Australia. He was a visiting scholar for more than a year each at Department of Economics, Harvard University and the Stanford Center for International Development, Stanford University. He is former Director on the Board of National Housing Bank, Delhi and former Director in NABARD Financial Services Ltd, Bangalore. Honorary Fellow, SKOCH Development Foundation and Member of the Informal Advisory Group on Housing Sector Issues, IMF, Washington DC.

Dr. Singh has published extensively in different journals, mainly on public policy issues related to financial sector, banking and fiscal policy. He has also authored a book on Debt Management in India (Cambridge) and edited another on Public Debt Management (Springer). He is currently working on a book documenting history of Indian banks which have been operational for more than a century.

No Remuneration / Compensation besides sitting fee is payable to Dr Charan Singh by the Bank.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Dr Charan Singh or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Special Resolution as set out in Item No 4 of the accompanying Notice of AGM.

Item No 5: To approve appointment of Ms. M. G. Jayasree as Government of India Nominee Director of the Bank

Pursuant to the Regulation 17 (1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, a Public Sector Company shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for appointment of Ms. M G Jayasree as Government of India Nominee Director on the Board of the Bank w.e.f 11.04.2022.

In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Central Government, vide notification eF.No.6/2/2022-BO.I dated 11.04.2022 has appointed Ms.M. G. Jayasree as Director on the Board of Punjab & Sind Bank, w.e.f. 11th April 2022 with immediate effect and until further orders.

Details of Director seeking appointment at the AGM in terms of Regulation 36(3) of SEBI (LODR) and Secretarial Standard 2

Brief Profile of Ms. M.G. Jayasree

Name of Director: Ms. M.G. Jayasree

Age: 47 years

Educational Qualification: M. Sc (Public Management and Governance, M.Sc (Statistics)

Date of Joining: 11.04.2022

Ms. M. G. Jayasree has completed M.Sc Public Management and Governance from London School of Economics and has also completed M.Sc Statistics from M G University, Kerala. She has vide experience of 24 years and is presently employed as Deputy Director General in Ministry of Finance, Department of Financial Services, Government of India.

She is also Director on the Board of United India Insurance Company Limited

No Remuneration / Compensation is payable to Ms. M. G. Jayasree by the Bank.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Ms. M.G. Jayasree or her relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in Item No 5 of the accompanying Notice of AGM.

Item No 6: To approve appointment of Ms. Rshmi Khetrapal as Part-time Non-Official Director of the Bank

Pursuant to the Regulation 17 (1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, a Public Sector Company shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for appointment of Ms. Rshmi Khetrapal as part-time Non-Official Director on the Board of the Bank w.e.f 21.03.2022.

In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub section (3) and subsection (3A) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Central Government, vide notification F.No. 6/6/20121-BO.I dated 21.03.2022 has nominated Ms.Rshmi Khetrapal as Director on the Board of Punjab & Sind Bank, w.e.f. 21st March 2022 for a period of 3 years from the date of the notification of her appointment or until further orders, whichever is earlier.



Details of Director seeking appointment at the AGM in terms of Regulation 36(3) of SEBI (LODR) and Secretarial Standard 2

Brief Profile of Ms. Rshmi Khetrapal

Name of Director: Ms. Rshmi Khetrapal

Age: 50 years

Educational Qualification: Chartered Accountant

Date of Joining: 21.03.2022

Ms. Rshmi Khetrapal was appointed as the Non-Official Director on the Board of Punjab and Sind Bank w.e.f 21.03.2022. Prior to this, she was independent director of Haryana State Industrial & Infrastructure Development Corp (HSIIDC), Chairperson of NISACA of ICAI, VAT committee of NIRC of ICAI, and other committees of ICAI as well. She was awarded for her excellent contribution to the profession in NIRC of ICAL.

Ms. Khetrapal is the founder Director of Countmagic Online services; a company developing software in accounting & GST for MSMEs, besides this, she is a Chartered Accountant with experience of more than two decades and has expertise in Accounting, Finance, Internal Audit, Taxation, and Information Technology. She has also addressed more than 500 seminars on various topics of GST, Occupational frauds, internal controls and POSH.

No Remuneration / Compensation besides sitting fee is payable to Ms. Rshmi Khetrapal by the Bank.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Ms.Rshmi Khetrapal or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Special Resolution as set out in Item No 6 of the accompanying Notice of AGM.

Item No 7: To approve appointment of Sh. Swarup Kumar Saha as Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank

Pursuant to the Regulation 17 (1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, a Public Sector Company shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for appointment of Sh. Swarup Kumar Saha as Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank w.e.f 03.06.2022.

In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Central Government, vide notification F.No. 4/4/2021-BO.I dated 03.06.2022 has nominated Sh. Swarup Kumar Saha as Managing Director and Chief Executive Officer of Punjab & Sind Bank, w.e.f. the date of assumption of office i.e. 03.06.2022 or until further orders, whichever is earlier.

Details of Director seeking appointment at the AGM in terms of Regulation 36(3) of SEBI (LODR) and Secretarial Standard 2

Brief Profile of Sh. Swarup Kumar Saha

Name of Director: Sh. Swarup Kumar Saha

Age: 56 years



Educational Qualification: Graduate in Science, CAIIB, Diploma in Treasury, Investment and Risk Management from IIBF, Certificate in Risk in Financial Services from IIBF.

Date of Joining: 21.03.2022

Shri Swarup Kumar Saha assumed the charge as Managing Director & Chief Executive Officer of Punjab & Sind Bank on 3rd June, 2022. Prior to his elevation as MD & CEO of Punjab & Sind Bank, Shri Saha was Executive Director of Punjab National Bank since March 10, 2021.

Shri Saha, a graduate in Science from University of Calcutta, started his career in Banking in erstwhile Oriental Bank of Commerce in the year 1990 as Probationary Officer. He is a Certified Associate member of Indian Institute of Bankers (CAIIB). He also holds a Diploma in Treasury, Investment and Risk Management (DTIRM) from Indian Institute of Banking and Finance (IIBF) and Certificate in Risk in Financial Services from IIBF in collaboration with CISI, London.

In a career spanning over three decades, he has vast experience and expertise in Human Resource Development, Treasury, International Banking, Credit, Risk Management, Organization Restructuring and Board matters.

While working as Executive Director at Punjab National Bank, he made significant contribution to Treasury & International Business, Recovery, Retail, Agriculture & MSME (RAM) Credit, Digital Banking, FinTech & Digital collaborations, Fee Income and Group Business. Shri Saha also served as Chairman on the Boards of PNB Gilts Limited and PNB Cards & Services Limited.

Shri Saha was one of the participants for the flagship Leadership Development Program of Banks Board Bureau (BBB) in 2019 conducted through IIM, Bangalore. He has also participated in Advanced Management Program conducted by CAFRAL/Stern Business School, New York and Leadership Development Program conducted by NIBM/Kellogg School of Management, USA.

Sh. Swarup Kumar Saha is entitled to Remuneration / Compensation as per Government of India guidelines.

None of the Directors or their relatives and Key Managerial Personnel of the Bank other than Sh. Swarup Kumar Saha or his relatives to the extent of their shareholding in the Bank, if any, are concerned or interested in the Ordinary Resolution as set out in Item No 7 of the accompanying Notice of AGM.

By Order of the Board of Directors

Place: New Delhi Date: 19.06.2023

Saket Mehrotra **Company Secretary**



DIRECTORS' REPORT 2022-23

The Board of Directors has the pleasure of presenting the Annual Report of the Bank together with the Balance Sheet as on 31st March 2023 and the Profit and Loss Account for the year ended 31st March 2023.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

a. Global Economic Outlook:

The IMF's World Economic Outlook April 2023, has projected a decline in global economic growth from 3.4% in 2022 to 2.8% in 2023, with the recent financial sector turmoil, persistently high inflation, the ongoing conflict in Ukraine and the pandemic's side effects contributing to the downward projection.

As per IMF, Global trade has also been impacted by moderating growth and supply chain disruptions, with an anticipated decrease in trade volume from 5.1% in 2022 to 2.4% in 2023 before a slight improvement to 3.5% in 2024.

The emergence of stress in financial markets has complicated the task of central banks, particularly as inflation remains above target. The normalization process of Central Banks to reduce their balance sheets may pose challenges for sovereign debt markets, which will have to be absorbed by private investors.

Domestic Economic Outlook: b.

India's GDP Growth rebounded to 9.1% in 2021-22 from a contraction of 5.8% in 2020-21. Steps initiated by the Government, Central bank, and regulator helped in the speedy recovery of the economy.

Domestic economic activity remains resilient, on the back of consecutive years of strong agricultural production, a post-pandemic rebound in contact-intensive services, buoyant growth in bank credit, a healthy banking and financial system, and the Government's capex push. The domestic economy registered a growth of 7.2 % in FY 2022-23.

Going ahead, the economic activity would be supported by improving rural demand, the Government's thrust on infrastructure spending, revival in corporate investment, healthy bank credit, and moderating commodity prices. Headwinds from prolonged geopolitical tensions, tighter global financial conditions, global financial market volatility, and slowing external demand are the key risks to the growth outlook. RBI in its April'2023 monetary policy projected GDP growth of 6.5% for FY 2023-24.

Banking Sector: c.

Recent Global Banking Events and Impact on Indian Banking: The year 2023 has witnessed major banking crises in advanced economies of the world. The crisis varies from reporting of Material Weakness in internal control of Credit Suisse to the run on the bank happening in Signature Bank on account of concentrated and unsecured bulk deposits. However, on April 28, Federal Reserve released a detailed critical report where FED accepted weaknesses in its own regulation and supervision and took primary responsibility for the closure of Silicon Valley Bank.

The Silicon Valley Bank classified most of its investments into HTM category where the legal accounting treatment essentially smoothers the losses as the assets are actually "Held till Maturity". However, when Federal Reserve embarked on its program of rate hikes to curtail inflation, the bond prices of longer duration SVB's portfolio fell rapidly.

d. **Indian Banking Scenario:**

In India, the RBI has already advised banks to report Mark to Market Losses on their HTM portfolio on a quarterly basis under the Interest Rate Risk on Banking Book (IRRBB). Also, Accounting Standards in India requires immediate recognition of loss on account of shifting of securities into P&L.

With lower magnitude of rate increase in India and with lower inherent Price value of a basis point (PVBP) of debt instruments as compared to developed economies, Indian fixed income portfolios have comparatively fared well in the rising interest rate environment. Nevertheless, it should be learned as a lesson to vigilantly monitor interest rate risk in so called MTM protected banking book exposure.

In addition to the above, India's banking sector is well capitalized and well-regulated. The Indian banking system has remained resilient over the years and has not been adversely affected by the recent sparks of financial instability seen in some advanced economies.

Indian Banks with their robust fundamentals and risk management system, diversified deposits & asset base and robust regulatory framework can withstand any global financial turmoil.

Bank credit rose by 15 % year-on-year (YoY) in FY22-23, against 9.6 % YoY in FY21-22 as per RBI WSS report. SCBs credit growth is highest since 2011-12, when it was 19.3 %. Bank deposits expanded 9.58 % YoY in FY23, against 8.9 % YoY growth seen in the previous financial year (FY2021-22).

SCBs raised Rs 15.78 trillion through deposits in FY2022-23, compared to Rs 13.51 trillion raised in FY2021-22. The credit in absolute terms rose to Rs 17.83 trillion in FY2022-23, up from Rs 10.43 trillion in FY2021-22.

Credit growth is expected to be moderate in FY2023-24 due to global slowdown.

Source: www.rbi.org.in, https://www.imf.org

Working Results:

Highlights of Bank's financial performance is given below:

- Total business of the Bank increased by 10.50% reached at Rs.190647.22 crore as on 31.03.2023, from Rs.172524.10 crore as on 31.03.2022.
- CASA deposits increased by 6.67% on Y-o-Y and stood at Rs.36833.11 crore as on 31.03.2023, as compared to Rs. 34528.42 crore as on 31.03.2022.
- Total deposits of the Bank stood at Rs.109665.49 crore as on 31.03.2023 as compared to Rs.102137.01

- crore as on 31.03.2022. The average cost of deposits of the bank stood at 4.53% (FY 2022-23) as compared to 4.28% (FY 2021-22) in the previous year.
- > Bank's Advances registered a growth of 15.05% from Rs.70387.09 crore as on 31.03.2022 to Rs. 80981.73 crore as on 31.03.2023. The average yield on Advances stood at 7.67% (FY 2022-23) as compared to 7.20% (FY 2021-22) during the last year.
- > Total Priority Sector Advances increased from Rs.31178 Crore (50.20% of ANBC) as on 31.03.2022 to Rs.32795 crore (54.99 % of ANBC) as on 31.03.2023, registering a growth of 5.18%.
- Retail lending portfolio of the Bank grew to Rs.16437 crore as on 31.03.2023 and registered a growth of 40.04 % over the previous year (Rs.11737 crore).
- The percentage of Retail credit (Rs.16437 crore) to Gross Advances (Rs.81545.64 crore) was 20.15% as on 31.03.2023 compared to 16.68% as on 31.03.2022.
- MSME Credit grew by 14.10% from Rs.13021 crore as on 31.03.2022 to Rs. 14857 crore as on 31.03.2023. The share of MSME Credit to total Advances was 18.35% as on 31.03.2023.

Financial Parameters:

- Operating profit stood at Rs.1449.94 crore as on 31.03.2023 against Rs.1330.09 crore as on 31.03.2022.
- > Net profit stood at Rs.1313.03 crore as on 31.03.2023 as compared to a Net Profit of Rs.1039.05 crore as on 31.03.2022.
- Return on Assets (ROA) stood at 0.98% (FY 2022-23) as compared to that at 0.85 % (FY 2021-22).
- > The Net Worth of the Bank stood at Rs.6785.94 crore on 31.03.2023 as compared to Rs.5051.90 crore as on 31.03.2022.
- > Capital Adequacy Ratio (Basel III) of the Bank is 17.10% as on 31.03.2023 against the minimum stipulated requirement of 11.50%.
- Gross NPAs of the Bank is Rs.5648.21 crore (6.97%) as on 31.03.2023 as compared to Rs.8564.82 crore (12.17%) as on 31.03.2022.
- Net NPAs of the Bank is Rs.1411.50 crore as on 31.03.2023 as compared to Rs. 1742.27 crore as on 31.03.2022.
- Net NPA percentage improved to 1.84% as on 31.03.2023 from 2.74% as on 31.03.2022.

The Financial performance of the Bank for the year 2022–23 is summarized below:

(Rs. Crore)

Particulars	FY 2022-23
Net Interest Income	2973.38
Non-Interest Income	939.96
Operating Expenses	2463.40
Operating Profit	1449.94
Provisions / Contingencies	136.91
Net Profit	1313.03
Earnings per share (Rs.)	1.94
Book Value per share (Rs.)	10.01

Key Financial Ratios for the year 2022-23 are as under:

(Percentage - %)

Particulars	FY 2022-23
Yield on Advances	7.67
Yield on Investments	6.63
Cost of Deposits	4.53
Net Interest Margin	2.91
Cost to Income Ratio	62.95

Capital and Reserves:

The net worth of the Bank stood at Rs.6785.94 crore as on 31.03.2023 as compared to Rs.5051.90 crore as on 31.03.2022

Capital Adequacy:

As per the Basel III framework, the Bank's Capital Adequacy Ratio is 17.10% which is higher than the regulatory requirement of 11.50%

Details of Capital Adequacy (BASEL III) are:

(Rs. Crore)

Particulars	BASEL – III				
	31.03.2022	2	31.03	3.2023	
CET 1 CRAR	6307	12.77%	7990	14.32%	
AT1 CRAR	1000	2.03%			
TIER I Capital	7307	14.80%	7990	14.32%	
TIER II Capital	1849	3.74%	1553	2.78%	
Total Capital	9156	18.54%	9543	17.10%	
Risk Weighted Assets	49381		55815		

Business Initiatives:

During the current financial year, the Bank has implemented various initiatives to enhance customer convenience and boost its competitive edge. Some of the important among them are:

- The Bank has launched PSB SBI Co-Branded credit card to start the credit card business.
- Bajaj Life Insurance Co Ltd. has been selected as new business partner for life insurance business
- Aditya Birla Health Insurance Co. Ltd. has been selected as a standalone health insurance partner to procure health insurance business.
- Rationalization of the Savings Bank interest rate and Service Charges of the Bank.
- The Bank on-boarded to the Account Aggregator ecosystem.
- Introduced specialized mid-corporate branches.
- Created a new Field General Manager Office in Mumbai to tap the Mid-corporate and Corporate business.
- Expanded the Bank's branch network by opening 28 new branches across India.
- Implemented a new CTS solution for all three grids.
- Integrated Contact Centre with LOS.
- Implemented the Con-Current Audit Portal.
- Implemented the Compliance Risk Matrix Portal.
- API Integration of KCC Accounts with the Finance Ministry for KCC Subvention Scheme.

To offer a full range of services to customers, the Bank has added the following products and services during the year to its existing bouquet:-

- Introduced a special deposit product (PSB MCC i-shield salary product) for employees of the Municipal Corporation, Chandigarh.
- Introduced the opening of savings and term deposit accounts through online mode.
- Added facility to generate TDS Certificate, Interest Certificate for deposits, Interest Certificate for loans, and account's Mini-statement through Digi-Locker.
- Started ATM Card Green Pin generation through CBS.
- Introduced SMS Alert for change/deletion of mobile number in CBS.
- The following facilities are now made available in the PSB UnIC app:
 - Open an Instant online Savings Account through PSB UnIC App.
 - Apply for a Pre-Approved Personal Loan.
 - Apply for Digi Loan Housing, Vehicle, Personal, KCC, Mudra etc. on PSB UnIC.
 - Registration for Financial Inclusion & Jan-Dhan Accounts on PSB UnIC.
 - Open Digi fixed deposits & Digi recurring deposits through PSB UnIC to avail additional rate of interest on FD/RD.
 - The Public Fund Management System (PFMS) is live on PSB UnIC.
 - PSB UnIC is now available in 12 Languages.
 - PSB UnIC app has been enabled with an additional security feature to scan the vulnerabilities in the customer's device.

Awards & Achievements:

The Bank has been awarded with:

- Top Improver Bank in EASE Reforms Index 5.0 for Q2 FY 2022-23.
- 3rd Top Performing Bank in Theme 4 i.e. collaboratively and Development focused banking under EASE 5.0 as on 30.09.2022.
- > Rajbhasha Shield competition from Delhi Bank TOLIC for best implementation of Official Language Policy.
- > Third prize in the category of Hindi e-magazine by Delhi Bank Town Official Language Implementation Committee for quarterly e-magazine 'Rajdeep'.



Directors' Responsibility Statement:

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2023:

- a) The applicable accounting standards have been followed in the preparation of the annual accounts along with proper explanation relating to material departures if any.
- b) The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India were consistently applied. Reasonable and prudent judgments and estimates were made to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for the year ended March 31, 2023.
- c) Proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- d) Annual accounts have been prepared on a going concern basis.
- e) Internal financial controls system to be followed by the Bank were laid down and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively,
- f) Proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

R S KATHURIA & Co.

Company Secretaries FCS, LL.B, Insolvency Professional



A-215/55 & 67, Chawala Complex, Shakarpur, Delhi- 110092 Tel:- 98-10544091

E-mail: rsk04069@rediffmail.com

FORM No. MR-3 SECRETARIAL AUDIT REPORT

[In Pursuance of Regulation 24A of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015]

For The Financial Year Ended 31st March 2023

The Members, Punjab & Sind Bank 21, Rajendra Place New Delhi 110 008

We have conducted the Secretarial Audit of the compliances of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by Punjab & Sind Bank (hereinafter called "The Bank"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conduct/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, minute books, statutory registers, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2023, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board Processes and Compliance Mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended on 31st March 2023 according to the provisions of:

- (i) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;
- (ii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
- (iii) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;
- (iv) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-
 - Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI (a) LODR);
 - Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;
 - Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018; Not Applicable to the Bank during the financial year under review.
 - Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021; Not Applicable to the Bank during the financial year under review.
 - Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021; (f)
 - Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015; (g)

Punjab & Sind Bank

- (v) The following Act, Scheme, Regulations as applicable and other laws as are specifically to the Bank viz. -
 - The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.
 - (b) The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.
 - Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008.

Our report is to be read along with the noting as mentioned here-in-under:

- 1. Maintenance of secretarial records is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
- 2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records, we believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
- 3. We have not verified the correctness and appropriateness of the financial records and books of accounts of the Bank.
- 4. Where ever required, we have obtained the management representation about the Compliances of the laws, rules and regulations and happening of events etc.
- The Compliance of the provisions of the corporate and other applicable laws, rules and regulations, standards is the 5. responsibility of the Management; our examination was limited to the verification of the procedures on test basis.
- 6. We have not verified the compliance under various State laws specifically applicable to the Bank.
- 7. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

During the period under review, the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above we report:

1. The Board of Directors of the Bank is duly constituted with Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors as per Section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, and Regulation 17 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR) of subject to the following observations:

No Non-executive Chairman was appointed for the period 1st April 2022 till 6th November 2022.

However, the Govt. of India has appointed Dr. Charan Singh as Non-Executive Chairman of the Bank on 7th November 2022 for a period of two years.

As explained by the Bank, the appointment of Directors including Non-Executive Chairman shall be made by Government of India, and the Bank frequently communicated with Central Government to appoint adequate number of Independent Directors to comply with the provisions of SEBI (LODR).

The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

- Adequate notices are given to all directors for the Board Meetings and accordingly, agenda and detailed notes on agenda 2. were sent to all directors, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.
- Majority decisions are carried through while the dissenting members' views, if any, are captured and recorded as part of the 3. minutes.

4. There are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, Rules, Regulations and Guidelines.

We further report that during the audit period the Bank has generally complied with the requirements of various Act, Rules and Regulations, guidelines and standards as are applicable to the Bank.

> For RS Kathuria & Co. **Company Secretaries**

Place: New Delhi Date: 28th April 2023

> R.S. Kathuria **Proprietor**

FCS 5217; CP No.: 3112

UDIN: F005217E000217704

Report on Corporate Governance (2022-23)

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE:

The Bank shall continue its endeavor to enhance its shareholders' value by protecting their interest by ensuring performance at all levels, and maximizing returns with optimal use of resources in its pursuit of excellence. The Bank shall comply with not only the statutory requirements, but also voluntarily formulate and adhere to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank believes in setting high standards of ethical values, transparency and a disciplined approach to achieve excellence in all its sphere of activities. The Bank is also committed to follow the best practices. The Bank shall strive hard to best serve the interests of its stakeholders comprising shareholders, customers, Government and society at large.

The Bank is a listed entity, which is not a company but body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and is regulated by Reserve Bank of India. The Bank shall comply with the provisions of the Listing Agreement entered into with Stock Exchanges as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and the Guidelines issued by Reserve Bank of India in this regard.

2. **BOARD OF DIRECTORS**

2.1. Composition of the Board:

The composition of Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, as amended, the Nationalized Banks Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, as amended and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The composition of Board of Directors of the Bank as on 31st March, 2023 is as under:

Sr. No	Name	No. of equity shares/convertib le instruments of the Bank held as on 31.03.2023	No. of membership in Sub Committees of the Bank	Remarks (nature of appointment in the Bank)	Membership / Chairmanship of sub-committees of the Board of the Bank
1.	Dr Charan Singh Non-Executive Chairman	NIL	8	A	1. Committee for Monitoring of Large Value Frauds 2. Customer Service Committee 3. Stakeholder Relationship Committee 4. IT Strategy Committee 5. HR Committee 6. Committee for Monitoring of Recovery 7. Review Committee for Willful Defaulter 8. Board Committee for Performance Evaluation (for MD & CEO, EDs and GMs)

Sr. No	Name	No. of equity shares/convertib le instruments of the Bank held as on 31.03.2023	No. of membership in3. Sub Committees of the Bank	Remarks (nature of appointment in the Bank)	Membership / Chairmanship of sub-committees of the Board of the Bank
2.	Sh.Swarup Kumar Saha Managing Director & Chief Executive Officer	NIL	10	В	1. Management Committee 2. Committee for Monitoring of Large Value Frauds 3. Vigilance Committee of Board 4. Risk Management Committee 5. Customer Service Committee 6. IT Strategy Committee 7. HR Committee 8. Committee for Monitoring of Recovery 9. Review Committee for Willful Defaulter 10. Review Committee for Non Co-operative Borrower
3.	Sh. Kollegal V Raghavendra Executive Director	NIL	9	С	 Management Committee Committee for Monitoring of Large Value Frauds Vigilance Committee of Board Risk Management Committee Customer Service Committee IT Strategy Committee HR Committee Committee for Monitoring of Recovery Stakeholder Relationship Committee
4.	Dr. Ram Jass Yadav Executive Director	NIL	8	D	1. Management Committee 2. Committee for Monitoring of Large Value Frauds 3. Vigilance Committee of Board 4. Customer Service Committee 5. Stakeholder Relationship Committee 6. IT Strategy Committee 7. HR Committee 8. Committee for Monitoring of Recovery
5.	Ms. M.G. Jayasree MOF Nominee Director	NIL	7	E	 Vigilance Committee of the Board Customer Service Committee HR Committee Committee for Monitoring of Recovery Review Committee for Willful Defaulter Board Committee for Performance Evaluation (for MD & CEO, EDs and GMs) Committee for dealing with the case of appeals and review
6.	Sh. Kamal Prasad Patnaik RBI Nominee Director	NIL	3	F	Management Committee Audit Committee of the Board Vigilance Committee of Board

Sr. No	Name	No. of equity shares/convertib le instruments of the Bank held as on 31.03.2023	No. of membership in3. Sub Committees of the Bank	Remarks (nature of appointment in the Bank)	Membership / Chairmanship of sub-committees of the Board of the Bank
7.	Sh Tirath Raj Mendiratta Non-Official Director (Shareholder Director)	100	8	G	 Management Committee Risk Management Committee Stakeholder Relationship Committee IT Strategy Committee HR Committee Nomination and Remuneration Committee Review Committee for Non Co-operative Borrower Board Committee for Performance Evaluation (for MD & CEO, EDs and GMs)
8.	Sh. Shankar Lal Agarwal Non-Official Director	NIL	8	Н	 Audit Committee of the Board Committee for Monitoring of Large Value Frauds Risk Management Committee Review Committee for Willful Defaulter Committee for dealing with the case of appeals and review Nomination and Remuneration Committee Review Committee for Non Co-operative Borrower Stakeholder Relationship Committee
9.	Ms. Rshmi Khetrapal Non-Official Director	NIL	7	I	 Audit Committee of the Board Committee for Monitoring of Large Value Frauds Risk Management Committee IT Strategy Committee Review Committee for Willful Defaulter Committee for dealing with the case of appeals and review Nomination and Remuneration Committee

- A. Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.6/9/2022-BO.I dated 07.11.2022 under clause (h) of sub section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 as part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman for a term of two years from the date of notification i.e. 07.11.2022 or until further orders, whichever is earlier.
- B. Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.4/4/2021-BO.I dated 03.06.2022 under clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 as Managing Director & Chief Executive Officer for a period of three years w.e.f. the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier.
- Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.4/3/2020 -BO.I dated 10th March, 2021 under clause (a) of sub-C. section (3) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 as

Executive Director w.e.f. the date of assumption of office and up to the date of his attaining the age of superannuation (i.e. 30th June 2023) or until further orders, whichever is earlier.

- D. Appointed in terms of GOI MOF letter No eF.No.4/2/2021-BO.I dated 21st October 2021 under clause (a) of subsection (3) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 as Executive Director with effect from 21st October 2021 till the superannuation, (i.e. 30th April 2024) or until further orders, whichever is earlier.
- E. Appointed in terms of GOI MOF letter No eF.No.6/2/2022-BO-I dated 11.04.2022 under clause (b) of sub section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 as Director with immediate effect and until further orders.
- F. Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.6/3/2011-BO.I dated 13th April 2021 under clause (c) of sub section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 as Director with immediate effect and until further orders.
- G. Elected as shareholder director w.e.f 12th May 2021 under clause (i) of sub section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 for period of 3 (Three) years till 11th May 2024. His appointment is subject to the final decision of the Hon'ble Delhi High Court in the writ petition challenging the decision of the Bank to withdraw the election process of shareholder-directors conducted in 2020 (vide order dated 19/04/2021).
- Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.6/6/2021-BO.I dated 21st December 2021 under clause (h) of sub Н. section (3) and sub-section 3A of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 as Part-Time Non Official Director for a period of 3 (three) years from the date of notification or until further orders, whichever is earlier.
- Ι. Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.6/6/2021-BO.I dated 21st March 2022 under clause (h) of sub section (3) and subsection (3A) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 as Part-Time Non Official Director for a period of 3 (three) years from the date of notification or until further orders, whichever is earlier.

2.2. Appointment / Cessation of Directors during the year:

The constitution of Bank's Board of Directors underwent the following changes during the year 2022-2023:

[A] Appointment:

- Dr. Charan Singh has been appointed as part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman for a term of two years from the date of notification i.e. 07.11.2022 or until further orders, whichever is earlier.
- Sh Swarup Kumar Saha has been appointed as Managing Director & Chief Executive Officer for a period of three years w.e.f. the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier.
- Ms M G Jayasree has been appointed as Director with immediate effect and until further orders.

[B] Cessation:

- Sh. S Krishnan, MD & CEO was on the Board of the Bank up to 31.05.2022.
- Sh. SR Mehar, MOF Nominee Director was on the Board of the Bank up to 10.04.2022.



2.3. Details of membership / chairmanship of Directors in the Committee / Board of other listed entities

Sr No	Name of Director in PSB	Name of the other listed entity in which the Director is a member of the Board	Name of the Board / Committee in other listed entity where the Director is Chairman / Member	Category of Directorship in other listed entity		
1.	Dr Charan Singh Non-Executive Chairman	Nil	NA	NA	NA	
2	Sh.Swarup Kumar Saha Managing Director & Chief Executive Officer	Nil	NA	NA	NA	
3.	Sh. Kollegal V Raghavendra Executive Director	Nil	NA	NA	NA	
4.	Dr. Ram Jass Yadav Executive Director	Nil	NA	NA	NA	
5.	Ms. M.G. Jayasree Director – MOF Nominee	Nil	NA	NA	NA	
6.	Sh. Kamal Prasad Patnaik Director – RBI Nominee	Nil	NA	NA	NA	
7.	Sh Tirath Raj Mendiratta Non-Official Director (Shareholder Director)	Nil	NA	NA	NA	
8.	Sh. Shankar Lal Agarwal Non-Official Director	Nil	NA	NA	NA	
9.	Ms. Rshmi Khetrapal Non-Official Director	Nil	NA	NA	NA	

2.4. Profile of Directors appointed during 2022-23:

Dr Charan Singh - Non - Executive Chairman

Dr. Charan Singh has earlier served as the Non-Executive Chairman of Punjab & Sind Bank from May 2018 to May 2021. Earlier, he was the RBI Chair Professor of Economics at the Indian Institute of Management Bangalore, India where, amongst other subjects, he taught comparative monetary policy and policy issues

He served as Senior Economist at the Independent Evaluation Office of the International Monetary Fund, Washington DC from August 2009 to November 2012. He was the Research Director (Departments: Economic Policy, Debt Management) at the Reserve Bank of India (1997–2009). He worked at the RBI from 1984 to 2009 in various capacities and in different departments. He started his career as management trainee in Punjab National Bank in 1983.

Dr. Singh earned his doctorate in Economics from the University of New South Wales, Sydney, Australia. He was a visiting scholar for more than a year each at Department of Economics, Harvard University and the Stanford Center for International Development, Stanford University. He is former Director on the Board of National Housing Bank, Delhi and former Director in NABARD Financial Services Ltd, Bangalore. Honorary Fellow, SKOCH Development Foundation; and Member of the Informal Advisory Group on Housing Sector Issues, IMF, Washington DC.

Dr. Singh has published extensively in different journals, mainly on public policy issues related to financial sector, banking and fiscal policy. He has also authored a book on Debt Management in India (Cambridge) and edited another on Public Debt Management (Springer). He is currently working on a book documenting history of Indian banks which have been operational for more than a century.

Shri Swarup Kumar Saha – Managing Director and Chief Executive Officer

Shri Swarup Kumar Saha assumed the charge as Managing Director & Chief Executive Officer of Punjab & Sind Bank on 3rd June, 2022. Prior to his elevation as MD & CEO of Punjab & Sind Bank, Shri Saha was Executive Director of Punjab National Bank since March 10, 2021.

Shri Saha, a Graduate in Science from University of Calcutta, started his career in Banking in erstwhile Oriental Bank of Commerce in the year 1990 as Probationary Officer. He is a Certified Associate member of Indian Institute of Bankers (CAIIB). He also holds a Diploma in Treasury, Investment and Risk Management (DTIRM) from Indian Institute of Banking and Finance (IIBF) and Certificate in Risk in Financial Services from IIBF in collaboration with CISI, London.

In a career spanning over three decades, he has vast experience and expertise in Human Resource Development, Treasury, International Banking, Credit, Risk Management, Organization Restructuring and Board matters.

While working as Executive Director at Punjab National Bank, he made significant contribution to Treasury & International Business, Recovery, Retail, Agriculture & MSME (RAM) Credit, Digital Banking, FinTech & Digital collaborations, Fee Income and Group Business. Shri Saha also served as Chairman on the Boards of PNB Gilts Limited and PNB Cards & Services Limited.

Shri Saha was one of the participants for the flagship Leadership Development Program of Banks Board Bureau (BBB) in 2019 conducted through IIM, Bangalore. He has also participated in Advanced Management Program conducted by CAFRAL/Stern Business School, New York and Leadership Development Program conducted by NIBM/Kellogg School of Management, USA.

Ms M G Jayasree – MoF Nominee Director

Ms M G Jayasree, MOF Nominee Director is the Deputy Director General, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services. She has completed M.Sc, Public Management and Governance, M.Sc Statistics MG University, Kerala. She has 23 years experience of working in Government of India and is also a Director in United India Insurance Company Limited.

2.5. **BOARD MEETINGS:**

During the Financial Year 2022-23, total 20 Board Meetings were held on the following dates as against minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.

09.05.2022	19.05.2022	30.05.2022	24.06.2022	18.07.2022
01.08.2022	10.08.2022	24.08.2022	05.09.2022	27.09.2022
20.10.2022	05.11.2022	21.11.2022	03.12.2022	30.12.2022
21.01.2023	10.02.2023	04.03.2023	23.03.2023	31.03.2023



The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure are as under:

S No.	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended	Attendance of AGM held on 12.07.2022
1	Dr. Charan Singh — Chairman (Non-Executive)	07.11.2022 to 31.03.2023	8	8	NA
2	Sh. Swarup Kumar Saha– MD & CEO	03.06.2022 to 31.03.2023	17	17	Attended
3	Sh. S Krishnan – Ex MD & CEO	01.04.2022 to 31.05.2022	3	3	NA
4	Sh. Kollegal V Raghavendra – Executive Director	01.04.2022 to 31.03.2023	20	20	Attended
5	Dr. Ram Jass Yadav- Executive Director	01.04.2022 to 31.03.2023	20	20	Attended
6	Ms. M.G. Jayasree – MOF Nominee Director	11.04.2022 to 31.03.2023	20	19	Not Attended
7	Sh. Kamal Prasad Patnaik– RBI Nominee Director	01.04.2022 to 31.03.2023	20	17	Not Attended
8	Sh. Shankar Lal Agarwal – Non Official Director	01.04.2022 to 31.03.2023	20	20	Attended
9	Ms. Rshmi Khetrapal – Non Official Director	01.04.2022 to 31.03.2023	20	19	Not Attended
10	Sh. T.R. Mendiratta- Shareholder Director	01.04.2022 to 31.03.2023	20	20	Attended

2.6. **Code of Conduct:**

The Code of Conduct for Board of Directors and Key Management Personnel i.e. Directors & one rank below Director comprising all General Managers has been approved by the Board of Directors in compliance of Regulation 17(5) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 with Stock Exchanges. The said Code of Conduct is posted on Bank's website https://punjabandsindbank.co.in/. All the Board Members and General Managers have since affirmed the compliance of the Code.

3. **General Body Meeting:**

Details of the Annual General Meetings held during the last three years are given below: a.

Nature	Day & Date	Time	Venue	Purpose
10 th Annual General Meeting	Tuesday, 11 th August 2020	10:00 a.m.	Bank House, 21 Rajendra Place, New Delhi – 110008 (held through Video Conferencing)	- To discuss, approve and adopt the Annual Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31.03.2020 - To elect TWO Directors from amongst the shareholders of the Bank (other than the Central Government)

Nature	Day & Date	Time	Venue	Purpose
11 th Annual General Meeting	Tuesday, 20 th July 2021	11:00 a.m.	Bank House, 21 Rajendra Place, New Delhi – 110008 (held through Video Conferencing)	- To discuss, approve and adopt the Annual Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31.03.2021 - Approval by way of special resolution for Appropriation of accumulated losses of Rs.3577,54,66,746.23 as at 31st March 2021 from Share Premium Account of the Bank during the current financial year 2021-22.
12 th Annual General Meeting	Tuesday, 12 th July 2022	11:00 a.m.	Bank House, 21 Rajendra Place, New Delhi – 110008 (held through Video Conferencing)	- To discuss, approve and adopt the Annual Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31.03.2022 - To declare dividend for the Financial Year 2021-22

Details of the Extraordinary General Meetings held during the last three years are given below: b.

Nature	Day & Date	Time	Venue	Purpose
Extraordinary General Meeting	Thursday, 25 th March 2021	11:00 a.m.	Bank House, 21 Rajendra Place, New Delhi – 110008 (held through Video Conferencing)	- Approved by way of Special Resolution To create, offer, issue and allot 3,35,16,14,868 equity shares of Rs.10 each at an issue price of Rs.16.41 each (including premium of Rs.6.41 per equity share) aggregating to Rs.5500 crore for cash to Government of India on Preferential Basis.
Extraordinary General Meeting	Monday, 17 th May 2021	11:00 a.m.	Bank House, 21 Rajendra Place, New Delhi – 110008 (held through Video Conferencing)	- To elect One Directors from amongst the shareholders of the Bank (other than the Central Government) (Sh T R Mendiratta, being the only candidate, was elected forthwith and the meeting was cancelled).
Extraordinary General Meeting	Thursday, 31st March 2022	11:00 a.m.	Bank House, 21 Rajendra Place, New Delhi – 110008 (held through Video Conferencing)	- Approved by way of Special Resolution To create, offer, issue and allot 2,72,51,18,483 equity shares of Rs.10 each at an issue price of Rs.16.88 each (including premium of Rs.6.88 per equity share) aggregating to Rs.4600 crore for cash to Government of India on Preferential Basis.



Postal Ballot: Bank has not conducted any business by way of postal ballot during the Financial Year and at present no c. business is proposed to be conducted through postal ballot.

4. **COMMITTEES OF DIRECTORS:**

The Board of Directors of the Bank has constituted various Committees of Directors to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India and Government of India guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The Management lays emphasis on the analysis of sectoral development, segment / product performance, opportunities, threats, risks & associated concern, besides operational performance & development of HR/IR in the discussions during the Board / Committee Meetings. The important Committees of the Board are as under:

S.No	Name of the Committee
1.	Management Committee of the Board (MC)
2.	Audit Committee of Board (ACB)
3.	Committee for Monitoring of Large Value Frauds
4.	Committee of Directors to deal with Vigilance, Disciplinary cases and Departmental Enquires (Vigilance Committee of the Board)
5.	Risk Management Committee
6.	Customer Service Committee
7.	Stakeholders Relationship Committee
8.	HR Committee
9.	IT Strategy Committee
10.	Committee for dealing with the case of appeals and review
11.	Committee for Monitoring of Recovery
12.	Review Committee for Willful Defaulter
13.	Nomination & Remuneration Committee
14.	Review Committee for Non-Co-Operative Borrower.
15.	Board Committee for Performance Evaluation (for MD & CEO, EDs and GMs)
16.	Credit Approval Committee of Board

Government of India, vide Gazette Notification No. F. No. 16/22/2019-BO.I(Part) dated 25.01.2021 has added the following paragraph below paragraph 14 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980

"Where a nationalised bank is required by law to do any act or thing and in order to do so the recommendations or determination of, or resolution of grievances of security holders by, or in respect of any appointment, approval or review by any Committee of the Board of the bank is required, and if the Board is satisfied that quorum for meeting of such Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof, the Board may do that act or thing"

In line with the above, Board may subsume the function of any such committee where the quorum for meeting of such Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof.

4.1. Management Committee of the Board:

In pursuance of Clause 13 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (as amended) read with the amendments made by the Ministry of Finance, Government of India, a Management Committee of the Board has been constituted to consider various business matters of material significance like sanction of high value credit proposals, compromise / write-off proposals, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc.

The Committee consists of Managing Director and Chief Executive Officer, Executive Director/s and Directors nominated by Government of India under Section 9 (3) (c) and three Directors from amongst those appointed under sub section (d), (e), (f), (h) and (i) of section 9(3) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.

$The \, composition \, of \, the \, Management \, Committee \, as \, on \, 31st \, March \, 2023 \, is \, as \, under: \, 1000 \, March \, 2023 \, is \, 2000 \, March \, 2000$

S No	Name of the Director
1.	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO (Chairperson)
2.	Sh. Kollegal V Raghavendra – Executive Director
3.	Dr. Ram Jass Yadav – Executive Director
4.	Sh. Kamal Prasad Patnaik – RBI Nominee Director
5.	Sh. T R Mendiratta – Shareholder Director

During the Financial Year 2022-23, the Management Committee of the Board met on Eighteen (18) occasions on the following dates:

02.05.2022	15.06.2022	24.06.2022	16.08.2022	24.08.2022
05.09.2022	17.09.2022	26.09.2022	21.11.2022	05.12.2022
13.12.2022	20.12.2022	26.12.2022	18.01.2023	09.02.2023
09.03.2023	23.03.2023	31.03.2023		

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S.No	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Sh Swarup Kumar Saha – MD & CEO (Chairperson)	03.06.2022 to 31.03.2023	17	17
2	Sh S Krishnan – Ex MD & CEO	01.04.2022 to 31.05.2022	1	1
3	Sh. Kollegal V Raghavendra – Executive Director	01.04.2022 to 31.03.2023	18	18
4	Dr. Ram Jass Yadav — Executive Director	01.04.2022 to 31.03.2023	18	18
5	Sh Kamal Prasad Patnaik – RBI Nominee Director	01.04.2022 to 31.03.2023	18	18
6	Sh. T.R.Mendiratta – Shareholder Director	01.04.2022 to 31.03.2023	18	18



4.2. Audit Committee of Board (ACB):

The Bank, in consonance with the fundamentals of Corporate Governance and in pursuance of directives of the Reserve Bank of India, has constituted an Audit Committee of the Board.

The main functions of Audit Committee inter-alia include assessing and reviewing the financial reporting system of the Bank to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible. It reviews and recommends to the management, the quarterly / annual financial statements before their submission to the Board.

The Audit Committee provides directions and oversees the operations of total audit functions of the Bank including the organization, operation and quality control of internal audit, internal control weaknesses and inspection within the Bank and follow-up of the suggestions of Statutory/External audit of the Bank and RBI inspections.

The Audit Committee also reviews the adequacy of internal control systems, structure of internal audit department, its staffing pattern and hold discussions with the internal auditors / inspectors on any significant finding and follow-up action thereon. It further reviews the financial and risk management policies of the Bank.

As for Statutory Audit, the Audit Committee interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of Quarterly / Year to date / Annual Financial Results and Reports. It also maintains follow up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

The composition of the Committee as on 31st March 2023 is as under:

S No	Name of the Director	
1	Sh Shankar Lal Agarwal – Non Official Director(Chairperson)	
2	Sh Kamal Prasad Patnaik – RBI Nominee Director	
3	Ms Rshmi Khetrapal – Non Official Director	

During the Financial Year 2022-23, the Audit Committee of the Board (ACB) met on ten (10) occasions on:

09.05.2022	19.05.2022	18.07.2022	01.08.2022	27.09.2022
05.11.2022	16.12.2022	21.01.2023	09.02.2023	23.03.2023

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S No	Name of the Director	Period	Meeting held during their tenure	Meeting attended
1	Sh Shankar Lal Agarwal – Non Official Director (Chairperson)	01.04.2022 to 31.03.2023	10	10
2	Sh Kamal Prasad Patnaik – RBI Nominee Director	01.04.2022 to 31.03.2023	10	10
3	Ms Rshmi Khetrapal – Non Official Director	01.04.2022 to 31.03.2023	10	10

4.3. **Committee for Monitoring of Large Value Frauds:**

Reserve Bank of India vide its letter No.RBI/2004.5.DBS.FGV(F)No.1004/23.04.01A/2003-4 dated 14th January, 2004 informed about the delay in various aspects of frauds like detection, reporting to regulatory and enforcement agencies and action against the

perpetrators of the frauds. It was therefore, suggested to constitute a Sub-committee of the Board, which would be exclusively dedicated to monitor and follow up of fraud cases of Rs.1.00 crore and above. The Audit Committee of the Board will continue to monitor all the cases of frauds in general.

The major functions of the Committee, inter-alia, include monitoring and review of all the frauds of Rs. 1.00 crore and above so as to:

- (a) Identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same
- Identify the reasons for delay in detection, if any, reporting to top management of the Bank and RBI (b)
- (c) Monitor progress of CBI/Police investigation and recovery position
- Ensure that staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is (d) completed quickly without loss of time
- Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls and (e)
- (f) Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen Preventive measures against frauds.

The composition of the Committee as on 31st March, 2023 is as under:

S. No.	Name of Director	
1.	Dr. Charan Singh – Non Executive Chairman (Chairperson)	
2.	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO	
3.	Sh. Kollegal V Raghavendra – Executive Director	
4.	Dr. Ram Jass Yadav – Executive Director	
5.	Sh. Shankar Lal Agarwal – Non Official Director	
6.	Ms. Rshmi Khetrapal – Non Official Director	

The Committee met four (04) times during the Financial Year 2022-23 as per the details below:

09.05.2022	18.07.2022	31.12.2022	16.03.2023
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of directors during their tenure are as under:

S.No.	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1.	Dr. Charan Singh — Non Executive Chairman (Chairperson)	07.11.2022 to 31.03.2023	02	02
2.	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO	03.06.2022 to 31.03.2023	03	03
3.	Sh. S. Krishnan – Ex MD & CEO	01.04.2022 to 31.05.2022	01	01
4.	Sh. Kollegal V Raghavendra – Executive Director	01.04.2022 to 31.03.2023	04	04
5.	Dr. Ram Jass Yadav – Executive Director	01.04.2022 to 31.03.2023	04	04
6.	Ms. M. G. Jayasree – MOF Nominee Director	11.04.2022 to 30.11.2022	02	02
7.	Sh. Shankar Lal Agarwal – Non Official Director	01.04.2022 to 31.03.2023	04	04
8.	Ms. Rshmi Khetrapal – Non Official Director	01.04.2022 to 31.03.2023	04	04

4.4. Committee of Directors to deal with Vigilance, Disciplinary cases and Departmental Enquires (Vigilance Committee of the Board)

With a view to make the review of vigilance work an effective instrument of monitoring the speedy disposal of vigilance disciplinary cases, a Vigilance Committee of the Board has been setup in the Bank in terms of Ministry of Finance letter No.10/12/90/VIG/CVOs dated 24.10.1990.

The composition of the Committee as on 31st March, 2023 is as under:

S. No.	Name of Director	
1.	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO (Chairperson)	
2.	Sh. Kollegal V Raghavendra – Executive Director	
3.	Dr. Ram Jass Yadav – Executive Director	
4.	Ms. M G Jayasree – MOF Nominee Director	
5.	Sh. Kamal Prasad Patnaik – RBI Nominee Director	

The Committee met four (04) times during the Financial Year 2022-23 as per the details below:

02.05.2022	26.09.2022	26.12.2022	15.03.2023
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S.N.	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Sh. Swarup Kumar Saha MD & CEO (Chairperson)	03.06.2022 to 31.03.2023	3	3
2	Sh. S. Krishnan – Ex MD & CEO	01.04.2022 to 31.05.2022	1	1
3	Sh. Kollegal V Raghavendra Executive Director	01.04.2022 to 31.03.2023	4	4
4	Dr. Ram Jass Yadav Executive Director	01.04.2022 to 31.03.2023	4	4
5	Sh. M G Jayasree MOF Nominee Director	01.04.2022 to 31.03.2023	4	4
6	Sh. Kamal Prasad Patnaik RBI Nominee Director	01.04.2022 to 31.03.2023	4	4

4.5. **Risk Management Committee:**

The Bank has constituted a Board level Risk Management Committee to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank.

The Committee reviews three important risk functions viz. Credit Risks, Market Risks and Operational Risks and takes an integrated view of the subject and impart suitable directions if required.

The composition of the Committee as on 31st March, 2023 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Ms. Rshmi Khetrapal – Non Official Director (Chairperson)
2.	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO
3.	Sh. Kollegal V Raghavendra – Executive Director
4.	Sh. Shankar Lal Agarwal – Non Official Director
5.	Sh. T. R. Mendiratta – Shareholder Director

The Committee met on seven (07) occasions during the Financial Year 2022-23 on:

09.05.2022	24.06.2022	13.07.2022	16.08.2022
19.09.2022	01.11.2022	16.03.2023	

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S.No	Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
1	Ms. Rshmi Khetrapal – Non Official Director (Chairperson)	01.04.2022 to 31.03.2023	7	7
2	Sh. S Krishnan – Ex MD & CEO	01.04.2022 to 31.05.2022	1	1
3	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO	03.06.2022 to 31.03.2023	6	6
4	Sh. Kollegal V Raghavendra – Executive Director	01.04.2022 to 31.03.2023	7	7
5	Sh. Shankar Lal Agarwal – Non Official Director	01.04.2022 to 31.03.2023	7	7
6	Sh. T R Mendiratta – Shareholder Director	01.04.2022 to 31.03.2023	7	7

The Bank has set up an appropriate risk management architecture, comprising Risk Management Organizational Structure, Risk Principles, Risk Processes, Risk Control and Risk Audit, all with a view to ideally identify, manage, monitor and control various categories of risks, viz. Credit Risk, Market Risk and Operational Risk, etc. The underlying objective is to ensure continued stability and efficiency in the operations of the Bank and to look after the safety of the Bank.

4.6. **Customer Service Committee:**

The Bank has constituted a sub-committee of Board, known as 'Customer Service Committee of the Board'. The Committee has the following members as on 31st March, 2023:

S.No.	Name of Director
1.	Dr. Charan Singh – Non Executive Chairman (Chairperson)
2.	Sh. Swarup Kumar Saha – MD & CEO
3.	Sh. Kollegal V Raghavendra – Executive Director
4.	Dr. Ram Jass Yadav – Executive Director
5.	Ms. M G Jayasree – MOF Nominee Director

The functions of the Committee include creating a platform for making suggestions and innovative measures for enhancing the quality of customer service and improving the level of satisfaction for all categories of clientele at all times, which inter-alia comprises the following:

- i. Act as apex Committee on Customer Service and oversees the functioning of the Standing Committee on Customer Service and also compliance with the recommendations of the Committee on Procedure and Performance Audit on Public Service (CPPAPS).
- ii. Review the status of the Awards remaining unimplemented for more than 3 months from the date of Awards and also deficiencies in providing banking services as observed by the Banking Ombudsman.
- iii. Mount innovative measures for enhancing the quality of customer service and improving level of customer satisfaction for all categories of clientele

During the Financial Year 2022-23, the Committee met on four (04) occasions as per details given below:

09.05.2022 19.09.2022 05.12.2022 27.02.2023

The details of attendance of the Directors are as under:

S.No	Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
1	Dr. Charan Singh - Non Executive Chairman (Chairperson)	07.11.2022 to 31.03.2023	2	2
2	Sh. Swarup Kumar Saha- MD & CEO	03.06.2022 to 31.03.2023	3	3
3	Sh. S Krishnan - Ex MD & CEO	01.04.2022 to 31.05.2022	1	1
4	Sh. Kollegal V Raghavendra - Executive Director	01.04.2022 to 31.03.2023	4	4
5	Dr. Ram Jass Yadav - Executive Director	01.04.2022 to 31.03.2023	4	4
6	Ms. M G Jayasree - MOF Nominee Director	01.04.2022 to 31.03.2023	4	4
7	Ms. Rshmi Khetrapal - Non Official Director	01.04.2022 to 30.11.2022	2	2

4.7. **Stakeholders Relationship Committee:**

The Committee has been constituted in terms of Regulation 20 of SEBI (LODR), 2015. The committee looks into the mechanism of redressal of grievances of shareholders, bond holders and other security holders.

The composition of the Committee as on 31st March 2023 is as under:

S.No.	Name of Director
1.	Dr. Charan Singh - Non Executive Chairman (Chairperson)
2.	Sh. Kollegal V Raghavendra - Executive Director
3.	Dr. Ramjass Yadav - Executive Director
4.	Sh. Shankar Lal Agarwal - Non Official Director
5.	Sh. T. R. Mendiratta - Shareholder Director

During the Financial Year 2022-23, the Committee met on four (04) occasions as per details given below:

30.05.2022 10.08.2022	03.12.2022	04.03.2023	Ī
-----------------------	------------	------------	---

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S.No	Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
1	Dr. Charan Singh - Non Executive Chairman (Chairperson)	07.11.2022 to 31.03.2023	2	2
2	Sh. Kollegal V Raghavendra - Executive Director	01.04.2022 to 31.03.2023	4	4
3	Dr. Ram Jass Yadav - Executive Director	01.04.2022 to 31.03.2023	4	4
4	Sh. Shankar Lal Agarwal - Non Official Director	01.12.2022 to 31.03.2023	2	2
5	Sh. T. R. Mendiratta - Shareholder Director	01.04.2022 to 31.03.2023	4	4

The Committee monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner. The summary of number of requests/complaints received and resolved during the year are as under:

Pending as on 01.04.2022	Received during the year	Resolved during the year	Pending as on 31.03.2023
NIL	3	3	NIL

No complaint was pending as on 31.03.2023. Shri Saket Mehrotra, Company Secretary has been designated as the "Compliance Officer" of the Bank in terms of Regulation 6 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.



4.8. **Human Resource Management Committee**

The HR Committee has been constituted vide BR No.19841 dated 05.05.2012 for promoting progressive HR plans and to have interaction with various unions and associations. Meeting may be held as and when required but at least once in a quarter.

The composition of the Committee as on 31st March, 2023 is as under:

S.No.	Name of Director
1.	Dr. Charan Singh - Non Executive Chairman (Chairperson)
2.	Sh. Swarup Kumar Saha - MD & CEO
3.	Sh. Kollegal V Raghavendra - Executive Director
4.	Dr. Ram Jass Yadav - Executive Director
5.	Ms. M G Jayasree - MOF Nominee Director
6.	Sh. T R Mendiratta - Shareholder Director

The Committee met on eight (08) occasions during the Financial Year 2022-23 as per details given below:

30.05.2022	18.06.2022	18.07.2022	19.09.2022
13.10.2022	01.11.2022	05.12.2022	10.02.2023

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S.No	Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
1	Dr. Charan Singh - Non Executive Chairman (Chairperson)	07.11.2022 to 31.03.2023	2	2
2	Sh. Swarup Kumar Saha - MD & CEO	03.06.2022 to 31.03.2023	7	7
3	Sh. S. Krishnan - Ex MD & CEO	01.04.2022 to 31.05.2022	1	1
4	Sh. Kollegal V Raghavendra - Executive Director	01.04.2022 to 31.03.2023	8	8
5	Dr. Ram Jass Yadav - Executive Director	01.04.2022 to 31.03.2023	8	7
6	Ms. M. G. Jayasree - MOF Nominee Director	11.04.2022 to 31.03.2023	8	7
7	Sh. T R Mendiratta - Shareholder Director	01.04.2022 to 31.03.2023	8	8

4.9. **IT Strategy Committee of the Board**

With a view to take forward IT initiatives and drive other benefits of technologies, IT Strategy Committee of the Board comprising of the following members is in place.

The composition of the Committee as on 31st March, 2023 is as under:

S.No.	Name of Director	
1.	Dr. Charan Singh - Non Executive Chairman (Chairperson)	
2.	Sh. Swarup Kumar Saha - MD & CEO	
3.	Sh. Kollegal V Raghavendra - Executive Director	
4.	Dr. Ram Jass Yadav - Executive Director	
5.	Sh. T R Mendiratta - Shareholder Director	
6.	Ms. Rshmi Khetrapal - Non Official Director	

The Committee met on Nine (09) occasions during the Financial Year 2022-23 as per details below:

28.04.2022	30.05.2022	24.06.2022	18.07.2022	16.08.2022
26.09.2022	01.11.2022	31.12.2022	27.02.2023	

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S.No	Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
1	Dr. Charan Singh - Non Executive Chairman (Chairperson)	07.11.2022 to 31.03.2023	2	2
2	Sh. Swarup Kumar Saha - MD & CEO	03.06.2022 to 31.03.2023	7	7
3	Sh. S. Krishnan - Ex MD & CEO	01.04.2022 to 31.05.2022	2	2
4	Sh. Kollegal V Raghavendra - Executive Director	01.04.2022 to 31.03.2023	9	9
5	Dr. Ram Jass Yadav - Executive Director	01.04.2022 to 31.03.2023	9	9
6	Ms. M. G. Jayasree - MOF Nominee Director	11.04.2022 to 30.11.2022	7	7
7	Sh. T R Mendiratta - Shareholder Director	01.04.2022 to 30.11.2022 and 21.01.2023 to 31.03.2023	7	7
8	Ms. Rshmi Khetrapal - Non Official Director	01.04.2022 to 31.03.2023	9	9

4.10. Committee for dealing with the case of appeals and review:

A committee for dealing with the case of appeals and review has been constituted vide Board Resolution No. 22389 dated 10.08.2016 for deciding appeals and review petitions of Disciplinary cases.

The composition of the committee as on 31.03.2023 is as under:

S.No.	Name of Director
1.	Ms. M. G. Jayasree - MOF Nominee Director (Chairperson)
2.	Sh. Shankar Lal Agarwal - Non Official Director
3.	Ms. Rshmi Khetrapal - Non Official Director

No meeting was held during the Financial Year 2022-23.

4.11. **Committee for Monitoring of Recovery:**

A Committee of Directors consisting of Managing Director and Chief Executive Officer, Executive Director and the nominee Director of Ministry of Finance has been formed to monitor the progress in recovery of the Bank in terms of directions received from Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi, vide their letter no. F.No. 7/112/2012-BOA letter dated 21.11.2012.

The composition of the Committee as on 31st March 2023 is as under:

S.No.	Name of Director
1.	Dr. Charan Singh - Non Executive Chairman (Chairperson)
2.	Sh. Swarup Kumar Saha - MD & CEO
3.	Sh. Kollegal V Raghavendra - Executive Director
4.	Dr. Ram Jass Yadav - Executive Director
5.	Ms. M. G. Jayasree - MOF Nominee Director

The Committee met on six (6) occasions during the Financial Year 2022-23 as per details below:

27.04.2022 30.05.2022	24.06.2022	18.07.2022	05.12.2022	27.02.2023
-----------------------	------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S.No	Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
1	Dr. Charan Singh - Non Executive Chairman (Chairperson)	07.11.2022 to 31.03.2023	2	2
2	Sh. Swarup Kumar Saha - MD & CEO	03.06.2022 to 31.03.2023	4	4
3	Sh. S. Krishnan - Ex MD & CEO	01.04.2022 to 31.05.2022	2	2

4	Sh. Kollegal V Raghavendra - Executive Director	01.04.2022 to 31.03.2023	6	6
5	Dr. Ram Jass Yadav - Executive Director	01.04.2022 to 31.03.2023	6	6
6	Ms. M. G. Jayasree - MOF Nominee Director	01.04.2022 to 31.03.2023	6	5
7	Sh. Shankar Lal Agarwal – Non Official Director	01.04.2022 to 30.11.2022	4	4

4.12. **Review Committee for Willful Defaulter:**

Review Committee for willful Defaulter has been constituted for review of the orders of the Committee by ED for declaration of the party as Willful Defaulter, consisting of two Independent Directors, headed by Chairman & Managing Director.

The composition of the Committee as on 31st March, 2023 is as under:

S.No.	Name of Director
1.	Dr. Charan Singh - Non Executive Chairman (Chairperson)
2.	Sh. Swarup Kumar Saha - MD & CEO
3.	Ms. M. G. Jayasree - MOF Nominee Director
4.	Sh. Shankar Lal Agarwal - Non Official Director

The Committee met on two (02) occasions during the Financial Year 2022-23 as per details below:

27.04.2022	16.03.2023
------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S.No	Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
1	Dr. Charan Singh - Non Executive Chairman (Chairperson)	07.11.2022 to 31.03.2023	1	1
2	Sh. Swarup Kumar Saha- MD & CEO	03.06.2022 to 31.03.2023	1	1
3	Sh. S Krishnan - Ex MD & CEO	01.04.2022 to 31.05.2022	1	1
4	Ms. M G Jayasree - MOF Nominee Director	11.04.2022 to 31.03.2023	2	2
5	Sh. Shankar Lal Agarwal - Non Official Director	01.12.2022 to 31.03.2023	1	1
6	Ms. Rshmi Khetrapal - Non Official Director	01.04.2022 to 30.11.2022	1	1

Nomination & Remuneration Committee 4.13.

A single committee named 'Nomination & Remuneration Committee' was constituted vide DFS notification F.No.16/19/2019-BO.I dated 30.08.2019 in place of separate 'Nomination Committee of Board' and 'Remuneration Committee of Board'.

'Nomination & Remuneration Committee' with minimum three members has been re-constituted vide Board Resolution No. 24521 dated 18.09.2019 to under-take due diligence for necessary process of Nomination, screening as per 'fit and proper' criteria given by RBI.

The composition of the Committee as on 31st March 2023 is as under:

S.No.	Name of Director	
1.	Sh. T. R. Mendiratta - Shareholder Director (Chairperson)	
2.	Ms. Rshmi Khetrapal - Non Official Director	
3.	Sh. Shankar Lal Agarwal- Non Official Director	

No meetings were held during the Financial Year 2022-23.

4.14. Review Committee for Non Co-operative Borrower

Review Committee for Non-Co-Operative Borrower was constituted in terms of RBI notification no RBI/2014-15/362 DBR.No.CID.BC.54/20.16.064/2014-15 dated 22 Dec 2014, for review of the orders of the Committee headed by ED for declaration of the party as Non-Co-Operative Borrower.

The composition of the Committee as on 31st March 2023 is as under:

S.No.	Name of Director	
1.	Sh. Swarup Kumar Saha - MD & CEO (Chairperson)	
2.	Sh. Shankar Lal Agarwal- Non Official Director	
3.	Sh T R Mendiratta- Shareholder Director.	

No Meeting was held during the Financial Year 2022-23.

4.15. Committee for Performance Evaluation (for MD & CEO, EDs and GMs)

Board Committee for Performance Evaluation (for MD & CEO, EDs and GMs) was constituted in terms of Ministry of Finance, DFS letter F.No.9/5/2009-HR dated 30.08.2019 for recording of Annual Performance Appraisal Report (APARs) of Managing Director & CEO, Executive Directors and General Managers (in-charge of internal control functions) of Nationalized Banks.

The composition of the Committee as on 31st March 2023 is as under:

S.No.	Name of Director	
1.	Dr. Charan Singh - Non Executive Chairman (Chairperson)	
2.	Ms. M G Jayasree - MOF Nominee Director	
3.	Sh. T R Mendiratta - Shareholder Director	

The committee met on two (02) occasions during the Financial Year 2022-23 on

26.05.2022	27.02.2023
------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S.No	Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
1	Dr. Charan Singh - Non Executive Chairman (Chairperson)	07.11.2022 to 31.03.2023	1	1
2	Ms. M. G. Jayasree - MOF Nominee Director	11.04.2022 to 31.03.2023	2	2
3	Sh. Shankar Lal Agarwal - Non Official Director	01.04.2022 to 30.11.2022	1	1
4	Sh. T. R. Mendiratta - Shareholder Director	01.04.2022 to 31.03.2023	2	2

4.16. **Credit Approval Committee of Board (CACB)**

In pursuance of Clause 13 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (as amended) read with the amendments made by the Ministry of Finance, Government of India, a Credit Approval Committee of the Board has been constituted to consider various credit proposals up to the two hundred fifty crore rupees.

The composition of the Committee as on 31st March 2023 is as under:

S.No.	Name of Member	
1.	Sh. Swarup Kumar Saha - MD & CEO	
2.	Sh. Kollegal V Raghavendra - Executive Director	
3.	Dr. Ram Jass Yadav - Executive Director	
4.	Sh. Rajesh Pandey - General Manager (Credit)	
5.	5. Ms. Mahima Agarwal - Chief Financial Officer	
6.	Sh. Dheeraj Kumar Gaur - Chief Risk Officer	
7.	Sh. Pravin K Arora - Deputy General Manager (Treasury)	

During the Financial Year 2022-23, the Credit Approval Committee of Board met on Twelve (12) occasions on following dates:

18.04.2022	21.06.2022	12.07.2022	03.09.2022	01.10.2022	26.10.2022
23.11.2022	15.12.2022	08.02.2023	16.02.2023	14.03.2023	31.03.2023



The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S.No	Name of the Member	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
1	Sh. Swarup Kumar Saha - MD & CEO	03.06.2022 to 31.03.2023	11	11
2	Sh. S. Krishnan - Ex MD & CEO	01.04.2022 to 31.05.2022	01	01
3	Sh. Kollegal V Raghavendra - Executive Director	01.04.2022 to 31.03.2023	12	12
4	Dr. Ram Jass Yadav - Executive Director	21.10.2022 to 31.03.2023	12	12
5	Sh. Rajesh Pandey - General Manager (Credit)	01.04.2022 to 31.03.2023	12	12
6	Ms. Mahima Agarwal - Chief Financial Officer	01.08.2022 to 31.03.2023	9	8
7	Sh. Pravin K Arora - Deputy General Manager (Treasury)	01.04.2022 to 31.03.2023	12	8
8	Sh. V. K. Mehrotra - Ex Chief Financial Officer	01.04.2022 to 31.07.2022	3	3
9	Sh. Dheeraj Kumar Gaur - Chief Risk Officer	03.09.2022 to 31.03.2023	9	8
10	Sh. Sanjay P Srivastava - Chief Risk Officer	01.04.2022 to 03.09.2022	4	4

4.17. **Share Transfer Committee:**

A committee of officials comprising of GMs, DGM/ AGM with Company Secretary as Convener meets at least once in a fortnight. The minutes of the Share Transfer Committee are placed before the Board in the forthcoming meeting. Twenty Eight meetings of the Share Transfer Committee were held during the financial year 2022-23.

4.18. Other Disclosures:

- i) The Directors are appointed by Govt. of India, Ministry of Finance. There is no relationship between directors inter-se.
- ii) The details of familiarization programmes imparted to independent directors is disclosed on bank's website and can be viewed from the link https://punjabandsindbank.co.in/content/familiarization-programmes-imparted-todirectors.

5. Chart / Matrix setting out the skill / expertise / competence of the Board of Directors

As per Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, a director shall possess special knowledge or practical experience in respect of one or more of the matters namely agriculture and rural economy, banking, co-operation, economics, finance, law, small scale industry, etc.

S. No	Name and Category of Director	Experience	Core Skills / Expertise / Competence
1	Dr. Charan Singh – Non-Executive Chairman	Post Graduate research in Applied Economics (M. Phil) and also a holder of doctorate degree i.e. Ph.D. in Economics from the University of New South Wales, Sydney	Economics
2	Sh.Swarup Kumar Saha – MD & CEO	B. Sc. (Hons.), Diploma in Treasury, Investment & Risk Management (DTIRM), CAIIB, Certification in Risk in Financial Services	Banking and Finance
3	Sh. Kollegal V Raghavendra – Executive Director	Post Graduate in Commerce, Law Graduate, CAIIB and over 40 years experience in Nationalised Banks	Banking and Finance
4	Dr. Ram Jass Yadav – Executive Director	Post-graduate in Commerce, post which also accomplished professional qualifications ie. ICWA, CS, MBA and Doctorate (Ph. D) examinations, all with distinction. Over 38 years experience in Nationalized Banks	Banking and Finance
5	Ms M G Jayasree – Government of India Nominee	M.Sc, Public Management and Governance, M.Sc Statistics MG University, Kerala	Administration and Management
6	Sh. Kamal Prasad Patnaik – Reserve Bank of India Nominee	Regional Director in Reserve Bank of India, Jammu. M.A. (Pol. Science), Certified Associate of Indian Institute of Bankers and holds GARP International Certificate in Banking Risk and Regulation (ICBRR) (GARP, USA). He has 16 years on-site and off-site experience in Banking Supervision in India and Abroad	Banking and Finance
7	Sh Tirath Raj Mendiratta – Shareholder Director	Finance, Marketing, Personnel Administration and General Administration. 30 years in LIC of India in the field of Finance, Marketing, Personnel Administration and General Administration	Banking and Finance
8	Sh. Shankar Lal Agarwal – Non Official Director	B.Com, L.L.B and a qualified Chartered Accountant. Practicing as a senior partner of the firm since 1989	Banking and Finance
9	Ms. Rshmi Khetrapal – Non Official Director	Chartered Accountant with experience of more than two decades and has expertise in Accounting, Finance, Internal Audit, Taxation, and Information Technology.	Banking and Finance

Further, it is:

- i. Confirmed that in the opinion of the Board, the independent directors fulfill the conditions specified in SEBI LODR Regulations and are independent of the management, and
- Informed that there is no case of resignation of any independent director before the expiry of the tenure. ii.

6. **REMUNERATION OF DIRECTORS:**

The remuneration including traveling and halting expenses to Non-Executive Directors which are being paid as stipulated by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India from time to time in terms of Clause 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (as amended).

The Managing Director and Chief Executive Officer and Executive Directors are being paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. The details of remuneration paid to Managing Director and Chief Executive Officer and Executive Director(s) is detailed below:

Salary including Arrears paid during the Financial Year 2022-23: Α.

S.No.	Name	Remuneration (Rs in Lacs)
1.	Shri Swarup Kumar Saha - MD & CEO	28.34
2.	Shri S Krishnan - Ex MD & CEO	12.81
3.	Shri Kollegal V Raghavendra - Executive Director	34.32
4.	Dr. Ram Jass Yadav - Executive Director	32.69
5.	TOTAL	108.16

B. The Sitting Fee paid to the Non-Executive Directors as per the guidelines of Govt. of India during the financial year 2022-23 is as under: (No sitting fee is payable to whole time directors and director representing Government of India & RBI):

S.No.	Name of the Director	Remuneration (Rs in Lacs)
1.	Dr. Charan Singh - Non-Executive Chairman	7.50
2.	Sh Tirath Raj Mendiratta - Shareholder Director	15.00
3.	Sh. Shankar Lal Agarwal - Non-Official Director	14.30
4.	Ms. Rshmi Khetrapal - Non-Official Director	14.55
5.	TOTAL	51.35

7. **UNCLAIMED DIVIDEND:**

In terms of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 the Bank is required to transfer the amount of Dividends that remain unclaimed / unpaid for a period of seven years from the date on which they were transferred to the respective Unpaid Dividend Account, to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established under section 125 of the Companies Act, 2013:

S.No.	Details of Unpaid Dividend	Balance as on 31.03.2023
1.	Dividend 2015-16	14,10,401.85
2.	Dividend 2021-22	7,19,928.18

8. **DISCLOSURES:**

- a. There is no materially significant Related Party Transaction that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.
- b. The policy for determining Material Subsidiary and the Related Party Transactions Policy is available on website of the Bank at https://punjabandsindbank.co.in/content/psb-policy.
- c. Details of penalties, strictures imposed on the listed entity by stock exchange(s) or the board or any statutory authority, on any matter related to capital markets, during the last three years is as under:

SI No	Financial Year	Details
1.	2020-21	BSE & NSE has imposed a Fine for non-compliance of Regulation 23(9) of SEBI (LODR) Regulation, 2015 for the Half Year ended September 2020. The same was later waiver by the Stock Exchanges.
2.	2021-22	BSE had levied a fine for delayed filing of Corporate Governance Report as required in terms of Regulation 27(2) of SEBI (LODR) Regulation, 2015. The delay was due to technical issue with XBRL and the fine was waived by the Stock Exchange.
3.	2022-23	- NSE had imposed a fine for delay in intimation of Record date for payment of Interest by 1 day in terms of Regulation 60(2). An application has been filed with the Stock Exchange for waiver of the fine BSE & NSE had levied a fine for delay in intimation of meeting of Board of Directors held on 21.01.2023 by 1 day as required in terms of Regulation 29(2). An application has been filed with the Stock Exchange for waiver of the fine.

- d. Bank has a Whistle Blower Policy in place and no personnel have been denied access to audit committee.
- Dividend Distribution Policy is available on the website of the Bank at https://punjabandsindbank.co.in/content/psbe. policy
- f. The Funds raised by the Bank by way of Preferential allotment have been utilized for the general business purpose.
- A certificate has been obtained from a Company Secretary in Practice that none of the directors on the Board of the g. Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of companies by the Board / Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority.
- h. Commodity Price Risks and Commodity Hedging Activities is not applicable during the financial year.
- Bank does not have any subsidiaries. i.
- j. It is confirmed that there was no instance where the Board did not accept any recommendation of any Committee of the Board which was mandatorily required during the financial year 2022-23.
- k. The status of compliance of Discretionary and Mandatory requirements is detailed at point 9 & 10 below.

9. Disclosure of compliance with corporate Governance requirements

Reg. No	Title / Brief description	Compliance Status
17 & 17A	Board of Directors	Our Bank is a Corresponding New Bank constituted under The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980. All Directors of the Bank, other than Shareholder Director, are appointed/nominated by the Central Government in terms of Sec 9(3) of the Act. The Bank is regulated by Reserve Bank of India. Major time of the Board discussions is spent on business strategy and execution, compliance, governance and risk profile of the Bank. Transparency and independence in the functioning of the Board is ensured.
18	Audit Committee	Complied with

19	Nomination and Remuneration Committee	The composition & terms of reference of the Nomination and Remuneration Committee is governed by RBI Directives / Guidelines. As per the Reserve Bank of India Guidelines, the Nomination and Remuneration Committee undertakes the process of due diligence to determine the 'Fit & Proper' status of the persons to be elected as Directors under clause (i) of sub-section (3) of section 9 of the Act.
20	Stakeholder Relationship Committee	Complied with
21	Risk Management Committee	Complied with
22	Vigil Mechanism	Complied with
23	Related party transactions	Complied with
24	Corporate Governance requirements with respect to subsidiary of listed entity	Not Applicable
24A	Secretarial Audit	Complied with
25	Obligations with respect to independent directors	Complied with
26	Obligations with respect to employees including senior management, key managerial persons, directors and promoters	Complied with
27	Other corporate governance requirements	Complied with
46 (2) (b) to (i)	Website	Complied with

10. MANDATORY AND DISCRETIONARY REQUIREMENTS:

The Bank has complied with applicable mandatory requirements as per Schedule V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The extent of implementation of discretionary requirements are as per Part-E of Schedule-II {Regulation 27(1)} of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is as under:

Sr. No	Discretionary Requirements	Status of Implementation
1.	The Board — A Non -executive Chairman may be entitled to	Complied with. Government of India has
	maintain Chairperson's Office at the listed entity's expense and	appointed Dr. Charan Singh as the non-
	also allowed reimbursement of expenses incurred in	Executive Chairman of the Board of the Bank.
	performance of his / her duties.	
2	Shareholders Rights — Half — Yearly declaration of financial	Quarterly / Half yearly / Yearly Financial
	performance including summary of significant events in last six	Results are sent to Stock Exchanges, published
	months to be sent to shareholders	in leading newspapers and are also placed on
		the Bank's website
		https://punjabandsindbank.co.in/ for
		information of the shareholders.
3.	Modified Opinion(s) in audit report — Company may move	The Auditors have expressed an Unmodified
	towards regime of financial statements with unmodified audit	opinion on the financial statements of the
	opinion.	Bank.
4	Separate posts of Chairperson and the Managing Director or the	Punjab & Sind Bank has separate persons
	Chief Executive Officer - The listed entity may appoint separate	appointed to the post of Chairperson and
	persons to the post of the Chairperson and the Managing	Managing Director and Chief Executive
	Director or the Chief Executive Officer, such that the Chairperson shall –	Officer.
	(a) be a non-executive director; and	
	(b) not be related to the Managing Director or the Chief Executive	
	Officer as per the definition of the term "relative" defined under	
	the Companies Act, 2013.	
5.	Reporting of internal auditor — The internal auditor may report	Internal audit reports are directly placed
	directly to the audit committee.	before the Audit Committee by Inspection
		Department.

11. MEANS OF COMMUNICATION:

The Bank recognizes the need for keeping its shareholders and stakeholders informed of the events of their interests through present advanced information technology and means of communication.

The financial results of the Bank are submitted to the stock exchanges, where the securities of the Bank are listed, immediately after the conclusion of the Board Meeting approving the same. The results are also published in one English language national daily newspaper circulating in the whole or substantially the whole of India and in one daily newspaper published in the language of the region, where the registered office of the Bank is situated i.e. Delhi. The Bank also organizes analyst meets, meetings with investors / analysts etc on the Bank's financial results and management outlook on the same.

The Quarterly / Year to date / Annual Financial Results of the Bank, Press Release and the copy of the presentation made to



the Analysts and other official announcements are posted on the Banks website https://punjabandsindbank.co.in/.

The Bank's equity shares are listed on the following major Stock Exchanges in India:

1) BSE Ltd.

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 25th Floor, Dalal Street, Fort Mumbai-400 001

BSE Code: 533295

2) National Stock Exchange of India Ltd.

"Exchange Plaza", Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051

NSE CODE: PSB-EQ

Custodial fee to NSDL, CDSL and listing fees to BSE, NSE in respect of all securities listed with the exchange(s) has been paid.

The following are the Debenture Trustees for the Bonds issued by the Bank:

TRUSTEE FOR THE BONDHOLDERS



IDBI Trusteeship Services Ltd

IDBI Trusteeship Services Limited

Universal Insurance Building, Ground Floor Sir P.M Road, Fort Mumbai, Maharashtra - 400001 Tel No. 022-40807000, +91 7208822299, +91 8591585821 Fax No. 022-66311776

E-mail: itsl[at]idbitrustee.com



Axis Trustee Services Limited Axis House, Bombay Dyeing Mills Compound,

Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai - 400 025 Phone: +91 22 6226 0054/6226 0050 Email: debenturetrustee[at]axistrustee.in



Vistra ITCL (India) Limited

The IL&FS Financial Center Plot No. C-22, G Block, 7th Floor Bandra Kurla Complex Bandra (East), Mumbai 400051 Tel: +91 22 2659 3535

Fax: +91 22 2653 3297 Email: mumbai[at]vistra.com

11.1. **Dematerialisation of Securities:**

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank has entered in to Agreements with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL.

As on March 31, 2023 the Bank has 6,77,77,86,447 Number of Equity Shares of which 6,77,77,05,318 Shares are held in dematerialized form, as per the detail given below.

Nature of Holding	Number of shares	Percentage	
Physical	81,129	0.0012	
Dematerialized			
NSDL	8,06,07,961	1.1893	
CDSL *	6,69,70,97,357	98.8095	
Grand Total	6,77,77,86,447	100.0000	

^{*} includes 6,65,90,51,093 equity shares held by the Government of India.

11.2. Electronic Clearing Services (ECS):

Electronic Clearing Services is a modern method of payment where the amounts of dividend/interest etc., are directly credited to the bank accounts of the Investors concerned. The Bank has offered the services to the shareholders with an option to avail the facility at all the centers covered by Reserve Bank of India under its ECS/NECS facility.

11.3. Share Transfer System & Redressal of Investors' Grievances:

The Bank's shares are traded in demat mode under ISIN INE608A01012 on both BSE and NSE. National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services Limited (CDSL) are the two depositories holding the Banks shares in Demat Form.

Shareholders are requested to inform their Depository Participant (DP) directly for updating the records in case of any change in address and / or Bank mandate (Name of Bank, Address, Account No., MICR Code, etc) for the shares held in dematerialized form.

The Board has constituted Stakeholders Relationship Committee to look into the mechanism of redressal of grievances of shareholders, Bond holders and other security holders. The Committee meets at regular intervals and reviews the status of Investors' Grievances.

The Bank has appointed Link Intime India Pvt. Ltd as its Share Transfer Agent.

The Investors may contact the Share Transfer Agent at following address:

Link Intime India Pvt Ltd

(Unit: Punjab & Sind Bank)

Noble Heights, 1st Floor,

Plot NH 2, C-1 Block LSC,

Near Savitri Market, Janakpuri,

New Delhi - 110058

Phone: (011) 41410592 to 0594

Fax: (011) 41410591

E Mail: delhi@linkintime.co.in

The Bank has established Shares Cell at Head Office, 21, Rajendra Place, New Delhi-110008 wherein the shareholders can mail their requests/complaints for resolution, at the address given below:

Punjab & Sind Bank

Head Office: Accounts & Audit Department (Shares Cell),

21, Rajendra Place, 1st Floor,

New Delhi -110 008.

Telephone: (011) 41424071

E-mail:complianceofficer@psb.co.in

(The aforesaid e-mail ID is exclusively designated for investors' complaints pursuant to Regulation 6 (2) (d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

12. Status report in respect of unclaimed shares of the allottees held in Escrow A/c (31.03.2023):

S. No.	Particulars	NSDL IN301330-21335661	CDSL 1601010000399414
1.	No. of shares lying in PSB Unclaimed Suspense Account	1172	1230
	in beginning of the year		
2.	No. of shareholders who approached for transfer of		
	shares and to whom shares were transferred from		
	Suspense A/c		
3.	No. of shares lying in PSB Unclaimed Suspense Account	1172*	1230*
	at the end of the year		

^{*} Certified that voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner claims the said shares.

13. Credit ratings obtained by the Bank

Rating Agency	Rating for Tier II Bonds	Rating for Additional Tier I Bonds	Rating for Certificate of Deposits
CARE	CARE AA- Stable (Outlook revised from Negative to Stable)	-	
CRISIL	CRISIL AA Negative (reaffirmed)	-	
ICRA	-		ICRA A1+ (reaffirmed)
Infomerics	IVR AA Stable (Fresh Rating)	-	

14. Details of fees paid to statutory auditors

Nature	Amount
Statutory Branch Auditors	9,07,75,300
Statutory Central Auditors	1,67,03,360

15. Corporate Governance

The Bank has adopted and follows such practices, convention and codes as would provide its financial stakeholders including the depositors, a high level of assurance on the quality of Corporate Governance. The Bank has transparent ownership structure, well-defined executive management structure, satisfactory risk management practices, transparency in appointment and functioning of the Board and Senior Management and an elaborate audit function, carried out both by its Inspection Department and independent audit firms.

16. Disclosures in relation to the Sexual harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

Number of complaints pending as on 01.04.2022	2
Number of complaints filed during the Financial	3
Year under Sexual harassment of Women at Workplace	
(Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013	
Number of complaints disposed off during the year	5
Number of complaints pending as on 31.03.2023	0

17. Financial Calendar:

Financial Year 1st April, 2022 to 31st March, 2023					
Date, Time and Venue of 13th Annual General Meeting	13th AGM of the Bank will be held through VC at 11:00 a.m. on Tuesday, July 11, 2023 and the deemed venue shall be the Head Office of the Bank.				
Book Closure dates	Wednesday, July 05, 2023 to Tuesday, July 11, 2023				
Cut-off date for dividend	4 th July 2023				
Dividend payment date	Within 30 days from the date of the 13th Annual General Meeting				

18. **Shareholding Pattern as on 31st March 2023**

S. No.	Category	No of shareholders	No of Shares	% to Equity
1	Clearing Members	49	97482	0.00
2	Other Bodies Corporate	316	4391020	0.06
3	Hindu Undivided Family	5190	2993705	0.04
4	Mutual Funds	5	3221063	0.05
5	Nationalized Banks	2	18050	0.00
6	Non Nationalized Banks	1	7946	0.00
7	Non Resident Indians	553	1214367	0.02
8	Non Resident (Non Repatriable)	502	738629	0.01
9	Public	142560	62761473	0.93
10	Trusts	8	106550	0.00
11	President Of India	1	6659051093	98.25

12	Insurance Companies	7	42169570	0.62
13	Limited Liability Partnership	6	4153	0.00
14	Unclaimed Shares	2	2402	0.00
15	Foreign Portfolio Investors (Corporate) - I	2	830044	0.01
16	NBFCs registered with RBI	1	6000	0.00
17	Alternate Investment Funds - III	1	172900	0.00
	TOTAL	149206	6777786447	100.00

Distribution of Shareholding (Shares) - Category-wise as on 31st March 2023 19.


Holding of Shares	No. of shareholders	% of shareholders	Total Shares	% of Total
1 - 500	130008	87.13	12419638	0.18
501 - 1000	8738	5.86	7177236	0.11
1001 - 2000	4592	3.08	7019036	0.10
2001 - 3000	1884	1.26	4814249	0.07
3001 - 4000	777	0.52	2801088	0.04
4001 - 5000	1046	0.70	4853182	0.07
5001 - 10000	1408	0.94	10100957	0.15
10001 & Above	753	0.51	6728601061	99.27
TOTAL	149206	100 .00	6777786447	100.00

Share Price, Volume of Shares Traded in Stock Exchanges (From 01.04.2022 to 31.03.2023) 20.

Month			NSE		BSE			
	High (Rs.)	Low	Volume Traded	NIFTY Bank	High (Rs.)	Low (Rs.)	Volume Traded	Bankex Close
			(Nos.)	Close			(Nos.)	
APR 2022	17.45	15.45	8234112	36088.15	17.60	15.40	1062668	41533.91
MAY 2022	16.50	13.10	8065861	35487.40	16.60	13.85	816922	40907.30
JUN 2022	15.90	13.00	4662589	33425.10	15.90	12.50	678513	38475.94
JULY 2022	15.55	14.05	3809329	37491.40	15.43	13.90	316959	43130.69
AUG 2022	16.15	14.75	10249784	39536.75	16.20	14.70	1003623	45295.67
SEP 2022	16.65	14.15	8354239	38631.95	16.85	14.65	770239	44179.79
OCT 2022	17.15	14.90	6153942	41307.90	17.15	14.75	517298	47398.64
NOV 2022	22.60	16.20	64436185	43231.00	22.50	16.00	7858042	49348.18
DEC 2022	44.75	20.30	428042718	42986.45	44.65	20.15	49699730	48906.28
JAN 2023	33.85	27.60	65397893	40655.05	33.75	27.45	6714458	46079.85
FEB 2023	31.00	24.55	29756262	40269.05	31.00	24.55	4683107	45608.78
MAR 2023	29.30	23.10	39955044	40608.65	29.36	23.06	4603293	46031.95

^{*} Source - NSE / BSE website (www.nseindia.com / www.bseindia.com)

21. The graphical depiction of performance of Banks share vis-à-vis Bank Nifty is given below



22. Geographical (State Wise) Distribution of Shareholders as at 31st March 2023

Sr No	State	Number of	Shares held	Percentage*
		Shareholders		
1	Andaman and Nicobar Islands	18	979	0.00
2	Andhra Pradesh	7635	3888016	0.06
3	Arunachal Pradesh	156	96908	0.00
4	Assam	1072	231578	0.00
5	Bihar	3262	1440599	0.02
6	Chandigarh	890	517526	0.01
7	Chhattisgarh	1045	432396	0.01
8	Dadar Nagar Haveli	24	7740	0.00
9	Daman and Diu	16	4516	0.00
10	Delhi	13006	6667279102	98.36
11	Goa	249	138840	0.00
12	Gujarat	20502	7238168	0.11
13	Haryana	5795	3230256	0.05
14	Himachal Pradesh	637	263851	0.00
15	Jammu and Kashmir	489	252160	0.00
16	Jharkhand	1740	822367	0.01
17	Karnataka	6602	2964194	0.04
18	Kerala	2232	1079580	0.02

19	Lakshadweep	1	5	0.00
20	Madhya Pradesh	4965	1987562	0.03
21	Maharashtra	26576	60202509	0.89
22	Manipur	77	52638	0.00
23	Meghalaya	28	3817	0.00
24	Mizoram	8	4951	0.00
25	Nagaland	38	14252	0.00
26	Orissa	1529	546407	0.01
27	OTHERS	1297	1777845	0.03
28	Pondicherry	76	32607	0.00
29	Punjab	6898	3826297	0.06
30	Rajasthan	12319	4374617	0.06
31	Sikkim	15	4433	0.00
32	Tamil Nadu	7209	3393626	0.05
33	Tripura	71	34682	0.00
34	Uttar Pradesh	12214	5949963	0.09
35	Uttarakhand	1184	540881	0.01
36	West Bengal	9331	5150579	0.08
	Total	149206	6777786447	100

^{* 0.00%} refers to values less than 0.01%

23. A certificate from a Company Secretary in practice that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or are disqualified from being appointed or continuing as directors of companies by the Board / Ministry of Corporate Affairs or any other statutory authority have been obtained and is provided below:

R S KATHURIA & Co.

Company Secretaries FCS, LL.B, Insolvency Professional



A-215/55 & 67, Chawala Complex, Shakarpur, Delhi- 110092 Tel:- 98-10544091

E-mail: rsk04069@rediffmail.com

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

(Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10) (i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

The Members of Punjab & Sind Bank 21, Rajendra Place New Delhi- 110 008

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of Punjab & Sind Bank and having registered office at 21, Rajendra Place, New Delhi- 110 008 (hereinafter referred to as 'the Bank'), produced before us by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in) as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its officers, We hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the financial year ending on 31st March, 2023 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other Statutory Authority.

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these, based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

> For RS Kathuria & Co. **Company Secretaries**

Place: New Delhi Date: 28th April 2023

> R.S. Kathuria **Proprietor** FCS 5217; CP No.: 3112

UDIN: F005217E000217814



Auditors' Certificate on Compliance of Conditions of Corporate Governance

To: The Members of Punjab & Sind Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Punjab & Sind Bank, for the year ended on 31st March 2023 in terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Listing Agreement.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Listing Agreement.

We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

GHIYA & CO.	SHIV & ASSOCIATES
Chartered Accountants	Chartered Accountants
FRN: 001088C	FRN: 009989N
UDIN: 23420734BGRRZP2375	UDIN: 23097424BGSSLY2237
(CA Shubham Gupta)	(CA Manoj Kumar)
Partner	Partner
M.No. 420734	M.No.097424
CHATURVEDI & CO.	MANOHAR CHOWDHRY & ASSOCIATES
Chartered Accountants	Chartered Accountants
FRN: 302137E	FRN: 001997S
UDIN: 23012705BGWLXW2467	UDIN: 23221848BGYIHT2638
	(CA Sandeep Mogalapalli)
(CA Satish Chandra Chaturvedi)	Partner
Partner	M.No.221848
M.No. 012705	

Dated: May 02, 2023 Place: New Delhi

The Board of Directors Punjab & Sind Bank New Delhi

Dear Sirs,

Re: Declaration for 2022-23 as per Schedule-V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

It is to declare that all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance of the Code of Conduct for the Financial Year ended on 31st March, 2023 in accordance with Listing Agreement entered into with the stock exchanges and Schedule-V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The said Code of Conduct has been hosted on the Bank's website https://punjabandsindbank.co.in/.

> For Punjab & Sind Bank (Swarup Kumar Saha)

Managing Director & Chief Executive Officer

Place: New Delhi Dated: 02.05.2023

The Board of Directors Punjab & Sind Bank New Delhi

Dear Sirs,

REG: CFO/CEO Certification for the year 2022-23

Pursuant to Schedule-II Corporate Governance Part-B of Compliance Certificate of SEBI (LODR) 2015, we hereby certify that:

- We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year and that to the best of our knowledge and belief:
 - 1) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - 2) These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- В. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or in violation of code of conduct of the Bank.
- We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the audit committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- We have indicated to the auditors and the Audit Committee.
 - 1) Significant changes in internal control over financial reporting during the year;
 - 2) Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - 3) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

For Punjab & Sind Bank

For Punjab & Sind Bank

Place: New Delhi

Dated: 02.05.2023 (Mahima Agarwal) Chief Financial Officer

(Swarup Kumar Saha) Managing Director & Chief Executive Officer

Ghiya &Co. **Chartered Accountants**

Ghiya Hospital Complex, E-68, Siddarth Nagar, Malviya Nagar, Jaipur – 302017

Shiv & Associates Chartered Accountants

103, 105, Plot No. 1, Vardhaman Indraprastha Plaza, I.P. extension, Patparganj, Delhi - 110092

Chaturvedi & Co. **Chartered Accountants**

Park Centre, 24, Park Street, Kolkata - 700016

Manohar Chowdhry & **Associates**

Chartered Accountants 27, Subramaniam Street, Abiramapuram, Chennai - 600018, Tamilnadu

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To The Members of Punjab & Sind Bank Report on Audit of the Financial Statements

Opinion

- 1. We have audited the financial statements of **Punjab & Sind Bank** ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2023, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included returns for the year ended on that date of 20 branches and treasury division audited by us and 693 branches and 44 Offices/ Processing Centers audited by statutory branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also included in financial statements are the returns from 824 branches of the bank which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 12.59 percent of advances, 29.92 percent of deposits, 9.85 percent of interest income and 25.67 percent of interest expenses.
- 2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 (the 'Act') in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:
 - a) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2023;
 - b) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of **Profit**; and
 - c) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by the ICAI, and provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance

with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

- 4. We draw your attention to:
 - Schedule No. 18 (Note. No.14 (i)) to the accompanying financial statements, regarding amortization of estimated additional liability on account of revision in family pension amounting to Rs. 236.84 crore. As stated there in, the bank has charged an amount of Rs. 47.37 crore to the Profit & Loss account for the current financial year ended 31st March 2023 and the balance unamortized expense of Rs. 142.10 crore has been carried forward in the Balance Sheet.
 - Schedule No. 18 (Note. No.17) to the accompanying financial statements, regarding change in methodology of b) calculations of LCR from 31st March 2023 with the approval of Board i.e. considering total outstanding deposit balance for wholesale funding as outflow instead of wholesale deposit having residual maturity of 30 days. Bank had calculated the LCR for 31st March 2023 using the revised methodology and arrived LCR at 113.56%. As per management, comparative figures for the change are not available due to its voluminous & complexity of data involved.

Our opinion is not modified in respect of the matters stated above.

Key Audit Matters

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report:

Key Audit Matters

Classification of Advances, Income Recognition, Identification of and provisioning for non-performing Advances

(Refer Schedule 9 to the financial statements)

The advances are classified as performing and nonperforming advances (NPA) which are governed by income recognition, asset classification and provisioning (IRAC) norms and other circulars and directives issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time. The classification and provisioning are carried out by the Bank's IT Software integrated with its Core Banking Solution (CBS).

How the matter was addressed in our audit

We obtained an understanding of the Bank's Software, circulars, guidelines and directives of the RBI and the Bank's internal instructions and procedures in respect of the asset's classification and it's provisioning. Our audit approach consisted of testing the design of system for identification of Non-Performing assets to ensure conformity with the guidelines of the RBI in the matter and test checking identification and valuation of Non-performing assets.

We have reviewed the documentations, operations / performance and monitoring of the advance accounts, on test check basis of the large and stressed advances, to ascertain any overdue, unsatisfactory conduct or weakness in any advance account, to ensure that its classification is in accordance with the prudential norms of RBI, in respect of the branches audited by us. In respect of the branches,

Punjab & Sind Bank

The provisioning for identified NPAs is based on ageing and classification of NPAs, recovery estimates, value of security and is subject to the provisioning norms specified by RBI.

In the event of any improper application of the prudential norms/regulatory requirements or consideration of the incorrect value of the security, the carrying value of the advances could be materially misstated either individually or collectively and in view of the significance of the amount of advances in the financial statements. the classification of the advances and provisioning thereon has been considered as Key Audit Matter in our audit.

audited by the other branch statutory auditors we have placed reliance on their reports and ensured that changes suggested by the Branch auditors were duly carried out wherever necessary.

We have reviewed on test check basis the reports of the credit audit, inspection audit, internal audit, concurrent audit, regulatory audit to ascertain the advances having any adverse features / comments and reviewed the reports generated from the bank's system.

We reviewed advances including stressed advances on a sample basis with respect to compliance with the RBI Master Circulars / Guidelines/Judicial pronouncements.

Necessary changes were carried out wherever required during the course of audit and the effect of same was duly accounted for in the Financial statements for the year ended 31st March, 2023.

Classification and valuation of Investments identification and provisioning for Non-Performing Investments.

(Refer Schedule 8 to the financial statements)

Investment portfolio of the bank comprises of Investments in Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security Receipts and other Approved Securities which are classified under three categories, Held to Maturity, Available for Sale and Held for trade.

Valuation of investments, identification of Non-Performing Investments (NPI) and the corresponding non-recognition of income and provision thereon, is carried out in accordance with the relevant circulars / guidelines / directions of RBI.

Considering judgement involved in the valuation, volume of transactions, investments on hand, regulatory requirements and significance of the amount of investments in the Financial statement, we have identified this as a key audit matter for the current year audit.

Our Audit approach towards Investments with reference to the RBI circulars/directives included the review and testing of the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, provisioning / depreciation related to Investments.

We evaluated and understood the system and internal control as laid down by the Bank to comply with relevant RBI guidelines.

We assessed and evaluated the process of identification of NPI's, and corresponding reversal of unrealized income and creation of provision.

We carried out substantive audit procedures to recompute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. Accordingly, we selected samples from the investments of each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs;

Necessary changes were carried out wherever required during the course of audit and the effect of same was duly accounted for in the Financial statements for the year ended 31st March, 2023.

Assessment of Information Technology (IT)

The IT environment of the bank is complex and involves a large number of independent and inter-dependent IT systems used in the operations of the Bank for processing and recording a large volume of transactions at various locations.

We evaluated and understood the CBS system adopted by the Bank.

We assessed the operative effectiveness of key automated controls within various business processes. This includes testing the integrity of system interfaces, the completeness and accuracy of data, system reconciliation controls and automated calculations.

As a result, there is high degree of reliance and dependency on such IT systems for the financial reporting process of the bank. Appropriate IT general controls and application controls are required to ensure that such IT systems are able to process the data as required, completely accurately and consistently for reliable financial reporting.

IT controls with respect to recording of transactions, generating various reports in compliance with RBI guidelines/directions is dependent on working of Core Banking System in the Bank. Therefore, any validation failures, incorrect input data and wrong extraction of data may result in wrong reporting of data to the management and regulators.

The Bank accounts for all the transactions related to Advances in its Information Technology System (IT System) viz. Core Banking Solution (CBS) which identifies whether the advances are performing or non-performing and calculation of provisions thereon.

Due to the importance of the impact of the IT systems and related control environment on the Bank's financial reporting process, we have identified testing of such IT systems and related control environment as a key matter for the current year audit.

We assessed the feeding of the data in the system and going through the extraction of the financial information and statements from the IT system existing in the bank.

Reviewed the output and reports generated by the system on sample

Where deficiencies were identified, we tested compensating controls or performed alternate procedures.

The system needs to be further strengthened for its efficacy to control deficiencies of input/output data from the system.

Contingent Liabilities and Claims

Contingent Liability is a possible obligation, outcome of which is contingent upon occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. In the judgement of the management, such claims and litigations including tax demands against the bank would not eventually lead to a liability.

However, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported financial results which is uncertain/unascertainable at this stage.

Considering the uncertainty relating to the outcome of these matters which requires application of judgment in interpretation of law this has been determined as a key Audit Matter

We have relied upon the management note and legal opinions obtained by the bank regarding the claims and tax litigations and involved our internal team to review the nature of such litigations and claims, their current status, sustainability, examining recent orders and/or communication received from various tax authorities/judicial forums and follow up actions thereon and likelihood of claims/litigations materializing into eventual liability upon final resolution, from the available records and developments to date.



6. Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report thereon

The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Corporate Governance Report (but does not include the financial statements and our auditor's report thereon), which we obtained prior to the date of this Auditor's Report and Directors' Report, Business Responsibility & Sustainability Report including annexures, if any, thereon, which is expected to be made available to us after that date.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under Basel III and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditor's report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the applicable Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of the misstatement in the financial statement that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statement may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in: (i) planning the scope of our audit work and evaluating the results of our work: and (ii) to evaluate the effects of any identified misstatements in the financial statement.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

9. We did not audit the financial statements / information of 693 branches and 44 offices / Processing Centers included in the financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total asset of Rs. 27,408.86 Crore as at 31st March 2023 and total revenue of Rs. 556.58 Crores for the year ended on that date, as considered in the financial statements. The financial statements / information of these branches has been audited by the statutory branch auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

- 10. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;
- 11. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 6 to 9 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
 - a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
 - c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
- 12. As required by letter No. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019- 20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks - Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:
 - (a) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the applicable accounting standard, to the extent they are not inconsistent with the accounting policy prescribed by RBI.
 - (b) Our audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's internal financial controls over financial reporting is given in "Annexure A" to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting as at 31st March, 2023.
 - (c) On the basis of the written representation received from the directors as on 31st March, 2023 and taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31st March, 2023 from being appointed as a director in term of sub-section (2) of section 164 of the Companies Act, 2013
 - (d) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.
 - (e) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

13. We further report that:

- a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us.
- b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and Cash Flows Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;
- c) the reports on the accounts of the branch offices audited by statutory branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
- (d) In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flows Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For M/s Ghiya & Co	For M/s Shiv & Associates
Chartered Accountants	Chartered Accountants
EDN 004000C	EDAL COCCOON

FRN: 001088C FRN: 009989N

CA Shubham Gupta CA Manoj Kumar

Partner Partner M.No. 420734 M. No. 097424

UDIN: 23420734BGRRZO7034 UDIN: 23097424BGSSLW6356

Place: New Delhi Place: New Delhi

For M/S Chaturvedi & CO. For M/s Manohar Chowdhry & Associates

Chartered Accountants Chartered Accountants

FRN: 302137E FRN: 001997S

CA Satish Chandra Chaturvedi CA Sandeep Mogalapalli

Partner **Partner** M.No. 012705 M. No. 221848

UDIN: 23012705BGWLXV6179 UDIN: 23221848BGYIHQ2314

Place: New Delhi Place: New Delhi

Dated: 02nd May, 2023.



ANNEXURE"A"TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in paragraph 12(a) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the "RBI communication")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **Punjab & Sind Bank** ("the Bank") as of 31st March, 2023 in conjunction with our audit of the financial statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls over financial reporting of the selected bank branches.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A Bank's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures

of the Bank are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has generally, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31st March, 2023, based on the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Other Matters

Our aforesaid report in so far as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of 55 branches is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

For M/S Ghiya & Co Chartered Accountants FRN: 001088C	For M/s Shiv & Associates Chartered Accountants FRN: 009989N
CA Shubham Gupta Partner M.No. 420734 UDIN: 23420734BGRRZO7034 Place: New Delhi	CA Manoj Kumar Partner M. No. 097424 UDIN: 23097424BGSSLW6356 Place: New Delhi
For M/s Chaturvedi & CO. Chartered Accountants FRN: 302137E	For M/s Manohar Chowdhry & Associates Chartered Accountants FRN: 001997S

Dated: 02nd May, 2023.



PUNJAB & SIND BANK BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2023

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
CAPITAL & LIABILITIES SCHEDULE AS ON AS ON	SCHEDULE	AS ON 31.03.23 [Audited]	AS ON 31.03.22 [Audited]
Capital	1	67777864	67777864
Reserves & Surplus	2	83307205	72328029
Deposits	3	1096654900	1021370140
Borrowings	4	90183832	24436325
Other liabilities & Provisions	5	26621369	24763106
TOTAL		1364545170	1210675464
ASSETS			
Cash & balances with Reserve Bank Of India	6	62254008	61392384
Balances with banks & money at call and short notice	7	713208	1489858
Investments	8	448384193	422808739
Advances	9	768194289	636265621
Fixed Assets	10	15194228	15774435
Other Assets	11	69805244	72944427
TOTAL		1364545170	1210675464
Contingent Liabilities	12	76453991	99122954
Bills for Collection		9559266	8998817
Significant Accounting Policies	17		
Notes on Accounts	18		
Schedule 1 to 18 form an integral part of the accounts			

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2023

(000'S OMITTED)

		Schedule	Rs.	Rs.
			YEAR ENDED 31.03.23 [Audited]	YEAR ENDED 31.03.22 [Audited]
ı.	INCOME			
	Interest earned	13	79927314	70958102
	Other income	14	9399603	9593786
	TOTAL		89326917	80551888
II.	EXPENDITURE			
	Interest expended	15	50193510	44444954
	Operating expenses	16	24634019	22806029
	Provisions and contingencies		1369098	2910359
	TOTAL		76196627	70161342
III.	PROFIT/LOSS			
	Net Profit/ Loss (-) for the period		13130290	10390546
	Profit/ Loss(-) brought forward		6260282	-35775467
	Share Premium		0	35775467
	Withdrawal from Statutory Reserve		0	1090000
	TOTAL		19390572	11480546
	Basic & Diluted Earnings per Share (EPS)		1.94	2.56
IV.	APPROPRIATIONS			
	Transfer to: Statutory Reserve		3290000	2600000
	Capital Reserve [Investment]		69106	669880
	Special Reserve u/s 36(1)(viii)		0	86176
	Investment Fluctuation Reserve		316663	1864208
	Dividend		2101114	0
	Employees Welfare Trust		50000	0
	Balance carried over to Balance Sheet		13563689	6260282
	TOTAL		19390572	11480546
	Significant Accounting Policies	17		
	Notes on Accounts	18		
	Schedule 1 to 18 form an integral part of the accounts			



MAHIMA AGARWAL

CHIEF FINANCIAL OFFICER

RSHMI KHETRAPAL

DIRECTOR

K.P.PATNAIK DIRECTOR

DR. RAM JASS YADAV **EXECUTIVE DIRECTOR**

SWARUP KUMAR SAHA

MANAGING DIRECTOR & CEO

TIRATH RAJ MENDIRATTA

DIRECTOR

SHANKAR LAL AGARWAL

DIRECTOR

M.G.JAYASREE DIRECTOR

KOLLEGAL V RAGHAVENDRA

EXECUTIVE DIRECTOR

DR. CHARAN SINGH

NON-EXECUTIVE CHAIRMAN

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

FOR GHIYA & CO

CHARTERED ACCOUNTANTS

FRN 001088C

FOR SHIV & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS

FRN: 009989N

(SHUBHAM GUPTA) M. NO. 420734

PLACE: NEW DELHI

UDIN: 23420734BGRRZQ6913

(MANOJ KUMAR) M. NO. 097424

PLACE: NEW DELHI

UDIN: 23097424BGSSMA5745

FOR CHATURVEDI & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

FRN: 302137E

FOR MANOHAR CHOWDHRY & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

FRN: 001997S

(SATISH CHANDRA CHATURVEDI)

M. NO. 012705 PLACE: NEW DELHI

UDIN: 23012705BGWLXV6179

(SANDEEP MOGALAPALLI)

M. NO. 221848

PLACE: NEW DELHI

UDIN: 23221848BGYIHU3060

Place: New Delhi Dated: May 02, 2023

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 1-CAPITAL	AS ON 31.03.23 [Audited]	AS ON 31.03.22 [Audited]
	Authorised Capital:		
l.	Equity Share Capital 1000,00,00,000 shares of Rs.10/- each	10000000	100000000
		100000000	100000000
	Issued, Subscribed and Paid-up Capital:		
I.	Equity Share Capital 6,77,77,86,447 (Previous Year 6,77,77,86,447) shares of Rs.10/- each [including 6,65,90,51,093 (Previous Year 6,65,90,51,093) shares of Rs.10/- each held by Central Government]	67777864	67777864
	TOTAL	67777864	67777864

(000'S OMITTED)

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS	AS ON 31.03.23 [Audited]	AS ON 31.03.22 [Audited]
I.	Statutory Reserves		
	Opening Balance	12446906	10936906
	Add: Addition during the year	3290000	2600000
	Less: Deduction during the year	0	-1090000
	Sub Total I	15736906	12446906
II.	Capital Reserves:		
	a. Revaluation Reserve (Fixed Assets):		
	Opening Balance	9199014	9184403
	Add: Addition during the year	0	89861
	Less: Deduction during the year	-76768	-75250
	Sub Total II.a	9122246	9199014
	b. Capital Reserve [Investments]		
	Opening Balance	7459234	6789354

	Add: Addition during the year	69106	669880
	Sub-Total II.b	7528340	7459234
III.	Share Premium:		
	Opening Balance	31319785	48351091
	Add: Addition during the year	0	18748816
	Less: Deduction during the year	0	-35780122
	Sub-Total III	31319785	31319785
IV.	Revenue & Other Reserves		
	a). General Reserves		
	Opening Balance	1089003	1089003
	Add: Addition during the year	0	C
	Less: Deduction during the year	0	C
	Sub-Total IV.a	1089003	1089003
	b). Revenue Reserve:		
	Opening Balance	351561	276311
	Add: Addition during the year	76768	75250
	Less: Deduction during the year	0	C
	Sub-Total IV.b	428329	351561
	c). Special Reserve u/s 36(i) (viii):		
	Opening Balance	2004818	1918642
	Add: Addition during the year	0	86176
	Sub-Total IV.c	2004818	2004818
	d). Investment Reserve		
	Opening Balance	333218	333218
	Add: Addition during the year	0	C
	Sub-Total IV.d	333218	333218
	e). Investment Fluctuation Reserve		

	Opening Balance	1864208	0
	Add: Addition during the year	316663	1864208
	Sub-Total IV. e	2180871	1864208
V.	Balance in Profit & Loss Account	13563689	6260282
	Total [I to V]	83307205	72328029

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 3 - DEPOSITS	AS ON 31.03.23 [Audited]	AS ON 31.03.22 [Audited]
А	I. Demand Deposits		
	i. From Banks	1668873	589421
	ii. From others	48080431	40946334
	II. Savings Bank Deposits	318581762	303748441
	III. Term Deposits		
	i. From Banks	3623481	1330704
	ii. From others	724700353	674755240
	TOTAL [I+II+III]	1096654900	1021370140
В	Deposits of branches in India	1096654900	1021370140

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 4 - BORROWINGS	AS ON 31.03.23 [Audited]	AS ON 31.03.22 [Audited]
I. Borrowings in India		
i) Reserve Bank of India	0	0
ii) Other Banks	0	0
iii) Other institutions & agencies	77810832	2063325
iv) Additional Tier - I Bonds	0	10000000

v) Subordinated Debt	12373000	12373000
II. Borrowings outside India	0	0
TOTAL [I & II]	90183832	24436325
Secured borrowings Included in I & II above	77810832	2063325

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	AS ON 31.03.23 [Audited]	AS ON 31.03.22 [Audited]
I. Bills Payable	3303704	2680828
II. Inter-office adjustments [net]	1332649	1401546
III. Interest accrued	8113873	6876615
IV. Deferred Tax Liability	0	0
V. Others (including provisions)	13871143	13804117
TOTAL	26621369	24763106

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 6 - CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	AS ON 31.03.23 [Audited]	AS ON 31.03.22 [Audited]
I. Cash in hand [including foreign currency notes]	3235185	2798992
II. Balances with Reserve Bank of India		
i) in Current Account	52018823	43193392
ii) in Other Account	7000000	15400000
TOTAL [I & II]	62254008	61392384

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE	AS ON 31.03.23 [Audited]	AS ON 31.03.22 [Audited]
I. In India		
i) Balance with banks		
a) in Current Accounts	157977	143177
b) in other Deposit Accounts	0	0
ii) Money at call & Short notice		
a) with banks	0	0
b) with other institutions	0	0
SUB-TOTAL [I]	157977	143177
II. Outside India		
i) In Current Accounts	555231	1346681
ii) In Other Deposit Accounts	0	0
iii) Money at call & Short notice	0	0
SUB-TOTAL [II]	555231	1346681
TOTAL [I & II]	713208	1489858

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 8 - INVESTMENTS	AS ON 31.03.23 [Audited]	AS ON 31.03.22 [Audited]
I. Investments in India in		
i) Government Securities **	288515120	270727122
ii) Other approved securities	0	0
iii) Shares	1551390	1529966

iv) Debentures & Bonds	154236011	147004167
v) Subsidiaries, and/or Joint Ventures & Sponsored Institutions	0	0
vi) Others:		
a) Commercial Paper/CD/Securitised Receipts	3709115	3265117
b) Units of UTI, other MF	372557	282367
SUB-TOTAL [I]	448384193	422808739
II. Investments outside India	0	0
TOTAL [I + II]	448384193	422808739
Gross Value	454643310	427662537
Provision for Depreciation [-]	6259117	4853798
Net Investments	448384193	422808739

		Rs.	Rs.
	SCHEDULE 9 - ADVANCES	AS ON 31.03.23 [Audited]	AS ON 31.03.22 [Audited]
Α	i) Bills purchased & discounted	9766742	6141153
	ii) Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	242618040	219198688
	iii) Term Loans	515809507	410925780
	Total	768194289	636265621
В	i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debt)	573021651	489473388
	ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	123413144	127027702
	iii) Unsecured	71759494	19764531
	Total	768194289	636265621

С	ADVANCES IN INDIA		
	i) Priority Sector	297291346	270615503
	ii) Public Sector	172495905	145973298
	iii) Banks	4697183	13000000
	iv) Others	293709855	206676820
	Total	768194289	636265621

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS	AS ON 31.03.23 [Audited]	AS ON 31.03.22 [Audited]
I. Premises		
Cost [Opening Balance]	4215439	4185371
Appreciation in cost on account of revaluation	9274264	9355015
Sub-Total	13489703	13540386
Additions during the year		
Original Cost	0	30068
Revaluation Cost	0	9274264
Deductions during the year on		
Original Cost	-359	(
Revaluation Cost	0	-9355014
Less Depreciation to date on		
Original cost	-408938	-302863
Revaluation cost	-152018	-75250
Total-I	12928388	13111591

TOTAL I & II	15194228	15774435
Total II	2265840	2662844
Depreciation to date	-7040139	-5936838
Deductions during the year	-444086	-39113
Additions during the year	1150383	1188710
Cost [Opening Balance]	8599682	7450085
II. Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)		

	Rs.	Rs.	
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS	AS ON 31.03.23 [Audited]	AS ON 31.03.22 [Audited]	
I. Inter-office adjustments [net]	0	C	
II. Interest accrued	6761421	6218050	
III. Tax paid in advance/ Tax deducted at source	5415089	4603797	
IV. Stationery & Stamps	42863	47058	
V. Non Banking assets acquired in satisfaction of claims	0	0	
VI. Deferred Tax asset (Net)	18442476	21683448	
VII. Others \$\$	39143395	40392074	
TOTAL	69805244	72944427	

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES	AS ON 31.03.23 [Audited]	AS ON 31.03.22 [Audited]
I. Claims against the bank not acknowledged as debts	67830	67830
II. Liability for partly paid investments	383137	558055
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	34223743	60682255
IV. Guarantees given on behalf of Constituents		
a) In India	27903629	26124279
b) Outside India	0	0
V. Acceptances, Endorsements and other obligations	1781221	1972002
VI. Other items for which the bank is contingently liable	12094431	9718533
TOTAL	76453991	99122954

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED	Year Ended 31.03.23 [Audited]	Year Ended 31.03.22 [Audited]
I. Interest/discount on advances/ bills	55024390	47784124
II. Income on investments	23593446	20946587
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	307130	1184293
IV. Others	1002348	1043098
TOTAL	79927314	70958102

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME	Year Ended 31.03.23 [Audited]	Year Ended 31.03.22 [Audited]
I. Commission, exchange and brokerage	1139122	1005837
II. Profit on sale of Investments [net]	1012217	3314714
III. Profit on Revaluation of Investments	-1153998	-608071
III. Profit on sale of land, buildings and other assets [net]	21539	-1582
IV. Profit on exchange transactions [net]	362127	561466
V. Miscellaneous Income	8018596	5321422
TOTAL	9399603	9593786

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED	Year Ended 31.03.23 [Audited]	Year Ended 31.03.22 [Audited]
I. Interest on deposits	47178381	42077019
II. Interest on Reserve Bank of India/inter -bank borrowings	1494893	24948
III. Others	1520236	2342987
TOTAL	50193510	44444954

	Rs.	Rs.
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES	Year Ended 31.03.23 [Audited]	Year Ended 31.03.22 [Audited]
I. Payments to and provisions for employees	15444206	14785600
II. Rent, taxes and lighting	1367262	1208020
III. Printing and stationery	108374	105087
IV. Advertisement & publicity	76181	38716
V. Depreciation on Bank's property	1483332	1370904
Less: Transfer from Revaluation Reserve	0	0
	1483332	1370904
VI. Directors' fees, allowances and expenses	6930	2023
VII. Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fee & expenses)	141980	85900
VIII. Law Charges	136807	139733
IX. Postages, Telegrams, Telephones etc.	603375	116946
X. Repairs & maintenance	309043	256196
XI. Insurance	1370738	1297940
XII. Other expenditure	3585791	3398964
TOTAL	24634019	22806029



SCHEDULE 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. **GENERAL**

BASIS OF PREPARATION

The financial statements have been prepared and presented under historical cost convention on accrual basis of accounting unless otherwise stated and comply with Generally accepted accounting principles, statutory requirements prescribed under Banking Regulation Act, 1949, circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time and notified accounting standards by Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 to the extent applicable and current practices in Banking Industry in India.

USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

2. **Foreign Exchange Transactions**

- 2.1 All the Monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated in Indian rupees at the exchange rates prevailing at the Balance Sheet date as notified by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI). The resultant gain / loss is accounted for in the Profit & Loss account.
- 2.2 The outstanding foreign exchange contracts are stated at the prevailing exchange rate on the date of commitment. Profit or loss on such contracts is accounted for as per rates advised by FEDAI as on 31.03.2023 and in accordance with FEDAI guidelines and provisions of para 38 of AS-11.
- 2.3 Items of Income and expenditure relating to foreign exchange transactions are recorded at exchange rates prevailing on the date of the transactions.
- 2.4 Contingent liabilities on account of acceptances, endorsements and other obligations including guarantees & letter of credits in foreign currencies are valued as per rates published by FEDAI as on 31.03.2023 except Bills for Collection which are accounted for at the notional rates at the time of lodgment.

3. **Investments**

- 3.1 Classification and valuation of investments are made in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India read with clarifications / directions given by RBI.1
- 3.2 The entire investment portfolio is classified into three categories, viz, Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading in line with the guidelines / directions of Reserve Bank of India. Disclosure of the investments under the three categories mentioned above is made under six classifications viz.,
 - I. **Government Securities**

- ii. Other approved securities
- iii. Shares
- iv. Debentures
- Subsidiaries / Joint Ventures and ٧.
- Others vi.

Basis Of Classification: 3.3

- i. Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as Held to Maturity.
- ii. Investments that are held principally for resale within 90 Days from the date of purchase are classified as Held for Trading.
- iii. Investments which are not classified in the above two categories, are classified as Available for Sale.
- iv. An investment is classified under the above three categories at the time of its purchase. Shifting of securities from one category to another is done with the approval of the Board normally once in a year. Shifting is effected at the lower of acquisition cost / book value / market value on the date of transfer and the depreciation, if any, on such shifting is fully provided for and the book value of securities is changed accordingly.
- 3.4 Securities under 'Held to Maturity' are stated at acquisition costs unless such costs are higher than the face value, in which case the premium is amortized over the remaining period of maturity. Such amortization is shown under "Income on Investments- Schedule 13 item II as a netting item. In case, the cost is less than the redemption value, the difference being the unrealized gain, is ignored. Any diminution in value of investments in subsidiaries and joint venture, other than temporary in nature, is provided for each investment individually.
- 3.5 Securities under 'Available for sale' are valued scrip wise and depreciation/ appreciation is segregated category wise. While net appreciation is ignored, net depreciation under each category is provided for.
- 3.6 Securities under 'Held for Trading' are valued at market price and the net depreciation under each category is provided for and the net appreciation, if any, is ignored.
- 3.7 Cost of investment is based on the weighted average cost method category wise.

3.8 Method Of Accounting - Settlement Date Accounting

Settlement date accounting refers to (a) the recognition of an asset on the day it is received by the entity, and (b) the derecognition of an asset and recognition of any gain or loss on disposal on the day it is delivered by the entity.

Accordingly, Bank follows settlement date accounting for the whole portfolio, SLR as well as Non SLR. Cost of investment is based on the weighted average cost method category wise.

3.9 The 'market value' for the purpose of valuation of investments included in the 'Available for Sale' and 'Held for Trading' categories is the market price of the scrip as available from the trades/quotes on the stock exchanges, price list of RBI, prices declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

In respect of unquoted securities, the procedure adopted is as below

a.	Government of India Securities: and State Government securities.	At rates put out by FIMMDA/PDAI/FBIL
b.	Other approved Securities, Preference Shares, Debentures and PSU Bonds:	On yield to maturity (YTM) basis at the rate prescribed by FIMMDA/ PDAI/FBIL with such mark ups as laid down by RBI or FIMMDA/ PDAI/FBIL
c.	Equity Shares:	At market price taken from NSE and BSE for quoted share. For unquoted at Break-up Value (without considering revaluation reserve) based on the latest Balance Sheet, which are not older than one year on the date of valuation is considered. In cases where latest Balance Sheets are not available, the shares are valued at Rs.1 per company
d.	Mutual Fund Units, Venture Capital Funds and Security Receipt:	At re-purchase price or Net Assets Value
e.	Treasury Bills, Cash Management Bill, Commercial Papers, Certificate of deposits, Recapitalization Bonds, Subsidiaries, Joint Ventures and Sponsored Institutions:	At carrying cost.

3.10 In determining acquisition cost of investments:

- Incentive received on subscription is deducted from the cost of securities; a.
- b. Brokerage / commission / stamp duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenditure;
- Broken period interest, if any, paid on acquisition of investment is debited to profit & loss account. Broken period interest received on sale of securities is recognized as Interest Income.
- 3.11 Profit/Loss on sale of investments is taken to profit and loss account. However, in case of profit on sale of investments in 'Held to Maturity' category, an equivalent amount of profit is appropriated to Capital Reserve.

3.12 **Non Performing Investments**

In respect of Non-Performing Securities, income is not recognized and appropriate provision is made for depreciation in the value of such securities as per Reserve Bank of India guidelines.

- 3.13 Dividend Income on shares and units of mutual funds is booked on receipt basis.
- 3.14 In the event, depreciation booked on account of MTM in the 'AFS' or 'HFT' categories are found to be in excess of the required amount in any year, the excess is credited to the Profit & Loss Account and an equivalent amount is appropriated to an Investment Reserve Account in Schedule 2 - "Reserve & Surplus" under the head "Revenue and Other Reserves"

4. Advances

4.1 Advances are classified into "Performing" and "Non-Performing" assets and provisions are made as per the prudential norms prescribed by the Reserve Bank of India. Bank has made provisions on Non-Performing Assets as per the prudential norms prescribed by the RBI as under:

Category of Assets	Provision norms		
	15% on Secured Exposure.		
	25% on Unsecured Exposure*		
Sub-Standard	20% on Unsecured Exposure*		
	in respect of Infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow accounts		
	are available		
Doubtful-I	25% on Secured		
Doubtiui-i	100% on Unsecured		
Doubtful-II	40% on Secured		
Doubtiui-ii	100% on Unsecured		
Doubtful-III	100% on Secured		
Doubtiul-III	100% on Unsecured		
Loss	100% of Book Outstanding		

^{*} Unsecured exposure is defined as an exposure where the realizable value of the security, as assessed by the bank/ approved valuers/Reserve Bank's Inspecting Officers, is not more than 10 per cent, ab-initio, of the outstanding exposure.

- 4.2 Advances are stated net of de-recognized interest and provisions/ Technical write off made in respect of non-performing advances. Claims received from DICGC/ CGTMSE/ ECGC are not reduced from such advances till adjusted/ technically written-off whereas part recovery in all NPA accounts is reduced from advances.
- 4.3 Provisions on standard advances are made and are included under "Other Liabilities and Provisions" as per RBI's guidelines.
- 4.4 For restructured/rescheduled advances, provisions are made in accordance with the guidelines issued by RBI.
- 4.5 The sale of NPA is accounted for as per guidelines prescribed by RBI:
 - i). When the bank sells its financial assets to Securitization Company (SC)/ Reconstruction Company (RC), the same is removed from the books.
 - If the sale is at a price below the net book value (NBV) (i.e. book value less provisions held), the shortfall is debited to ii). the Profit & Loss account of the year of sale.
 - iii). If the sale is for a value higher than the NBV, the excess provision is reversed in the year the amounts are received.

5 **Floating Provisions**

In accordance with the RBI guidelines, the bank has an approved policy for creation and utilization of floating provisions separately for advances and investments. The quantum of floating provisions to be created would be assessed, at the end of each financial year. The floating provisions would be utilized only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

Fixed Assets 6

6.1 Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost/revalued amount. In respect of premises, where segregation is



not possible between land and superstructure, are considered in the value of superstructure.

6.2 Premises taken on perpetual lease are considered as freehold premises and are not amortized.

7. **Depreciation on Fixed Assets**

- 7.1 Depreciation is provided for on -
- 7.1.1 Computers at 33.33%, on straight-line method; additions are depreciated for the full year irrespective of the date of addition as per RBI guidelines.
- 7.1.2 Depreciation on fixed Assets is charged on Straight Line Method (SLM) basis as per useful life of assets, considering residual value at 5% of original cost. Additions during the year are depreciated for the full year irrespective of its date of addition. The useful life and depreciation rate are given hereunder:

S. No.	Particulars	Useful life	Depreciation Rate
1	Premises	60	1.58%
2	Furniture and fixtures	10	9.50%
3	Plant & Machinery	15	6.33%
4	Vehicles	8	11.88%

- 7.1.3 Cost of premises is taken composite, wherever it is not possible to segregate the cost of land from the cost of the superstructure.
- 7.2 No depreciation is provided on assets sold/disposed of during the year.
- 7.3 Depreciation attributable to revalued portion of the assets is charged to Profit & Loss Account and equivalent amount is transferred from Revaluation Reserve Account to Revenue Reserve Account.

8 **Revenue Recognition**

- 8.1 Income and expenditure are accounted for on accrual basis unless otherwise stated.
- 8.2 Income on non-performing assets is recognized on realization basis in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India.
- 8.3 Partial recovery in non-performing assets is appropriated first towards principal and thereafter towards interest.
- 8.4 For cases covered under special schemes introduced by RBI viz. Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), Strategic Debt Restructuring, Flexible Structuring of Long Term Project Loans (5/25), Change in Ownership of Borrowing Entities (Outside Strategic Debt Restructuring Scheme), where subsequently the account turns NPA, any recovery shall be first credited to Interest on loans & Advances. Thereafter, the recovery shall be appropriated towards principal amount outstanding in the account. The accounting procedure shall be uniform and consistent in all accounts falling under above schemes.
- 8.5 Income on guarantees and letters of credit issued, locker rent, income from merchant banking transactions, money transfer

services, dividend on shares, Interest on refund of income tax, commission on credit card, interest on overdue bills, processing fee, Government business including distribution of pension and income from units of mutual fund products and income from ATM operations are accounted for on receipt basis.

- 8.6 Rebate on compromised accounts is accounted for at the time of full and final adjustment of the account.
- 8.7 Interest on overdue Term Deposits is provided at the rate of interest applicable to Savings Bank Deposits.
- 8.8 Liability in respect of incremental lease rent on renewal of lease agreement is accounted for at the time of renewal of the lease.
- 8.9 Bond Issue Expenses incurred in connection with raising Tier-II Capital are treated as Deferred Revenue Expenditure to be written off over a period of five years.
- 8.10 Share Issue Expenses are adjusted against the Share Premium Account

9 **Staff Retirement Benefits**

- 9.1 Annual contribution to Gratuity Fund, Pension Fund and Leave Encashment Fund, Silver Jubilee Bonus and Retirement Gifts are provided for on the basis of an actuarial valuation.
- 9.2 The Employees joining on or after 01.04.2010 are being covered under the New Pension Scheme.

10. **Impairment of Assets**

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized in accordance with AS 28 (Impairment of Assets) issued by the ICAI and charged off to Profit and Loss Account.

11 Taxes on Income

- 11.1 Current Income Tax is measured at the amount expected to be paid considering the applicable tax rates and favorable judicial pronouncement/legal opinions.
- 11.2 In accordance with AS-22 Deferred Tax comprising of tax effect of timing differences between taxable and accounting income for the period, is recognized keeping in view the consideration of prudence in respect of Deferred Tax Assets/Liabilities.

SCHEDULE 18

NOTES TOACCOUNTS

A) **Balancing of Accounts and Reconciliation**

- i. In certain Branches, the balancing / reconciliation of control accounts with subsidiary ledgers is in progress.
- ii. Initial matching of debit and credit outstanding of old entries in Inter Branch Account (IBR+DD), pertains prior to CBS System. Adjustments (including old outstanding entries) have been done up to 31.03.2023 and reconciliation is in progress.
- iii. Reconciliation of Drafts payable, Debit Note Receivable/ Payable, RTGS/NEFT (Suspense) is in progress. Provisions have been made as per RBI norms. Reconciliation of Nostro accounts has been done as on 31.03.2023.
 - In the opinion of the management, the impact of the above para (i) to (iii), if any, on the Profit & Loss Account and Balance Sheet though not quantifiable, will not be material.
- iv. In terms of Reserve Bank of India guidelines, segregation of Debit and Credit entries in Inter Branch Accounts pertaining to the period up to 30.09.2022 and remained outstanding as on 31.03.2023 has been done which has resulted in either net Debit in some heads or net credit in other heads. Provision is to be made in respect of Net Debit Entries outstanding for period exceeding 6 months. Similar guidelines have been followed for imprest clearing Account also.
 - In Inter Branch Account there is net credit balance hence no provision is required to be made.
- Credit entries outstanding in Blocked Unclaimed Deposit Account (New Blocked account) for the period V. 01.04.2012 to 31.03.2013 amounting to Rs 1.32 lakh have been transferred to DEAF account during the year ended March 2023.
 - Further, the unreconciled entries pertaining to more than 10 years is transferred to DEAF account on quarterly basis.
 - As on 31.03.2023, un-reconciled credit entries amounting to Rs. 54.98 lakh pertaining to the period from 01.04.2013 to 31.03.2016 are outstanding for more than 3 years and hence these entries were transferred to Blocked Unclaimed Deposit Account (New Blocked account).
- B) Legal formalities are yet to be completed in respect of 2 Bank's properties having original cost of Rs 2.87 crore and Revaluation amount of Rs. 62.98 crore as on 31.03.2023. (Previous year 2 Bank's properties having original cost of Rs 2.87 crore and Revaluation amount of Rs. 62.98 crore).

1. **REGULATORY CAPITAL**

Composition of Regulatory Capital a)

(Rs. in crore)

S. No.	Particulars	2022 - 2023	2021 - 2022
i)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1)*	7990.22	6306.61
ii)	Additional Tier 1 capital*	0.00	1000.00
iii)	Tier 1 capital (i + ii)	7990.22	7306.61
iv)	Tier 2 capital	1553.09	1849.13
v)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	9543.31	9155.74
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	55815.43	49380.53
vii)	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)* (%)	14.32	12.77
viii)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs) (%)	14.32	14.80
ix)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs) (%)	2.78	3.74
x)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs) (%)	17.10	18.54
xi)	Leverage Ratio* (%)	5.88	6.03
xii)	Percentage of the shareholding of Government of India (%)	98.25	98.25
xiii)	Amount of paid-up equity capital raised during the year	0.00	2725.12

^{*}Capital Adequacy Ratio (BASEL III) is arrived after considering the Net present value (NPV) of Non-Interest bearing Recapitalization Bonds infused as capital by the Govt. of India during FY 2020-21 & 2021-22. Further, the effect of proposed dividend has been reckoned in determining capital funds in the computation of capital adequacy ratio as at 31st March 2022 and 31st March 2023.

b) **Draw down from Reserve**

A sum of Rs. Nil during Financial year ended 31.03.2023 has been drawn from the General Reserve on account of payment to the claimant of old entries.



1. **ASSET LIABILITY MANAGEMENT**

a) Maturity Pattern of Certain items of Assets and Liabilities as on 31.03.2023:

(Rs. in crore)

Maturity Pattern (Time Buckets)	Deposits Loans	Loans &	Investments	Borrowings	Foreign Currency	
	Deposits	Advances		Bollowings	Assets	Liabilities
1 day	535.12	1330.06	0.00	0.00	148.85	55.24
2 - 7 days	1122.98	298.51	343.89	5400.48	15.72	0.45
8 - 14 days	878.91	170.59	134.36	30.70	25.31	1.62
15 - 30 days	2765.89	1445.49	150.27	0.00	77.29	4.32
31 days to 2 months	5849.81	391.27	54.79	62.76	92.02	8.14
Over 2 months & up to 3 months	5523.99	2606.69	495.21	62.29	61.71	11.66
Over 3 months & up to 6 months	14224.20	1262.39	998.85	479.96	95.68	31.36
Over 6 months & up to 1 year	27076.45	5119.30	2342.77	924.41	0.00	63.74
Over 1 year & up to 3 years	26188.57	14854.80	4300.35	820.48	87.26	65.59
Over 3 years & up to 5 years	13246.72	15011.23	3985.93	500.00	0.00	10.72
Over 5 years	12252.85	34329.10	32032.00	737.30	0.00	0.00
Total	109665.49	76819.43	44838.42	9018.38	603.84	252.84

Maturity Pattern of Certain items of Assets and Liabilities as on 31.03.2022:

Maturity Pattern	Deposits	Loans &	Investments	Porrowings	Foreign C	urrency
(Time Buckets)	Deposits	Advances	investments	Borrowings	Assets	Liabilities
1 day	439.27	1520.93	0.00	0.00	217.40	18.33
2 - 7 days	1421.93	548.68	83.55	0.00	32.37	0.44
8 - 14 days	1233.23	485.79	96.43	0.00	52.09	1.83
15 - 30 days	1322.07	1508.06	50.00	0.00	98.09	3.88
31 days to 2 months	6699.90	677.50	518.69	1001.36	151.99	11.84
Over 2 months & up to 3 months	6641.30	1315.83	350.09	11.50	98.15	7.10
Over 3 months & up to 6 months	13515.91	2663.78	503.49	25.20	78.02	32.22
Over 6 months & up to 1 year	23116.05	3121.80	1592.03	44.90	1.95	50.07
Over 1 year & up to 3 years	22129.64	9721.01	4150.10	123.37	16.75	72.65
Over 3 years & up to 5 years	13422.51	10309.89	4922.70	500.00	101.33	17.96
Over 5 years	12195.20	31753.28	30013.79	737.30	0.00	0.00
Total	102137.01	63626.55	42280.87	2443.63	848.14	216.32

		30.06.2022	270	30.0	30.09.2022	31.1	31.12.2022	31.03	31.03.2023
		Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)
High (High Quality Liquid Assets								
1	Total High Quality Liquid Assets		25769.72		27196.53		27472.22		25904.69
Cash	Cash Outflows								
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which	66669.02	6640.02	67725.89	6745.31	69166.23	688933	70273.61	92.669
(E)	Stable Deposits	537.71	26.89	545.70	27.29	544.74	27.24	551.90	27.59
(ii)	Less stable deposits	66131.31	6613.13	67180.19	6718.02	68621.48	6862.15	69721.72	6972.17
3	Unsecured wholesale funding of which	11738.22	5265.27	10996.55	5068.35	10408.13	5041.56	11244.88	5668.53
(i)	Operational Deposits (all counterparties)	0	0	0	0	0	0	0	0
(ii)	Non -operational deposits (all counterparties)	11738.22	5265.27	10996.55	5068.35	10408.13	5041.56	11244.88	5668.53
(III)	Unsecured debt	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Secured wholesale funding		0		0		0		0
5	Additional requirements, of which	0	977.08	0	819.93	0	900.31	0	1216.73
	Outflows related to derivative exposures and other collateral	839,66	839.66	96.969	96.969	777.59	92,777	1099.97	1099,97
(i)	requirements					20:11			
=	Outflows related to loss of funding on debt product	0	0	0	0	0	0	0	0
(iii)	Credit and liquidity facilities	2689.66	137.42	2356.93	122.97	2380.36	122.72	2258.67	116.76
9	Other contractual funding obligations	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Other contingent funding obligations	10536.03	451.58	9948.91	428.88	10910.05	474.21	11069.85	476.28
8	Total Cash Outflows								
Cash	Cash Inflows								
6	Secured lending (e.g. reverse renos)	02.049	Û	44.20	0	5,45	Û	1.38	0
10	Inflows from fully performing exposures	1274.97	756.46	2108.82	1203.97	1874.98	1373.50	1638.55	981.82
11	Other Cash Inflows	538.57	537.49	748.66	748.66	602.47	598.58	816.22	816.22
12	Total Cash Inflows	2453.74	1293.95	2901.68	1952.63	2482.90	1972.08	2456.15	1798.04
13	тотаг ндга		25769.72		27196.53		27472.22		25904.69
14	Total Net Cash Outflows		12040.00		11109.84		11333.39		12563.26
15	Liquidity Coverage Batio(%)		217 03%		%U8 VVC		%U7 C7C		206 19%

* Refer Note No.17.

-	Liquidity Coverage Ratio								(Rs.in crore)
		30.06.2021	2021	30.0	30.09.2021	31.1	31.12.2021	31.03.2022	2022
		Total Unweighted Value	Total Weighted Value	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value	Total Weighted Value (Average)	Total Unweighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)
High	High Quality Liquid Assets	(1861)	(7861987)	(ספריאר)		(1981,747)			
1	Total High Quality Liquid Assets		22279.75		26699.46		28305.55		28592.30
Cash	Cash Outflows								
7	Retail deposits and deposits from small business customers, of which	60694.60	6023.22	61885.56	6141.23	63756.78	6326.75	65024.49	6465.25
Ξ	Stable Deposits	924.70	46.23	946.46	47.32	978.53	48.93	744.00	37.20
(<u>ii</u>)	Less stable deposits	59769.90	5976.99	60939.10	6093.91	62778.25	6277.82	64280.49	6428.05
n	Unsecured wholesale funding of which	10267.32	4779.67	9706.98	4646.79	8726.35	4112.48	9766.76	4535.15
Ξ	Operational Deposits (all counterparties)	0	0	0	0	0	0	0	0
(ii)	Non -operational deposits (all counterparties)	10267.32	4779.67	9706.98	4646.79	8726.35	4112.48	97.9926	4535.15
<u></u>	Unsecured debt	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Secured wholesale funding		0		0		0		0
5	Additional requirements, of which	3066.67	657.59	3348.07	824.28	4217.73	1049.33	3653.48	986.73
Ξ	Outflows related to derivative exposure and other collateral requirements	509.76	509.76	682.16	682.16	868.18	868.18	842.44	842.44
: :	Outflows related to loss of funding on debt product	0	0	0	0	0	0	0	0
<u> </u>	Credit and liquidity facilities	2556.91	147.83	2665.91	142.12	3349.55	181.15	2811.04	144.29
9	Other contractual funding obligations	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Other contingent funding obligations	9403.00	397.90	9241.83	390.98	9295.83	392.69	10992.04	478.81
∞ (Total Cash Outflows		11858.38		12003.28		11881.25		12465.94
Cas	Secured lending (e.g.reverse	1363.63	0	2871.53	0	3213.04	0	3077.76	0
<i>y</i> 2	Inflows from fully performing	1566.03	814.40	1328.17	813.05	1117.89	817.45	1027.39	662.36
11	exposures Other Cash Inflows	706.54	706.54	532.07	532.07	613.53	613.53	2999	2999
12	Total Cash Inflows	3636.20	1520.94	4731.77	1345.12	4944.46	1430.98	4671.92	1229.13
13	TOTAL HQLA		22279.75		26699.46		28305.55		28592.30
15	Liquidity Coverage Ratio(%)		215.52%		250.51%		270.86%		254.45%
		The Liquidity Coverage Ratio arrived for the quarter ended 30.06.2021 on basis of simple averages of daily observations during the period 01-04-2021 to	overage Ratio quarter ended basis of simple y observations 01-04-2021 to	The Liquidity Coverage arrived for the quarter 30.09.2021 on basis of averages of daily obserduring the period 01-07-2	The Liquidity Coverage Ratio arrived for the quarter ended 30.09.2021 on basis of simple averages of daily observations during the period 01-07-2021 to	The Liquidity Coverage for the quarter ender on basis of simple aver observations during th	The Liquidity Coverage Ratio arrived for the quarter ended 31.12.2021 on basis of simple averages of daily observations during the period 01-10-2021 to 31-12-2021.	The Liquidity Coverage Ratio arrived for the quarter ended 31.03.2022 on basis of simple averages of daily observations during the period 01-2022 to 31-03-2022.	rage Ratio arrived and 31.03.2022 averages of daily gethe period 01-2022.
		30-06-2021.		30-09-2021.					

c) Net Stable Funding Ratio (NSFR):

(Rs. in crore)

Particulars	31-03-2022	30-06-2022	30-09-2022	31-12-2022	31-03-2023
Available Stable Funding (ASF)	96261.56	93492.14	97749.10	100527.57	98493.57
Required Stable Funding (RSF)	81705.99	78785.11	76863.97	78766.02	80049.78
NSFR% (ASF/RSF)	117.81%	118.67%	127.17%	127.63%	123.04%

Further, details of components of NSFR for all the quarters are available on the bank's official site www.punjabandsindbank.co.in.



(Rs. in crore)

Composition of Investment Portfolio as on 31.03.2023 **a**

Investments

'n

			Invest	Investments in India				<u></u>	Investments outside India	de India		
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total investment s in India	Government securities (including local authorities)	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total Investments outside India	Total Investments
Held to Maturity												
Gross	22222.91	00:00	0.00	11674.83	0.00	36.32	33934.06	00:00	00:00	0.00	00:00	33934.06
Less: Provision for non- performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	00:00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	22222.91	0.00	0.00	11674.83	0.00	36.32	33934.06	00:00	00:00	0.00	00:00	33934.06
Available for Sale												
Gross	6753.77	0	367.34	4036.49	0.00	372.67	11530.27	00:00	00.00	00:00	0.00	11530.27
Less: Provision for depreciation and NPI	125.17	00.00	212.20	287.72	0.00	0.82	625.91	00'0	0.00	0.00	0.00	625.91
Net	6628.60	0	155.14	3748.77	00.00	371.85	10904.36	00'0	00:0	0.00	0.00	10904.36
Held for Trading												
Gross	00:00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	00:00	00:00	0.00	00.00	0.00
Less: Provision for	00:0	00:00	00'0	00'0	0.00	00:00	0.00	00'0	00:00	00'0	00'0	00'0
depreciation and NPI												
Net	0.00	0.00	00:00	00:0	00.0	00.00	00:00	00'0	00:00	00.00	00:00	0.00
Total Investments	28976.68	0.00	367.34	15711.32	0.00	408.99	45464.33	0.00	0.00	0.00	0.00	45464.33
Less: Provision for	0.00	0.00	191.06	267.49	0.00	0.00	458.55	00:00	0.00	0.00	0.00	458.55
non- performing investments												
Less: Provision for	125.17	0.00	21.14	20.23	0.00	0.82	167.36	00:00	0.00	0.00	0.00	167.36
depreciation and NPI												
Net	28851.51	0.00	155.14	15423.60	00:00	408.17	44838.42	0.00	0.00	0.00	0.00	44838.42
										l		

(Rs. in crore)

Composition of Investment portfolio as on 31.03.2022

			Invest	Investments in India					Investme	Investments outside India	e India	
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total investment s in India	Government securities (including local authorities)	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total Investments outside India	Total Investments
Held to Maturity												
Gross	21629.25	0.00	0.00	11788.99	0.00	26.98	33445.21	00:00	0.00	0.00	0.00	33445.21
Less: Provision for non- performing investments(NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:0	00:00	0.00	00:00
Net	21629.25	0.00	0.00	11788.99	0.00	26.98	33445.21	00:00	00:00	0.00	0.00	33445.21
Available for Sale												
Gross	5443.46	0.00	354.13	3195.20	0.00	328.24	9321.04	00:00	0.00	0.00	0.00	9321.04
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	201.14	283.77	00.00	0.47	485.38	0.00	00'0	0.00	00.00	485.38
Net	5443.46	0.00	152.99	2911.43	0.00	327.77	8835.66	00'0	00.00	0.00	0.00	8835.66
Held for Trading												
Gross	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00
Less: Provision for	00:00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	00:0	00'0	0.00	0.00	0.00
depreciation and NPI												
Net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00:00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investments	27072.71	0.00	354.13	14984.19	0.00	355.22	42766.25	0.00	0.00	0.00	0.00	42766.25
Less: Provision for	0.00	0.00	189.64	243.78	0.00	0.00	433.42	00'0	00'0	0.00	0.00	433.42
non- performing investments												
Less: Provision for	0.00	0.00	11.50	39.99	0.00	0.47	51.96	00:00	0.00	0.00	0.00	51.96
depreciation and NPI												
Net	27072.71	0.00	152.99	14700.42	0.00	354.75	42280.87	0.00	00'0	0.00	0.00	42280.87

b) Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

(Rs. in crore)

	Particulars	2022 - 23	2021 - 22
i)	Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	a) Opening balance	485.38	495.64
	b) Add: Provisions made during the year	306.04	86.01
	c) Less: Write off / write back of excess provisions during the year	165.54	96.27
	d) Closing balance	625.91	485.38
ii)	Movement of Investment Fluctuation Reserve		
	a) Opening balance	186.42	0.00
	b) Add: Amount transferred during the year	31.67	186.42
	c) Less: Drawdown	0.00	0.00
	d) Closing balance	218.09	186.42
iii)	Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments* in AFS and HFT/Current category	2%	2%

^{*}Carrying value less net depreciation reflected in the balance sheet. (ignoring net appreciation) i.e. the net amount reflected in the balance sheet.

c) Sale and transfers to/from HTM category

- i) During the year ending March-2023, Bank has shifted Govt. Securities amounting to Rs.3980.00 crore Face Value (Rs.3995.06 crore Book Value) from Held For Trading to Available For Sale category where as no security has been transferred from Available for Sale to Held to Maturity category. Gain on shifting of securities from HTM to AFS was not booked upfront and gain/loss was recognized on sale of such securities during the year.
- The value of shifting/ sales from HTM category (excluding onetime shifting at the beginning of year and sale under pre-announced OMO auctions) during the year does not exceed 5% of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year.

d) Non-SLR investment portfolio

i) Non-performing non-SLR investments

d) Non-SLR investment portfolio

i) Non-performing non-SLR investments

(Rs. in crore)

Sr. No.	Particulars	2022 - 23	2021 - 22
a)	Opening balance	438.11	485.28
b)	Addition during the year since 1 st April	192.32	39.66
c)	Reduction during the above period	147.83	86.83
d)	Closing balance	482.60	438.11
e)	Total provisions held	458.55	433.42

$ii) \quad \hbox{Issuer composition of non-SLR investments} \\$

Sr. No.	Issuer	Amo	ount	Extent of Place		Investme	of 'Below ent Grade' irities		f 'Unrated' urities	Extent of Secu	
(1)	(2)	(3	3)	(4	·)	(5)	(6)	(7	7)
		2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
a)	PSUs	12763.17	12996.17	12564.69	12764.62	0.00	0.00	12587.21	12787.48	12498.37	12596.83
b)	FIs	1263.07	630.70	14.60	14.60	0.00	0.00	46.66	46.66	235.40	14.60
c)	Banks	625.48	390.32	0.00	0.00	0.00	0.00	23.32	270.41	123.88	247.56
d)	Private Corporates	1771.62	1615.85	364.83	485.23	523.91	494.33	547.95	374.32	365.04	367.76
e)	Subsidiaries/Joint Ventures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	Others	64.31	60.50	64.31	60.50	26.23	31.79	64.31	60.50	64.31	60.50
g)	Provision held towards depreciation (including NPA)	(500.74)	(485.38)	(269.19)	(273.16)	(479.69)	(448.22)	(476.76)	(263.75)	(301.12)	(262.96)
	Total	15986.91	15208.16	12739.24	13051.79	70.46	77.90	12792.69	13275.62	12985.88	13024.29

Punjab & Sind Bank

e) Repo transactions (in face value terms) for FY 2022-23

(Rs. in crore)

	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during he year	Outstanding as on March 31, 2023
i) Securities sold under repo				
a) Government securities	-	-	-	-
b) Corporate debt securities	-	-	-	-
c) Any other securities	-	-	-	-
ii) Securities purchased under reverse repo				
a) Government securities	1500.00	2754.00	171.55	0.00
b) Corporate debt securities	-	-	-	-
c) Any other securities	-	-	-	-

Repo transactions (in face value terms) for FY 2021-22

	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Outstanding as on March 31, 2022
i) Securities sold under repo				
a) Government securities	-	-	-	-
b) Corporate debt securities	-	-	-	-
c) Any other securities	-	-	-	-
ii) Securities purchased under reverse repo)			
a) Government securities	-	4700.00	2982.49	1540.00
b) Corporate debt securities	-	-	-	-
c) Any other securities	-	-	-	-

4. **Asset quality**

a) Classification of advances and provisions held

As on 31.03.2023						
	Standard		Non-Perf	orming		Total
	Total Standard Advances	Sub- standard	Doubtful	Loss	Total Non- Performing Advances	
Gross Standard Advances and NPAs	I.					
Opening Balance	61822.26	833.13	5568.83	2162.86	8564.82	70387.08
Add: Additions during the year					908.46	
Less: Reductions during the year					3825.07	
Closing balance	75333.52	893.21	2893.27	1861.73	5648.21	80981.73
Reductions in Gross NPAs due to:						
i) Up gradation					235.28	
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					1306.50	
iii) Technical/ Prudential Write-offs					2127.64	
iv) Write-offs other than those under (iii) above					155.65	
Provisions (Excluding Floating Provisions)						
Opening balance of provisions held	711.70	226.65	4367.08	2162.50	6756.23	7467.93
Add: Fresh provisions made during the year					574.08	
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					3170.53	
Closing balance of provisions held	644.69	171.77	2126.28	1861.73	4159.78	4804.47
Net NPAs					I	
Opening Balance					1742.27	
Add: Fresh additions during the year					712.16	
Less: Reductions during the year					1042.93	
Closing Balance					1411.50	
Floating Provisions						
Opening Balance						
Add: Additional provisions made during the year			ı	NIL		
Less: Amount drawn down during the year						
Closing balance of floating provisions						
Technical write-offs and the recoveries made the	ere on					
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						5820.95
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						2127.64
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						691.18
Closing balance						7257.41

As on 31.03.2022						
	Standard		Non-Perfo	ming		Total
	Total Standard Advances	Sub- standard	Doubtful	Loss	Total Non- Performing Advances	
Gross Standard Advances and NPAs	I		1			
Opening Balance	58477.17	1501.48	4743.66	3088.86	9334.00	67811.17
Add: Additions during the year					2064.63	
Less: Reductions during the year					2833.81	
Closing balance	61822.26	833.13	5568.83	2162.86	8564.82	70387.08
Reductions in Gross NPAs due to:						
i) Up gradation					689.01	
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					1011.26	
iii) Technical/ Prudential Write-offs					1049.43	
iv) Write-offs other than those under (iii) above					84.11	
Provisions (excluding Floating Provisions)						
Opening balance of provisions held	1594.32	291.92	3436.52	3088.26	6816.70	8411.02
Add: Fresh provisions made during the year					1964.75	
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					2025.22	
Closing balance of provisions held	711.70	226.65	4367.08	2162.50	6756.23	7467.93
Net NPAs		-	-	-		
Opening Balance					2461.95	
Add: Fresh additions during the year					597.96	
Less: Reductions during the year					1317.64	
Closing Balance					1742.27	
Floating Provisions			•			
Opening Balance						
Add: Additional provisions made during the year						
Less: Amount drawn down during the year			NI	L		
Closing balance of floating provisions						
Technical write-offs and the recoveries mad	e thereon					
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts					5058.57	
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year					1049.43	
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year					287.05	
Closing balance					5820.95	

Ratios (%)	2022-23	2021-22
Gross NPA to Gross Advances	6.97	12.17
Net NPA to Net Advances	1.84	2.74
Provision coverage ratio (With TWO)	89.06	87.89
Provision coverage ratio (Without TWO)	75.01	79.66

b) Sector-wise Advances and Gross NPAs

Sr. No.	Sector		2022-23			2021-22	
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector (%)	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector (%)
i)	Priority Sector	31285.60	2739.33	8.76	29068.76	3127.63	11.00
a)	Agriculture and allied activities	11787.44	1027.17	8.71	10933.87	944.05	9.00
b)	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	4505.60	465.84	10.34	4874.73	715.84	15.00
Of which	, outstanding advances exceeds 10	% of the outstand	ling total adva	nces to that sector		!	
b.i)	Textiles	947.29	158.25	16.71	1056.55	174.96	16.56
b.ii)	Engineering	529.89	62.03	11.71	503.26	92.15	18.31
b.iii)	Metal and Metal Products	505.80	24.14	4.77	377.95	44.98	11.90
c)	Services	10375.46	983.33	9.48	8698.56	1122.19	12.90
d)	Personal loans	4617.10	262.99	5.70	4561.60	345.55	8.00
	Subtotal (i)	31285.60	2739.33	8.76	29068.76	3127.63	11.00
ii)	Non-priority Sector	49696.12	2908.87	5.85	41318.32	5437.19	13.00
a)	Agriculture and allied activities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	Industry	18275.59	1231.17	6.74	17762.36	2028.41	11.00
Of which	, outstanding advances exceeds 10	% of the outstand	ling total adva	nces to that sector			
b.i)	Power & Energy	5704.89	219.40	3.85	6530.50	653.76	10.01
b.ii)	Social & Comm. Infra	4596.03	0.02	0.00	3640.63	0.95	0.03
b.iii)	Roads and Highways	3264.07	733.05	22.46	2816.94	801.79	28.46
c)	Services	19600.56	1462.84	7.46	16380.28	3157.40	19.28
Of which, outstanding advances exceeds 10% of the outstanding total advances to that sector							
c.i)	NBFC	14060.02	1150.91	8.19	8442.72	2330.26	27.60
d)	Personal loans	11819.97	214.87	1.82	7175.68	251.38	3.50
	Subtotal (ii)	49696.12	2908.88	5.85	41318.32	5437.19	13.16
	Total (i+ii)	80981.72	5648.21	6.97	70387.08	8564.82	12.17



c) Overseas assets, NPAs and revenue

(Rs. in crore)

Particulars	2022-23	2021-22
Total Assets	55.52	134.67
Total NPAs	0.00	0.00
Total Revenue	5.73	0.28

d) Particulars of resolution plan and restructuring

The Bank holds additional standard asset provision in 2 accounts, in terms of RBI Circular DBR No. BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated 7th June, 2019 on "Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets" amounting to Rs.50.51 crore.

The details are as under:-

(Rs. in crore)

Amount of Loans Impacted by RBI Circular	Amount of Loans to be classified as NPA	Amount of Loans as on 31.03.2023, out of (B) classified as NPA	Addl. Provision required for loans covered under RBI Circular	Provision out of (D) already made by 31.03.2023
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
142.68	-	-	50.51	50.51

e) Divergence in asset classification and provisioning

As per RBI Master Direction No DOR.ACC.REC.No.46/21.04.018/2021-22 dated 30.08.2021 (updated on 20.02.2023) on financial statements – presentation and disclosure, divergence in the asset classification and provisioning, Banks should disclose divergences in the asset classification and provisioning, if either or both of the following conditions are satisfied:

- (a) The additional provisioning for NPAs assessed by RBI exceeds 10 percent of the reported profit before provisions and contingencies for the reference period, and
- (b) The additional Gross NPAs identified by RBI as part of its supervisory process exceed 15 percent of the published incremental Gross NPAs for the reference period.

Divergences are within threshold limits in the Bank as specified above. Hence, no disclosure is required with respect to RBI' Annual Supervisory Process for FY 2021-22.

f) Disclosure of transfer of loan exposures

(i) In the case of stressed loans transferred or acquired, the following disclosures should be made:

Details of stressed loans (NPA & SMA)transferred during 2022-23					
	To ARCs	To permitted transferees	To other transferees (please specify)		
No. of accounts	NIL	NIL	NIL		
Aggregate principal outstanding of loans transferred	NIL	NIL	NIL		
Weighted average residual tenor of the loans transferred	NIL	NIL	NIL		
Weighted average residual tenor of the loans transferred	NIL	NIL	NIL		
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	NIL	NIL	NIL		
Aggregate consideration	NIL	NIL	NIL		
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	NIL	NIL	NIL		
Details of loans acquired during the year	•				
From SCBs, RRBs, Co-operative banks, AIFIs, SFBs and NBFCs inc	From ARCs				
Aggregate principal outstanding of loans acquired		NIL	NIL		
Aggregate consideration paid		NIL	NIL		
Weighted average residual tenor of loans acquired		NIL	NIL		

			(113.111111111
Details of stressed loans (NPA & SMA)transferred during 2021-2	.2		
	To ARCs	To permitted transferees	To other transferees (please specify)
No. of accounts	NIL	NIL	NIL
Aggregate principal outstanding of loans transferred	NIL	NIL	NIL
Weighted average residual tenor of the loans transferred	NIL	NIL	NIL
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	NIL	NIL	NIL
Aggregate consideration	NIL	NIL	NIL
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	NIL	NIL	NIL
Details of loans acquired during the year	1		
From SCBs, RRBs, Co-operative banks, AIFIs, SFBs and NBFCs inc	cluding Housing	Finance Companies (HFCs)	From ARCs
Aggregate principal outstanding of loans acquired		NIL	NIL
Aggregate consideration paid		NIL	NIL
Weighted average residual tenor of loans acquired		NIL	NIL
		1	

- (ii) In accordance with RBI circular no. DOR. STR. REC. 51/21.04.048/2021-22 dated September 24, 2021, in respect of the $details of loans \, transferred/acquired \, during \, the \, period \, ended \, March \, 31, 2023, \, the \, Bank \, has \, not \, transferred \, and \, acquired \, during \, the \, period \, ended \, March \, 31, 2023, \, the \, Bank \, has \, not \, transferred \, and \, acquired \, during \, the \, period \, ended \, March \, 31, 2023, \, the \, Bank \, has \, not \, transferred \, and \, acquired \, during \, the \, period \, ended \, March \, 31, 2023, \, the \, Bank \, has \, not \, transferred \, and \, acquired \, during \, the \, period \, ended \, March \, 31, 2023, \, the \, Bank \, has \, not \, transferred \, and \, acquired \, during \, the \, period \, ended \, March \, 31, 2023, \, the \, Bank \, has \, not \, transferred \, and \, acquired \, during \, the \, period \, ended \, March \, 31, 2023, \, the \, Bank \, has \, not \, transferred \, and \, acquired \, during \, the \, period \, ended \, March \, 31, 2023, \, the \, Bank \, has \, not \, transferred \, and \, acquired \, during \, the \, period \, ended \, March \, 31, 2023, \, the \, Bank \, has \, not \, transferred \, and \, acquired \, during \, the \, period \, ended \, March \, 31, 2023, \, the \, Bank \, has \, not \, transferred \, and \, acquired \, during \, the \, period \, ended \, March \, 31, 2023, \, the \, Bank \, has \, not \, transferred \, acquired \, acquir$ NPA and Special Mention Account (SMA).
- (iii) Distribution of the SRs held across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit rating agencies:

Recovery Rating Band	31.03.2023(Book Value)	31.03.2022(Book Value)
RR1+	Nil	Nil
RR1	26.23	31.79
RR2	Nil	Nil
RR3	Nil	Nil
RR4	Nil	Nil
RR5	Nil	Nil
Rating Withdrawn	Nil	Nil
Total	26.23	31.79

Fraud accounts g)

(Rs. in crore)

Particulars	2022-23	2021-22
Number of frauds reported (Nos.)	132	159
Amount involved in fraud	1363.22	454.59
Amount of provision made for such frauds	1137.14	238.73*
Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year	0.00	0.00

^{*} Provision of Rs.215.17 crore has already been made in previous years.

h) Disclosure under Resolution Framework for COVID-19-related Stress

i) Details of resolution plan implemented under the Resolution Framework for COVID-19 related stress as per RBI Circular dated August 6, 2020 (RF 1.0) and May 05, 2021 (RF 2.0) are given below:-

For Half Year ended 31.03.2023

Type of Borrower	Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of resolution plan- Position as at the end of the previous half year (30.9.2022) (A)	Of (A) aggregate debt that slipped into NPA during the half year	Of (A) Amount written off during the half year	Of (A) Amount paid by the borrowers during the half year	Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of resolution plan- Position as at the end of this half year (31.03.2023)
(i) Personal loans	1003.24	43.86	0.00	60.93	916.20
(ii) Corporate persons#	1105.94	25.25	0.00	65.84	1041.82
Of Which MSME	599.41	25.25	0.00	52.36	534.56
(iii) Others	39.19	2.84	0.00	2.59	33.34
Total	2148.37	71.95	0.00	129.36	1991.36
#as defined in Section 3(7)	of the Insolvency and Bankrup	otcy Code, 2016			



For Half Year ended 30.09.2022

Type of Borrower	Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of resolution plan- Position as at the end of the previous half year (31.03.2022) (A)	Of (A) aggregate debt that slipped into NPA during the half year	Of (A) Amount written off during the half year	Of (A) Amount paid by the borrowers during the half year	Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of resolution plan- Position as at the end of this half year (30.9.2022)
(i) Personal loans	1101.15	67.29	0.00	69.81	1003.24
(ii) Corporate persons#	1735.18	65.84	0.00	564.36	1105.94
Of Which MSME	709.89	65.84	0.00	49.79	599.41
(iii) Others	46.40	2.84	0.00	4.17	39.19
Total	2882.73	135.97	0.00	638.34	2148.37
#as defined in Section 3(7)	of the Insolvency and Bankru	otcy Code, 2016			

5. **Exposures:**

a) Exposure to Real Estate Sector

(Rs. in crore)

		Category	2022-23	2021-22
i) D	irect Ex	posure		
(a)	Resid	ential Mortgages*		
i.	1	ng fully secured by mortgages of residential property that is or will be pied by the borrower or that is rented	8129.80	7354.21
ii.	Indivi	dual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances	3875.73	4105.23
	*(Exp	osure would also include non fund based (NFB))		
(b)	Comr	nercial Real Estate		
	space multi land	ng secured by mortgages of commercial real estates (office buildings, retail, multipurpose commercial premises, multifamily residential buildings, tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, acquisition, development and construction, etc) (Exposure would also le non fund based (NFB) limits;)	814.68	1242.12
(c)	Invest	ments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized ures	-	-
	a.	Residential	-	-
	b.	Commercial Real Estate	-	-
ii) In	ii) Indirect Exposure		6182.73\$	2858.43\$
	Fund based and Non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)			
Tota	l Expos	ure to Real Estate Sector	15127.21	11454.76

\$ Includes Rs.869.92 crore (Previous year Rs.1019.83 crore) by way of Investment in NHB & Housing Finance Companies.



b) Exposure to Capital Market

(Rs. in crore)

Particulars		2022-23	2021-22
1	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	397.04	374.92
2	Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds;	0.60	1.72
3	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	-	-
4	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	-	-
5	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers	-	-
6	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	-	-
7	Bridge loans to companies against expected equity flows/ issues;	-	-
8	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	-	-
9	Financing to stockbrokers for margin trading;	-	-
10	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	38.07	28.71
Total Exposure to Capital Market		435.71	405.35

Risk Category wise Country Exposure

 $The \ net \ country-wise \ funded \ exposure \ of \ the \ Bank \ in \ respect \ of \ Foreign \ Exchange \ Transactions \ in \ respect \ of \ each \ country$ is within 1% of the Total Assets of the Bank. Hence, no provision is required as per RBI guidelines.

Unsecured Advances d)

(Rs. in crore)

Particulars	2022-23	2021-22
Total unsecured advances of the bank	6578.70	2012.49
Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority etc. have been taken	0.00	0.00
Estimated Value of such intangible	0.00	0.00

Factoring Exposures: Nil

Intra-Group Exposures f)

(Rs. in crore)

S. No.	Particulars	2022-23		2021-22	
		Sanc Loan/limit	Balance O/s	Sanc Loan/limit	Balance O/s
(a)	Total amount of intra-group exposures	NIL	NIL	NIL	NIL
(b)	Total amount of top-20 intra-group exposures	NIL	NIL	NIL	NIL
(c)	Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	NIL	NIL	NIL	NIL
(d)	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any.	NIL	NIL	NIL	NIL

g) Un-hedged Foreign Currency Exposure

The Bank has estimated the liability towards Unhedged Foreign Currency Exposure in terms of RBI circular DBOD.No.BP.BC.85/21.06.200/2013-14 dated January 15, 2014 and is holding a provision of Rs.0.04 crore as on March 31, 2023. (Rs.0.097 crore as on 31.3.2022)

6. Concentration to Deposits, Advances, Exposures and NPAs

a) Concentration of Deposits

Particulars	2022-23	2021-22
Total Deposits of twenty largest depositors	13491.58	18724.52
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank (%)	12.30	18.33

b) Concentration of Advances

(Rs. in crore)

Particulars	2022-23	2021-22
Total Advances to twenty largest borrowers	20677.61	15873.10
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank (%)	25.53	22.55

c) Concentration of Exposures*

(Rs. in crore)

Particulars	2022-23	2021-22
Total Exposure to twenty largest borrowers/ customers	20946.94	16907.74
Percentage of Exposure to the twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the bank on borrowers/ customers (%)	22.24	19.53

^{*}Exposure to Central Govt and Central Govt guaranteed have been excluded.

d) Concentration of NPAs

Particulars	2022-23	2021-22
Total Exposure to the top twenty NPA Accounts	2521.29	4109.52
Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs. (%)	44.64	47.98

7. **Derivatives**

Bank under derivatives only deals in merchant forward contract and the value of outstanding Forward contract is Rs.654.51 crore.

a) Forward rate agreement/Interest rate swap

(Rs. in crore)

Sr. No	Particulars	2022-23	2021-22
i)	The notional principal of swap agreements	NIL	NIL
ii)	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	NIL	NIL
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	NIL	NIL
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	NIL	NIL
v)	The fair value of the swap book	NIL	NIL

b) Exchange traded interest rate derivatives

(Rs. in crore)

Sr. No	Particulars	2022-23	2021-22
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives	NIL	NIL
	undertaken during the year (instrument wise)		
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives	NIL	NIL
	outstanding (instrument wise)		
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives	NIL	NIL
	outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)		
iv)	Mark to market value of exchange traded interest rate derivatives	NIL	NIL
	outstanding and not' highly effective' (instrument wise)		

c) Disclosures on risk exposure in derivatives

i) **Qualitative disclosures**

Bank has not entered into any derivative transactions in respect of Forward rate agreement/Interest Rate Swap Exchange Traded Interest Rate Derivatives during the year 2022-23. Accordingly, qualitative and quantitative disclosures under RBI guidelines with respect to derivative transactions are not required.

Punjab & Sind Bank

ii) Quantitative disclosures

(Rs. in crore)

Sr. No.	Particular	2022-23		2021-22	
		Currency Derivatives	Interest rate Derivatives	Currency Derivatives	Interest rate Derivatives
	Derivatives (Notional Principal Amount)	NIL	NIL	NIL	NIL
a)	i) For hedging	NIL	NIL	NIL	NIL
	ii) For trading	NIL	NIL	NIL	NIL
	Marked to Market Positions	NIL	NIL	NIL	NIL
b)	i) Asset(+)	NIL	NIL	NIL	NIL
	ii) Liability(-)	NIL	NIL	NIL	NIL
c)	Credit Exposure	NIL	NIL	NIL	NIL
	Likely impact of one percentage change in interest rate(100*PV01)	NIL	NIL	NIL	NIL
d)	i) on hedging derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL
	ii) on trading derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL
e)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year	NIL	NIL	NIL	NIL
	i) on hedging	NIL	NIL	NIL	NIL
	ii) on trading	NIL	NIL	NIL	NIL

d) Credit default swaps

Bank has not entered into any Credit Default Swaps during the year 2022-23.

Disclosures relating to securitization 8.

Sr. No	Particulars			2022-23	2021-22
1.		No of SPEs holding assets for securitization transactions originated by the originator (only he SPVs relating to outstanding securitization exposures to be reported here)			NIL
2.	Total amount of s	ecuriti	zed assets as per books of the SPEs	NIL	NIL
3.			res retained by the originator to comply Minimum Retention n the date of balance sheet.	NIL	NIL
	a)	Off-	balance sheet exposures	NIL	NIL
		*	First loss	NIL	NIL
		*	Others	NIL	NIL
	b)	On-	palance sheet exposures	NIL	NIL
		*	First loss	NIL	NIL
		*	Others	NIL	NIL
4.	Amount of exposi	ures to	securitization transactions other than MRR		
	a)	Off-	balance sheet exposures	NIL	NIL
		i)	Exposure to own securitizations	NIL	NIL
			* First loss	NIL	NIL
			* Others	NIL	NIL
		ii)	Exposure to third party securitizations	NIL	NIL
			* First loss	NIL	NIL
			* Others	NIL	NIL
	b)	On-	palance sheet exposures	NIL	NIL
		i)	Exposure to own securitizations	NIL	NIL
			* First loss	NIL	NIL
			* Others	NIL	NIL
		ii)	Exposure to third party securitizations	NIL	NIL
			* First loss	NIL	NIL
			* Others	NIL	NIL
5.	Sale consideration securitization	n recei	ved for the securitized assets and gain/loss on sale on account of	NIL	NIL
6.	Form and quantur securitization asso	•	tanding value) of services provided by way liquidity support, post- cing ,etc.	NIL	NIL
7.		g agent eceived	provided for each facility viz. Credit enhancement, liquidity etc. Percent in bracket as of total value of facility provided.	NIL	NIL
8.	Average default rate of portfolios observed in the past. (Breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc)		NIL	NIL	
9.	Amount and num	ber of	additional/top up loan given on same underlying asset.	NIL	NIL
10.	Investor complair (a) Directly/Indire	ectly re		3	3
	(b) Complaints or	utstand	ing	0	0



Off balance sheet SPVs sponsored 9.

(Rs. in crore)

Name of the SPV sponsored				
Domestic		Over	seas	
31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022	
NA	NA	NA	NA	

Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund) 10.

Sr.No	Particulars	2022-23	2021-22
i)	Opening balance of amounts transferred to DEA Fund	430.03	316.65
ii)	Add: Amounts transferred to DEA Fund during the year	77.66	117.46
iii)	Less: Amounts reimbursed by DEA Fund towards claims	7.45*	4.08*
iv)	Closing balance of amounts transferred to DEA Fund	500.24	430.03

^{*} Principal

11. D	isclosur	e of complaints		
a) Sum	mary in	formation on complaints received by the bank from customers and from the Of	ffices of Ombuds	sman
Sr. No	Partic	ulars	2022-23	2021-22
	Compl	aints received by the bank from its customers		
1		Number of complaints pending at beginning of the year	202	96
2		Number of complaints received during the year	19051	23973
3		Number of complaints disposed during the year	19167	23867
	3.1	Of which, number of complaints rejected by the bank	366	186
4		Number of complaints pending at the end of the year	86	202
	Mainta	ainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman		Į.
5		Number of maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman	544	655
	5.1	Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by Office of Ombudsman	254	620
	5.2	Of 5, number of complaints resolved through conciliation/mediation/advisories issued by Office of Ombudsman	276	27
	5.3	Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the bank	NIL	NIL
6		Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	NIL	NIL

b) Top five grounds of complain	ts received by the b	ank from custo	mers		
Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	Number of complaints pending at the beginning of the year	Number of complaints received during the year	% increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	Number of complaints pending at the end of the year	Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
			2022-23		
Ground – 1: ATM/Debit Cards	32	11035	8.71	30	NIL
Ground – 2 : Internet/Mobile/ Electronic Banking	119	4201	(59.16)	14	1
Ground – 3 : Loans and advances	18	638	(11.02)	16	NIL
Ground – 4 : Levy of charges without prior notice/excessive charges/ fore closure charges	5	608	215.03	1	Nil
Ground – 5 : Cheques / drafts/ bills	Nil	135	62.65	2	NIL
Others	28	2434	(4.25)	23	2
Total	202	19051	(20.53)	86	3
			2021-22		
Ground – 1 Internet/ Mobile/ Electronic Banking	8	10287	381	119	2
Ground – 2 ATM/Debits Cards	62	10151	14.90	32	3
Ground – 3 Loans and advances	4	717	51.60	18	6
Ground – 4 Levy of charges without prior notice/excessive charges/ foreclosure charges	NIL	193	188	5	NIL
Ground – 5 Staffs behaviour	3	118	(26.70)	5	1
Others	19	2507	(7.20)	23	2
Total	96	23973	65.90	202	14

Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India 12.

(Rs. in crore)

Particulars	2022-23	2021-22
A. Penalty imposed by RBI on account of advances sanctioned in contravention of RBI directions for onward lending to group companies / subsidiaries and affiliates by NBFC	0.00	1.00
B. Penalty imposed by RBI on account of unusual cyber securities and incidents of suspected unauthorized internet banking transactions	0.00	0.25
C. Penalty imposed by RBI on account of Non-compliance of the directions issued by RBI circular No. DBR.DIR.BC.No.14/13.03.00/2019-20 dated September 04, 2019 on 'External Benchmark Lending'.	0.275	0.00

13. Disclosures on Remuneration - Not Applicable to bank

14. **Other Disclosures**

Business Ratios

Particular	2022-23	2021-22
Interest Income as a percentage to Working Funds (%)	5.99	5.80
ii) Non-interest income as a percentage to Working Funds (%)	0.70	0.78
iii) Cost of Deposits (%)	4.53	4.28
iv) Net Interest Margin (%)	2.91	2.80
v) Operating Profit as a percentage to Working Funds (%)	1.09	1.09
vi) Return on Assets (%)	0.98	0.85
vii) Business (deposits plus advances) per employee	21.45	20.31
viii) Profit per employee	0.15	0.12



Disclosure of Fees/Remuneration Received in respect of Bancassurance Business b)

(Rs. in crore)

Particulars	2022-23	2021-22
A. Fee/ Remuneration from Life Insurance Business	19.75	13.14
B. Fee/ Remuneration from General Insurance Business	3.38	3.08
C. Commission on APY	1.53	0.80

C) Disclosure of Fees/Remuneration Received in respect of Marketing and Distribution Function (Excluding Bancassurance **Business**)

(Rs. in crore)

Particulars	2022-23	2021-22
Commission on Sovereign Gold Bond Scheme	0.43	0.85
Commission on ASBA	0.01	0.00

d) Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)

Bank has sold 3400 units under Priority Sector Lending certificates (PSLCs) to the tune of Rs.850.00 crore under Small & $marginal\ farmers\ and\ earned\ commission\ income\ of\ Rs. 9.74\ Crore\ during\ the\ year\ ended\ 31.03.2023.$

e) **Provisions and contingencies**

Provision debited to Profit and Loss Account	2022-23	2021-22
Provisions for NPI	25.13	(51.86)
Provision towards NPA	(471.06)	988.96
Provision made towards Income tax	306.81	147.63
Other Provisions and Contingencies (with details)	276.03	(793.69)

(Rs. in crore)

Break up of 'Provisions & Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit & Loss Account	2022-23	2021-22
Provision for Non Performing Advances	(471.06)	988.96
Provision for Standard Advances	(67.01)	(882.61)
Provision for diminution in FV Restructured Advances	(1.78)	(48.47)
Provision for Non Performing Investments	25.13	(51.86)
Provision for Fraud	54.93	2.43
Rebate on Advances	155.65	84.11
Other Provisions	134.23	50.84
Provision for Taxation:		
Current Tax	265.13	37.76
Deferred Tax	324.10	147.63
MAT Credit Entitlement–Current Year	(282.41)	(37.76)
MAT Credit Entitlement Reversed	0.00	0.00
Total	136.91	291.04

f) Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standards (Ind AS)

Bank is complying with the reporting requirements of statutory authorities in relation to IND-AS. Post issuance of discussion paper on ECL by the regulator, Bank will be appointing a consultant with considerable experience in the field of implementation of IND-AS. Further, it is also planned to give specialized training to staff so as to build relevant expertise, which would $ultimately \, result \, in \, smooth \, implementation \, of \, IND-AS \, as \, and \, when \, implemented.$

g) Payment of DICGC Insurance Premium

Sr. No.	Particulars	2022-23	2021-22
I)	Payment of DICGC Insurance Premium	142.86	136.06
ii)	Arrears in payment of DICGC premium	0.00	0.00



h) Disclosure of facilities granted to directors and their relatives: Not Applicable to bank

i) Disclosure on amortization of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of banks

The estimated additional Pension liability on account of revision in family pension was Rs. 236.84 crore. RBI vide its Circular RBI/2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated 4th October 2021, has permitted all member Banks of Indian Banks Association to amortize the said additional liability over a period not exceeding five years beginning with the financial year ending 31st March 2022, subject to a minimum of 1/5th of the total amount being charged every year. The Bank will amortize the said liability over a period, not exceeding 5 years commencing from the financial year ending 31st March 2022, subject to a minimum of Rs.47.37 crore every year. Accordingly, the Bank has charged an amount of Rs.47.37 crore to the Profit & Loss account for the current financial year ended 31st March 2023 and the balance unamortized amount of Rs.142.10 crore as on 31st March 2023, has been carried forward.

i) Disclosure in terms of RBI circular no.DOR.STR.REC.91/21.04.018/2021-22 dated December 13, 2022:

i) Items under the subhead "Miscellaneous Income" under the head "Schedule 14 - Other Income" exceeding 1% of Total Income.

(Rs. in crore)

S.No.	Particulars	2022-23	% out of Total Income	2021-22	% out of Total Income
1	Recovery in Technical Write Off Accounts	511.64	5.73	261.47	3.25
2	Miscellaneous Income	110.82	1.24	85.94	1.07
3	Loan Processing Fee	81.12	0.91	89.33	1.11

ii) Items under the subhead "Other Expenditure" under the head "Schedule 16 - Operating Expenses" exceeding 1% of Total Income: NIL.

iv) Items under the head "Schedule 11(VI) – Other Assets - "Others" exceeding 1% (one percent) of Total Assets.

S.No.	Particulars	2022-23	% out of Total Assets	2021-22	% out of Total Assets
1	Rural Infrastructure Development Fund [RIDF]	2359.44	1.73	2759.23	2.28

iii) Items under the head "Schedule 5(IV) - Other Liabilities and Provisions- "Others (including provisions)" exceeding 1% of Total Assets: NIL

15. Disclosure as per Accounting Standard (AS)

15.1 AS-5 Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies

15.1.1 There are no material prior period items included in Profit & Loss Account required to be disclosed as per AS-5 read with RBI guidelines except those disclosed elsewhere in the notes.

15.2 **AS-9 Revenue Recognition**

Certain items of income are recognized on realization basis as disclosed at point no. 8 – "Revenue Recognition" of Schedule 17 – Significant Accounting Policies. However, in terms of RBI guidelines, the said income is not considered to be material.

15.3 **AS-10 Property Plant & Equipment**

The bank had last revalued immovable properties during the FY 2021-22, based on the reports obtained from the external independent valuer. The closing balance of revaluation reserve as on 31.03.2023 (Net of amount transferred to revenue reserve) is Rs.912.22 crore (Previous year Rs.919.90 crore).

Out of 59 properties owned by bank (excluding lease hold properties having a lease term up to 30 years), cost of 38 properties are segregated into land and superstructure.

15.4 AS 15 - Employees Benefit

Provisions for Pension, Gratuity, Leave Encashment and Other long term benefits have been made in accordance with the Revised Accounting Standard (AS - 15) Employees Benefits issued by the ICAI.

The summarized position of post-employment benefits recognized in the Profit & Loss A/c and Balance Sheet is as under:

Changes in the Present value of the Obligation

Particulars	Pension (Funded)	Gratuity (Funded) Leave Encash		Leave Encashr	nent (Funded)
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
Present Value of defined benefit obligation as at 1st April	4610.95	4199.43	319.58	324.96	257.93	227.27
Interest cost	313.48	265.98	21.95	21.71	18.05	15.41
Past Service Cost	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Current service cost	214.86	173.47	24.90	22.47	16.94	21.61
Benefits paid	(453.22)	(459.09)	(35.31)	(50.96)	(19.38)	(29.36)
Actuarial loss/ (gain) on obligations	12.45	431.16	(9.75)	1.40	(1.32)	23.00
Present value of defined Benefit obligation at 31st March	4698.52	4610.95	321.37	319.58	272.22	257.93



Changes in the Present Value of Plan Assets

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
Fair value of Plan Assets as at 1st April	4322.98	3952.38	321.08	313.18	262.41	219.38
Expected return of Plan Assets	339.35	317.77	25.37	25.37	17.53	15.84
Contributions	282.83	546.16	13.79	36.73	9.24	55.15
Benefits paid	(453.22)	(459.09)	(35.31)	(50.96)	(19.38)	(29.36)
Actuarial gain/(loss)	(59.84)	(34.24)	(6.67)	(3.24)	(0.20)	1.40
Fair value of Plan Assets as at 31st March	4432.10	4322.98	318.26	321.08	269.60	262.41
Actual return on Plan Assets	279.51	283.53	18.70	22.13	17.33	17.24

Net Actuarial Loss/(Gain)

Particulars	Pension (Funded) Gratuity (Funded)		(Funded)	Leave Encashment (Funded)		
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
Actuarial loss/(gain) on Obligation. (A)	12.45	431.16	(9.75)	1.40	(1.32)	23.00
Actuarial loss/(gain) on Plan Assets (B)	59.84	34.24	6.67	3.24	0.20	(1.40)
Net Actuarial loss/(gain)	72.29	465.40	(3.08)	4.64	(1.12)	21.60
Actuarial loss/(gain) recognized in the period (A+B)	72.29	465.40	(3.08)	4.64	(1.12)	21.60
Unrecognized actuarial loss/ (Gain) at the end of the year	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

Amount recognized in the Balance Sheet

(Rs. in crore)

Particulars	Pension	Pension (Funded) Gratuity (Funded)		Leave Encashr	nent (Funded)	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
Present value of defined benefit obligation as at 31st March	4698.52	4610.95	321.37	319.58	272.22	257.93
Less: Fair value of Plan Assets as at 31st March	4432.10	4322.98	318.26	321.08	269.60	262.41
Excess net Asset / (Unfunded Liability) Recognized in the balance sheet	(266.42)	(287.97)	(3.11)	1.50	(2.62)	4.48
Higher Provisioning kept	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Transitional liability recognized during the year	_	-	_	_	_	-
Unrecognized transitional liability		_	_	_	_	-
Excess net Asset / (Unfunded Liability) Recognized in the balance sheet	(266.42)*	(28 7: 97)	(3.11)	1.50	(2.62)	4.48

Expenses recognized in the Profit & Loss Account

Particulars	Pension	Pension (Funded) Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)		
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
Current service cost	214.86	173.47	24.90	22.47	16.94	21.61
Past Service Cost	_	-		_	_	_
Interest cost	313.48	265.98	21.95	21.71	18.05	15.41
Expected return on plan assets	(339.35)	(317.77)	(25.37)	(25.37)	(17.53)	(15.84)
Net Actuarial (gain)/ loss recognized during the year	72.29	465.40	(3.08)	4.64	(1.12)	21.60
Deferred Pension Expenditure	_	(189.47)	_	_	_	_
Net (Benefit)/ Expense	261.28	397.61	18.40	23.45	16.34	42.78



Movements in the liability recognized in the Balance Sheet

(Rs. in crore)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
Opening net Liability/(Asset)	287.97	247.05	(1.50)	11.78	(4.48)	7.89
Add: Deferred Pension Expenditure	_	189.47	_	_	_	_
Add: Net benefit expense	261.28	397.61	18.40	23.45	16.34	42.78
Less: Contribution paid	282.83	546.16	13.79	36.73	9.24	55.15
Closing liability/(Asset)	266.42	287.97	3.11	(1.50)	2.62	(4.48)
Add: Higher Provisioning Kept	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Closing liability/(Asset)	266.42*	287.97	3.11	(1.50)	2.62	(4.48)

^{*} including Deferred Family Pension Liability of Rs 142.10 Crore

Investment percentage maintained by the trust

(in % age)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
Central Government Securities	6.29	8.04	_	_	_	Nil
State Government Securities	13.24	16.10	21.09	21.65	_	Nil
High Safety Bonds/TDRs	9.76	11.71	20.95	21.53	82.47	81.53
Other investments	70.71	64.15	57.96	56.82	17.53	18.47

Principal Actuarial assumptions at the Balance Sheet date

(in % age)

Particulars	Pension (Funded)		Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Funded)	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
Discount rate	7.15	6.70	7.27	7.25	7.27	7.25
Expected rate of return on plan assets	7.85	8.04	7.90	8.10	6.68	7.22
Rate of escalation in salary	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Attrition rate	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Mortality Table	IALM 2012- 14	IALM 2012- 14	IALM 2012- 14	IALM 2012- 14	IALM 2012- 14	IALM 2012- 14
Method used	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC

Basis of Actuarial Assumptions considered

Particulars	Basis of assumption
Discount rate	Discount rate has been determined by reference to market yield on the balance sheet date on Government Bonds of term consistent with estimated term of the obligation.
Expected rate of return on plan assets	The expected return on Plan assets is based on market expectation, at the beginning of the period, for returns over the entire life of the related obligation.
Rate of escalation in salary	The estimates of future increase in salary is considered in actuarial valuation taking into account inflation, seniority, promotion, and other relevant factors, such as supply and demand in employee market.
Attrition rate	Attrition rate has been determined by reference to past and expected future experience and includes all type of withdrawals other than death but including those due to disability.
Mortality Table	A mortality table, also known as a life table or actuarial table, shows the rate of deaths occurring in a defined population during a selected time interval, or survival rates from birth to death.

Other long term employee benefit (Non funded)

(Rs. in crore)

Particulars	LTC/LFC Encashment Silver jubilee Bonus		ilee Bonus		dical fits *	Retirement Gifts		
	2022-23	2021-22*	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
Present Value of Obligation	7.92	6.77	1.32	1.23	0.71	0.77	1.29	1.29
Transitional Liability	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Transitional liability recognized during the year	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Unrecognized transitional liability	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Higher Provisioning kept	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Liability recognized in the Balance Sheet	7.92	6.77	1.32	1.23	0.71	0.77	1.29	1.29

 $[\]hbox{*As assessed by the management}$

AS 17 – Segment Reporting: 15.5 Part A: Business Segment

Particulars	Year	Ended
	31.03.23 (Audited)	31.03.22 (Audited)
1. Segment Revenue		
a) Treasury	2345.16	2365.32
b) Corporate/ Wholesale Banking	3071.45	3179.63
c) Retail Banking	3491.41	2493.31
- Digital Banking	0.00	0.00
- Other Retail Banking	3491.41	2493.31
d) Other Banking Operations	24.67	16.93
Total	8932.69	8055.19

2. Segment Result		
a) Treasury	759.02	1020.53
b) Corporate/ Wholesale Banking	553.68	473.71
c) Retail Banking	629.39	371.45
- Digital Banking	(0.50)	0.00
- Other Retail Banking	629.89	371.45
d) Other Banking Operations	24.67	16.93
Total	1966.76	1882.62
3. Unallocated Expenses	516.82	552.53
4. Operating Profit	1449.94	1330.09
5. Provisions & Contingencies	(169.90)	143.40
6. Income Tax	306.81	147.64
7. Extra Ordinary Profit/ Loss	0.00	0.00
8. Net Profit	1313.03	1039.05
Other Information:		
9. Segment Assets		
a) Treasury	45476.84	42863.74
b) Corporate/ Wholesale Banking	41394.98	41987.21
c) Retail Banking	47054.84	32924.40
- Digital Banking	0.77	0.00
- Other Retail Banking	47054.07	32924.40
d) Other Banking Operations	0.00	0.00
e) Unallocated Assets	2527.86	3292.20
Total Assets	136454.52	121067.55
10. Segment Liabilities		
a) Treasury	41159.64	38911.83
b) Corporate/ Wholesale Banking	37465.28	38116.11

c) Retail Banking	42587.84	29888.87
- Digital Banking	1.28	0.00
- Other Retail Banking	42586.56	29888.87
d) Other Banking Operations	0.00	0.00
e) Unallocated Liabilities	133.26	140.15
Total Liabilities	121346.02	107056.96
11.Capital Employed		
a) Treasury	4317.20	3951.91
b) Corporate/ Wholesale Banking	3929.70	3871.10
c) Retail Banking	4467.00	3035.53
- Digital Banking	(0.51)	0.00
- Other Retail Banking	4467.51	3035.53
d) Other Banking Operations	0.00	0.00
e) Unallocated Liabilities	2394.60	3152.05
Total Capital Employed	15108.50	14010.59

Note: For the purpose of segment reporting in terms of AS-17 of ICAI and as prescribed in RBI guidelines, the business of the Bank has been classified into four segments i.e. a) Treasury Operations, b) Corporate/Wholesale Banking, c) Retail Banking (further classified into Digital Banking and Other retail banking and d) Other Banking Operations. Segmental Revenue, Results, Assets & Liabilities in respect of Corporate / Wholesale and Retail Banking segment have been bifurcated on the basis of exposure to these segments.

Part B Geographical Segment:

Since the Bank does not have any overseas branch, reporting under Geographic Segment is not applicable.

AS 18 – Related Party Disclosures 15.6

Key Managerial Personnel:

Mr. Swarup Kumar Saha	Managing Director & CEO w.e.f.03.06.2022
Mr. S. Krishnan	Managing Director & CEO w.e.f. 04.09.2020 upto 31.05.2022
Mr.Kollegal V Raghavendra	Executive Director w.e.f. 10.03.2021
Dr. Ram Jass Yadav	Executive Director w.e.f. 21.10.2021

Remuneration Paid to Key Management Personnel:

(Rs. in lacs)

Name and Designation	2022-23	2021-22
Mr. Swarup Kumar Saha, Managing Director & CEO	28.34	0.00
Mr. S. Krishnan, Ex. Managing Director & CEO	12.81	33.08
Mr.Kollegal V Raghavendra, Executive Director	34.32	27.26
Dr. Ram Jas Yadav, Executive Director	32.69	12.82

Items/ Related Party	Key Management Personnel (2022-23)	Key Management Personnel (2021-22)
Borrowings	NIL	NIL
Deposits	74.61	52.69
Max During Year	253.12	57.51
Placement of Deposits	NIL	NIL
Advances	17.52	NIL
Investments	NIL	NIL
Non Funded Commitments	NIL	NIL
Leasing/HP arrangements availed	NIL	NIL
Leasing/HP arrangements provided	NIL	NIL
Purchase of fixed assets	NIL	NIL
Sale of fixed assets	NIL	NIL
Interest Paid	3.14	2.06
Interest Received	0.08	NIL
Rendering services	NIL	NIL
Receiving of services	NIL	NIL
Management contracts	NIL	NIL

AS 20 - Earning Per Share 15.7

Particulars	2022-23	2021-22
Net Profit After tax available for equity Shareholders	1313.03	1039.05
Weighted Average Number of Equity Shares in crore	677.78	406.01
Basic and Diluted Earnings per Share (Rs.)	1.94	2.56
Nominal Value per Share (Rs.)	10.00	10.00

AS 21 - Consolidated Financial Statement 15.8

The Bank does not have any subsidiary/associate and as such AS 21 is not applicable.

15.9 AS 22 – Accounting for Taxes on Income

- 15.9.1 The Bank has accounted for Income Tax in compliance with Accounting Standard-22 'Accounting for taxes on Income' issued by ICAI
- 15.9.2 Major components of Deferred Tax Assets/Liabilities are as under:

Head		Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liabilities	
		31.03.2023	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022
1	Depreciation on Fixed Assets	0.00	0.00	12.82	20.36
2	Special Reserve u/s 36(1)(viii)	0.00	0.00	70.06	70.06
3	Provision for NPA on Investments	160.24	151.45	0.00	0.00
4	Provision for Wage Revision	20.77	0.00	0.00	0.00
5	Provision for Advances	1670.45	2033.75	0.00	0.00
6	Provision for diminution in FV of Restructured Advances	0.87	1.50	0.00	0.00
7	Accumulated loss	74.80	72.05	0.00	0.00
	Total	1927.13	2258.75	82.88	90.42

- 15.9.3 Provision for Income Tax and Deferred Tax held by the Bank is considered adequate taking into account the opinion of legal experts and favourable judicial pronouncements.
- 15.9.4 Review of Deferred Tax Assets has been carried out based on Bank management's estimate of possible tax benefits against timing difference in accordance with Accounting Standard – 22 "Accounting for Taxes on income" issued by The Institute of Chartered Accountants of India and Net Deferred Tax Assets of Rs.1844.25 crore is recognized as at 31st March 2023 (Rs.2168.34 crore as at 31st March 2022).

- 15.9.5 No provision has been considered necessary in respect of disputed demands of Income aggregating to Rs.709.31 crore (Previous year Rs.541.82 crore) in view of decisions of appellate authorities / judicial pronouncements / opinions of legal experts.
- 15.9.6 The Government of India, vide the Taxation Laws (Amendment) Act, 2019, inserted section 115BAA in the Income Tax Act 1961 w.e.f. April 1, 2019. The Bank has evaluated the options available under section 115BAA of The Income Tax Act, 1961 and opted to continue to recognize the Taxes on Income for the year ended 31.03.2023 as per the earlier provisions.

15.10 AS 23 – Accounting for Investments in Associates in consolidated Financial Statements

The Bank does not have any subsidiary/associate and as such AS 23 is not applicable.

15.11 AS 26 – Intangible Assets

The application software in use in the Bank has been developed in house and has evolved over a period of time. Hence, the costs of software is essentially part of Bank's operational expenses like wages etc. and as such are charged to the respective heads of expenditure in the Profit and Loss Account.

15.12 Accounting Standard 28 - Impairment of Assets

Fixed Assets possessed by Bank are treated as 'Corporate Assets' and not 'Cash Generating Units' as defined by AS-28. In

the

opinion of the Management, there is no impairment of the 'Fixed Assets' of material amount as of 31.03.2023, requiring recognition in terms of AS-28 issued by the ICAI. The impairment of other assets has been provided for as per Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India.

15.13 Accounting Standard 29 - Provisions, Contingent Liability and Contingent Assets

- 15.13.1 As per AS-29 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes no provision for
 - a) Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank, or
 - b) Any present obligation from the past events but is not recognized because
 - It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation;
 - A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as contingent liabilities. These are assessed continually and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

15.13.2 Movement of Provision against Contingent Liabilities:

(Rs. in crore)

Particulars	Opening	Balance		during the ear	Reduction during the year		Closing Balance	
	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
Claims against the Bank not acknowledged as Debt	25.53	24.58	1.92	1.02	0.49	0.07	26.96	25.53
Invoked Bank Guarantees	7.63	7.62	0.02	0.01	Nil	Nil	7.65	7.63
L.C Devolved	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

15.14 Other significant accounting policies has been disclosed at the appropriate places in the Notes forming part of the accounts.

16. Disclosures in Terms of MSMED Act 2006

Guideline given in Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 have been complied with for purchases made during FY 2022-23 and payments have been made to the vendors in time as per Act. Since there had been no delay in payment, therefore no penal interest had been paid during FY 2022-23.

- 17. The LCR is computed with existing methodology for the 90 days average period (quarter) for the period ended 31st March, 2023 and arrived at 206.19%. The management has approved conservative methodology i.e considering total outstanding deposit balance for wholesale funding as outflow instead of wholesale deposit having residual maturity of 30 days. Based on the new methodology, the bank has arrived LCR at 113.56% as at 31st March, 2023 i.e for a day. Since the Bank has not used the same methodology for the previous 90 days, it is not comparable with previously reported LCR numbers. The comparative figure for previous quarters/ year (90 days average) could not be carried out due to voluminous & complexity of data involved. However, revised methodology is being used for LCR calculation henceforth.
- 18. In terms of Reserve Bank of India (RBI) circular, Banks are required to make Pillar 3 disclosures including Leverage ratio, Liquidity coverage ratio and Net Stable funding Ratio (NSFR) under the Basel III capital regulations. These Disclosures are made available on the Bank's website: https://punjabandsindbank.co.in. The Disclosures have not been subjected to audit by Statutory Central Auditors of the Bank.



- 19. As per the Reserve Bank of India directions for initiating Insolvency Process- Provisioning Norms, vide letter No. DBR. No. BP:15199/21.04.048/2016-17 dated June 23, 2017, and DBR.No.BP.1907/21.04.048/2017-18 dated August 28, 2017, the bank is holding the provisioning of Rs.265.44.crores (Previous Year - Rs.281.56 crores) as against the balance outstanding of Rs.265.44 crores (Previous Year – Rs.281.56 crores) as on 31st March, 2023 in respect of NPA borrowal accounts referred in aforesaid circular.
- 20. Details of Single Borrower Limit (SGL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank During the year 2022-23, the Bank has exceeded the LEF limits set by RBI to single borrower/ group borrower in the following cases:-

Name of the Borrower	Maximum Limit during the year	Limit of Exposure as per LEF(%)	Limit / Liability as on 31.03.2023	Exposure (%) w.r.t. Tier-1 Capital as on 31.03.2022		
NIL						

- 21. The bank has funded exposure of Rs.87.49 crore in one account which is under litigation and Hon'able High court has granted stay on downgrading. The bank has made provisions of 40% for the account which is higher than the required provisions as per IRAC norms.
- 22. Pending settlement of the Bipartite agreement on wage revision (due from November 2022), an adhoc amount of Rs.59.44 crore has been provided upto 31.03.2023.
- 23. The figures of the previous year have been re-grouped / re-arranged wherever necessary except where information was not available.

PUNJAB & SIND BANK CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023

(000's Omitted)

	2022-23	2021-22
A. Cash Flow from Operating Activities		
Net Profit as per Profit & Loss Account	13130290	10390546
Adjustments for:		
Provisions & Contingencies	1369098	2910359
Depreciation on Fixed Assets	1483332	1370904
Profit on sale of Assets	-21539	1582
Interest on Bonds	1165942	2313978
Operating Profit before working capital changes	17127123	16987369
Adjustments for:		
Increase / (Decrease) in Deposits	75284760	60288344
Increase / (Decrease) in Borrowings	75747507	1000825
Increase / (Decrease) in Other Liabilities	1952164	-124722
(Increase) / Decrease in Investments	-27142239	-102552600
(Increase)/ Decrease in Advances	-128756804	-37094573
(Increase) / Decrease in Other Assets	1565000	-7029853
Direct Taxes Paid (Net of refund)	-1493895	8539541
Cash Flow from Operating Activities (A)	14283616	-59985669
B. Cash Flow from Investing Activities		
Increase in Fixed Assets	-903125	-1206359
Profit on sale of Assets	21539	-1582
Cash Flow from Investing Activities (B)	-881586	-1207941
C. Cash Flow from Financing Activities		
Issue of Equity Shares (Face Value) for cash	0	27251185
Share Premium received thereon	0	18748816
Preferential Issue Expenses	0	-4655
Redemption of Subordinated Bonds	-10000000	-3000000
Interest on Bonds	-1165942	-2313978
Dividend on Equity	-2101114	0
Employees Welfare Trust	-50000	0
Cash Flow from Financing Activities (C)	-13317056	40681368
Cash from Operating Activities	14283616	-59985669
Cash from Investing Activities	-881586	-1207941
Cash from Financing Activities	-13317056	40681368
Increase in Cash & Cash Equivalents	84974	-20512242
Cash and Bank Balances (Opening)	62882242	83394484
Cash and Bank Balances (Closing)	62967216	62882242
Cash and Dank Dalances (Clusing)	0230/210	02882242



Mahima Agarwal CHIEF FINANCIAL OFFICER

Dr. Ram Jass Yadav **EXECUTIVE DIRECTOR** Kollegal V Raghavendra **EXECUTIVE DIRECTOR**

Swarup Kumar Saha MANAGING DIRECTOR & CEO

GHIYA & CO.

Chartered Accountants

FRN: 001088C

UDIN: 23420734BGRRZ07034

(CA Shubham Gupta)

Partner

M.No. 420734

SHIV & ASSOCIATES

Chartered Accountants

FRN: 009989N

UDIN: 23097424BGSSLW6356

(CA Manoj Kumar)

Partner

M.No.097424

CHATURVEDI & CO.

Chartered Accountants

FRN: 302137E

UDIN: 23012705BGWLXV6179

FRN: 001997S

UDIN: 23221848BGYIHQ2314

MANOHAR CHOWDHRY & ASSOCIATES

(CA Satish Chandra Chaturvedi)

Partner

M.No. 012705

(CA Sandeep Mogalapalli)

Chartered Accountants

Partner

M.No.221848

Dated: May 02, 2023 Place: New Delhi

मुख्य सतर्कता अधिकारी / Chief Vigilance Officer



श्री अरुण कुमार अग्रवाल Sh. Arun Kumar Agarwal

महाप्रबंधक / General Managers



श्री एस वी एम कृष्णा राव Sh. S V M Krishna Rao



श्री पंकज द्विवेदी Sh. Pankaj Dwivedi



श्री गोपाल कृष्ण Sh. Gopal Krishan



श्री रवि मेहरा Sh. Ravi Mehra



श्री प्रवीण कुमार Sh. Praveen Kumar



श्री राजेंद्र कुमार रैगर Sh. Rajendra Kumar Raigar Sh. Dinesh Kumar Goyal



श्री दिनेश कुमार गोयल



श्री राजेश सी पाण्डेय Sh. Rajesh C Pandey



श्री गजराज देवी सिंह ठाकुर Sh. Gajraj Devi Singh Thakur Sh. Chaman Lal Shienhmar



श्री चमन लाल शींहमार



श्री मनोज कुमार Sh. Manoj Kumar



श्रीमती रश्मिता क्वाता Smt. Rashmita Kwatra









TOLL FREE: 1800 419 8300

Website: https://punjabandsindbank.co.in

Follow us @PSBIndOfficial F 50 In @ 8



੧ਓ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)



Punjab & Sind Bank

(A Govt. of India Undertaking)